राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 2] दसवीं विधान सभा के द्वितीय सत्र का नवां दिवस [संख्या 7

गुरुवार,

3 मार्च, 1994

राजस्थान विधान सभा की बैठक प्रातः 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : श्री अमरा राम चौधरी।

श्री भंवरसिंह चौधरी (मेड़ता) : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। हमारे पास प्रश्नों की कोई सूची नहीं आ रही है, न ही कोई कापी आयी है....(व्यवधान) हां, साहब, कुछ नहीं आया। कल भी नहीं आयी और आज भी नहीं आयी।

श्री अध्यक्ष : आज मैं देख लेता हूं।

श्री भंवरसिंह चौधरी : यह व्यवस्था करवाइये।

प्रश्न संख्या 162

श्री अध्यक्ष : अब आ जायेगी आपके पास। श्री अमरा रामजी। सवाल नहीं पूछ रहे है? श्री अमरा राम चौधरी हैं ही नहीं।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें।)

श्री खेतसिह जी।

शेरगढ़ की जलदाय योजनाएं

163. **श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) :** क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) शेरगढ़ क्षेत्र में जलदाय योजना के अन्तर्गत कितनी पाइप लाइन स्वीकृत की गयी है?

(2) क्या आगोलाइ जलदाय योजना के अन्तर्गत चखालों की ढाणी तक पाइप लाइन स्वीकृत करने का कोई प्रस्ताव है? यदि हां, तो लाइन कब तक डाली जाएगी? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सोइन्या गांव में भीलों के घरों में पिछले दस वर्षों के बाद अभी तक पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं करायी गयी? यदि हां, तो कब तक यह सुविधा इन गरीबों तक पहुंचा दी जाएगी?

राज्य मंत्री जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी (श्री जसवन्त सिंह बिश्नोई) : (1) माननीय अध्यक्षजी, संदर्भित विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 93-94 में तकनीकी रूप से स्वीकृत 6 जलदाय योजनाओं में विभिन्न प्रकार की 34.80 किलोमीटर पाइप लाइन डाले जाने का प्रावधान है।

(2) जी नहीं, सीमित वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान में चखालों की ढाणी (सही नाम सबरालों की ढाणी) में पाइप लाइन डालने का प्रस्ताव नहीं है।

(2)

(श्री जसवन्त सिंह विश्नोई)

(3) जी नहीं, विभागीय मापदण्डों के अनुरूप सार्वजनिक नलों के माध्यम से 1.6 किलोमीटर दूरी के भीतर पेयजल उपलब्ध होने के कारण बस्ती पेयजल सुविधा से लाभान्वित है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, पहला तो मेरा यह प्रश्न है कि यह 6 योजनाएं कौनसी-कौनसी हैं, कृपया उनका नाम और उनका डिस्टेन्स बता दें। इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करूंगा कि यह सबरालों की ढाणी और चखालों की ढाणी एक ही है, दो नहीं हैं लेकिन इस योजना से ...

श्री अध्यक्ष : यह एक ही बता रहे हैं। सही नाम सबरालों की ढाणी है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : वह एक ही है। यह भी कहते हैं और वह भी कहते हैं।

श्री अध्यक्ष : हां, यही है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैंने गलत नहीं पूछा है। मैं यह कह रहा हूं, वह अपनी होशियारी बता रहे हैं कि उसका नाम यह नहीं यह है, तो मैं यह कह रहा हूं कि यह दोनों नाम हैं। दूसरा, मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि यह सबरालों की ढाणी तो इस पाइप लाइन से एक किलोमीटर की दूरी पर है और बहुत बड़ी ढाणी है, वहां सीमेंट के पाईप लगाये हुए है, लोग उनको तोड़ देते हैं और पाइप फव्वारों की तरह चलता रहता है, आगे के लोगों को परेशानी होती है। एक किलोमीटर का ही तो मामला है, अगर आप यह पाइप लाइन खींच देते हैं तो आपके विभाग को भी आराम, जनता को भी आराम; और मैं तो हर प्रश्न जनहित में पूछता हूं।

मुख्य मन्त्री (**श्री भैरोंसिंह शेखावत**) : जनहित में एक जवाब दे दीजिये कि जो पाइप लाइन आप कहते हैं कि लोग तोड़ते हैं, किसी की जानकारी है क्या कि किस आदमी ने पाइप लाइन तोड़ी है ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : जानकारी तो है, मुझे उन लोगों का नाम मालूम नहीं। लेकिन वह चौधरियों की ढाणी है, वह आपके और मेरे कब्जे में आने वाले नहीं है।

श्री जसवन्त सिंह विश्नोई : माननीय अध्यक्षजी, जो छह जलप्रदाय योजनाएं हैं उनमें एक है अमृतनगर जलप्रदाय योजना, दूसरी है कारोजेरी जलप्रदाय योजना, तीसरी है गुमानपुरा जलप्रदाय योजना, चौथी है बावड़ी जलप्रदाय योजना और पांचवीं है नातराऊ सुखपदरा जलप्रदाय योजना और छठी है जुड़या जलप्रदाय योजना। ये छह जलप्रदाय योजनाएं हैं और कुल इनकी दूरी है 34.8 किलोमीटर।

श्री खेतसिंह राठौड़ : दूसरा मैंने कहा कि एक किलोमीटर का ही डिस्टेन्स है। आप हमारे स्वयं के मन्त्री हैं।

श्री जसवन्त सिंह विश्नोई : सबरालों की ढाणी के लिए बताया, उसके लिए अब तक कोई वित्तीय संसाधन न होने के कारण से कोई योजना बनी नहीं है। अब नयी योजना बना करके उसको स्वीकृति दे देंगे।

श्री अध्यक्ष : अब कर देंगे।

श्री खेतसिंह राठौड़ : एक किलोमीटर का तो मामला है। आप राज्य मन्त्री हो,

(श्री खेतसिंह राठौड़)

इसमें क्या डरते हो, इसमें दूसरे की क्या जरूरत है। भंवरलाल जी की तरफ क्या देखते हो, कह दो कि हां।

प्रश्न संख्या 164

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री दयाराम परमार। अनुपस्थित।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : अध्यक्ष-महोदय, दयाराम जी के स्थान पर....

श्री अध्यक्ष : अब दयाराम जी नहीं हैं तो आपके साथ कैसे निभेगा, बताइये. श्री चुन्नीलाल।

रूपारेल बांध, बेगूं

165. श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) बेगूं विधान सभा क्षेत्र में रूपारेल बांध पर पूर्व में कब और कितनी राशि निर्माण में व्यय की जा चुकी है ?

(2) इस बांध के बंध जाने पर किन-किन गांवों की कितनी-कितनी जमीन की सिंचाई सम्भव हो सकेगी ?

(3) क्या सरकार इस बांध को निकट भविष्य में बांधने के लिए योजना स्वीकृति का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

गृह मन्त्री (श्री कैलाश मेघवाल) : अध्यक्ष महोदय, बेगूं विधान सभा क्षेत्र में रूपारेल परियोजना के निर्माण पर वर्ष 1990–91 तक 13 लाख 50 हजार रुपये व्यय किये जा चुके हैं।

(2) रूपारेल बांध के बंध जाने पर जिन-जिन गांवों की भूमि की सिंचाई सम्भव हो सकेगी उनकी सूची परिशिष्ट "अ" में प्रस्तुत है।

(3) जी हां। वित्तीय संसाधनों की उपलब्धि के अनुसार बांध का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा सकेगा।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट–1 देखें।)

श्री चुन्नीलाल धाकड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय की जानकारी में लाना चाहता हूं कि जो नौ गांव इन्होंने बताये हैं, यह नौ गांव ही नहीं हैं बल्कि इनके अलावा पारसोली पंचायत के गांव भी इससे लाभान्वित होने वाले हैं। मेरा आप से यह अनुरोध है कि आप कृपया यह बतायें कि इस योजना का अनुमानित व्यय कितना है ? नम्बर दो, क्या इस योजना हेतु जर्मन एड लेने के प्रयास भी किये जा रहे हैं ? यदि हां, तो अभी तक इसमें क्या प्रगति हुई है ?

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, 1984–85 में एन.आर.ई.पी., नेशनल रूरल एम्प्लायमेंट प्रोग्राम के तहत 235.48 लाख की यह योजना स्वीकृत हुई थी और उसमें काम प्रारम्भ हुआ था। उसके बाद एन आर.ई.पी. समाप्त होने के बाद जवाहर रोजगार योजना के तहत इस पर काम चालू हुआ वह भी 91 तक बन्द हो गया। वर्ष 1991 के बाद बन्द है। अब इसकी पुनः जो अनुमानित लागत आने

(श्री कैलाश मेघवाल)

वाली है उसमें 475 लाख रुपये खर्च होने हैं। यह 475 लाख रुपये सिंचाई विभाग में इसको रेगूलर लेकर सिंचाई विभाग के फण्ड से इसका कार्य प्रारम्भ किया जाए, यह 1994-95 में इसको लेने का अभी प्रस्ताव है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री गोविन्द सिंह गुर्जर।

कृषि जिन्सों का समर्थन मूल्य

166. **श्री गोविन्दसिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या कृषि राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या राज्य सरकार किसानों की उन जिन्सों का समर्थन मूल्य देने का विचार रखती है जिनका समर्थन मूल्य केन्द्र द्वारा नहीं दिया जा रहा है जैसे फल व सब्जी आदि ?

श्री अध्यक्ष : क्या प्रश्न पूछा है आपने यह ?

राज्य मन्त्री, कृषि (श्री ज्ञानसिंह चौधरी) : जी नहीं। फल एवं सब्जियों का राज्य सरकार द्वारा कोई समर्थन मूल्य निर्धारित नहीं है, न इस विषय में कोई प्रस्ताव विचाराधीन है।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, कुछ जिन्सें राजस्थान में विशेष तौर पर पैदा हुई हैं और अगर हमने इनको प्रोत्साहन नहीं दिया तो धीरे-धीरे जिस तरह से क्रोपिंग पैटर्न बदल रहा है तो यह चीजें नष्ट हो जायेंगी। खास तौर से यह....

श्री अध्यक्ष : क्या समर्थन मूल्य से सरकार खरीदेगी ? क्या सब्जियों को समर्थन मूल्य सरकार खरीदेगी ?

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : नहीं, समर्थन मूल्य पर खरीदना कोई जरूरी नहीं है। समर्थन मूल्य घोषित तो कर सकते हैं। घोषित करने के बाद ..

श्री अध्यक्ष : यदि ज्यादा भाव हो तो सरकार को खरीदना पड़ेगा। खरीदना ही पड़ेगा यदि नहीं माल बिका तो।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : खरीदने की भी व्यवस्था हो सकती है। अध्यक्ष महोदय, मैं खास तौर से आपको निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहां झालावाड़ में सन्तरे इतने पैदा हो रहे हैं कि झालावाड़ नागपुर हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : मैं यह समझता हूं कि आपने यह नयी बात रखी है, सरकार इस पर विचार करेगी कि यह सम्भव है क्या। अभी यह कोई ऐसा प्रश्न नहीं है कि जिस पर बहस की जाए।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : नहीं, मैं तो यह अर्ज करना चाहता था कि जैसे हमारे यहां प्याज होता है, महाराष्ट्र वाले देते हैं उनको, सेब होता है हिमाचल प्रदेश वाले देते हैं उनको तो हमें उनको प्रोत्साहन देने के लिये ...

श्री अध्यक्ष : देखिये, उसमें प्याज, आलू यह अलग बात है। नयी सब्जियों की बात में तो सब सब्जी आ जाएंगी।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : प्याज है, सेब है, हमारे यहां जीरा पैदा होता है,

(श्री गोविन्द सिंह गुर्जर)

जीरा राजस्थान और गुजरात में ज्यादा होता है।

श्री अध्यक्ष : जीरा तो सब्जी नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : जीरे के लिए कुछ कर सकते हैं। इसी तरह चुकन्दर है, माल्टा है वह गंगानगर में पैदा होता है।

श्री अध्यक्ष : हां, वह ठीक है।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : इन चीजों को हम किस प्रकार से प्रोत्साहन देना चाहते हैं। कृषि विभाग की कोई न कोई नीति तो होनी चाहिए, उस सम्बन्ध में मैं पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : नीति क्या इसमें आलू है, प्याज है, माल्टा है ....

श्री ज्ञानसिंह चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने पूछा, हमने 1990-91 के अन्दर किन्नूसपोर्ट की प्राइस तय की थी और उसके तहत हमने 11,180 क्विंटल गंगानगर जिले में 6 मण्डियों से खरीदा था लेकिन उसमें यह परिस्थितियां रहीं कि टैक्सेज का, लोडिंग, अन-लोडिंग ट्रान्सपोर्ट का उसमें करीबन साढ़े 22 लाख रुपये का घाटा हुआ। सेण्ट्रल इण्टरवेंशन स्कीम के तहत यह प्रोग्राम राज्य सरकार ने किया था उसके बाद इस स्कीम को सरकार ने बन्द कर दिया।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : सरकार कोई व्यापारिक प्रतिष्ठान नहीं है, किसानों के लिए है। 22 लाख दे भी दें इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उसका आपको फायदा भी हो रहा है।

श्री ज्ञानसिंह चौधरी : अध्यक्ष महोदय, फल-सब्जी के भाव मिलें, सरकार और मुख्य मन्त्री जी इस बात से सहमत हैं।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : सवाल केवल फल-सब्जी का नहीं है, सारी जिंसों का ही है। फल-सब्जी का तो उदाहरण के तौर पर मैंने कहा है लेकिन जिन चीजों के लिए गवर्नमेंट आफ इण्डिया नहीं दे रही है समर्थन मूल्य, जैसे मैंने पहले जीरे के लिए उल्लेख किया, आप जीरे के लिए समर्थन मूल्य देना चाहेंगे ?

श्री ज्ञानसिंह चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जहां तक अच्छे भाव मिलें इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अच्छे भाव मिलेंगे तो किसान उसमें ज्यादा पैदाइश करेंगे, चाहे जीरे का मामला हो और चाहे फल-सब्जी का मामला हो। लेकिन जिस प्रकार की आज विपणन व्यवस्था है, मार्केट में किसानों को अच्छा भाव मिले तो उसके लिए सारा का सारा इन्फ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हम विचार कर रहे हैं। स्टोरेज की भी व्यवस्था हो, फाइनेन्सेज की व्यवस्था हो, उसके प्रोसेसिंग की व्यवस्था हो – इस पर कृषि विभाग विचार कर रहा है और एक टीम हम महाराष्ट्र में भेज रहे हैं जहां इस प्रकार की विपणन व्यवस्था को देख कर निश्चित रूप से किसान को अच्छे भाव मिलें और समर्थित मूल्य देने पड़ें उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं। यह सारा का सारा मामला विचाराधीन है और मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगली साल आप महसूस करेंगे कि काश्तकार को हर हालत

(श्री ज्ञानसिंह चौधरी)

में विपणन की व्यवस्था की जाएगी और उनको अच्छे भाव मिले इसके लिए राज्य सरकार की ओर से पूरा प्रयत्न किया जाएगा।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री विष्णु मोदी।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई (फलौदी) : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा है कि हमारे पश्चिमी राजस्थान में जीरा और ईसबगोल काफी बड़ी मात्रा में पैदा होता है। ईसबगोल का अभी संसार में बहुत महत्व बढ़ रहा है और इसको नाश्ते के साथ अमेरिका वगैरह सब जगह लेने लगे हैं। इसमें साजिश यह होती है कि पहले तो एक्सपोर्ट बन्द कर देते हैं और जब भाव नीचे आ जाते हैं जीरा और ईसबगोल के तब बिचौलिये उसको खरीद लेते हैं और बाद में खुलवाते हैं एक्सपोर्ट। नतीजा यह होता है कि जो 8 रुपये किलो किसान को मिलता है वह जीरा तो कभी-कभी 70-80-90 रुपये तक चला जाता है। इसी तरह से अब नयी वैरायटी और नये बीज आ गये। 20 हजार रुपये किलो का टमाटर का बीज है और यह आबू और जालौर के इलाके में बहुत पैदा होता है। एक सीजन में टमाटर बहुत अच्छा होता है और एक से चार दिन तक खराब नहीं होता है। प्रोसेसिंग इण्डस्ट्री नहीं होने से बहुत सस्ते दामों पर जाता है। इसी तरह गोभी और पत्ता गोभी का एक तांगा भर कर किसान लाता है तो कभी-कभी तो एक रुपये किलो में खाली कर जाता है। इसको समझ कर क्या व्यवस्था हो सकती है, कुछ नयी व्यवस्था बनानी चाहिए। इस पर आप विचार करें ताकि किसानों का जो शोषण है वह मिट जाए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, यह खाद्यान्नों के एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की पालिसी अभी किसानों से सहमत होकर नहीं बनी है। यह मैं आपकी को स्वीकार करता हूं कि जिस समय किसानों की उपज अच्छी होती है उस समय एक्सपोर्ट बन्द करेंगे और वह उपज सस्ते भाव में बिकेगी और जिस समय किसान के पास माल कम हो जाता है उस समय उसका एक्सपोर्ट करेंगे यह उसके कारण से है। यह कई बार आपने और बाकी की सब पार्टीज ने मिल कर भारत सरकार से कहा है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के साथ ही कमर्शियल पालिसी भारत सरकार बनाये ताकि एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का लाभ किसानों को मिले। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि अपने यहां तीन मोटी बातें है। एक तो है ऊन। जिस समय ऊन का एक्सपोर्ट बन्द करते हैं उस समय ऊन के भाव बिलकुल गिर जाते हैं और ऊन की जब बाहर जाने की छूट होती है तब ऊन के भाव बढ़ते हैं। एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पर तो ऊन के भाव निर्भर कर गये। इसी प्रकार काटन का है। काटन जब इम्पोर्ट होती है उस समय होती है जब काटन का प्रोडक्शन ज्यादा होता है हिन्दुस्तान में और उसके कारण से उस प्रोडक्शन की कीमत नहीं मिलती। जहां तक आपने टमाटर की बात कही यह चार-पांच दिन तक खराब नहीं होता और टमाटर काफी आपके एरिया से एक्सपोर्ट होने लग गया है लेकिन आपको मालूम होगा कि आज के दो वर्ष पहले एक बार इसी बीज ने सारे काश्तकारों को तबाह भी कर दिया था और

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

उनकी कोई पैदावार भी नहीं हुई। जीरे के लिए आप भी मानते हैं। वह सारा कमर्शियल बेसिस जब तक किसान के प्रोडक्शन का नहीं होगा और एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट के सम्बन्ध में एक नीति उसी आधार पर नहीं बनेगी तब तक हम इस परेशानी से मुक्त नहीं हो सकते। आपकी बात सही है।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : जब तक प्रोसेसिंग यूनिट अपने यहां नहीं लगेंगे तब तक कैसे भाव मिलेंगे ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : आप ईसबगोल पर जोर लगायें। यह हार्ट डिजीज के लिए नये अनुसंधान होकर यू. एस. ए. में और दूसरी जगह डेली डाइट का अंग बन गया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपको बता दूं कि अपने यहां हिन्दुस्तान में ईसबगोल की मण्डी अहमदाबाद में ऊंझा में डवलप हो रही है। हमने भी कोशिश की थी आज के पांच-सात वर्ष पहले राजस्थान में एक ईसबगोल का कारखाना लगा लें लेकिन वह चल नहीं पाया। अब कोशिश फिर कर रहे हैं और एक आदमी से मैंने बात की है। कोशिश यह है कि हमारे यहां का ईसबगोल गुजरात किसी प्रकार से नहीं जाए और यहीं पर ईसबगोल की पूरी खपत हो जाए। इसको शायद गोरा जीरा कहते हैं। यह गोरा जीरा राजस्थान के बाहर नहीं जाए। मैं आज तो नहीं कह सकता लेकिन कोशिश यह कर रहे हैं कि कोई फैक्ट्री जल्दी से जल्दी वहां लग जाए ताकि राजस्थान के प्रोडक्शन की पूरी कीमत मिल जाए।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : फिनिश्ड प्रोडक्ट हो जाए।

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : 19 मार्च को फैक्ट्री लग रही है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह लग रही है उसकी कैपेसिटी बहुत कम है।

श्रीमती तारा भण्डारी : एक आबू रोड में भी लगी है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री विष्णु मोदी।

रेगिस्तान प्रसार की रोकथाम

167. श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य का ऐसा कौनसा क्षेत्र है जो गत कुछ वर्षों में रेगिस्तान बन गया है और ऐसे कौन-कौन से क्षेत्र हैं जिनके विषय में ऐसी सम्भावना व्यक्त की जा रही है कि वे कुछ वर्षों में मरु रूप ले लेंगे ?

(2) रेगिस्तान के प्रसार को रोकने के लिए राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार की कौन-कौनसी योजनाएं हैं और इन योजनाओं के अन्तर्गत किस-किस क्षेत्र में क्या-क्या कार्य किया जा रहा है ?

(3) रेगिस्तान प्रसार को रोकने के लिए अब तक किये गये कार्यों के परिणाम स्वरूप किस सीमा तक सफलता प्राप्त हुई है ?

राज्य मन्त्री, विशिष्ट योजना संगठन (श्री अनंगकुमार जैन) : (1) बढ़ती हुई मानवीय गतिविधियों यथा टीबों पर खेती,

(श्री अनंगकुमार जैन)

पेड़ों का काटना एवं जानवरों का चराना, भूजल के दोहन के कारण अजमेर व जयपुर जिलों के कुछ क्षेत्रों में रेगिस्तानीकरण हो रहा है। अरावली पर्वतों एवं अन्य क्षेत्रों में वनस्पति नष्ट हो गयी है अथवा हो रही है एवं कृषि पैदावार कम हो गयी है। जलवायु एवं अन्य संसाधनों की भिन्नता के आधार पर यह कहना भी उचित है कि भविष्य में वर्तमान रेगिस्तानी क्षेत्रों के अतिरिक्त जो प्राकृतिक कारणों से बने हैं किसी भी अन्य क्षेत्र में मरुस्थल बनने की सम्भावना नहीं है। यदि मानवीय गतिविधियां इसी तरह बढ़ती रहीं तो अप्रभावित क्षेत्र भी रेगिस्तानीकरण की वजह से भविष्य में प्रभावित हो जाएंगे।

(2) मरुस्थल के प्रसार को रोकने के लिए राज्य में मरु विकास कार्यक्रम वर्ष 1977-78 से क्रियान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 11 मरुस्थलीय जिलों यथा जोधपुर, जैसलमेर, जालौर, झुन्झुनूं, बाड़मेर, बीकानेर, सीकर, नागौर, चूरू, पाली तथा गंगानगर में केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशिका के अनुसार भूमि विकास एवं आर्द्रता संरक्षण, जल संसाधनों का विकास, वनारोपण एवं चरागाह विकास तथा अन्य गतिविधियां यथा पशु पेयजल, फलोद्यान इत्यादि के कार्य क्रियान्वित करवाये जा रहे हैं।

(3) राज्य के वृहद रेगिस्तानी क्षेत्र को दृष्टिगत रखते हुए विपुल धनराशि के अभाव में मरु विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक किये गये विभिन्न कार्यों के परिणामस्वरूप आंशिक सफलता प्राप्त हुई है।

श्री विष्णु मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने सवाल पूछा था कि जो डेजर्ट मार्च कर रहा है, बढ़ रहा है उसके ऊपर क्या कार्यवाही हो रही है? मैंने जो सवाल किया है और यह जो सरकार का जवाब है इसमें कोई तालमेल नहीं है। कोई मतलब नहीं है। मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि अरावली का एक हिस्सा डेजर्ट में है एक तरफ और दूसरी तरफ नान-डेजर्ट एरिया है। उसमें कहां-कहां अरावली में गैप है जिससे यह डेजर्ट बढ़ रहा है और इसके अलावा कौन-कौन से कारण हैं जिनसे डेजर्ट, और दूसरे एरिया में बढ़ रहा है? मेरा पहला सवाल यह है।

श्री अध्यक्ष : नहीं नहीं, आप एक मिनट बिराजें। इस सम्बन्ध में अभी कुछ दिनों पहले एक एक्सपर्ट की ओपीनियन आपने देखी होगी, उसमें कहा है कि डेजर्ट नहीं बढ़ रहा है। सरकार ने जो जवाब दिया है वह उस लाइट में दिया है कि डेजर्टीकरण हो रहा है। डेजर्ट नहीं बढ़ रहा है लेकिन हमारी एक्टीविटीज से कुछ जो फरटाइल जमीन है वह डेजर्ट में परिवर्तित हो रही है। यह जवाब दिया है। तालमेल नहीं है, ऐसा नहीं है। तालमेल बराबर है।

श्री विष्णु मोदी : अध्यक्ष महोदय, जिन काश्तकारों का, कजरी का राजस्थान पत्रिका में छपा था उनको मैंने चिट्ठी लिखी और मैंने उनको इनवाइट किया है कि आप पुष्कर में आयें, क्योंकि पुष्कर जो मेरा विधान सभा क्षेत्र है वह नागौर से लगता हुआ है और यह बात जो प्रेस में छपी है वह बिलकुल गलत है। उसके लिए मैंने प्रोटेस्ट किया है और फिर उन्होंने

(श्री विष्णु मोदी)

लिखा है कि आप मेरे डायरेक्टर को लिखें तो मैं पुष्कर आकर बात करूंगा। सैटेलाइट की जो पिक्चर्स आयी है सबसे पहले, डैजर्ट कैसे बढ़ रहा है, जब सैटेलाइट टैक्नालाजी आयी और सैटेलाइट हमारे यहां एस्टेब्लिश हुआ और उसके जो फोटो ग्राफ्स आये हैं उन फोटोग्राफ्स में डैजर्ट इस तरह से चल रहा है कि वह बिलकुल क्लियरकट है। किन कारणों से? यह उनका अपना एक मत है, लेकिन बिडला इन्स्टीट्यूट आफ टैक्नालाजी ने इसको बताया है और सैटेलाइट पिक्चर्स ने इस बात को एस्टेब्लिश किया है कि डैजर्ट राजस्थान में बढ़ रहा है। और खाली राजस्थान में ही नहीं बढ़ रहा है, यहां तक मत है कि दिल्ली तक और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों तक यह डैजर्ट बढ़ रहा है। मेरा पहला सवाल यह है माननीय मन्त्री महोदय से कि डैजर्ट बढ़ने का क्या कारण है? हमारी अरावली पर्वत शृंखला के अन्दर कौन-कौनसे ऐसे गैप्स हैं जिनके माध्यम से यह डैजर्ट बढ़ रहा है और वे कहां स्थित हैं? उसके बारे में राज्य सरकार क्या कर रही है?

श्री अनंगकुमार जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बारे में केन्द्र सरकार द्वारा मरु विकास कार्यक्रम तथा सूखा सम्भाव्य क्षेत्र कार्यक्रम की वृहत् समीक्षा के लिए एक कमेटी बनायी गयी है। फिर उसके बाद प्रोफेसर हनुमन्त राव की अध्यक्षता में अप्रेल, 1993 में एक कमेटी बनायी गयी। उस कमेटी की बिजिट जनवरी, 1994 में राजस्थान में हुई, उनको पूरे उस क्षेत्र का दौरा कराया गया। रेगिस्तानीकरण को रोकने के लिए राज्य सरकार की ओर से एक वृहत् रिपोर्ट उनके सामने प्रस्तुत की गयी और केन्द्र सरकार को उनके माध्यम से निवेदन किया गया। माननीय सदस्य की जो विशेष चिन्ता है कि इनका क्षेत्र भी तटीय क्षेत्र में आता है, मैं आपकी जानकारी के लिए निवेदन करना चाहूंगा कि इनके क्षेत्र को भी उसमें ले लिया गया है। उस कमेटी के सामने जो एक्स्ट्रा एरिया प्रपोज किया गया है कि यहां-यहां रेगिस्तानीकरण होने की सम्भावना है, वह और मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि पांच जिले हमने लिए हैं- सिरोही में, विकास खण्ड रेवदर, सिरोही, शिवगंज और पिण्डवाड़ा, उदयपुर में विकास खण्ड गोगुन्दा, कोटड़ा, और कुम्भलगढ़, राजसमन्द में कुम्भलगढ़, देवगढ़ और भीम, अजमेर में मसूदा, जवाजा पीसांगन, श्रीनगर और किशनगढ़ और जयपुर में दूदू, साम्भर गोविन्दगढ़, शाहपुरा, विराटनगर और कोटपूतली। जो तटीय क्षेत्र हैं अजमेर और जयपुर के, उनके अन्दर रेगिस्तानीकरण होने के चांसेज हैं, इस बात को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार ने पूरी योजना बनाकर प्रोफेसर हनुमन्त राव कमेटी के सामने प्रस्तुत की है। यहां के अधिकारियों ने उनके साथ जाकर सारे डेजर्ट क्षेत्र का इंस्पेक्शन करवाया और घूमने के बाद जयपुर आकर उनकी मीटिंग हुई। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि इस बारे में वे निश्चित रूप से विचार करेंगे और केन्द्र सरकार की ओर से जब भी अधिक सहायता प्राप्त होगी, निश्चित रूप से इन क्षेत्रों के अन्दर भी इस कार्यक्रम को हाथ में लिया जाएगा।

श्री विष्णु मोदी : मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। मन्त्री महोदय ने राव कमेटी सारी पढ़ दी, मैं तो आपसे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहता हूं कि अरावली के वे कौन-कौन से गैप्स हैं जिनसे यह डेजर्ट बढ़ रहा है ? और उन गैप्स के अलावा क्या-क्या कारण हैं जिनके कारणों से यह बढ़ रहा है ? राव कमेटी के सारे दस्तावेज पढ़े, वह तो मैं खुद प्लानिंग कमीशन में जाकर आया हूं।

श्री अध्यक्ष : उन्होंने जो नाम बताये ..

श्री विष्णु मोदी : उससे कोई तात्पर्य नहीं है। राव कमेटी का जो ब्यौरा इन्होंने पढ़ा है उसका मेरे सवाल से कोई मतलब ही नहीं है। मैं पिन-पाइण्टेड सवाल कर रहा हूं कि अरावली के ये कौन-कौन से गैप्स हैं जिनसे डैजर्ट बढ़ रहा है ? इसके अलावा और कौन-कौनसे कारण हैं जिनसे डैजर्ट बढ़ रहा है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्यमन्त्री) : गैप्स कौन से है इसकी जानकारी तत्काल देना तो सम्भव नहीं है, आपको जानकारी भेज दी जाएगी। दूसरा प्रश्न आपने पूछा है कि डैजर्ट किन किन कारणों से बढ़ रहा है। मैं इतना कह सकता हूं कि 1947 से अब तक डैजर्ट बढ़ने की जितनी चर्चा पहले होती थी उतनी चर्चा आज नहीं है। डैजर्ट को कण्टेन करने के लिए कई प्रकार के उपाय किए गए है जिनमें राजस्थान कैनाल प्रमुख है। अब क्वेश्चन आता है कि डैजर्ट जैसा भी है वह किस प्रकार आगे बढ़ रहा है और उसको कैसे रोका जाए। मुझे इस बात की खुशी हुई कि आपने यह स्वीकार किया कि दिल्ली में भी डैजर्ट पहुंच रहा है और उत्तर प्रदेश में भी पहुंच रहा है। भारत सरकार को इसकी ज्यादा चिन्ता करनी चाहिए कि डैजर्ट को कण्टेन नहीं किया गया तो वह दिल्ली को भी कवर कर लेगा और उत्तर प्रदेश को भी कवर कर लेगा। उस चिन्ता का तो अपन लाभ उठायें जितना उठाया जा सकता है, लेकिन आपने जो यह कहा कि डैजर्ट बहुत गति से बढ़ रहा है इस प्रकार की स्थिति नहीं है। राजस्थान में आप चाहे जैसलमेर का एरिया ले लें, चाहे बाड़मेर का एरिया ले लें, आपको याद होगा और माननीय सदस्यों को भी याद होगा कि जिस प्रकार की आंधियां आती थीं उन आंधियों से डेजर्ट का मूवमेंट होता था। अब वे आंधियां उस प्रकार की नहीं आतीं, इस कारण से डैजर्ट बढ़ने की गति में रोक आयी है। मैं यह मान सकता हू जैसा आपने पुष्कर का कहा, अरावली पहाडियों के पास का कहा कि वहां छोटे-छोटे टीले बनने लगे हैं। वह डैजर्ट एक प्रकार से शिफ्ट होकर वहां आया है। लेकिन उसको भी यदि आप माइन्यूटली स्टडी करेंगे तो पहाड़ियों के पास में जो रेत आयी है उस रेत के ऊपर सबसे बढ़िया वैजीटेशन है। पेड़-पौधे पहाड़ी पर हैं या नहीं हैं लेकिन उस मिट्टी पर पेड़-पौधे हैं और वे डैजर्ट कण्टेन कर रहे हैं। इसलिए डैजर्ट कोई बहुत गति से बढ़ रहा है और उससे हमें बहुत जल्दी कोई बहुत बड़ी हानि होने वाली है, इस प्रकार की स्थिति नहीं है।

जहां तक आपकी कांस्टीट्यूएंसी का प्रश्न है वहां कोई जैसलमेर, बाड़मेर या जोधपुर की रेत नहीं आ रही है, आपके पास जो नदी है उस नदी में जब पानी

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

रहता है तो सारा डेजर्ट अपने आप कण्टेन हो जाता है और जब हवाएं चलती हैं तो उन नदी की मिट्टी ऐसी है कि पुष्कर की झील हो या बाकी सब, वहां आकर वह मिट्टी भरती है थोड़ी-सी आगे बढ़ती है। जो एरिया आपका पुष्कर का है वह बहुत ही रेतीला क्षेत्र है, हवा चलते ही मिट्टी खूब उड़ती है। इसमें कोई संदेह नहीं कि उसको कण्टेन करने की कोई न कोई व्यवस्था की जाएगी।

श्री विष्णु मोदी : मुख्य मन्त्री महोदय ने विस्तृत जानकारी दी, लेकिन इसमें कण्ट्रोवर्सी है जैसा आपने खुद बताया कि एक साइण्टिस्ट यह कहता है। लेकिन मैंने खुद सेटेलाइट पिक्चर्स देखी हैं। आंधियां आजकल आती हैं कि नहीं आती हैं लेकिन मुख्य कारण मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पुष्कर विधान सभा क्षेत्र के अन्दर तीन अरावली के गैप्स हैं-नान्द बड़ा घाट और श्रीनगर पचायत समिति का नागौर की बार्डर पर आकर इलाका बाड़ो घाटी। उन तीन से यह डैजर्ट मार्च कर रहा है, द्रुत गति से मार्च कर रहा है। पुष्कर सरोवर में जहां अभी मिट्टी आ गयी है वहां पहले अमरूद की खेती होती थी लेकिन इस डैजर्ट के कारण आज अमरूद का पेड़ पुष्कर में देखने को नहीं मिलता, यह स्थिति हो गयी है। जहां गुलाब पैदा होता है वह गुलाब भी बन्द हो जाएगा। राव कमेटी का और जो दूसरे खण्ड में बताया वह तो डैजर्ट डवलपमेंट प्रोग्राम जिन जिलों में काम कर रहा है उनका आपने ब्यौरा दे दिया। जिन जिलों में डेजर्ट है वहां तो डैजर्ट डवलपमेंट प्रोग्राम है लेकिन जहां उस डैजर्ट के बढ़ने से नुकसान हो रहा है उन पर अभी राज्य सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर रही है और न ही भारत सरकार का डी. डी. पी. उन पर लागू है। मेरा यह मानना है कि डैजर्ट जहां बढ़ रहा है वहां उसको ज्यादा आवश्यकता है रोकने की बजाय उसके कि जहां डेजर्ट है। इन तीन गैप्स से पुष्कर की स्थिति नागौर से बुरी हो गयी है। डिपार्टमेंट के जो नार्म्स हैं वे डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट के अलग हैं और नान डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट के अलग है। उसमें भी भारी अन्तर है। मेरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार से यही निवेदन है कि अरावली के ये जो गैप्स हैं उनके कारण अलार्मिंग सिचुएशन आ गयी है, उस पर बहुत योजना बनाकर केन्द्र सरकार से मिलकर तुरन्त प्रभावी कार्यवाही नहीं हुई तो हमें भारी नुकसान उठना पड़ेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय सदस्य ने कहा, सैटेलाइट पिक्चर्स, तो वह मैंने भी देखी हैं। उन पिक्चर्स को देखने से लगता है कि पहाड़ों के पास डेजर्ट सैण्ड हैं, लेकिन कोई यह नहीं बता सकता कि यह सैण्ड 10 वर्ष में आयी है, पांच वर्ष पहले आयी है, 20 वर्ष पहले आयी है या 25 वर्ष पहले आई है एग्जिस्टिंग पोजीशन तो सैटेलाइट पिक्चर्स ने दे दी, उससे लगता है कि पहाड़ों के पास कुछ रेतीले टीबे भी हैं, लेकिन कब से हैं, यह उस पिक्चर से पता नहीं लगता। जहां तक पुष्कर का सवाल है, मैं आपको यह बता दूं कि हमने इस बात का प्रयास किया था कि कुछ चैक डैम्स बनाकर पुष्कर सरोवर को सुरक्षित रखा जाए ताकि इसमें पानी किसी तरह से आ सके। लेकिन जितना पानी आता है उससे

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

ज्यादा मिट्टी आती है। मिट्टी खुदाई करने का प्रश्न आता है तो यह प्रश्न भी सामने आकर खड़ा रहता है कि भविष्य में मिट्टी नहीं आए इस बात की व्यवस्था की जाए। आपको याद होगा, एक बार प्रधान मन्त्री जी ने कहा था जब गये थे शायद आपके चुनाव में गये थे या बाद में गये थे, कि इस सम्बन्ध में कोई न कोई व्यवस्था करनी चाहिये। तो इसमें एक्सपर्ट्स को लगाया है कि किस प्रकार के चैक डैम्स बन सकते हैं कि पुष्कर सरोवर में काफी पानी आ जाए और वह पानी वहां कंजर्व कर लिया जाए। इस प्रकार की स्थिति पर हम भी गम्भीरता से विचार कर रहे हैं। और मैं माननीय सदस्य से चाहूंगा कि उन्होंने इसका अध्ययन किया हो तो जानकारी दें कि वहां पर इस डेजर्ट को किस प्रकार से रोका जा सकता है उसको रोकने में आपके और मेरे बीच में कोई मत-भेद नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री विश्नोई जी।

श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलौदी) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि राजस्थान की जितनी लम्बी-लम्बी और मुख्य सड़कें हैं उनके किनारे करीब 200 वर्ष से बहुत ही सुन्दर नीम के पेड़ लगे हुए थे। विभाग साजिश करके किन्हीं लोगों से पहले उन नीम के पेड़ों की छाल उतरवाता है और साल-डेढ़ साल के अन्दर वह नीम खतम हो जाता है। चाहे जयपुर से दिल्ली की सड़क लो, जोधपुर की सड़क लो, अजमेर वाली सड़क लो, कहीं की भी सड़क लो, ऐसे नीम के पेड़ हिन्दुस्तान में मैंने कहीं नहीं देखे हैं जैसे इन सड़कों के किनारे पर हैं। आधे से अधिक पेड़ समाप्त कर दिये हैं और मेरे ख्याल से 3-4 साल में बड़ा नीम का पेड़ एक भी नहीं रहेगा और एक भी नीम की कीमत इनमें से एक लाख से कम की नहीं है। मैंने प्रश्न भी पूछा था लेकिन अभी तक वह का वह ढर्रा है। याद दिला दूं कि खरवा गांव आज से 10 साल पहले जब जाते थे तो दिखता नहीं था, किधर गढ़ है, किधर गांव है इतने नीम थे। अब 5 किलोमीटर दूर से दिखता है। जितने नीम थे सब को छीलने से बीमारी लग गयी और पेड़ मर रहे हैं और मेरे ख्याल से 5–4 साल में एक भी नीम का पेड़ नहीं रहेगा। और यह आपका विभाग था, मैंने सवाल पूछा था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बात तो सही है माननीय सदस्य जो कह रहे हैं लेकिन इसकी रोकथाम करने की व्यवस्था करेंगे।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री हरिसिंह महुआ।

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि 15 से 20 हजार आदमी बीकानेर और जैसलमेर जिले में फोग की जड़े खोदने में लगे हुए हैं और वह सारी नागौर वगैरह में कोयला बनाने के काम आती हैं। फोग की अगर जड़ें निकल गयीं तो यह डैजर्ट जो बढ़ रहा है इसकी गति और बढ़ जाएगी। क्या उसको रोकने बाबत कार्यवाही पर विचार कर रही है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय सदस्य को मालूम होगा कि विधान सभा में पहली बार यह प्रश्न विपक्ष की तरफ से मैंने उठाया था और उस समय सरकार ने तत्काल आदेश दिये थे कि फोग की जड़ें नहीं निकाली जाएं। मैं नहीं कहता कि आदेश नहीं दिये थे लेकिन उसके बाद में बीकानेर में और खास तौर से नागौर के माननीय सदस्य यहां बैठें हों तो उनको जानकारी होगी कि नागौर में जो लोहे का काम होता है वह फोग की जड़ के कोयले से ही होता है, उनका प्रोटेस्ट कई बार रहा है। तो आपकी सरकार के सामने भी यह समस्या पैदा हुई थी कि इसको किस तरह से बचाया जाए और हमारी सरकार के सामने भी आज के 2--3 वर्ष पहले इस प्रकार की समस्या पैदा हुई थी, हमने तो सख्ती से कह दिया कि हम फोग निकालने की अनुमति नहीं देंगे लेकिन आपकी बात को मैं मानता हूं कि चोरी से आज भी फोग की लकड़ी निकाली जाती है और यह सही है कि जैसलमेर और बाड़मेर के इलाके से यह फोग निकाला गया तो इस डेजर्ट को कोई नहीं रोक सकता। यह डेजर्ट कंटेनर है और इस कंटेनर की सुरक्षा के लिए हम व्यवस्था कर रहे हैं और अब भी करेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिसिंह महुआ।

पर्यटन विकास निगम द्वारा संचालित मिडवे होटल्स

168. **श्री हरिसिंह (महुआ) एवं श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) :** क्या पर्यटन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

राजस्थान में पर्यटन विकास निगम द्वारा संचालित कितने मिडवे एवं होटल हैं ? उक्त होटल एवं मिडवे का पिछले तीन वर्षों का आय-व्यय का विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मन्त्री, पर्यटन (श्रीमती नरेन्द्र कंवर) : राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा 10 मिडवे और 37 होटल (कैफेटेरिया एवं यात्रिका सहित) संचालित किये जा रहे हैं जिनका पिछले तीन वर्ष का आय-व्यय का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें।)

श्री हरिसिंह : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मन्त्रीजी से यह पूछना चाह रहा हूं कि आपने यह जो आय-व्यय का विवरण सदन की मेज पर रखा है, आपकी होटल्स और मिडवे के साथ में जो अटैच्ड बीयर शाप्स हैं, क्या उनकी कमाई भी इसमें सम्मिलित हैं ? अगर है, तो कितनी और उसको घटाकर फिर आपका मुनाफा कितना रहेगा ?

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : इसमें बीयर शाप्स भी सम्मिलित हैं। बीयर शाप्स का इसमें 52 पर्सेण्ट है और रिमेनिंग पर्सेण्टेज है वह होटल निगम का है और अगर हम होटल निगम, दूसरा प्रश्न जो पूछेंगे, उसका भी जवाब दे देती हूं ... (व्यवधान)....

श्री हरिसिंह : अध्यक्ष महोदय, बीयर शाप्स की इनकम जो 52 पर्सेण्ट है, अगर उसको हम निकाल देते हैं तो यह जो कार्पोरेशन है यह कम से कम 5 करोड़ के घाटे में पहुंच जाएगा आपकी 36-37 होटल्स और 10 मिडवे पर जितना आपने इन्वेस्ट-

(श्री हरिसिंह)

मेंट किया है और जिस तादाद में आपके यहां यात्री बढ़े हैं उस तादाद में भी यह निरन्तर घाटे की तरफ क्यों जा रहा है ? आपने क्या कभी इसके कारणों की तरफ देखा ?

नम्बर दो, आपके विवरण के मुताबिक होटल सारस, भरतपुर, होटल वन बिहार, धौलपुर, होटल समढाणी. जैसलमेर, रेस्ट हाउस, हल्दी घाटी, शिल्पी रणकपुरा, दुर्ग कैफेटेरिया, नाहरगढ़, होटल हवेली फतेहपुर, होटल वृन्दावती, बूंदी टूरिस्ट विलेज, पुष्कर, होटल चन्द्रावती झालावाड़, होटल जयसमन्द, होटल गोकल, नाथद्वारा, झील रामगढ़ जयपुर, मीनल कैफेटेरिया मीनल, अध्यक्ष महोदय, ये सब के सब 18 होटल्स वे हैं जो निरन्तर घाटा दर्शाते चले आ रहे हैं। पिछले तीन साल का जो विवरण मैंने मांगा है उसमें निरन्तर इन्होंने घाटा दिखाया है जबकि सरकार को एक साल के घाटे के बाद में सचेत हो जाना चाहिये था कि आखिर घाटे का कारण क्या है। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही सरकार के तीन जो मिडवे हैं वे भी निरन्तर घाटे की अर्थव्यवस्था दिखा रहे हैं और वे हैं मोटल रतनगढ़ मोटल देवगढ़ और मोटल बर। जबकि प्राइवेट सैक्टर में जितने भी होटल्स हैं वे 200-300 गुणा मुनाफा दिखा रहे हैं। फिर क्या कारण है कि हमारे पब्लिक सैक्टर के जो होटल्स हैं, मिडवेज हैं जिनकी एक प्रकार की, मोनोपोली है, बिजनेस गवर्नमेंट का है कई स्थानों पर, तो वे क्यों घाटे की अर्थव्यवस्था दिखा रहे हैं, इसका कारण मैं मन्त्रीजी से जानना चाहूंगा।

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : जो आपने पूछा है कि घाटा क्यों दिखा रहे हैं, आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि इसमें प्राफिट कर सकते हैं लेकिन हम प्राइस कन्ट्रोल रखते हैं। आपके जयपुर में या आसपास कहीं पर भी....

श्री हरिसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक कप चाय का तीन रुपये का है, आपने बहरोड़ में चाय पी होगी।

श्री अध्यक्ष : जवाब सुन लो आप।

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : जवाब सुन लो। हमारे यहां पर आपको 50 रुपये से 200 रुपये तक डबल बैड मिलेगा जो शायद कहीं पर भी नहीं मिलेगा। एयर कूलर रूम 150 से 300 रुपये तक मिलेगा और ए. सी. रूम 300 से 450 रुपये तक मिलेगा। अगर हम यह लो रेट नहीं रखते हैं हम प्राइस कण्ट्रोल नहीं करते हैं तो आपको कहीं पर भी 500-600 रुपये में आर्डिनरी रूम उपलब्ध नहीं होगा। मानते हैं आप यह बात ? और हम अभी इस साल प्राफिट में है उसका विवरण भी आपके पास में होगा। इस साल निगम हानि से प्राफिट में आया पहली बार और हम 10 लाख 85 हजार रुपये का डिविडेंड सी. एम. साहब को देंगे। और कुछ पूछना है ?

श्री हरिसिंह : आप तो इतना बतला दीजिये कि सवाई माधोपुर जो आपका निजी निर्वाचन क्षेत्र है, वहां पर आपके दो होटल हैं और प्राइवेट होटल बहुत हैं आप सस्ते रूम दे रहे हैं उसके बाद में भी वहां यात्री आकर्षित नहीं हो रहा है, 500-600 रुपये देकर वहां यात्री जा रहा है, आखिर कोई न कोई मिसमैनेज तो है।

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : मिसमैनेज कोई नहीं है। वहां पर फारेस्ट रेस्ट हाउस है, आप उसको देखिये कितने टूरिस्ट आते हैं सीजन में नाहर देखने के लिए और आप कहेंगे तो आपके वहां पर भी एक रेस्ट हाउस खोल देंगे।.... (व्यवधान):...

श्री अध्यक्ष : श्री परसादीलाल।....

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदया ने जो जवाब दिया उसमें बताया कि बीयर शाप्स अलग से होटलों के माध्यम से चलाई जा रही हैं। तो क्या बीयर शाप्स का मुनाफा अलग से दर्शायेंगे? बीयर शाप्स आप प्राइवेट सैक्टर में चला रहे हैं या होटल से चला रहे हैं? आप वहां किस तरह की बीयर शाप्स की व्यवस्था कर रहे हैं?

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : बीयर शाप्स भी हम इसलिए चला रहे हैं ताकि प्राइस कण्ट्रोल रहे। हम 24 रुपये में बेचते हैं, अगर हम नहीं हों तो 50 रुपये की बीयर मिलेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री विष्णु मोदीजी।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, अभी चाहे तुरन्त जवाब नहीं हो, आपने ओवर आल 52 पर्सेण्ट बीयर से कांट्रीब्यूशन बताया है, आप इंडिविजुअल यूनिट में क्या स्थिति है और उससे बीयर प्राइस कण्ट्रोल कर रही हैं, महंगी न बिके, वह तो एक्साइज डिपार्टमेंट के लिए छोड़ दीजिए लेकिन आप टूरिज्म में इसको वायबल इस तरह से बनाइये कि इसका विकास हो सके।

श्री अध्यक्ष : श्री रमाकान्तजी। आपका सुझाव है प्रश्न नहीं है।

श्री रमाकान्त (थानागाजी) : अध्यक्ष महोदय, क्या सरकार इन होटलों को निजी क्षेत्र में देने का विचार रखती है?

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : इसमें 2-4 यूनिट्स ऐसी हैं जो फाइव स्टार बनने लायक हैं उनको हम निजी होटल में देने की सोच रहे हैं। अगर प्राफिट हुआ तो देंगे नहीं तो नहीं देंगे।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री अमरचन्द मिढ्ढा।

श्री रमाकान्त : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न नीतिगत है, होटल जैसी चीज सरकार के अन्दर नहीं होनी चाहिए इस उदारीकरण नीति और प्राइवेटाइजेशन की नीति के तहत। और यह पहले तय भी हो गया था एक तरीके से।

श्री अध्यक्ष : नफा-नुकसान तो देखेगी ना सरकार। श्री अमरचन्द मिढ्ढा।

पंचायत समिति सूरतगढ़ में अध्यापकों के रिक्त पद

169. **श्री अमरचन्द मिढ्ढा (सूरतगढ़)** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सूरतगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र में प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शिक्षा हेतु कितने विद्यालय हैं?

(2) इन स्कूलों में शिक्षकों के स्वीकृत पद कितने हैं?

(श्री अमरचन्द मिढ्ढा)

(3) कुल स्वीकृत पदों में से कितने पद रिक्त हैं ? क्या सरकार इन पदों को भरने का विचार रखती है ? यदि हां तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? स्कूल का नाम, स्वीकृत पदों की संख्या व रिक्त पदों की संख्या सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

शिक्षा मन्त्री (श्री गुलाबचन्द कटारिया) : (1) सूरतगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या निम्नानुसार है:-

विद्यालय का नाम	छात्र	छात्रा
राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय	40	–
राजकीय प्राथमिक विद्यालय	10	3
विकास विभाग	182	–

(2) स्वीकृत पद निम्नानुसार हैं:-

पद	प्रा. वि. छात्र	प्रा. वि. छात्रा	उच्च प्रा. वि. छात्र	उच्च प्रा. वि. छात्रा	विकास विभाग
वरिष्ठ अध्यापक	–	–	44	–	–
अध्यापक	25	19	238	–	346

(3) रिक्त पदों की स्थिति निम्नानुसार हैं:-

	स्वीकृत पद		कार्यरत		रिक्त पद	
	व. अ.	अ.	अ.	व. अ.	व. अ.	अ.
राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय	44	238	42	230	2	8
राजकीय प्राथमिक विद्यालय	–	44	–	44	–	–
विकस विभाग	–	346	–	344	–	2
	44	628	42	618	2	10
	672		660		12	

श्री ग्रमरचन्द मिड्ढा : ग्रध्यक्ष महोदय, ग्रापके माध्यम से मन्त्रीजी से यह कहना चाहता हूं कि वहां पर कम से कम 100 पद रिक्त हैं, चाहे तो विभाग ने ग्रन्य दूसरी जगहों पर डेपूटेशन कर रखा हो या कुछ ग्रौर कर रखा है लेकिन वहां स्कूलों के ग्रन्दर कम से कम 100 ग्रध्यापकों के पद रिक्त हैं।

श्री ग्रध्यक्ष : स्वीकृत पद हैं वह तो भरे हुए हैं, ग्रन्तर यह है कि पद कम हैं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : ग्रध्यक्ष महोदय, कितने स्वीकृत पद हैं उसकी एक-एक विद्यालय के ग्रनुसार सूची है ग्रौर केवल ये 12 पद ही रिक्त हैं।

श्री ग्रध्यक्ष : हां, हां वह तो ठीक है। इनका प्रश्न केवल यह है कि छात्र ज्यादा हैं ग्रौर पद कम स्वीकृत हैं। स्वीकृत पद बढ़ाने की बात है। नेक्स्ट, श्री ग्ररूणसिंह।

डीग (भरतपुर) की पेयजल व्यवस्था

170. **श्री ग्ररूणसिंह (डीग) :** क्या जन-स्वास्थ्य ग्रभियान्त्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि डीग शहर में पेयजल की कमी को दूर करने के लिए सरकार द्वारा कोई ग्रावश्यक कदम उठाये जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) डीग शहर में पेय जल वितरण व्यवस्था के सुधार हेतु क्या प्रयास किये जा रहे हैं ? क्या नयी पाइप लाइन बिछाने का प्रस्ताव विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, जन-स्वास्थ्य ग्रभियांत्रिकी (श्री जसवन्तसिंह विश्नोई) : (1) जी हां। दीर्घकालीन समाधान की दृष्टि से ग्रागरा कैनाल स्रोत से डीग शहर को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु 292.50 लाख रुपये की योजना स्वीकृत की गयी है जिसके ग्रन्तर्गत ग्रागरा कैनाल से वांछित मात्रा में पानी प्राप्त करने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।

(2) पेयजल वितरण व्यवस्था में सुधार की दृष्टि से ग्रावश्यकतानुसार पाइप लाइनों के प्रावधान भी उपरोक्त योजना में सम्मिलित हैं।

श्री ग्ररूणसिंह : ग्रध्यक्ष महोदय, यह ग्रागरा कैनाल योजना 1989 में स्वीकृत हुई है। इण्टर स्टेट का मामला है ग्रौर ग्रब 1994 चल रहा है। 40 हजार की ग्राबादी खारा पानी पी-पी कर परेशान हो रही है, नौजवान कुंवारे रह गये हैं, दाल नहीं गलती है....(व्यवधान) ....मैं भी इसी कारण से कुंवारा हूं।

राज्य मन्त्री, चिकित्सा (श्री राजेन्द्र राठौड़) : ग्रध्यक्ष महोदय, बहुत गम्भीर मामला है।

श्री ग्ररूणसिंह : गम्भीर मसला है ग्रौर पहले भी....

श्री ग्रध्यक्ष : तो ग्रापका प्रश्न शादी करने का है या पानी का ?

श्री ग्ररूणसिंह : दोनों का ही है, साहब, पर पहले मीठे पानी का है। श्री भंवरलाल जी शर्मा साहब....

श्री ग्रध्यक्ष : यानी गवर्नमेंट पानी के साथ-साथ पत्नी भी सप्लाई करे।

श्री अरूणसिंह : हम सन्तुष्ट होंगे कोई मीठे पानी की व्यवस्था करें दाल गले।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, एक मिनट, आप जरा मेरी सुन लीजिए। इस सम्बन्ध में आपके भरतपुर के जितने भी माननीय सदस्य हैं और मन्त्रीजी को मैं अपने कक्ष में एक मीटिंग बुलाकर, जैसी मेरी आपसे बात-चीत हुई थी, विस्तार से भरतपुर के बारे में विचार कर लेंगे उस मीटिंग में।

श्री अरूणसिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, को एक और सूचना देना चाहता हूं। अभी जो हथिन डेम यू. पी. में है वहां पर उत्तर प्रदेश सरकार ने पक्की दीवार बना ली है जिससे डीग के जल महल के लिए हर साल पानी आता था इस बार पानी नहीं मिलेगा। यह सूचना आपके माध्यम से मैं उन्हें देता हूं।

जन-स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मन्त्री (श्री भंवरलाल शर्मा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि यह योजना 23-9-1989 को पास हुई थी। उसके बाद में यह तय हुआ कि एक करोड़ रुपये यू. पी. सरकार को हम दें तो काम चालू हो सकता है। 17-12-1991 को जब हमारी सरकार थी तो यह पास कर दिया कि एक करोड़ रुपये उनको दे दिये जायेंगे। उसके बाद में दोनों ही सरकारों के बीच में एग्रीमेंट की बात चली और वह कई स्टेज को पार कर आज स्थिति यह है कि हमारे एग्रीमेंट को यू. पी. सरकार के इरिगेशन डिपार्टमेंट ने पास कर दिया है, फाइनेन्स ने मंजूर कर लिया है। मंजूर कर लिया है। उसकी स्वीकृति इसलिए आगे दी जा रही है वह इसको मन्त्रिमण्डल की मीटिंग में रखेंगे और जैसे ही वहां से स्वीकृति हो जाएगी यह काम चालू हो जाएगा। काफी एडवांस स्टेज पर है। केवल यू. पी. गवर्नमेंट के मन्त्रिमण्डल की स्वीकृति के लिए पड़ी हुई है। वहां के दोनों विभागों ने, इरिगेशन और फाइनेंस ने स्वीकृति दे दी है।

श्री अध्यक्ष : श्री जगदीप धनखड़।

मंडल आयोग की सिफारिशों में जातियों का निर्धारण

171. श्री जुबेर खान (रामगढ़) एवं श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) के स्थान पर) : क्या समाज कल्याण राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या राज्य में मंडल आयोग की सिफारिशें प्रभावी हो गयी हैं ? यदि हां, तो इनका लाभ कितने लोगों को मिल चुका है ?

(2) क्या राज्य सरकार ने मण्डल आयोग की सिफारिशों का लाभ पहुंचाने की दृष्टि से केन्द्र को जातीय सूची सम्बन्धी वांछित जानकारी प्रेषित कर दी है ? यदि हां, तो कब और उस पर क्या कार्यवाही हुई है ?

(3) मण्डल आयोग की सिफारिशों का लाभ किन-किन जातियों को मिलेगा ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या राज्य सरकार अपने स्तर पर इस सूची में कुछ जातियों को सम्मिलित करने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मन्त्री, समाज कल्याण (श्री मदन दिलावर) : (1) राजस्थान राज्य के लिए

(श्री मदन दिलावर)

अन्य पिछड़े वर्गों/जातियों की सूचि, जिसमें 140 जातियां/ वर्ग हैं राज्य सरकार द्वारा दिनांक 1-9-93 को अधिसूचित कर दी गयी है। साथ ही अधिसूचित पिछड़े वर्गों/ जातियों को राज्य सरकार के अधीन सीधी भर्ती के पद एवं सेवाओं में 21 प्रतिशत स्थान आरक्षित करने के आदेश दिनांक 28-9-1993 को जारी किये जा चुके हैं। कार्मिक विभाग द्वारा दिनांक 26-2-1994 को जारी रोस्टर बिन्दु निर्धारण आदेश के बाद उपरोक्त आरक्षण का लाभ किसी व्यक्ति को नहीं मिला है।

(2) जी हां। विभाग के पत्रांक एफ 11(125) आर. एण्ड पी./सकवि/58784 दिनांक 26-11-1993 एवं समसंख्यक पत्रांक 4528 दिनांक 24-1-94 तथा क्रमांक/5430 दिनांक 28-1-1994 एवं पत्रांक 75 दिनांक 22-2-1994 द्वारा राजस्थान सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य पिछड़ी जातियों की सूची को अधिसूचित करने हेतु एवं केन्द्रीय सेवाओं व पदों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का लाभ दिलवाने हेतु निवेदन किया गया है। इस सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

(3) सूची परिशिष्ट "अ" पर सदन की मेज पर रख दी है।

(4) जी नहीं। उक्त सूची में किसी वर्ग/जाति के अधिक होने अथवा किसी जाति में शामिल हो जाने से रह जाने के सन्दर्भ में विभिन्न व्यक्तियों/ग्रुपों को सुनवाई के अवसर देने के पश्चात् अपनी राय राज्य सरकार को प्रेषित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया है। उक्त आयोग सुनवाई की प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद अपनी अनुशंसा राज्य सरकार को देगा जिस पर राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें।)

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि 140 जातियां की जो अन्य पिछड़े वर्ग की सूची प्रकाशित की गयी है यह कौन से सन् में और किस आधार पर बनायी गयी थी और जो यह पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया है वह कौनसी तारीख को बनाया गया जो नयी जातियों की छंटनी का काम कर रहा है? इसके कौन-कौन सदस्य हैं? यह मैं जानना चाहता हूं?

मुख्य मन्त्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत) : तारीखें बता दी हैं, सारी बता दी हैं जवाब में।

श्री हरिसिंह (महुआ) : अध्यक्ष महोदय, मण्डल आयोग की सिफारिशें मानने के सम्बन्ध में महामहिम राज्यपाल महोदय ने पहले ही आदेश जारी कर दिये थे। चूंकि चुनावों की घोषणा हो गयी और उसको पोस्टपोन कर दिया और चुनाव होने के बाद में पुनः उसको जारी कर दिया। उसके बाद में कुछ ऐसी रिक्तियां निकलीं आर. पी. एस. सी. अजमेर से और कई दूसरे विभागों से, जिनमें मण्डल आयोग में आने वाले लोगों के लिए, वर्गों के लिए और जातियों के लिए आरक्षण का लाभ उनमें नहीं दिया गया है। तो क्या सरकार ने ऐसी विज्ञप्तियां निकाली हैं एवं उसमें आरक्षण का लाभ देने की मंशा रखती है? नम्बर एक।

श्री अध्यक्ष : सरकार ने आदेश दे दिया है। रोस्टर सिस्टम निकल गया है।

श्री हरिसिंह : नहीं, नहीं दिया है जैसा पी.एस.सी. में निकला था।

श्री अध्यक्ष : रोस्टर 26.2.94 को सरकार ने जारी किया है... (व्यवधान)... 28.2.94 को जारी किया है, उसके बाद ही तो होगा।

श्री हरिसिंह : 28.2.94 का नाम ले रहे हैं। नहीं, उसके बाद ही महामहिम गवर्नर महोदय ने....

श्री अध्यक्ष : पहले तो रोस्टर नहीं था ना, कैसे करते। बिना रोस्टर के कैसे करते। रोस्टर में जब तक उनकी संख्या तय नहीं होती, कैसे करते।

श्री हरिसिंह : नहीं, वह तो पहले आदेश निकला....

श्री अध्यक्ष : नहीं नहीं, 28.2.94 को रोस्टर निकला है और अब रोस्टर के बाद में जो नियुक्तियां होंगी तो उसमें संख्या तय हो गयी है कि जैसे चौथा, दसवां, बारहवां, इस तरह से तो होगी।

श्री हरिसिंह : मैं निवेदन कर रहा हूं कि....

श्री अध्यक्ष : मैंने बताया है आपको कि जब रोस्टर 28.2.94 को निकला है, राज्य सरकार ने रोस्टर सिस्टम कर दिया है। अब जब नियुक्तियां होंगी तो उस रोस्टर के मुताबिक होंगी।

श्री हरिसिंह : नम्बर दो, कुछ ऐसी जातियां राजस्थान में हैं जिनका सामाजिक और शैक्षणिक स्तर मण्डल आयोग में सम्मिलित जातियों के समान....

श्री अध्यक्ष : उसके लिए तो आयोग बनाया है। वह काम आयोग कर रहा है। इसके लिए सरकार ने आयोग बना दिया है। आयोग बैठा है, उसकी सुनवाई चल रही है, आप वहां आयोग के पास करिये।

श्री हरिसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था, आप मेरी बात को थोड़ा-सा समझने की कोशिश करिये।

श्री अध्यक्ष : नहीं नहीं, रेलेवेन्ट तो हो ना. (व्यवधान)... देखिये, सवाल और भी हैं। यह सवाल मैंने श्री जुबेर खान जी को पूछने के लिए कहा था, ... (व्यवधान) इसमें आपका जवाब आ गया है और इसमें कोई चीज अस्पष्ट नहीं है।

श्री हरिसिंह : नहीं, जवाब नहीं आया है, वही तो मैं निवेदन कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : क्या नहीं आया है। वह पूछिये क्या नहीं आया है।

श्री हरिसिंह : वह यह है कि राष्ट्रपति शासन में अध्यादेश जारी किया महामहिम गवर्नर महोदय ने, उसको कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन किया था, उसको खतम नहीं किया था। तो वह तो उसी डेट से लागू हो जाना चाहिये था और जिस डेट में महा-महिम गवर्नर महोदय ने अध्यादेश जारी कर दिया। उसके बाद में जो रिक्तियां निकली हैं उनमें आरक्षण का लाभ उन जातियों को मिलना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : आपको बताया, अध्यादेश जारी करने में कास्ट तो लिख दी रोस्टर

(श्री अध्यक्ष)

नहीं किया। रोस्टर 28.2.94 को हुआ है और बिना रोस्टर अपाइन्टमेंट नहीं हो सकता। कितना करें, किस संख्या तक करें (व्यवधान).... किस प्रतिशत से, आखिर कुछ तय होगा ना कि चौथे नम्बर की, पांचवें नम्बर की या 10वें नम्बर की या 12वें नम्बर की है, जैसे अनुसूचित जाति/जनजाति का रोस्टर बना हुआ है उसी तरह रोस्टर बना दिया। अब अपाइंटमेंट होंगे उसमें। हां, बोलिये आप। (व्यवधान)

श्री घासीराम यादव (मुण्डावर) : अध्यक्ष महोदय, एक सवाल मैं कर लूं?

श्री अध्यक्ष : हां, पूछिये ना।

श्री घासीराम यादव : अध्यक्ष महोदय, यह रोस्टर प्रणाली जो हुई है वह सही है रोस्टर प्रणाली बगैर नहीं हो सकता था लेकिन जो यह आर्डर निकला है उसमें लिखा है कि सितम्बर से लागू होगा। तो क्या पी.एस.सी. दुबारा कोरिजेण्डम निकाल कर रोस्टर प्रणाली के हिसाब से विज्ञप्तियां निकालेगी?

श्री अध्यक्ष : नहीं, वह तो जो हो चुकी वही होगी। आप पूछिये।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : अध्यक्ष महोदय, ऐसा था, मान लो सरकार ने आरक्षण का लाभ देने की घोषणा कर दी लेकिन जाति अभी फाइनल नहीं हुई, आयोग जाति को फाइनल कर रहा है और एक तरफ आप आरक्षण का लाभ देने के लिए ...

श्री अध्यक्ष : जितनी जातियां सरकार ने अपने पहले नोटिफिकेशन में जारी कर दीं, वह हैं। परिवर्तन आयोग करेगा, उसमें एडीशन-आल्टरेशन जो होंगे, जब तक उनकी रिपोर्ट नहीं आती, तब तक वह एग्जिस्ट करती है। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : सारे सदस्य तो इस्तीफा दिये बैठे हैं, आयोग है ही नहीं।

श्री अध्यक्ष : चल रहा है आयोग।

श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने आरक्षण की घोषणा कर दी, परन्तु पिछड़े वर्ग की जातियों को प्रमाण-पत्र देने के लिए इतनी बड़ी जटिलता है, उसको सरल बनाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है? सितम्बर में घोषणा हुई है तब से वह तहसीलदार और कलक्टर्स के चक्कर लगा रहे हैं, उनको प्रमाण-पत्र नहीं मिल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : विराजिये।

श्री राजेन्द्र गहलोत : उसके पीछे यदि प्रमाण-पत्र नहीं मिलते हैं तो (व्यवधान) घोषणा सरकार करेगी।

श्री अध्यक्ष : विराजिये, हो गया। आपका सवाल हो गया। प्रमाण-पत्र के बारें में क्या व्यवस्था है?

श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलौदी) : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न मुझे भी पूछना है।

श्री अध्यक्ष : अभी उनका जवाब आ जाए।

श्री भैरोंसिह शेखावत : प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में जो समस्याएं बतायी हैं, उनका

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

अध्ययन करेंगे और उनका कैसे समाधान किया जा सकता है, करेंगे।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। नहीं, यह बहस का विषय नहीं है।.... (व्यवधान).... अब यह बहस का विषय नहीं रहा।.... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र गहलोत : अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को प्रमाण-पत्र मिल रहे हैं ... (व्यवधान)... उसी आधार पर अन्य को भी....(व्यवधान).. अध्यक्ष महोदय, गम्भीर विषय है। जब घोषणा सरकार कर देती है और....

श्री अध्यक्ष : यहां हाउस में सभी विषय गम्भीर हैं।

श्री राजेन्द्र गहलोत : नहीं, एक वर्ग विशेष के साथ अन्याय है। आप एक घोषणा करने के बाद में....

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। आप बैठिये, बैठिये।

श्री राजेन्द्र गहलोत : उनको यदि प्रमाण-पत्र नहीं मिलते हैं तो नौकरी कैसे करेंगे ....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये, बैठिये।

श्री राजेन्द्र गहलोत : अध्यक्ष महोदय, मैं छोटा-सा महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहा हूं, यह पूरे वर्ग का सवाल है।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये, बैठिये। ये पूछ रहे हैं। जब जवाब देंगे तो आपका भी दे देंगे।

श्री राजेन्द्र गहलोत : मेरा आपसे निवेदन है कि पहले मेरी बात तो पूरी सुन लें।

श्री अध्यक्ष : आपने एक सवाल पूछा है।

श्री राजेन्द्र गहलोत : मेरा एक सुझाव है।

श्री अध्यक्ष : निवेदन नहीं करना है। आपने एक सवाल पूछा है, जवाब मिल गया। आप कोई दूसरा सवाल नहीं पूछ सकते। आप बैठिये, उसका जवाब भी मिल जाएगा। श्री विश्नोई जी।

श्री राजेन्द्र गहलोत : मेरा निवेदन है, मैं नहीं बैठूंगा। अध्यक्ष महोदय, बैठने से क्या सवाल हल होगा? यह एक वर्ग विशेष के साथ अन्याय है। हम यह कहते हैं कि कौनसी व्यवस्था करना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिराजिये। प्लीज सिट डाउन। I say sit down.

श्री राजेन्द्र गहलोत : व्यवस्था तो बताइये।

श्री अध्यक्ष : प्लीज बैठ जाइये। आप बैठ जाइये। प्लीज सिट डाउन। मैं खड़ा हूं, प्लीज सिट डाउन। नहीं, बैठिये आप, बैठिये आप।

श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलौदी) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि मण्डल आयोग की सिफारिशों को राजस्थान में लागू करने में जल्दी नहीं करनी चाहिये। मण्डल आयोग की सिफारिशों को मैंने पढ़ा

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

है, जातियों को देखा है। राजस्थान में जो जातियां बतायी हैं, सिफारिशें इतनी डिफेक्टिव हैं कि वे जातियां यहां हैं ही नहीं। इसमें कई तरह की त्रुटियां हैं और इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिये और आयोग के पास भी इतने साधन नहीं है कि बहुत गहराई से जांच कर सके। इसलिए अच्छा होगा कि आप आयोग वालों को बुलायें और उसके बाद में क्या साधन चाहते हैं ताकि पूरी गहराई में जाकर के उस पर विचार किया जा सके। इसके बारे में बहुत गलतफहमियां हैं और बहुत-सी जातियां जो वास्तव में पिछड़ी हैं वह तो इसमें छूट गयी हैं, जो काफी आगे की जातियां हैं वह इसमें आ गयी हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ठीक है, अध्ययन करेंगे।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री परसादीलाल मीणा। (व्यवधान)

लालसोट की मायला कुआं सिंचाई योजना

172. श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या लालसोट में मायला कुआ सिंचाई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त योजना की लागत कितनी है ?

(2) क्या सरकार लालसोट में कुओं का जल स्तर नीचे चले जाने के कारण लालसोट के किसानों को सिंचाई एवं पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए उक्त योजना की क्रियान्विति करने पर विचार रखती है ?

गृह मन्त्री (श्री कैलाश मेघवाल) :

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मुझे सरकार की जानकारी पर तरस आ रहा है। 1988-89 में भयंकर अकाल की विभीषिका थी तब सिंचाई विभाग ने वहां जाकर बांध बनाने के लिए सर्वे करवाया था। आज लालसोट पूरी तरह पहाड़ों से घिरा हुआ है, पानी सारा बह कर निकल जाता है, सारे कुएं सूख गये, किसी कुएं में एक बूंद भी पानी नहीं है। ऐसी स्थिति में 77 लाख रुपये की एक तात्कालिक योजना राज्य सरकार के पास भिजवाई गयी थी और सरकार कह रही है कि हमारे पास विचाराधीन नहीं है। मैं मन्त्री महोदय, आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यह योजना सर्वे के पश्चात् आपके विभाग के पास आयी है, मुझे पता है कि एक्स. ईएन. के लेवल तक तो आयी है, उसके बाद पता नहीं कहां गयी। किसानों ने जो 80-80, 100-100 मीटर तक कुएं 4-4 लाख रुपये की लागत के खुदवा लिये, उन 4-4 लाख रुपये की लागत के कुओं में भी पानी नहीं है। वहां पर किसान परेशान हैं। वहां पर बरसात का पानी पहाड़ों से निकल कर बह जाता है। उस पानी को अपन वहां नहीं रोकेंगे ? बहुत अच्छी जगह है बांध बनाने की, जिससे पीने का पानी भी और सिंचाई का पानी भी मिलेगा और चाहे सिंचाई आप नहीं

(श्री परसादीलाल मीणा)

करें, उससे कुओं का जल स्तर ऊंचा होगा। यह आपके पास विचाराधीन है, इसका सर्वे हुआ है, मुझे अच्छी तरह जानकारी है।

श्री अध्यक्ष : आप, मन्त्रीजी, देख लेना, विचाराधीन है। नैक्स्ट, श्री शांतिलाल खोईवाल।

श्री परसादीलाल मीणा : नहीं, अध्यक्ष महोदय, जवाब तो देने दो, सर्वे हुआ कि नहीं हुआ। मैं पूछ रहा हूं, सर्वे हुआ कि नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष : आप एक बात सुनिये।

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, आप मेरी हर बात को....

श्री अध्यक्ष : जब मंत्रीजी ने कह दिया कि जी नहीं, जी नहीं।

श्री परसादीलाल मीणा : नहीं, सर्वे हुआ कि नहीं हुआ ?

श्री अध्यक्ष : अब आप इसके लिए और कोई तरीका निकालिये बहस का।

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, सर्वे हुआ कि नहीं हुआ, मैं पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : कोई जवाब नहीं आयेगा इसमें।

श्री परसादीलाल मीणा : कैसे जवाब नहीं आयेगा।

श्री अध्यक्ष : जब ये कह रहे हैं कि विचाराधीन नहीं है, नहीं है, सरकार ने कह दिया, नहीं है, नहीं है। अब आपको कराना है तो और कई तरीके हैं।

श्री परसादीलाल मीणा : मन्त्रीजी से सवाल पूछा कि .. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इस प्रश्नकाल में यह नहीं होगा... (व्यवधान) आप पूछिये।

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, +++ नहीं चलेगी। यह +++ नहीं चलेगी।

श्री अध्यक्ष : आप समझ कर बोलिये।

श्री परसादीलाल मीणा : मैं समझ कर बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : समझकर बोलिये आप। समझ कर बोलिये, आप इतने सीनियर हैं।

श्री परसादीलाल मीणा : मैं समझकर बोल रहा हूं। मैं पूछ रहा हूं कि सर्वे हुआ कि नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, मैं हाथ जोड़ कर कह रहा हूं कि योजना का सर्वे हुआ कि नहीं हुआ। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बहुत सीनियर हैं। समझकर बोलिये आप। मैं +++ नहीं हूं। मैं इलेक्टेड अध्यक्ष हूं। विधिवत प्रजातन्त्र के मुताबिक, नियमों के मुताबिक आपको आदेश देता हूं कि आप बिराजिये, बिराजिये आप। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : हम कहां तक सुनें ?

+++ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपश्लोपित किये गये।

श्री अध्यक्ष : मन्त्रीजी, बोलिये।

श्री परसादीलाल मीणा : हम कहां तक सुनें। अध्यक्ष महोदय, मैं पूछ रहा हूं कि सर्वे हुआ कि नहीं हुआ। हम इस + + + से क्या ले लेंगे, अध्यक्ष महोदय? सर्वे करके राजनैतिक कारणों से उस योजना को दबाये बैठी है सरकार और आप मौका नहीं देते हैं हमें, जब प्रश्न आता है।

तहसील रेलमगरा द्वारा निर्मित सड़कें

173. श्री शान्तिलाल खोईवाल (राजसमन्द) : क्या कृषि राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या रेलमगरा तहसील में कृषि विपणन बोर्ड द्वारा निर्मित भूखाड़ा एव जुणदा अप्रोच रोड अधूरी है? यदि हां, तो विभाग द्वारा इसे पूर्ण करने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गयी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मन्त्री, कृषि (श्री ज्ञानसिंह चौधरी) : जी हां। अप्रोच रोड जुणदा व भूखाड़ा अधूरी हैं। इन अधूरी सड़कों को पूर्ण कराने हेतु जुणदा सड़क के लिए 9.00 लाख रुपयों की वर्ष 1993-94 में वित्तीय स्वीकृति दी गयी है। भूरवाड़ा सड़क के लिए रुपये 2.25 लाख की वर्ष 1993-94 में बजट में वित्तीय व्यवस्था कर दी गयी है। इसका कार्य प्रारम्भ होना शेष है।

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं वाक आउट कर रहा हूं आपके निर्णय के खिलाफ ..

(बहिर्गमन)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें।)

(12 00)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

विधान सभा क्षेत्र पचपदरा के पंचायत मुख्यालयों पर उच्च प्राथमिक पाठशालायें

162. श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या पचपदरा विधान सभा क्षेत्र की प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर उच्च प्राथमिक पाठशालाएं खोल दी गई हैं? यदि नहीं, तो किस किस पंचायत मुख्यालय पर उच्च प्राथमिक पाठशालाएं नहीं हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या राज्य सरकार बाड़मेर जिले के पचपदरा विधान सभा क्षेत्र में पंचायत मुख्यालयों पर जहां उच्च प्राथमिक पाठशालाएं नहीं है, वहां प्राथमिकता के आधार पर उच्च प्राथमिक पाठशालाएं खोलेगी? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी नहीं। पचपदरा विधान सभा क्षेत्र के 20 पंचायत मुख्यालयों पर उच्च

+++ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(शिक्षा मन्त्री)

प्राथमिक विद्यालय नहीं है। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) वर्ष 1994-95 में बजट की उपलब्धता व निर्धारित मापदण्डों को ध्यान में रखते हुए राज्य के अन्य प्रस्तावों के साथ विधान सभा क्षेत्र पचपदरा के पंचायत मुख्यालयों पर स्थित प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक स्तर में गुणावगुण के आधार पर प्राथमिकता से क्रमोन्नत करने पर विचार किया जा सकेगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–9 देखें।)

खैरवाड़ा तहसील क्षेत्र के छात्रावासों में विद्युत व्यवस्था

164. श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा) : क्या समाज कल्याण राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि खैरवाड़ा तहसील क्षेत्र के राजकीय छात्रावास, सरेरा बाबलवाड़ा, आडीवली और कल्याणपुर के भवनों में बिजली नहीं है ? यदि हां, तो उक्त छात्रावासों में बिजली का कनेक्शन करवाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त छात्रावासों के भवनों का निर्माण भी अधूरा है ? यदि हां, तो उनकी पूर्ण करवाने की सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

(1) खैरवाड़ा तहसील के ग्राम सरेरा, बाबलवाड़ा, आडीवली एवं कल्याणपुर में अनुसूचित जनजाति के राजकीय छात्रावास संचालित हैं जिनमें वर्तमान में बिजली व्यवस्था नहीं है। परन्तु गैस, लालटेन इत्यादि से रोशनी की व्यवस्था की जाती है। बिजली कनेक्शन कराने हेतु तकमीने तैयार कराने की कार्यवाही जारी है तथा शीघ्र उचित व्यवस्था करली जावेगी।

(2) पूर्व में उक्त छात्रावास अकाल राहत के अन्तर्गत पंचायत समितियों द्वारा बनाये गये हैं। वर्तमान में अधूरे छात्रावासों को पूर्ण कराने के लिये जनजाति उप योजना (टी.ए.डी) के अन्तर्गत जिला परिषद द्वारा कार्य कराया जा रहा है। विभाग द्वारा उपरोक्त कार्य को जल्द से जल्द पूर्ण कराने हेतु सभी सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

ग्रामीण क्षेत्रों में स्टेडियम निर्माण

206. श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) : क्या खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राज्य के गांवों में खेलों के स्तर में सुधार लाने के लिए क्या राज्य सरकार ग्रामीण स्टेडियम निर्माण करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो निर्माण के मापदण्ड क्या हैं ?

(2) जोधपुर जिले में अब तक कहां-कहां पर किस किस समय ग्रामीण स्टेडियम स्वीकृत हुए एवं कहां-कहां उनका निर्माण किया गया ? कौन-कौन से निर्माण कार्य किन कारणों से अधूरे हैं तथा कब तक पूरे हो जायेंगे ?

(3) क्या सरकार बिलाड़ा क्षेत्र में पिपाड़ शहर, ग्राम रतकुड़िया, भावी, रिया,

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

पिचियाक के स्कूलों में ग्रामीण स्टेडियम निर्माण कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है कि राज्य में गावों में खेलों के स्तर में सुधार लाने के लिए राज्य सरकार ग्रामीण स्टेडियम निर्माण करने का इरादा रखती है। जहां तक निर्माण के मापदण्डों का प्रश्न है, यह ग्रामीण क्षेत्र की प्रायोजक संस्थाओं जैसे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, स्वयं सेवी संस्था आदि पर निर्भर करता है। यह विभाग स्टेडियम निर्माण हेतु खेल अनुदान नियमों के अनुसार प्रायोजक संस्थाओं को अनुदान देती है जिसकी सीमा अनुमानों की 25% अधिकतम 2.00 लाख रुपये तक की है। यह प्रायोजक संस्था पर निर्भर करता है कि उसके पास स्टेडियम हेतु कितनी भूमि उपलब्ध है एवं कितना जन सहयोग के रूप में अधिक से अधिक व्यय कर सकती है।

स्टेडियम निर्माण हेतु चाहे ग्रामीण अथवा शहरी क्षेत्र हो, भारत सरकार अनुमानों का 50% (जनजाति क्षेत्र में 75%) अनुदान स्वीकृत करती है।

(2) जोधपुर जिले में ग्रामीण स्टेडियम निर्माण हेतु अब तक सरपंच ग्राम पंचायत तिलवासनी को अनुदान स्वीकृत किया था जिसमें से भारत सरकार ने 1.00 लाख रुपये एवं राज्य सरकार द्वारा 0.65 लाख स्वीकृत किया गया था। स्टेडियम के अनुमान वर्ष 1984 में 2.10 लाख रुपये के थे। सरपंच द्वारा अभी तक स्टेडियम का सम्पूर्ण कार्य करवाकर कार्य पूर्ति का मूल प्रमाण-पत्र विभाग को प्रेषित नहीं किया गया है जिसके लिए जिला कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला क्रीड़ा परिषद जोधपुर को लिखा जा चुका है।

(3) जैसाकि प्रथम प्रश्न में निवेदन किया जा चुका है यह विभाग स्टेडियम निर्माण हेतु किसी भी प्रायोजक संस्था से विधिवत प्रस्ताव प्राप्त होने पर अनुदान स्वीकृत करता है। प्रश्न में अंकित बिलाड़ा क्षेत्र में पिपाड़ शहर, ग्राम रतकुड़िया, ग्राम भावी, ग्राम रिया, ग्राम पिचियाक की स्कूलों में स्टेडियम निर्माण के विधिवत प्रस्ताव विभाग को आज तक प्राप्त नहीं हुये है। प्रस्ताव प्राप्त होने पर ही आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

विधान सभा क्षेत्र ब्यावर की पेयजल योजना

207. श्री उगमराज मेहता (ब्यावर): क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

ब्यावर विधान सभा क्षेत्र की 25 ग्राम पंचायतों के लिए कौन-कौनसी पेयजल योजना स्वीकृत है ? इनमें कौन-कौनसी योजना कार्यरत है तथा किस-किस योजना के क्रियान्वयन का कार्य प्रगति पर है ? यह योजना कब तक पूर्ण हो जायेगी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

ब्यावर विधान सभा की वर्तमान में कोई ग्रामीण योजना स्वीकृत नहीं है।

(जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री)

क्षेत्र के सभा ग्रामों में पेयजल योजनायें पूर्व से ही संधारण में है। आगामी ग्रीष्म ऋतु हेतु क्षेत्र में तीन हैण्ड पम्प एवं ग्राम काबरा में एक नलकूप का निर्माण व इसे पाइप लाइन से जोड़ने के कार्य स्वीकृत किये गये हैं। हैण्ड पम्पों हेतु वेधन का कार्य किया जा चुका है। नलकूप का निर्माण कार्य भी शीघ्र प्रारम्भ किया जा रहा है।

विधान सभा क्षेत्र दानपुर (बांसवाड़ा) में पेयजल समस्या

208. श्री दलीचन्द (दानपुर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) दानपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पेयजल आपूर्ति हेतु क्या-क्या साधन उपलब्ध हैं ?

(2) क्या सरकार इस क्षेत्र में पेयजल के संकट निवारण हेतु क्या नए संसाधन उपलब्ध करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्र में सैकड़ों हैड पम्प खराब हो चुके हैं ? इस हेतु सरकार क्या व्यवस्था करने जा रही है ?

उत्तर

(1) संदर्भित विधान सभा क्षेत्र के कुल 319 आबाद ग्रामों में से, 14 ग्रामों में पाइप्ड योजनाओं से 9 ग्रामों में क्षेत्रीय योजनाओं से तथा 296 ग्रामों में हैण्ड पम्प योजनाओं के माध्यम से पेयजल सुविधा उपलब्ध है।

(2) उपलब्ध पेयजल आपूर्ति में वृद्धि हेतु क्षेत्र में पांच नये हैण्ड पम्प स्वीकृत किये गये हैं।

(3) जी नहीं। क्षेत्र में स्थापित कुल 1242 हैण्ड पम्पों में से मात्र 75 हैण्डपम्प खराब थे जिनमें से 54 हैण्ड पम्प ठीक किये जा चुके हैं।

सहायक अभियन्ता कार्यालय इटावा में रिक्त पद

209. श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा): क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि पीपल्दा तहसील के इटावा में वर्ष 1992-93 में सहायक अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी का पद सृजित किया गया था ?

(2) यदि हां, तो क्या पदस्थापन कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों व अब कब तक नियुक्ति कर दी जावेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) उपरोक्तानुसार। पद सृजन के अभाव में पदस्थापन सम्भव नहीं हैं।

रेलमगरा एवं राजसमन्द तहसील की पेयजल योजनाएं

210. श्री शान्तिलाल खोईवाल (राजसमन्द) : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे --

(1) क्या रेलमगरा एवं राजसमन्द तहसीलों के पेयजल संकटग्रस्त गांव-चौकड़ी, भराणा, बामनटुकड़ा, तासोल, साकरोदा

(श्री शान्तिलाल खोईवाल)

सुन्दरचा एवं बैठूमी में ग्रामीण पेयजल योजनाएं स्वीकृति हेतु विचाराधीन हैं ?

(2) यदि हां, तो उक्त योजनाएं वर्तमान में किस स्तर पर विचाराधीन हैं ?

उत्तर

(1) जी नहीं। संदर्भित सभी ग्रामों में हैण्ड पम्पों को स्थापित कर पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है।

(2) योजनाओं के प्रस्ताव ही नहीं बनाये गये हैं।

सुशीलपुरा कालोनी (जयपुर) के हैण्डपम्प

211. श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सुशीलपुरा कालोनी, अजमेर रोड, जयपुर में कितने हैण्ड पम्प लगाये गये हैं ? इनमें कितने हैण्ड पम्प कार्यरत हैं एवं कितने खराब है ? खराब हैण्ड पम्पों को कब तक ठीक करवा दिया जायेगा ?

(2) क्या सरकार का जनहित में सुशीलपुरा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के बाहर हैण्डपम्प लगाये जाने का विचार है ? यदि हां, तो कब तक अन्तिम रूप दिया जाकर क्रियान्विति कर दी जायेगी ?

उत्तर

(1) उल्लेखित कॉलोनी में एक हैण्डपम्प स्थापित है, जो वर्तमान में कार्यरत है।

(2) जी नहीं। विद्यालय के बाहर वर्तमान में एक सार्वजनिक नल के माध्यम से पेयजल उपलब्ध है।

मा. उच्च न्यायालय के आदेश की अनुपालना

212. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं): क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर उच्च न्यायालय द्वारा रिट संख्या 3567/89 का फैसला दिनांक 27.3.1991 को विभाग के विरुद्ध किया गया है ? यदि हां, तो निर्णय की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त निर्णय की अनुपालना में विभाग ने अब तक क्या-क्या कार्यवाही की तथा निर्णय की पालना कहां तक हुई ?

(3) उक्त निर्णय की पूर्ण अनुपालना कब तक की जा सकेगी और अब तक पालना नहीं करने के क्या कारण रहे हैं ?

(4) क्या यह भी सही है कि इस निर्णय की अनुपालना के लिए अधिशाषी अभियन्ता, सूरतगढ़ ने अधीक्षण अभियन्ता, श्री गंगानगर को पत्र संख्या 8079 दिनांक 2.1.1993 को लिखा है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई ? उक्त पत्र की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वान्छित निर्णय की प्रतिलिपि परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री)

(2) उक्त निर्णय से सम्बन्धित दो कर्मचारियों अर्थात् श्री प्रेम प्रकाश व श्री रमेश कुमार को बेलदार के पद पर अर्द्ध-स्थाई घोषित कर दिया गया है।

(3) निर्णय की अनुपालना की जा चुकी है।

(4) जी हां, चूंकि सम्बन्धित दोनों कर्मचारियों को अर्द्धस्थाई घोषित किया जा चुका है अतः कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। वान्छित पत्र की प्रति परिशिष्ट 'ख' पर संलग्न हैं।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

उदयपुर शहर में ग्रीष्मकाल में पेयजल आपूर्ति

213. श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर शहर में विभिन्न बस्तियों के अन्तर्गत ग्रीष्म ऋतु में पानी का दबाव (प्रेशर) 50 प्रतिशत रह जाता है? यदि हां, तो ऐसी बस्तियों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) ग्रीष्म ऋतु में प्रेशर को बनाये रखने सरकार के क्या प्रस्ताव हैं? इन आबासीय बस्तियों में ग्रीष्म ऋतु तक कितने हैण्ड पम्प और नलकूप लगवाने की विभाग की योजना है?

(3) पेयजल की दृष्टि से उदयपुर शहर तथा आसपास के ग्रामीण क्षेत्र को मिलाकर विभाग कितनी जनसंख्या मानता है? प्रति व्यक्ति औसत जल की खपत प्रतिदिन की अभी कितनी है?

(4) जयसमन्द योजना से उदयपुर पानी लानें का कार्य कब तक पूरा हो जाएगा?

उत्तर

(1) जी हां, वांछित सूची परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(2) उदयपुर शहर हेतु चालू वित्तीय वर्ष में दो नलकूप एव 15 हैण्ड पम्प लगाये जाने प्रस्तावित हैं।

(3) उदयपुर शहर एवं निकटस्थ 6 ग्रामों की वर्तमान में जन संख्या लगभग 3.50 लाख है एवं औसतन खपत 96 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है।

(4) जयसमन्द से उदयपुर का जून, 1994 तक बीस लाख गैलन पानी प्रतिदिन प्राप्त होने की सम्भावना है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-6 देखें।)

जिला अजमेर के हैण्ड पम्प्स्

214. श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

अजमेर जिले की किस-किस तहसील में कितने-कितने हैण्ड पम्प खराब हैं? उन्हें कब तक ठीक कराये जाने की सरकार की योजना है?

उत्तर

अजमेर जिले में हाल ही में किये गये

(जन-स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मन्त्री)

सर्वेक्षण के अनुसार खराब हैण्डपम्पों की संख्या निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	तहसील का नाम	मरम्मत योग्य खराब हैण्डपम्पों की संख्या
1.	अजमेर	166
2.	नसीराबाद	89
3.	किशनगढ़	354
4.	केकड़ी	382
5.	ब्यावर	350
6.	सरवाड़	172
	योग	1513

उपरोक्त खराब हैण्डपम्पों को चालू विशेष अभियान के अन्तर्गत मार्च, 1994 के अन्त तक ठीक किये जाने के प्रयास जारी हैं।

हीरानगर (जयपुर) की पेयजल समस्या

215. श्री रामेश्वर लाल भारद्वाज (किशनपोल) : क्या जन-स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या गोविन्द नगर-डी. सी. एम. गोदाम, हीरा नगर, अजमेर रोड, जयपुर के आस-पास की कालोनियों में पानी की नल योजना तथा पानी की टंकी बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है? यदि नहीं, तो क्या सरकार आगामी वित्तीय वर्ष में उक्त प्रावधान करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो नल योजना व टंकी का कार्य कब तक सम्पूर्ण कर दिया जायेगा ? नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या गोविन्द नगर, डी. सी. एम. गोदाम, अजमेर रोड, जयपुर में एक ही हैण्ड पम्प है जिससे अनुसूचित जाति एवं अन्य व्यक्तियों के लोगों को पानी लेना पड़ रहा है ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त हैण्ड पम्प भी खराब पड़ा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसे दुरुस्त करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार उक्त कालोनी की जन-संख्या को दृष्टिगत रखते हुए, और हैण्ड पम्प लगाये जाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा विकसित कालोनियों पेयजल व्यवस्था हेतु आवश्यक धनराशि की व्यवस्था सम्बन्धित संस्थाओं द्वारा ही की जानी है अतः इस परिपेक्ष्य में उक्त कालोनियों हेतु आगामी वित्तीय वर्ष में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(2) जी हां।

(3) वर्तमान में हैण्डपम्प कार्यरत है।

(4) पेयजल आपूर्ति हेतु एक हैण्डपम्प और लगाया जाना प्रस्तावित है।

विधान सभा क्षेत्र बेगूं (चित्तौड़गढ़) के राजस्व ग्रामों में हैण्डपम्प्स

216. श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं) : क्या जन-स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मन्त्री यह

(श्री चुन्नीलाल धाकड़)

बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बेगूं में ऐसे कौन-कौन से राजस्व गांव हैं जहां एक भी हैण्डपम्प नहीं हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त क्षेत्र में किस-किस गांव में कहां-कहां हैण्डपम्प गर्मी के दिनों में सूख गये तथा कौन-कौन से कम गहरे होने के कारण बन्द हो गये एवं कौन-कौन से कहां-कहां कोलेप्स हो जाने के कारण उनके स्थान पर नये खुदाये गये ? गांववार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त क्षेत्र में हैण्डपम्प लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब एवं कहां-कहां ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सन्दर्भित क्षेत्र में 15 राजस्व ग्रामों में एक भी हैण्डपम्प नहीं है। इन ग्रामों की सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है। (अतारांकित प्रश्न संख्या 1 के दिनांक 28-2-94 को दिये गये उत्तर में उपरोक्त ग्रामों की संख्या 25 को संशोधित करते हुए)।

(2) उल्लेखित क्षेत्र में गर्मी में सूख जाने वाले हैण्डपम्पों की सूची परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है। कम गहरे होने के कारण अथवा बोर कोलेप्स हो जाने के कारण कोई हैण्डपम्प नहीं बन्द हुए।

(3) जी हां, आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए हैण्डपम्प लगाये जाने प्रस्तावित है जिनके लिए तकनीकी दृष्टि से उपयुक्त स्थानों की चयन प्रक्रिया जारी है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-7 देखें।)

शास्त्रीनगर, जयपुर की गटर लाईन

217. श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर): क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि शास्त्रीनगर जयपुर स्थित हाऊसिंग बोर्ड के प्लाट 2क 14 के सामने गटर लाइन का मैनहोल करीब एक माह से बन्द हो जाने से उसका गन्दा पानी हाउसिंग बोर्ड व रामनगर के भू-खण्डों के नाले में बहकर आने से वहां के लोगों का जीवन बदबू के कारण कठिनाई में पड़ गया है।

(2) क्या यह भी सही है कि वहां के निवासियों ने नगर निगम के कर्मचारियों/अधिकारियों को इस सम्बन्ध में शिकायतें भी की हैं ? यदि हां, तो कब कब ? शिकायतों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार वहां की जनता के स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए मैनहोल को ठीक करवाकर गन्दे पानी को गटर लाइन में शीघ्र जोड़ने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। गटर लाइन का मैनहाल बन्द होने पर एक बार उसी दिन खुलवा दिया गया था। पुनः दूसरे दिन बन्द होने पर सफाई कर्मचारियों से न खुलने

(स्वायत्त शासन मन्त्री)

पर जोटिंग मशीन द्वारा खुलवा दिया गया था।

(2) केवल मौखिक शिकायत की गई थी। लिखित में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

(3) वर्तमान में मैनहाल की कोई समस्या नहीं है।

मालवीया नगर जयपुर में गृह कर का निर्धारण

218. श्री विश्वेन्द्र सिंह (नदबई) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि नगर निगम, जयपुर मालवीया नगरमें आवासन बोर्ड एवं जयपुर विकास प्राधिकरण के आवासों पर अलग-अलग दरों से गृह कर वसूल कर रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसमें एकरूपता लाने का विचार रखती है ?

उत्तर

जी नहीं। एकरूपता से ही वसूल किया जाता है।

आबू पर्वत में कृषि भूमि पर मकानों का अवैध निर्माण

219. श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राष्ट्रपति शासन में आबू पर्वत पर शालगांव ग्रीन बेल्ट जोन में कृषि भूमि में करीबन 2000 फ्लेट्स का निर्माण कार्य हो रहा है ? यदि हां, तो इसकी स्वीकृति कब एवं किसके द्वारा प्रदान की गयी ?

(2) क्या इन फ्लेट्स की ऊंचाई आबू पर्वत बाइलाज के अनुसार हो रही है ? यदि नहीं, तो कितनी ऊंचाई पर हो रही है ?

(3) क्या इसी स्थान पर अवैध रूप से एनीकट का निर्माण हो रहा है ? यदि हां, तो इनको रुकवाने की क्या कार्यवाही अब तक की गई है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या राज्य सरकार ऐसे अवैध निर्माण कार्य को रोकने के लिये कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं। आबू पर्वत पर स्थित शालगांव की ग्रीन बैल्ट की 37 बीघा 16 बिस्वा भूमि के आवंटन की स्वीकृति ज्ञान सरोवर विद्यापीठ के लिए भूमि की किस्म परिवर्तित कर जिला कलेक्टर सिरोही द्वारा मार्च-93 में जारी की गई। राज्य स्तरीय कमेटी के प्लान पास करने पर ग्राम पंचायत ओरिया द्वारा दिनांक 24-3-93 से खसरा नं. 18, 18/2, 18/3, 19 व 20 कुल रकबा 37 बीघा 16 बिस्वा में आफिसर इन्चार्ज, ब्रह्मा कुमारी इश्वरीय विश्व-विद्यालय आबू पर्वत को स्वीकृति प्रदान की गई। इस स्थान पर कुल 126 भवनों का निर्माण प्रस्तावित है जिसमें 68 का कार्य पूर्ण हो चुका है, 32 निर्माणाधीन है और 26 प्रस्तावित है।

(2) जी हां। शालगांव नगर पालिका

(स्वायत्त शासन मन्त्री)

के पैरी फेरी विलेज में आता है परन्तु यह पालिका सीमा से बाहर है।

(3) जी हां। इस स्थान पर एक एनीकट का निर्माण किया गया है। जिसकी स्वीकृति सिंचाई विभाग अथवा पंचायत विभाग द्वारा नहीं दी गई है। स्वीकृत नक्शे में इस योजना में तीन तालाब (लेक–1, 2, 3) योजना मानचित्र में स्वीकृत किये गये थे। पूर्व में अधिशासी अभियन्ता सिंचाई विभाग ने इस सम्बन्ध में एक जांच की थी जिसमें इस निर्माण को अवैध नहीं पाया।

(4) क्रम संख्या–3 में उत्तर दिया जा चुका है।

बगरू कलां (जयपुर) में गन्दे पानी की समस्या

220. श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) एवं श्री हीरालाल इन्दोरा (केसरीसिंहपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार ने बगरू कलां, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में रेगर मोहल्ला, छीपों एवं खटिकों के मोहल्लों के बीच में गन्दे पानी तथा वर्षा के पानी का निकास कर रखा है ?

(2) क्या उक्त गन्दे नालों से उक्त मौहल्लों की आम जनता को विशेष तौर से शव आदि ले जाने व वर्षा में व्यवधान पैदा होता है ?

(3) क्या यह सही है कि इस समस्या के निवारण हेतु नगरपालिका तथा उच्चाधिकारियों को पत्र प्रेषित किये गये थे ?

(4) क्या यह भी सही है कि नगरपालिका अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर मौके पर जाकर निरीक्षण किये गये थे ? यदि हां तो क्या इस समस्या के स्थायी रूप से समाधान हेतु कोई योजना बनाई गई थी ? यदि हां, तो योजना का प्रारूप सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। प्राकृतिक वर्षा के कारण वर्षों से पानी उसी रास्ते से आने के कारण रास्ते के बीच का भाग स्वतः ही नाले के रूप में वर्षों से परिवर्तित हो रखा है।

(2) जी हां।

(3) जी हां।

(4) जी हां। नगरपालिका द्वारा योजना बनाई गई है योजना के प्रथम चरण में एक पुलिया का निर्माण भी कराया गया है। योजना का प्रारूप सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(प्रारूप विधानसभा पुस्तकालय में रखा गया)

कोटा म्यूनिसिपल बोर्ड का चुनाव

221. श्री भरतसिंह (खानपुर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि कोटा म्युनिसिपल बोर्ड के चुनाव कब से नहीं करवाये गये हैं ?

(श्री भरतसिंह)

(2) क्या गत एक दशक में जिला कलेक्टरों या म्युनिसिपल प्रशासकों ने कभी वार्डों में जाकर उनके क्षेत्र की सफाई या सुविधा व्यवस्था पर संभ्रान्त नागरिकों की राय जानने की कोशिश की है ? यदि हां, तो कब-कब ?

(3) कोटा म्युनिसिपल की सालाना आय क्या है ? इसमें कितने कर्मचारी काम करते हैं व सरकारी आमदनी किन-किन मुद्दों पर कितनी-कितनी खर्च की जाती है ? मुद्दे वार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) कोटा म्युनिसिपल क्षेत्र में कितनी सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे किये हुए हैं और उन्हें हटाने के अब तक क्या प्रयास हुए हैं ?

उत्तर

(1) दिनांक 12-12-73 के पश्चात् चुनाव नहीं करवाये गये हैं।

(2) जी हां। इस बारे में विशेष शिविरों का आयोजन दिनांक 2-5-83 से 31-5-83 तक, 3-10-88 से 15-11-88 तक व 15-6-93 से 31-7-93 किया गया था। इसके अतिरिक्त प्रतिदिन प्रशासक द्वारा प्रातः 11 से 1.30 बजे तक जनता की शिकायतों को सुनकर निराकरण की कार्यवाही की जाती है।

(3) नगर निगम, कोटा की वर्ष 92-93 की कुल आय 10,54,97,471.13 पैसे रही। इसमें कुल 3,078 कर्मचारी कार्यरत है। मुद्दे वार व्यय का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(4) सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों का सर्वे करवाया जा रहा है। वैसे जब-जब भी ऐसे कब्जे जानकारी में आते हैं, तो उन्हें हटा दिया जाता है। इस कार्य हेतु अतिक्रमण निरोधक दस्ता, जिसमें 40 कर्मचारी व एक इन्स्पेक्टर है, का गठन किया हुआ है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-8 देखें।)

राजस्थान आवासन मण्डल, अलवर द्वारा मकानों का आवंटन

222. श्री भीखा भाई (सागवाड़ा) : क्या आवासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा 1973 के सभी रजिस्ट्रेशनकर्ताओं को आवास आवंटन हो चुके हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि अलवर में आवासन मण्डल के मकान आवंटन हेतु श्रीमती कमला अवस्थी, सहायक अध्यापिका, बड़ा बाजार बसवा ने 1973 में रजिस्ट्रेशन करवाया था ? यदि हां, तो क्या उनको आवास आवंटित कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं।

(3) क्या यह भी सही है कि उनके द्वारा अध्यक्ष/सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर एवं आवासीय अभियन्ता अलवर को बार-बार प्रार्थना पत्र दिये गये थे तथा मण्डल द्वारा उनके एक भी प्रार्थना पत्र का कोई जवाब नहीं दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) मण्डल में वर्ष 1973 के पंजी-

(आवासन मन्त्री)

कृत नियमानुसार वर्ष 1973 के समस्त योग्य आवेदकों को मकान आवंटित किये जा चुके है।

(2) श्रीमती कमला अवस्थी ने वर्ष 1973 में ई. डब्लू. एस. में रजिस्ट्रेशन कराया था आवेदिका ने प्रार्थना पत्र में पति की आय नहीं दर्शायी थी अतः उक्त त्रुटि निराकरण हेतु अलवर कार्यालय के पत्र क्र. 1133 दिनांक 24-11-84 द्वारा आवेदिका को लिखा गया कि कार्यालय में दिनांक 10-12-84 तक सम्पर्क स्थापित कर त्रुटि का निराकरण कर दे लेकिन आवेदिका ने कोई कार्यवाही नहीं की। तत्पश्चात् पत्रांक 2322 दिनांक 22-11-85 द्वारा आवेदिका का पंजीकरण निरस्त कर दिया गया था। अतः आवेदिका के द्वारा त्रुटि का निराकरण नहीं किये जाने के कारण मकान आवंटित नहीं किया जा सका।

(3) आवेदिका ने सचिव महोदय को पत्र लिखा जिसका उत्तर पत्र क्रमांक 9962 दिनांक 13-9-79 द्वारा आवासीय अभियन्ता अलवर को प्रस्तुत किये गये पत्र का उत्तर क्रमांक 4061 दिनांक 22-12-86 द्वारा दिया गया।

सुशीलपुरा कालोनी, जयपुर के विकास कार्यों पर व्यय

223. श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा सुशीलपुरा कालोनी, अजमेर रोड, जयपुर पर विकास कार्यों पर कितनी-कितनी राशि, कब-कब खर्च की गई ?

(2) क्या विकास कार्य जो प्रारम्भ किये गये थे, वे पूर्ण हो गये हैं ? यदि हां, तो कब ? क्या इस कालोनी तक कुछ क्षेत्रों में सड़क, नाली, रोड लाईट व अन्य विकास के कार्य नहीं किये गये हैं ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, एवं ये कब तक पूर्ण कर लिये जायेंगे ? शेष रहे इन कार्यों पर कितनी राशि खर्च करने का प्रावधान है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या इस कालोनी में होने वाले विकास कार्यों के लिए पूर्व में सर्वे भी करवाया गया था ? यदि हां, तो कब ?

उत्तर

(1) सुशीलपुरा कालोनी अजमेर रोड जयपुर पर विकास कार्यों पर वर्ष 1992-93 में रुपये 1.04 लाख तथा वर्ष 93-94 में रुपये 1.46 लाख अर्थात् कुल रुपये 2.50 लाख व्यय किये गये हैं।

(2) जी हां, जो विकास कार्य प्रारम्भ किये गये थे वे वर्ष 93-94 में पूर्ण हो चुके हैं। यह सही है कि कुछ क्षेत्रों में नालियां, रोड लाईट्स के विकास कार्य नहीं किये गये हैं। वित्तीय प्रावधान होने पर योजना बनाकर विकास कार्य करवाया जायेगा। वित्तीय साधन उपलब्ध होने पर ही शेष बचे कार्य का सर्वे कराना सम्भव होगा।

(3) जी हां, पूर्व में कराये गये कार्यों के लिये ही 92-93 में सर्वे करवाया गया था।

विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ में तालाबों का निर्माण

224. श्री फतेहसिंह (कुशलगढ़) : क्या सिंचाई राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) कुशलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में प्रारम्भ से अब तक कितने छोटे तालाब अधूरे हैं ? पंचायत समिति वार व गांववार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त तालाबों पर अब तक कुल कितनी-कितनी राशि व्यय हुई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या राज्य सरकार अधूरे तालाबों को पूर्ण कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) कुशलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में अब तक 12 सिंचाई तालाब अधूरे हैं। वांछित सूची परिशिष्ट 'अ' में प्रस्तुत हैं।

(2) इन तालाबों में अब तक हुए व्यय का विवरण परिशिष्ट 'ब' में दर्शाया गया हैं।

(3) जी हां। अपूर्ण तालाबों को पूरा कराना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-9 देखें।)

सारोठ फीडर का निर्माण

225. श्री उगम राज मेहता (ब्यावर): क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगें :-

(1) क्या यह सही है कि सारोठ फीडर का पानी नया गांव तालाब के जवाजा तालाब में पहुंचने के पहले ही यह फीडर पहली वर्षा में ही बह जाती है ?

(2) यदि हां, तो इस फीडर के बार-बार ढहने की समस्या के समाधान के लिए विभाग ने क्या कोई स्थायी योजना तैयार की है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। सारोठ फीडर के प्रारम्भिक भाग का कुछ हिस्सा जो फिलिंग में होकर गुजरता है, उसका कुछ हिस्सा अतिवृष्टि के सालों में टूट जाता है।

(2) उपरोक्त समस्या के समाधान के लिए वर्ष 1993 में 100 फीट लम्बाई में फीडर को पक्का किया जा चुका है। शेष 100 फीट लम्बाई का कार्य प्रस्तावित है।

बीसलपुर बांध योजना का सर्वे

226. श्री रामनारायण (नैनवां) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या बनास नदी पर बीसलपुर बांध की योजना हेतु प्रारम्भिक सर्वे करवाया गया था ? यदि हां, तो कब से कब तक किस-किस अभियन्ता के द्वारा किस तारीख से किस तारीख तक किया गया था ? उक्त अभियन्ताओं के नाम एवं तत्कालीन पद-स्थापन कार्यालय के पते सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां, उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार

(सिचाई मन्त्री)

बीसलपुर बांध की योजना का प्रारम्भिक सर्वे तत्कालिन जयपुर स्टेट के मुख्य अभियन्ता लोक निर्माण विभाग (सिंचाई शाखा) द्वारा 1944-45 में किया/करवाया गया था। उनके द्वारा किये गये/करवाये गये सर्वे की वास्तविक तारीख एवं समय अवधि रिकार्ड में उपलब्ध नहीं है। तत्कालीन लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियन्ता का नाम सेशागिरी राव (Seshagiri Rao) था एवं उनका पदस्थापन जयपुर में था।

विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में एनिकटस् का निर्माण

227. श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में गत 2 वर्षों में वर्षा की अधिकता से सिंचाई विभाग तथा पंचायत समितियों द्वारा निर्मित एनिकट टूटे हैं ? यदि हां, तो उनके नाम मय क्षति के विवरण सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ने ऐसे एनिकटों को पुन: निर्माण कराने तथा पूर्ववत् स्थिति कायम करने की कोई योजना तखमीना बनाकर कार्यवाही शुरू की है ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार इन एनिकटों को अकाल राहत अथवा विभागीय मदों अथवा बाढ़ सहायता से पूर्ण कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के गत दो वर्षों में सिंचाई विभाग द्वारा निर्मित कोई भी एनीकट नहीं टूटे हैं। पंचायत समिति द्वारा निर्मित एनीकट के सम्बन्ध में सूचना सम्बन्धित विभाग से संकलित की जा रही है। प्राप्त होते ही प्रस्तुत कर दी जावेगी।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

बागियावास बांध का निर्माण

228. श्री भीमराज (पाली) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि दो साल पूर्व बाढ़ से क्षतिग्रस्त बागियावास बांध की मरम्मत का कार्य शुरू करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो इस बांध की मरम्मत नहीं होने से अब तक कितनी एकड़ जमीन सिंचाई से वंचित रही है और इससे कितनी कृषि उपज की हानि हुई है ?

(2) क्या सरकार उक्त बांध को वर्षा ऋतु से पूर्व मरम्मत कराने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। वर्ष 1992 में बागियावास बांध की मरम्मत का कार्य न होने से कोई जमीन सिंचाई से वंचित नहीं रही और ना ही कृषि उपज की कोई हानि हुई।

(2) जी नहीं, क्योंकि वित्तीय संसाधन उपलब्ध नहीं हैं।

गुड़गांवा नहर में पानी की भराव क्षमता

229. श्री तैय्यब हुसैन (कामां) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि गुड़गांवा कैनाल में पानी की कमी के कारण फसलों को नुकसान हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार शीघ्र नहर में पानी छुड़वाने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

जी नहीं, क्योंकि इस नहर में पानी केवल खरीफ की फसल के समय ही उपलब्ध होता है।

भाखरा, गंग कैनाल व इन्दिरा गांधी नहर के पानी में राज्य का हिस्सा

230. श्री अमरा राम (धोंद) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

गत तीन वर्षों में पंजाब तथा हरियाणा राज्यों ने भाखरा, गंग कैनाल व इन्दिरा गांधी नहर में हमारे हिस्से का कितना पानी हमें दिया है ? इस सम्बन्ध में राज्य स्तर व अधिकारी स्तर पर कब-कब बैठकें होती रही हैं तथा बातचीत के क्या मुद्दे रहे हैं ?

उत्तर

गत तीन वर्षों में पानी की प्राप्ति एम. ए. एफ. में निम्नानुसार रही।

भांखड़ा प्रणाली	वाया पंजाब आवंटित हिस्सा	वाया पंजाब प्राप्ति	वाया हरियाणा आवंटित हिस्सा	वाया हरियाणा प्राप्ति	
1991-92	0.72	0.80	0.43	0.42	
1992-93	0.69	0.69	0.40	0.42	
1993-94	0.43	0.43	0.25	0.21	
	(20-1-94 तक)		(20-1-94 तक)		
गंग कैनाल प्रणाली					
1991-92	1.45	1.46	—		
1992-93	1.45	1.50	—		
1993-94	0.85	0.88	—		
	(20.1.94 तक)				
इन्दिरा गांधी नहर					
1991-92	6.00	6.77	—		1. खरीफ में बाढ़ के वक्त इ. गा. फीडर में फिरोजपुर शहर को बचाने हेतु कट लगने से पानी कम मिला।
1992-93	6.11	5.99 (बंदी के कारण)	—		
1993-94 खरीफ	2.51	2.38			
रबी	1.32	1.30			
	(20-1-94 तक)				

(सिंचाई मन्त्री)

अन्तर्राज्यीय स्तर पर पानी के बंटवारे हेतु भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट की तकनीकी समिति की बैठक प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में होती है।

बैठकों में गत माह के प्रत्येक 10 दिन में आये हिस्से से पानी प्राप्त पानी की स्थिति एवं अगले माह के प्रत्येक 10 दिन में उपलब्ध कराये जाने वाले पानी की मात्रा निर्धारित की जाती है।

भेरूदेह व जूट का नाका सिंचाई परियोजनाएं

231. श्री बद्री प्रसाद (माण्डलगढ़) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या माण्डलगढ़ क्षेत्र के भेरूदेह व जूट का नाका सिंचाई परियोजनाएं राज्य सरकार के पास स्वीकृति हेतु विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो इनकी क्रियान्विति हेतु सरकार क्या विचार कर रही है, व इनकी स्वीकृति कब तक हो जायेगी ?

उत्तर

जी नहीं।

इन्दिरा गांधी नहर के किनारों पर वृक्षारोपण

232. श्री माधव सिंह दीवान (सोजत): क्या इन्दिरा गांधी नहर मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 1991-92, 1992-93 व 1993-94 में नहर की सफाई खासकर जो मिट्टी उड़कर आयी उसे निकालने तथा जो बोड़ इसमें उग गई हैं, उन्हें हटाने पर कितनी राशि व्यय की गई ? वर्षवार व्यय का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जहां-जहां नहर के दोनों तरफ वृक्षारोपण हो गये हैं वहां नहर में सील्ट कम जमा होती है ? यदि हां, तो कौन-कौनसी ब्रांच व डिस्ट्रीब्यूट्री इत्यादि पर वृक्षारोपण का कार्य पूरा हो गया है ?

उत्तर

(1) इन्दिरा गांधी नहर विभाग के अधीन कार्य क्षेत्र में नहर की सफाई खासकर उड़कर आई हुई मिट्टी को निकालने तथा उगी हुई बोड़ निकालने में वर्ष 1991-92, 1992-93 एवं 1993-94 में क्रमशः 283.59, 260.32 एवं 214.37 लाख रुपये खर्च हुए।

(2) जी हां। वृक्षारोपण कार्य वन विभाग द्वारा किया जाता है। बीकानेर संभाग के अधीन निम्नलिखित नहरों पर वृक्षारोपण हो चुका है :-

1. कंवरसेन लिफ्ट नहर बुर्जी 227 से 303 तक।

2. अदूरी वितरिका 0 से 52 अन्तिम छोर तक।

3. मुगराला माईनर 0 से टैल अन्तिम छोर तक।

4. कुम्हारवाला माईनर 0 टैल अंतिम छोर तक।

5 रामड़ा माईनर 0 से 15 टैल

(इन्दिरा गांधी नहर मन्त्री)

6. मेकेरी सब-माइनर 0 से 12 टेल

7. दातौर वितरिका 52 से 83.300

8. दातौर माइनर 0 से 30

9. सामेवाली वितरिका बुर्जी 0 से 30

10. मुट्टोवाली वितरिका बुर्जी 0 से 20

11. कटक माइनर 0 से 20

12. मुट्टोवाली माइनर 0 से 6

13. रावल माइनर 0 से 6

14. अमरपुरा माइनर 0 से 02

15. छम्ब माइनर 0 से 8

16. सियासर माइनर 0 से 22

इन्दिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य

233. श्री रामेश्वर लाल भाटी (सुजानगढ़) एवं श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमू) : क्या इन्दिरा गांधी नहर मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) इन्दिरा गांधी नहर का कार्य प्रारम्भ के समय कितनी लागत में तथा कितने समय में पूरा करने का निश्चय किया गया था ?

(2) इस समय कितनी लम्बी मुख्य नहर बन चुकी है तथा प्रमुख क्षेत्रों में मुख्यतः कितना-कितना काम हुआ है ?

(3) उससे कितनी सिंचाई सुविधाएं प्राप्त हो चुकी हैं ?

(4) अब तक इन्दिरा गांधी नहर की मुख्य नहर वितरिकाओं एवं सी. ए. डी. व अन्य कार्यों पर कुल कितना व्यय हो चुका है ?

(5) अब नहर का काम कब तक पूर्ण करने का विचार है ?

उत्तर

(1) इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के वर्ष 1957 के तखमीने के अनुसार 61.48 करोड़ रुपये की लागत आंकी गई थी और वर्ष 1967-68 तक कार्य पूरा करने का कार्यक्रम था।

(2) व (3) मुख्य नहर की पूरी लम्बाई 649 किलोमीटर दिसम्बर, 1986 में पूरी हो गई थी। प्रथम चरण में 3120 किलोमीटर लम्बी वितरण प्रणाली पूरी कर 5 79 लाख हैक्टेयर सिंचाई क्षमता अर्जित करली गई है। द्वितीय चरण में कुल अनुमानित 5780 किलोमीटर वितरण प्रणाली में से 1732 किलोमीटर लम्बाई पूरी करली गई है तथा कुल अनुमानित 9.50 लाख हैक्टेयर सिंचाई क्षमता में से मार्च, 1993 तक 2.57 लाख हैक्टेयर सिंचाई क्षमता अर्जित करली गई है तथा मार्च, 1994 तक यह क्षमता बढ़कर 3 लाख हैक्टेयर हो जायेगी।

(4) जनवरी, 1994 तक परियोजना की मुख्य नहर तथा वितरण नहरों पर लगभग 1063 करोड़ रुपये व्यय हो चुके है। सी. ए. डी. कार्यों पर 639.77 करोड़ रुपये की धनराशि का व्यय हुआ है।

(5) नहर कार्यों को वर्ष 2005 में पूरा करने का कार्यक्रम है लेकिन यह वांछित धनराशि उपलब्ध होने पर सम्भव हो सकेगा।

मन्दिर गिरधारी जी, जयपुर की भूमि पर अतिक्रमण

234. श्री कुबेरसिंह (फलासिया) : क्या देवस्थान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि पूर्वीयान की बगीची खजाने वालों का रास्ता जयपुर एक प्रन्यास मन्दिर गिरधारी जी का पुराना ट्रस्ट बना हुआ है ? यदि हां, तो इस ट्रस्ट के अधीन कितनी भूमि थी एव वर्तमान में कितनी है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त भूमि में फूलमाली परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी से रहते रहे हैं ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त भूमि को प्रभावशाली व्यक्तियों की मिली भगत से वर्तमान में खुर्द-बुर्द कर बेच दिया गया है ? यदि हां, तो निर्धनतम परिवारों के बसाने की सरकार की क्या योजना है ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त गिरधारीपुरा कच्ची बस्ती मालियान की 2557 वर्ग गज भूमि के विक्रय पर देवस्थान विभाग जयपुर ने 21 अक्टूबर, 1988 को अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी कर दिया था ? यदि हां, तो दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(5) क्या यह सही है कि कुछ असामाजिक तत्व सांठ गांठ से बस्ती के लोगों पर अत्याचार कर बेदखली की कार्यवाही कर रहे हैं, यदि हां, तो देवस्थान विभाग ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है कि मन्दिर श्री गिरधारी जी पूर्वीयान खजाने वालों का रास्ता जयपुर राज. सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 के अन्तर्गत देवस्थान विभाग में पंजीकृत प्रन्यास है जिसका पंजीयन क्रमांक 472 दिनांक 13-4-76 है। पंजीयन के समय मन्दिर के चारों ओर स्थित खुली भूमि एवं कच्चे मकानात प्रन्यास की अचल सम्पदा होना बतायी गयी थी। मन्दिर भवन के अलावा इसके दक्षिण पश्चिम में स्थित 2557 वर्गगज भूमि थी जिसको वर्ष 1988 में विक्रय करने की स्वीकृति दी जा चुकी है वर्तमान में मन्दिर भवन के अलावा भूमि नहीं है।

(2) प्रन्यास के पंजीयन के समय बगीची में किरायेदार रहना बताया गया था।

(3) जी नहीं। यह स्वीकार नहीं है कि मन्दिर की भूमि को प्रभावशाली व्यक्तियों की मिली भगत से खुर्द-बुर्द कर बेची गयी है वस्तु स्थिति यह है कि प्रन्यासधारियों ने मन्दिर भवन के दक्षिण, पश्चिम दिशा में स्थित 2557 वर्ग गज भूमि विक्रय हेतु प्रन्यास अधिनियम की धारा 31 नियम 25 के अन्तर्गत प्रपत्र संख्या 9 भर कर प्रस्तुत किया जिस पर नियमानुसार कार्यवाही कर देवस्थान विभाग द्वारा भूमि विक्रय करने की स्वीकृति दी गयी थी। प्रन्यास के अभिलेख अनुसार बगीची की भूमि में किरायेदार निवास करते थे। प्रन्यास के किरायेदारों को अन्यत्र बसाने देवस्थान विभाग एव राज्य सरकार का कोई दायित्व नहीं है तथा न इस तरह की कोई योजना विचाराधीन है।

(देवस्थान मन्त्री)

(4) जी हां, यह सही है कि प्रन्यास की 2557 वर्गगज भूमि विक्रय करने की स्वीकृति सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग द्वारा दिनांक 21-10-88 को जारी की गयी परन्तु यह स्वीकृति प्रन्यास अधिनियम के अन्तर्गत गठित क्षेत्रीय सलाहकार समिति के प्रस्ताव अनुसार मन्दिर के हित में दी गयी थी।

(5) जी नहीं, प्रन्यास की भूमि जिसकी विक्रय की स्वीकृति प्रदान की गयी उसके वासिन्दों को असामाजिक तत्व द्वारा बेदखल करने की शिकायत देवस्थान विभाग में प्राप्त नहीं हुई है।

जिला चित्तौड़गढ़ के विद्यालय

235. श्री शान्तिलाल चोईवाल (राजसमंद) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) चित्तौड़गढ़ जिले में कहां-कहां कुल कितनी राजकीय माध्यमिक शालाएं संचालित है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्तांकित प्रत्येक शाला में कितने-कितने छात्र-छात्राएं हैं ? कक्षावार ब्यौरा तथा इनमें से कितने छात्र अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के हैं ? कक्षावार पृथक्-पृथक् विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) चित्तौड़गढ़ जिले में निम्नानुसार राजकीय माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं :-

छात्र विद्यालय	74
छात्रा विद्यालय	14

सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) उक्त शालाओं में कुल अध्ययनरत छात्र/छात्राओं की संख्या एवं इनमें से कक्षा वार अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्र/छात्राओं की संख्या का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(सूची एवं विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये।)

शादुल स्पोर्टस स्कूल, बीकानेर

236. श्री मोहनलाल बारूपाल (जायल) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य का एकमात्र स्पोर्टस स्कूल शादुल स्पोर्टस स्कूल बीकानेर में स्थित है ? यदि हां, तो क्या उक्त स्कूल का आज तक किसी भी शिक्षा मन्त्री द्वारा निरीक्षण नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या अब मन्त्रीजी द्वारा उक्त विद्यालय के निरीक्षण का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो, क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त स्कूल के प्रारम्भ से प्रति विद्यार्थी 10/- प्रतिदिन खुराक दी जा रही है जबकि वर्तमान में नियमानुसार खिलाड़ियों को प्रतिदिन 45/- रु. देय है ? यदि हां, तो क्यों ? अब सरकार बढ़ा हुआ खुराक भत्ता कब तक दिये जाने का विचार रखती है ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त विद्यालय में प्रति विद्यार्थी 1000/- प्रति

(श्री मोहनलाल बारूपाल)

वर्ष किट्स के दिये जा रहे हैं जबकि वर्तमान में महंगाई कई गुना बढ़ गई है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त किट्स भत्ता 1000/- से बढ़ाकर 5000/- करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त स्कूल के मैदान में ट्यूबवेल व स्वीमिंग पूल भी है यदि हां, तो क्या यह पूर्ण उपयोग में आ रहे हैं? यदि नहीं, तो क्यों? सरकार उन्हें कब तक ठीक करवा कर उपयोग के काबिल बनाने का विचार रखती है? यदि नहीं तो क्यों?

(5) क्या यह भी सही है कि उक्त विद्यालय भवन व छात्रावासों में आज तक पुताई व रंग रोगन नहीं किया गया है जिससे छात्रावासों के कमरों में गन्दगी तथा बाथरूम व शौचालय बन्द पड़े हैं? यदि हां, तो सरकार उक्त व्यवस्था कब तक करवाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(6) क्या यह भी सही है कि उक्त विद्यालय में छात्रावासों के बिजली फिटिंग भी काफी पुरानी है व गल चुकी है जिससे विद्यार्थियों को हर समय करंट का भय रहता है? यदि हां, तो उक्त फिटिंग कब तक दुरुस्त करवादी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

(7) क्या यह सही है कि उक्त विद्यालय में वर्तमान में प्रिन्सिपल के पद पर उप निदेशक स्तर का अधिकारी पद स्थापित है? यदि हां, तो क्या उक्त अधिकारी को टेक्नीकल ज्ञान न होने से विद्यालय में अध्ययनरत खिलाड़ियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पद पर प्रशिक्षित खिलाड़ियों के स्तर के अधिकारियों का पद स्थापना करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। स्पोर्टस स्कूल बीकानेर में स्थित है। इसका निरीक्षण शिक्षा मन्त्री द्वारा नहीं किया गया है। आगामी सत्र में निरीक्षण किया जायेगा।

(2) जी, हां। जी, नहीं। प्रतिदिन 45/- रु देय नहीं है। खुराक भत्ते में वृद्धि हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन है।

(3) जी, हां। किट्स की राशि बढ़ाये जाने के प्रस्ताव प्राप्त होने पर वित्तीय सीमा में स्वीकृति दिया जाना सम्भव हो सकेगा।

(4) ट्यूबवैल है। परन्तु स्वीमिंग पूल नहीं है। उसका क्षतिग्रस्त ढांचा है। जिसे उपयोग में लाने योग्य बनाया जाना सम्भव नहीं है। राज्य सरकार द्वारा विद्यालय में ट्यूबवैल के बोरिंग का कार्य पूरा करवाया गया है। पम्प स्टेशन एवं पानी स्टोरेज की व्यवस्था की जा रही है।

(5) जी, हां। बाथरूम व शौचालय मरम्मत हेतु राशि 25000/- वर्ष 1993-94 में स्वीकृत की जा चुकी है। मरम्मत का कार्य प्रगति पर है। छात्रावास भवनों में मरम्मत एवं पुताई हेतु 1994-95 के बजट में उपलब्ध राशि से व्यवस्था की जा सकेगी।

(शिक्षा मन्त्री)

(6) जी, हां। बिजली फिटिंग पुरानी है। क्षतिग्रस्त फिटिंग को ठीक कराने की कार्यवाही की जा रही है।

(7) जी, हां। विद्यालय में वर्तमान में उपनिदेशक स्तर का अधिकारी पद स्थापित है, विद्यालय में खेलकूद व शैक्षिक गतिविधियों के साथ-साथ होने से कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। प्रिंसीपल के पद पर पदस्थापन के सम्बन्ध में कोई परिवर्तन विचाराधीन नहीं है।

पंचायत समिति कोटड़ा एवं झाडोल के विद्यालय

237. श्री कुबेर सिंह (फलासिया) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) उदयपुर जिले की पंचायत समिति कोटड़ा एव झाडोल में कहां-कहां सीनियर हायर सैकण्डरी, सैकण्डरी, उच्च प्राथमिक एवं प्राथमिक विद्यालय है तथा प्रत्येक में अध्यापकों व अन्य किस-किस श्रेणी के पद स्वीकृत हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या स्वीकृत पदों के अनुसार अध्याक/कर्मचारी/अधिकारी नियुक्त है ? यदि नहीं तो कहां-कहां पर कौन-कौन से पद रिक्त है तथा इन रिक्त पदों को सरकार कब तक भरने का विचार रखती हैं ? रिक्त पदों का विवरण मय रिक्त रहने के कारणों सहित सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि इस क्षेत्र में नियुक्त अध्यापकों की प्रतिनियुक्ति सरकारी प्रतिबन्ध होने के बाद भी अन्य विद्यालय में कर रखी है ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार प्रतिनियुक्ति निरस्त करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों प्रतिनियुक्त किये गये अध्यापकों के नाम मय प्रतिनियुक्ति स्थान एवं कारणों के सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) उदयपुर जिले की पंचायत समिति, कोटडा एवं झाडोल के सीनियर सैकण्डरी, सैकण्डरी उच्च प्राथमिक एवं प्राथमिक विद्यालयों एवं स्वीकृत पदों का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। रिक्त पदों को मार्च, 94 तक के लिए निर्मित वरीयता सूची से भरा जा सकेगा।

(3) जी नहीं।

(4) प्रतिनियुक्तियां समाप्ति के आदेश दिये जा चुके हैं। पचायत समिति कोटडा एवं झाडोल के विद्यालयों से कोई अध्यापक प्रतिनियुक्त नहीं है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-10 देखें।)

पंचायत समिति जहाजपुर एवं कोटड़ी के विद्यालय

238. श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री रतनलाल ताम्बी)

(1) क्या यह भी सही है कि प्रदेश में सभी प्रकार के प्राथमिक से उच्च प्राथमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षा तक के विद्यालय स्वीकृत करने के मापदण्ड है ?

(2) क्या यह सही है कि मापदण्ड के अनुसार जहाजपुर तथा कोटड़ी पंचायत समिति में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलना शेष हैं ? यदि हां, तो कहां-कहां ?

(3) क्या उक्त पंचायत समितियों में मापदण्ड के अनुसार प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने शेष हैं उनको कब तक खोला जायेगा ? पूरी योजनानुसार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त पंचायत समितियों में स्थित प्राथमिक, उच्च प्राथमिक माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय के अन्तर्गत मापदण्ड के अनुसार अध्यापक कार्यरत है ? यदि नहीं, तो मापदण्ड के अनुसार विद्यालयों में अध्यापक कब तक लगा दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या सरकार कन्या शिक्षा को प्राथमिकता देती है ? यदि हां, तो जहाजपुर निर्वाचन क्षेत्र के जहाजपुर कस्बे में कन्या उच्च माध्यमिक तथा पारोली रोपा शक्करगढ़ से कन्या माध्यमिक विद्यालय कब तक खोलें जायेंगे ?

(6) क्या राज्य सरकार उच्च प्राथमिक विद्यालय के केन्द्र पर कन्या प्राथमिक तथा सैकण्ड्री स्कूल मुख्यालय पर कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। सभी विद्यालय मानदण्डों के अनुसार खोले जाते हैं।

(2) सत्र 94-95 में बजट उपलब्ध होने पर जहाजपुर तथा कोटड़ी पंचायत समिति के विद्यालयों के प्रस्ताव प्राप्त होने पर अन्य विद्यालयों के साथ उक्त पंचायत समितियों के विद्यालयों पर भी विचार किया जायेगा।

(3) 94-95 में बजट उपलब्ध होने, निर्धारित मापदण्डों की पूर्ति करने पर उक्त पंचायत समितियों के विद्यालयों पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जा सकेगा।

(4) जी नहीं। रिक्त पदों की पूर्ति यथाशीघ्र कर दी जायेगी।

(5) जी हां। बजट उपलब्ध होने पर जहाजपुर में कन्या उ. मा. विद्यालय एवं पारोली, रोपा तथा शक्करगढ़ में कन्या माध्यमिक विद्यालय, क्रमोन्नति हेतु प्रस्ताव प्राप्त होने पर अन्य विद्यालयों के साथ गुणावगुण के आधार पर विचार किया जा सकेगा।

(6) जी हां। आगामी वर्ष में बजट उपलब्ध होने की स्थिति में।

मेवात क्षेत्र के विद्यालय

239. श्री तैयब हुसैन (कामां) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री तैय्यब हुसैन)

(1) मेवात क्षेत्र में कितने मिडिल, एवं सैकेण्डरी, सीनियर सैकेण्डरी स्कूल ऐसे हैं जिनमें उर्दू अध्यापक उपलब्ध हैं ? यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है ?

(2) क्या सरकार इन विद्यालयों में उर्दू पढ़ाने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) मेवात क्षेत्र के 7 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में उर्दू अध्यापकों के पद स्वीकृत है।

(2) उक्त विद्यालयों में उर्दू पढ़ाने की व्यवस्था है।

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा पाठ्य पुस्तक मण्डल को प्रदाय ऋण

240. श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान वर्ष 1984 से माध्यमिक/उच्च माध्यमिक कक्षाओं की सभी पुस्तकों को लिखवाने, प्रकाशन व विक्रय का कार्य कर रहा है ? यदि हां, तो इस कार्य को राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल को कब व क्यों हस्तान्तरित किया गया ?

(2) पाठ्य पुस्तक के प्रकाशन और वितरण के सम्बन्ध में बोर्ड और पाठ्य पुस्तक मण्डल के बीच कोई अनुबन्ध हुआ है ? यदि हां, तो उसकी प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एक स्वायत्तशासी संस्थान है और सरकार बोर्ड को कोई अनुदान नहीं देती ? यदि हां, तो बोर्ड अपने आर्थिक कार्यों को किस तरह कर पायेगा ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पुस्तकों के प्रकाशन एवं विक्रय नहीं करने से जो बोर्ड को रायल्टी का नुकसान होगा उसकी पूर्ति कैसे होगी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि राष्ट्रपति शासन के दौरान राजस्थान पाठ्य पुस्तक मण्डल को प्रशासक के आदेश से कोई ऋण दिया गया है ? यदि हां, तो ऋण की राशि कितनी थी और इससे बोर्ड की आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा ? क्या इस राशि को पाठ्य पुस्तक मण्डल वापिस करने का विचार रखता है या नहीं।

उत्तर

(1) जी हां। इस कार्य को बोर्ड से राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल को हस्तान्तरित करने का निर्णय दिनांक 28-9-93 को किया गया। बोर्ड के प्रशासक एवं पाठ्य पुस्तक मण्डल के अधिशाषी परिषद के अध्यक्ष के बीच हुई सहमति तथा राज्य सरकार द्वारा पत्रांक 1(10) शिक्षा–1/93 दिनांक 4.11.93 से अनुमोदन होने के पश्चात् हस्तान्तरित करने की कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

(2) जी हां। प्रति संलग्न है।

(शिक्षा मन्त्री)

(3) जी हां। बोर्ड एक स्वायत्तशासी संस्था है। उसे सरकार से कोई अनुदान नहीं मिलता है। बोर्ड ने अपने आर्थिक कार्यों को करने के लिए सरकार से आयोजना मद से अनुदान हेतु निवेदन किया है।

(4) माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकों के प्रकाशन का कार्य तीन चरणों में राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल को हस्तानान्तरित किया जाता है :-

1. प्रथम चरण 1993-94 में कक्षा 9 व 10 की सभी पुस्तकें तथा कक्षा 11 व 12 की अनिवार्य विषयों की पुस्तकें (कुल 24 पुस्तकें)

2 द्वितीय चरण 1994-95 में प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित 120 पुस्तकें कक्षा 11 व 12 की तथा

3. तृतीय चरण 1995-96 में शेष सभी पुस्तकें मण्डल को दिया जाना है। बोर्ड के कथनानुसार उसे प्रथम चरण से 66 लाख रुपये, द्वितीय चरण में 73 लाख रुपये की क्षति होगी। इस क्षति पूर्ति के लिये बोर्ड ने राज्य सरकार को अनुदान हेतु निवेदन किया है जो विचाराधीन है।

(5) जी हां। बोर्ड और राजस्थान राज्य पाठ्य मण्डल के बीच हुए मेमोरेण्डम आफ अण्डर स्टेण्डिग के अनुसार बोर्ड द्वारा पाठ्य पुस्तक मण्डल को दिसम्बर, 1993 तक एक करोड़ रुपये का ऋण दिया जाना है। इसमें से बोर्ड द्वारा 70 लाख रुपये का ऋण दिया जा चुका है। इससे बोर्ड की आर्थिक स्थिति पर प्रभाव पड़ा है। मेमोरेण्डम आफ अण्डरस्टेण्डिंग के अनुसार यह राशि बोर्ड द्वारा मण्डल को ऋण के रूप में दी गई है और पाठ्य पुस्तक मण्डल द्वारा इस ऋण का भुगतान 10 वार्षिक किस्तों में किया जावेगा।

(प्रति विधानसभा पुस्तकालय में रखी गई।)

कृषि उपज मण्डी समिति, महुआ का यार्ड

241. श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : क्या कृषि राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या कृषि उपज मण्डी समिति महुआ में स्वीकृत यार्ड से भी अन्य स्थान पर यार्ड चलाने की शिकायत प्रशासक मण्डी समिति व अन्य अधिकारियों को मिली है? यदि हां, तो शिकायत पर क्या कार्यवाही की गई?

(2) क्या सरकार कृषि उपज मण्डी महुआ में निजी मण्डी यार्ड बनाने का विचार रखती है?

(3) क्या सरकार बिना स्वीकृति के यार्ड चलाने वाले व्यापारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हां। प्रशासक, कृषि उपज मण्डी समिति, महुआ रोड मण्डावर को अध्यक्ष व्यापार समिति अनाज मण्डी, भरतपुर रोड, महुआ द्वारा दिनांक 26.11.93 को कुछ व्यापारियों द्वारा बनाई गई निजी नई मण्डी में व्यापार स्थानान्तरण बाबत

(कृषि राज्य मन्त्री)

शिकायत प्राप्त हुई थी। मण्डी समिति ने दि. 8.12.93 को व्यापारियों को व्यापार निजी निर्मित नई मण्डी में स्थानान्तरण न करने हेतु पाबन्द किया है।

(2) महुआ में कृषि उपज मण्डी समिति का सबयार्ड निर्मित कराने का कोई प्रस्ताव वर्तमान में राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(3) इस सम्बन्ध में कार्यवाही विचाराधीन है।

राजकीय छात्रावास भवनों का निर्माण

242. **श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा):** क्या समाज कल्याण राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ज. जा. उप योजना क्षेत्र में राजकीय छात्रावासों के भवन निर्माण का कार्य विभिन्न मदों से कराया गया है ? यदि हां, तो कहां-कहां किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या आवंटित राशि का उपयोग हो गया है, यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(3) क्या भवन पूर्ण हो चुके हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या विभाग अधूरे भवनों को पूर्ण कराने का विचार रखता है ? यदि हां, तो कब तक एवं किस प्रकार से ?

उत्तर

(1) जनजाति उपयोजना क्षेत्र में छात्रावासों का निर्माण जन जाति क्षेत्रीय विकास विभाग के माध्यम से निम्नांकित मदों में कराया जा रहा है :-

1. केन्द्र प्रवर्तित योजना मद :-

इस योजना अन्तर्गत 10 कन्या छात्रावास एवं 2 बालक छात्रावास कुल 12 छात्रावास निर्माणाधीन हैं। सूची मय आवंटित राशि के संलग्न है।

2. अकाल राहत कार्य योजना मद :-

इस योजनान्तर्गत वर्ष 1985-87 में टी ए डी मद में समाज कल्याण विभाग के माध्यम से संचालित 53 छात्रावासों में से 28 छात्रावासों के भवन निर्माण कार्य कराये जाने की स्वीकृति दी गई थी। इनमें से 12 छात्रावास उदयपुर, 7 डूंगरपुर, 2 बांसवाड़ा, 2 सिरोही एवं 5 चित्तौड़गढ़ के राजकीय छात्रावास थे, जिनके भवन निर्मित कराये गये सूची संलग्न है।

(2) आवंटित राशि का उपयोग अभी तक जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों/सार्वजनिक निर्माण विभाग/जिला परिषदों द्वारा नहीं हो सका है। निर्माण कार्य प्रगति पर है, भवनों एवं राशि उपयोग की स्थिति निम्न प्रकार है :-

1. केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत स्वीकृत 12 छात्रावासों में से 2 छात्रावास भवनों का एक भाग पूर्ण कर लिया गया है। अन्य 10 छात्रावास भी सार्वजनिक निर्माण विभाग/आवास विकास

(समाज कल्याण राज्य मन्त्री)

संस्थान के। स्वीकृत राशि 215.57 लाख के विरुद्ध राशि रु. 74.97 लाख का व्यय हुआ है।

2– समाज कल्याण विभाग के छात्रावासों को पूर्ण कराने बाबत मद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275(1) में 26 छात्रावासों को पूर्ण कराने हेतु 103.26 लाख रुपये उपलब्ध करवाये गये हैं। निर्माण कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग/जिला परिषद के माध्यम से प्रगति पर है।

3– प्रतापगढ़ में अकाल राहत मद में 5 लाख छात्रावास पूर्ण करवा दिये गये हैं।

4– डूंगरपुर के 7 छात्रावास लगभग पूर्ण हैं।

(3) जी नहीं। कार्य प्रगति पर है शीघ्र पूर्ण कराने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(4) अधूरे भवनों को पूर्ण कराने के लिये जनजाति क्षेत्रिय विकास विभाग सतत् प्रयत्नशील है। पूर्ण आशा है कि वर्ष 1995-96 के अन्त तक ये निर्माण कार्य पूर्ण हो जायेंगे। इस हेतु भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत 46.88 लाख रुपये और उपलब्ध होने की सम्भावना है, जिससे इन कार्यों को पूरा कराने में कोई कठिनाई नहीं रहेगी। केन्द्र प्रवर्तित योजना के छात्रावासों को पूर्ण कराने के लिये राशि 107.62 लाख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275(1) में उपलब्धता के आधार पर प्रस्तावित किये गये हैं तथा राशि प्राप्त होने पर वर्ष 1995-96 तक पूर्ण कराये जा सकेंगे।

(सूचियों के लिए कृपया परिशिष्ट–11 देखें।)

कोटा क्षेत्र में मसूर की खेती

243. श्री भरत सिंह (खानपुर) : क्या कृषि राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि कोटा क्षेत्र में मसूर की खेती का रकबा घट रहा है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण रहे हैं ?

(2) यदि हां, तो इस फसल की घटती उपज व रकबे को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं तथा इन प्रयासों के क्या परिणाम रहे हैं ?

उत्तर

(1) जी हां, कोटा क्षेत्र में मसूर का क्षेत्रफल प्रति वर्ष घट रहा है। वर्ष 1990-91 में 2377 हैक्टर, वर्ष 1991-92 में 1460 हैक्टर और 1992-93 में 1021 हैक्टर है।

क्षेत्रफल घटने के निम्न कारण हैं :–

(i) मसूर की खेती साधारणतया असिंचित एवं कम उपजाऊ भूमियों में की जाती है जिससे प्रति हैक्टर उत्पादन कम होता है साथ ही प्रति हैक्टर उत्पादन लागत अधिक और लाभ कम मिलता है। ऐसे असिंचित क्षेत्रों में मसूर के स्थान पर सरसों की फसल का क्षेत्रफल प्रति वर्ष बढ़ रहा है, जो कि कृषकों के लिए आर्थिक रूप से अधिक लाभदायक है।

(कृषि राज्य मन्त्री)

(ii) कृषकों द्वारा काफी लम्बे वर्षों से लगातार एक ही खेत/क्षेत्र में मसूर की फसल ली जा रही है जिससे भूमिगत फफूंद एवं कीटों का प्रकोप बराबर होता है।

(iii) कृषकों द्वारा फसल चक्र नहीं अपनाया जा रहा जो कि फसल उत्पादन के लिए बिना लागत की महत्वपूर्ण सिफारिश है।

(iv) कृषकों द्वारा फसल उत्पादन के लिए उन्नत किस्मों का प्रमाणित बीज, उर्वरक एवं पौध संरक्षण रसायनों का कम मात्रा में उपयोग करना।

(v) मसूर की फसल में उखटा रोग लगता है उससे उत्पादन क्षमता काफी घट जाती है, "राज." में "उखटा" प्रतिरोधक किस्म उपलब्ध नहीं है।

(2) मसूर की फसल का क्षेत्रफल बढ़ाने एवं प्रति हैक्टर अधिक उत्पादन लेने के लिए विभाग द्वारा दी गई सिफारिशों एवं उन्नत तकनीकी विधियों को कृषक प्रचार-प्रसार, प्रदर्शन आयोजन आदि के माध्यम से कृषकों तक पहुंचाया जा रहा है। चालू वर्ष में अधिक उत्पादन देने वाली मसूर की किस्म एन. 4706 का प्रमाणित बीज कृषकों को उपलब्ध कराया गया है। साथ ही उन्नत किस्म के-75 का प्रजनक बीज 30 कि. ग्रा. प्राप्त कर आधार बीज का उत्पादन किया जा रहा है जिससे आगामी वर्षों में वितरण हेतु प्रमाणित बीज तैयार किया जा सकेगा। कृषकों को बीज/भूमि उपचार के लिए प्रसार कार्यकर्ताओं के माध्यम से जानकारी प्रदान की जा रही है जिससे भूमिगत फफूंद/कीट नियन्त्रण कर उत्पादन बढ़ाया जा सकें।

कृषि उपज मण्डियों द्वारा सड़क निर्माण के मानदण्ड

244. श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) : क्या कृषि राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) कृषि उपज मण्डियों के द्वारा सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में क्या मापदण्ड हैं ?

(2) जोधपुर जिले में कौन-कौनसी सड़कों का निर्माण एवं रख-रखाव कृषि मण्डियों द्वारा किया जाता है ?

(3) जोधपुर जिले में कौन-कौनसी कृषि मण्डियों ने कौन-कौन से सड़क निर्माण के प्रस्ताव भेजे हैं ?

उत्तर

(1) किसी भी मण्डी समिति को उपलब्ध संसाधनों में से प्रशासनिक व्यय निकालने के बाद उपलब्ध राशि में से लगभग 60 प्रतिशत मण्डी क्षेत्र को सम्पर्क सड़कों के निर्माण कर व्यय किया जाता है।

(2) जोधपुर जिले के मण्डी समितियों के ग्रामीण क्षेत्रों में गावों को जोड़ने के लिए सम्पर्क सड़कों का निर्माण मण्डी समितियों द्वारा किया जाता है। मण्डी समिति द्वारा बनाई गई सड़कों का ही रख-रखाव मण्डी समिति द्वारा किया जाता है।

(3) जोधपुर जिले के अन्तर्गत विभिन्न कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा निदेशालय

(कृषि राज्य मन्त्री)

को प्रेषित नवीन सम्पर्क सड़कों के प्रस्ताव की सूची मण्डीवार परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।.

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-12 देखें।)

पुरानी तथा क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत हेतु अभियान

245. श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : क्या कृषि राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि कृषि उपज मण्डी समितियों द्वारा 10 साल पुरानी तथा क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए विशेष अभियान प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया है तथा इस अभियान के तहत कृषि उपज मण्डी समितियों के सचिवों को निर्देश दिये गये हैं कि वे विशेष मरम्मत के प्रस्ताव, अनुमानित लागत सहित जनवरी, 1994 के अन्त तक कृषि विपणन निदेशालय अथवा विपणन बोर्ड को स्वीकृति हेतु भेजे ? यदि हां, तो क्या सभी कृषि उपज मण्डी समितियों के सचिवों से ऐसे प्रस्ताव प्राप्त हो गये हैं ?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त सम्पर्क सड़कों की मरम्मत की स्वीकृतियां 15 फरवरी, 1994 तक जारी करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था ? यदि हां, तो क्या ऐसी स्वीकृतियां जारी कर दी गई हैं?

(3) जिन-जिन कृषि उपज मंण्डी समितियों को सम्पर्क सड़कों की मरम्मत के लिए स्वीकृतियां जारी की गई हैं उनका विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां, लेकिन प्रस्ताव भेजने की तिथि निर्धारित नहीं की गई है। वर्ष 93-94 के दौरान अब तक 8 मण्डियों के प्रस्ताव कृषि विपणन निदेशालय में प्राप्त हुए हैं तथा 10 मण्डी समितियों के प्रस्ताव कृषि विपणन बोर्ड को प्राप्त हुए हैं।

(2) जी नहीं।

(3) जिन सम्पर्क सड़कों की विशेष मरम्मत की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति कृषि विपणन निदेशालय द्वारा जारी की गई है, वह परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। कृषि विपणन बोर्ड द्वारा अभी तक कोई स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट-13 देखें।)

जहाजपुर क्षेत्र के आंगनबाड़ी केन्द्र

246. श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : क्या महिला बाल विकास राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या जहाजपुर पंचायत समिति तथा कोटड़ी पंचायत समिति के विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में आंगनबाड़ी केन्द्र हैं? यदि हां, तो केन्द्रों का विवरण मय कर्मचारियों के सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा स्थापित केन्द्रों को भी स्थानान्तरित किया जा सकता है ? यदि हां, तो किन-किन केन्द्रों को किस आधार पर स्थानान्तरित किया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) केन्द्र स्थापित करने के बाद प्रत्येक केन्द्र पर कितनी-कितनी सामग्री तथा अन्य

(श्री रतनलाल ताम्बी)

व्यय किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार आंगनबाड़ी कर्मचारियों को वेतन आदि देने के लिए कोई मापदण्ड एवं नीति रखती है ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार 1991 की जनसंख्या तथा मजरे ढाणी अलग बसने के आधार पर केन्द्रों की संख्या बढ़ाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। पंचायत समिति, जहाजपुर तथा पंचायत समिति, कोटडी दोनों में आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित है। विधानसभा क्षेत्र, जहाजपुर के अन्तर्गत पंचायत समिति, जहाजपुर में 93 तथा पंचायत समिति, कोटडी के अन्तर्गत 35 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित है। इस प्रकार पंचायत समिति जहाजपुर तथा पंचायत समिति, कोटडी के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र जहाजपुर में 128 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं, इन आंगनबाड़ी केन्द्रों की सूची पंचायत समितिवार एवं आंगनबाड़ी केन्द्रवार संलग्न कर सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(2) जी हां। स्थापित आंगनबाड़ी केन्द्रों को स्थानीय आवश्यकतानुसार स्थानान्तरित किया जा सकता है। परियोजना कोटड़ी में विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के 35 संचालित केन्द्रों में से किसी भी केन्द्र को स्थानान्तरित नहीं किया गया है। परियोजना जहाजपुर के अन्तर्गत संचालित 93 केन्द्रों में से केवल एक केन्द्र को दिनांक 11-12-89 को ग्राम तालोदा से लाल का खेड़ा में स्थानान्तरित किया गया था। दिनांक 7-3-93 तक ये केन्द्र लाल का खेड़ा में संचालित रहा, इसके पश्चात् स्थानीय लोगों की मांग पर इसे पुनः ग्राम तालोदा में स्थानान्तरित कर दिया गया। वर्तमान में उक्त केन्द्र ग्राम तालोदा में ही संचालित हो रहा है।

(3) केन्द्र स्थापित करने के पश्चात् केन्द्रों पर केयर संस्था से निःशुल्क प्राप्त होने वाली खाद्य सामग्री की मात्रा तथा अन्य व्यय की सूची संलग्न है।

(4) आंगनबाड़ी कर्मचारियों को मानदेय देने के लिए मापदण्ड निर्धारित है, उसका विवरण निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	श्रेणी	मानदेय की नवीन दर दि. 2-10-92 से प्रभावी प्रति माह
	अ–आंगनबाड़ी कार्यकर्ता	
1.	नान मैट्रिक	350/–
2.	नान मैट्रिक 5 वर्ष अनुभव	375/–
3.	नान मैट्रिक 10 वर्ष अनुभव	400/–
4.	मैट्रिक	400/–
5.	मैट्रिक 5 वर्ष अनुभव	425/–
6.	मैट्रिक 10 वर्ष अनुभव	450/–
	ब-सहायिका	200/–

(5) 1991 की जनसंख्या के पूर्ण

(महिला बाल विकास राज्य मन्त्री)

आंकड़े अभी प्राप्त नहीं हुये। पूर्ण आंकड़े प्राप्त होने के पश्चात् नए केन्द्र खोलने के प्रस्ताव आगामी बजट निर्णायक समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे, क्योंकि यह योजना राजस्थान सरकार द्वारा संचालित है।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान-सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

कुशलगढ़ क्षेत्र की योजनाओं पर व्यय

247. श्री फतेहसिंह (कुशलगढ़) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) कुशलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत के माध्यम से वर्ष 1988-89 से अब तक किन-किन मदों से तथा किन-किन योजनाओं के माध्यम से कितने कार्य स्वीकृत हुए ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इन कार्यों पर कितनी धन राशि अब तक व्यय हुई ? कार्यभार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) इन कार्यों में से कितने कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा कितने अधूरे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि तीस जिले तीस काम योजना तथा निर्बन्ध योजना के तहत पिछले कार्यकाल में क्षेत्रीय विधायक द्वारा 10 लाख के कार्य का प्रस्ताव जिलाधीश को प्रेषित किया गया था ? प्रस्तावित कार्यों में से कितने कार्य पूर्ण हुए तथा कितने अधूरे पड़े हैं ?

(5) कुशलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में इस योजना के तहत प्रस्तावित कितने काम अधूरे पड़े हुए हैं तथा क्यों हैं ?

(6) कुशलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में इन योजनाओं के तहत प्रस्तावित कार्यों पर राशि का पूर्ण उपयोग हो चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) कुशलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में पंचायत समिति कुशलगढ़ एवं सज्जनगढ़ में वर्ष 1988-89 से अब तक विभिन्न योजनाओं यथा जवाहर-रोजगार योजना, जीवन धारा योजना, तीस जिले तीस काम, निर्बन्ध योजना एवं इन्दिरा आवास में कुल 1939 कार्य स्वीकृत किये गये हैं। कार्यवार सूची संलग्न है।

(2) विभिन्न योजनाओं के तहत करवाये गये कार्यों पर कुल 676.75 लाख रु. व्यय किये गये। व्यय राशि का कार्यभार विवरण संलग्न है।

(3) स्वीकृत कार्यों में से 1538 कार्य पूर्ण हो गये हैं, शेष में से 389 कार्य अपूर्ण हैं एवं 12 कार्य निरस्त किये गये हैं। सूची संलग्न है।

(4) पिछले कार्यकाल में क्षेत्रीय विधायक द्वारा प्रस्तावित 10 कार्यों में से कार्य तीस जिले तीस काम योजनान्तर्गत निर्माणाधीन है, जिसे मार्च 1994 तक पूर्ण कर लिया जायेगा शेष 9 कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं। सूची परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(5) कुशलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में

(विशिष्ट योजना संगठन मन्त्री)

अब तक कुल मिलाकर प्रस्तावित कार्यों में से तीस जिला तीस काम योजनान्तर्गत 2 कार्य तथा निर्बन्ध राशि योजनान्तर्गत 1 कार्य प्रगति पर है, जिन्हें मार्च, 94 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।

(6) कुशलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में इन योजनाओं के तहत प्रस्तावित कार्यों पर स्वीकृत राशि रुपये 39.38 लाख के विपरीत 37.11 लाख रुपये व्यय किये जा हैं शेष राशि निर्माणाधीन कार्यों पर व्यय की जायेगी।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

सामूहिक कृषि हेतु ट्यूब वेल्स

248. श्री दलीचन्द (दानपुर) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या आर. आई. डी. पी. द्वारा जीवन धारा के नलकूप की योजना सरकार द्वारा बन्द कर दी गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार उक्त योजना को परिवर्तित कर सामूहिक कृषि के कूप जहां-जहां ट्यूबवेल हेतु विद्युत उपलब्ध हैं वहां पर ट्यूबवेल लगवाकर कृषकों को लाभान्वित करने हेतु लागू कराने का विचार रखती हैं ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं, जीवनधारा योजनान्तर्गत नलकूप निर्माण का कोई प्रावधान नहीं है। अतः इस योजनान्तर्गत नलकूप की योजना बन्द करने का कोई प्रश्न नहीं है। जीवनधारा योजना के अन्तर्गत केवल नलकूप ही बनाए जाते हैं।

(2) नलकूप के निर्माण का प्रावधान नहीं होने के कारण सामूहिक कृषि के नलकूप लगाने की कोई योजना नहीं है।

पाली जिले की ग्रामीण रोजगार योजनायें

249. श्री माधवसिंह दीवान (सोजत): क्या विशिष्ट योजना संगठन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) पाली जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को कराने के लिये कौन-कौन सी योजना चलाई जा रही है ? वर्ष 1990-91, 91-92, 92-93, 93-94 में इन योजनाओं के तहत कुल कितनी राशि जिले के लिए स्वीकृत की गई तथा उपरोक्त वित्तीय वर्षों में कितनी राशि व्यय की गई ?

(2) उपरोक्त योजनाओं में हर पंचायत समिति को कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई तथा इस आवंटन के क्या मापदण्ड थे ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) पंचायत समिति सोजत, मारवाड़ जं. तथा रायपुर में उपरोक्त सभी योजनाओं के तहत कौन से कार्य स्वीकृत हुए ? निम्न प्रारूप में देने का कष्ट करें।

योजना का नाम

(श्री माधवसिंह दीवान)

ग्राम का नाम	मंजूर शुदा कार्य का नाम व विवरण	मंजूर शुदा कुल राशि
कुल खर्च की गई राशि	कार्य पूर्ण हो गया या अधूरा है उसका विवरण	क्या जेई एन. द्वारा ओ. के. कर दिया गया।

उत्तर

(1) पाली जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को कराने के लिए जवाहर रोजगार योजना एवं सुनिश्चित रोजगार योजना, विशिष्ट योजना संगठन द्वारा चलाई जा रही है। वर्ष 1990-91, 91-92, 92-93 एवं 1993-94 में जवाहर रोजगार योजना के तहत क्रमश: 585.17, 403.73, 626 37, 334.21 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई एवं क्रमश: 666.57, 682.72, 480.57, एवं 448.15 लाख रुपये की राशि व्यय की गई है। सुनिश्चित रोजगार योजना अक्टूबर, 93 से प्रारम्भ की गई है। इस योजना के तहत जिले को 312.50 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई एवं 34.64 लाख रुपये की राशि माह जनवरी, 94 तक व्यय की गई है। वर्तमान में कार्य प्रगति पर है।

(2) जवाहर रोजगार योजना में हर पंचायत समिति को जीवनधारा योजना, इन्दिरा आवास योजना के लक्ष्यों को मध्य नजर रखते हुए इकाई लागत के अनुसार स्वीकृत कार्यों पर लाभान्वितों को किश्तों में भुगतान के लिए दी जाती है। विवरण परिशिष्ट 'अ' पर प्रस्तुत है।

सुनिश्चित रोजगार योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा नवीनीकृत प्रवितरण प्रणाली के अन्तर्गत चयनित ब्लाक के लिए दो किश्तों में 30 लाख की राशि आवंटित की गई हैं। इसके अतिरिक्त कुल आवंटित राशि का 20% राज्यांश इन ब्लाकों को उपलब्ध कराया जाता है।

( ) पंचायत समिति सोजत, मारवाड़ जं. तथा रायपुर में उपरोक्त भी योजनाओं के स्वीकृत कार्य निर्धारित प्रारूप में परिशिष्ट 'ब' एवं परिशिष्ट स' पर संलग्न प्रस्तुत है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये।)

सामुदायिक विक्रय केन्द्रों की स्थापना

250. श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं) : क्या विशिष्ट योजना सगठन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में एक लाख की आबादी पर सामुदायिक विक्रय केन्द्र है ?

(2) क्या राज्य सरकार ग्रामीण विकास की दृष्टि में 50,000 की आबादी पर सामुदायिक केन्द्र खोलने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। वर्तमान में ग्रामीण

(विशिष्ट योजना संगठन मन्त्री)

क्षेत्र में एक लाख की आबादी पर सामुदायिक विक्रय केन्द्र की इस विभाग में कोई योजना प्रचलित नहीं है।

(2) जी नहीं। इस विभाग द्वारा ग्रामीण विकास की दृष्टि में ग्रामीण क्षेत्रों में 50,000 की आबादी पर सामुदायिक केन्द्र खोलने का कोई विचार नहीं है।

शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि

श्री किशनलाल शर्मा, पूर्व सदस्य, के निधन पर

श्री अध्यक्ष : शोकाभिव्यक्ति। माननीय मुख्य मन्त्री जी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, श्री किशनलाल जी शर्मा, जो राजस्थान विधान सभा और राज्य सभा के पूर्व सदस्य रहे हैं, उनका कल रात्रि को आकस्मिक निधन हो गया, उसका हम सबको दुःख है।

किशनलाल जी शर्मा इस विधान सभा के भी दो बार सदस्य रहे हैं। पिछले कई वर्षों से वे हृदय रोग से पीड़ित थे लेकिन पिछले दिनों उनका स्वास्थ्य ठीक चल रहा था। रात्रि को अचानक ही उनकी हृदय गति रूक जाने से उनकी मृत्यु हो गयी। श्री किशनलाल जी के निधन से उस क्षेत्र में एक बहुत बड़ी क्षति हुई है। वह बहुत ही मिलनसार थे, लोगों की समस्याओं का समाधान करने में तत्पर रहते थे और उनका एक व्यवहार कुशल व्यक्तित्व था। सदन के कई माननीय सदस्य उनके विनोदी स्वभाव को अच्छी तरह से जानते हैं। जब हाउस में रहते थे या हाउस के बाहर रहते थे तो उनका स्वभाव लोगों को अपने आप ही आकर्षित करने वाला था। वह व्यक्ति हमारे बीच से उठ कर चला गया इसका तो मुझे और मैं समझता हूं पूरे सदन को दुःख है। मैं सदन की ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके शोक-संतप्त परिवार को इस दारूण दुःख को सहन करने की शक्ति मिले इस दृष्टि से भगवान से प्रार्थना करता हूं।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री किशनलाल जी शर्मा इस विधान सभा के दो बार सदस्य रहे और एक बार राज्य सभा के भी सदस्य रहे। इन्होंने अपना शुरू का कैरियर सन् 1938 में कांग्रेस में आने के साथ प्रारम्भ किया और आप उदयपुर प्रजा मण्डल के वर्षों तक सदस्य रहे। आजादी की लड़ाई के अन्दर इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। ये जेल भी गये और उसके पश्चात् जब आजादी आई तो स्वर्गीय सुखाड़िया जी से कंधे से कंधा मिलाकर उदयपुर के अन्दर पिछड़े और आदिवासी लोगों की सेवा में लगे रहे। माननीय किशनलाल जी का विधान सभा के सदस्य के रूप में भी बहुत बड़ा योगदान रहा और राज्य सभा के पांच साल सदस्य भी रहे और इन्होंने कांग्रेस की रीति-नीति के लिहाज से उस पिछड़े क्षेत्र के अन्दर बहुत कुछ काम किया। इनके स्वर्गवास से उदयपुर ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान और खास तौर से कांग्रेस पार्टी को बहुत क्षति पहुंची है। मैं स्वर्गीय किशनलाल जी को जिनका कल रात्रि 2.30 बजे स्वर्गवास हो गया, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथ ही उनके परिवार को यह गहन दुःख झेलने के लिए भगवान

(श्री खेतसिंह राठौड़)

से प्रार्थना करता हूं। वे इस दुःख को झेलें। मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए भी ईश्वर से प्रार्थना करता हूं।

श्री फतेहसिंह (नेता, जनता दल) : अध्यक्ष महोदय, श्री किशनलाल जी शर्मा इस विधान सभा के सदस्य थे। सदस्य के नाते उन्होंने विधान सभा के अन्दर अपने क्षेत्र की, प्रान्त की समस्याओं को रखा होगा और कई तरह की सेवाएं भी दी होंगी। उनके निधन से इस प्रान्त में क्षति हुई है उसके लिए हमें दुःख है। मैं उनके निधन पर अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति दे और उनके शोक संतप्त परिवार को भगवान शांति प्रदान करे।

श्री अमरा राम (धोद) : श्री किशनलाल जी शर्मा, जो इस हाउस के भूतपूर्व मेम्बर थे उनके आकस्मिक निधन पर मैं मेरी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वह उनके शोक संतप्त परिवार को यह आकस्मिक दुःख झेलने की शक्ति प्रदान करे। मैं पुनः उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर सदन में माननीय सदन के नेता, प्रतिपक्ष के नेता अन्य दलों के नेताओं एवं सदस्यों ने पूर्व सदस्य श्री किशनलाल शर्मा के प्रति जो शोक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है और संवेदना प्रकट की है, उसमें मैं अपने आपको भारी दिल से शरीक करता हूं।

पूर्व विधायक एवं सांसद श्री किशनलाल शर्मा का जन्म 1912 में उदयपुर में हुआ। आपने विशारद की उपाधि प्राप्त की।

चतुर्थ राजस्थान विधानसभा (1967-72) के लिए आप नाथद्वारा निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में निर्वाचित हुए। इससे पूर्व आप दूसरी विधान सभा (1957-62) में भी नाथद्वारा से ही सदस्य रहे। विधान सभा के बाद आपने संसद में भी राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया। आप 1974 से 1980 तक राज्यसभा के सदस्य रहे। मुझे भी उनके साथ राज्यसभा में रहने का अवसर मिला।

आप लम्बे समय तक कांग्रेस से सम्बद्ध रहे। आपने 1938 में ही कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करली थी। आप वर्ष 1954 से 1957 तक उदयपुर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष रहे तथा 1959 से 1973 तक राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के महासचिव भी रहे। वर्ष 1968 में आप अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य बने।

आप गरीबों और पिछड़ों के उत्थान के लिए सतत् प्रयत्नशील रहे। विधानसभा संसद में आप पिछड़े वर्ग के हितों के साथ-साथ अपने क्षेत्र की समस्याओं के समाधान तथा विकास हेतु भी प्रयत्नशील रहे।

श्री किशनलाल शर्मा का निधन 2 मार्च, 1994 को रात्रि 2.30 बजे हो गया।

मैं दिवंगत श्री शर्मा को अपनी ओर से और इस सदन के समस्त माननीय सदस्यों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी

(श्री अध्यक्ष)

आत्मा को शांति प्रदान करे तथा उनके शोक-संतप्त परिवारजन को उनका विछोह सहन करने की शक्ति दे।

माननीय सदस्यगण कृपया कुछ क्षणों के लिए मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें एवं श्रद्धांजलि अर्पित करें।

(तदनन्तर सदन ने दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत व्यक्ति को श्रद्धांजलि अर्पित की।)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है :–

श्री भीमसेन चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला बीकानेर के मण्डी खाजूवाला में वर्ष 1980 से पूर्व आबाद हुए सैकड़ों हरिजन परिवारों को पुलिस के सहयोग से रीको द्वारा बेदखल किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में राज्य सरकार से निम्न आशय की जानकारी प्राप्त हुई है :–

श्री रामस्वरूप मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान में बेरोजगार आयुर्वेद चिकित्सकों की दशा सोचनीय होने तथा उन्हें नियुक्ति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

राज्य सरकार ने उत्तर में सूचित किया है कि यह सही है कि 27 जून, 1990 को विज्ञप्ति जारी कर आयुर्वेद चिकित्सकों के 216 रिक्त पदों पर स्थायी नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमन्त्रित किये गये थे तथा 19-1-91 से 13-9-91 तक 373 आशार्थियों को नियुक्तियां प्रदान की गयी थीं जबकि प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या 492 थी।

वर्तमान में 108 आयुर्वेद चिकित्सकों के पद रिक्त हैं इनमें से 100 पदों पर अस्थायी नियुक्ति दिये जाने हेतु कार्मिक विभाग ने सहमति प्रदान की है। तद्नुसार दिनांक 17-2-94 को इन पदों को आवश्यक अस्थायी आधार पर भरने के लिए विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है। आयुर्वेद चिकित्सक का पद राजस्थान लोक सेवा आयोग की परिधि का है। इस पद पर नियमित नियुक्ति आयोग द्वारा चयन के आधार पर ही की जाती है। प्रतीक्षा सूची नियमित चयन करते समय ही रखी जाती है, न कि अस्थायी नियुक्ति प्रदान करते समय। आयुर्वेद चिकित्सकों के पदों पर नियुक्ति हेतु 30-12-93 को कार्मिक विभाग ने 100 पदों के लिए स्वीकृति प्रदान की है। इसमें से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति तथा पिछड़े वर्ग के के अभ्यार्थियों के लिए क्रमशः 16, 12 तथा 21 पद आरक्षित हैं। इन पदों को पूर्णतया अस्थायी आधार पर भरने के लिए दिनांक 17-2-94 को अल्प अवधि विज्ञापन जारी किया गया है। वर्तमान में रिक्त

(श्री अध्यक्ष)

100 पदों पर पूर्णतया अस्थायी नियुक्ति प्रदान करते समय पूर्व में लम्बित आवेदन पत्रों पर भी नियमानुसार विचार किया जायेगा। अतः सभी के हितों का पूर्ण ध्यान रखा जा रहा है।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है, अतः मैं इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं

(1) श्री गोपीराम जाट, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर जिले के पुलिस थाना फुलेरा के अन्तर्गत भादवा निवासी स्वर्गीय राजेश की कथित हत्या की पुनः जांच करवा कर हत्यारों को सजा दिलवाये जाने के सम्बन्ध में।

(2) श्री सुन्दर लाल, सदस्य, विधान सभा कि ओर से विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में पेयजल की गम्भीर समस्या से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री मोहनलाल बारूपाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला नागौर के निर्वाचन क्षेत्र जायल के ग्राम झाडेली में 33 के. वी. जी. एस. एस. स्वीकृत होने के उपरांत भी चालू नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्री परसादीलाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से पंचायत समिति लालसोट के ग्राम मण्डावारी में मण्डावारी बगड़ी सड़क पर अतिक्रमण करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(5) श्री श्रवण कुमार, सदस्य, विधान सभा की ओर से झुन्झुनूं एवं पिलानी विधान सभा क्षेत्र की सड़कों की स्थिति दयनीय होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(6) श्री उदयलाल आंजना, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा एवं बड़ी सादड़ी का सर्वे कराकर अकालग्रस्त घोषित करने के सम्बन्ध में।

(7) श्री रामस्वरूप, सदस्य, विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के कस्बे टोडाभीम में 132 के. वी. का ट्रान्सफार्मर लगाने के सम्बन्ध में।

(8) श्री मांगीलाल मेघवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से बून्दी जिले की केशवराय पाटन एव बून्दी क्षेत्र में चम्बल सिंचित क्षेत्र में भूमि सुधार में हो रही कथित मनमानी एवं भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(9) श्री ओमप्रकाश शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से बून्दी नगर में पीने के पानी का अभाव होने तथा इसके निराकरण हेतु बनाई गई योजना की क्रियान्विति नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(10) श्री रामपाल उपाध्याय, सदस्य, विधान सभा की ओर से भीलवाड़ा जिले सहाड़ा व रायपुर तहसीलों में अकाल की भयंकर स्थिति उत्पन्न होने के सम्बन्ध में।

(11) श्री राकेश मेघवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से औद्योगिक क्षेत्र, बिदियाद में ट्रकों की तुलाई हेतु धर्मकांटा लगाये जाने के सम्बन्ध में।

(12) श्रीमती कमला, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य में सोनोग्राफी के जरिये ज्ञात बालिका भ्रूणों की, की जा रही हत्याओं को बन्द करवाने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा प्रस्तुत सूचना को बढ़ने की अनुमति होगी।

अनुपस्थिति के लिए अनुमति

श्री हरिदेव जोशी, सदस्य, विधान सभा को 23 फरवरी, 1994 से सत्रान्त तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि श्री हरिदेव जोशी, सदस्य, विधान सभा ने अस्वस्थता के कारण दिनांक 23 फरवरी, 1994 से सत्रान्त तक विधान सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है। क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गयी।

मैं आप सब की ओर से यह कामना करता हूं, श्री जोशी जी हमारे वयोवृद्ध नेता हैं, कि वह शीघ्र ही स्वस्थ हों और अतिशीघ्र हमारे बीच में आएं और मैं समझता हूं कि हम सब इस कामना में शरीक होंगे।

श्री जुबेर खान।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना) : अध्यक्ष महोदय, मैंने 295 के....

श्री अध्यक्ष : आ जाएगा। आ जाएगा आपका।

श्री मोहनलाल मोदी : आया नहीं, इसमें पुकारा नहीं है आपने, इसमें नाम नहीं लिया।

श्री अध्यक्ष : आज नहीं है, आप पहले बोल चुके हैं न। रिपीट कर देंगे।

श्री मोहनलाल मोदी : इसमें आया नहीं। इसमें आपने कहा ही नहीं है कि मेरा भी 295 के तहत वह है।

श्री अध्यक्ष : वह सब लम्बित पड़े हैं, हो जायेंगे वह, वह सब आ जायेंगे। अभी जो नये सदस्य पहले देते हैं उनका। देखिये, अब जैसे कमलाजी का रिपीट हुआ है, ऐसे आपका भी रिपीट हो जायेगा कल। श्री जुबेर खान।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : वह आयुर्वेद चिकित्सकों का मामला था, मैंने रखा था....

श्री अध्यक्ष : एक मिनट, वह बोल रहे हैं। आप उसमें क्या कहना चाहते हैं ?

श्री रामस्वरूप मीणा : मैं कहना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : क्या ?

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह आयुर्वेद चिकित्सक

(श्री रामस्वरूप मीणा)

जिनकी पहले भी मेरिट लिस्ट बन चुकी थी और जो मेरिट लिस्ट पहले बनी थी उसके आधार पर पहले जो पद निकाले थे उनको इसके द्वारा नहीं भरा गया था। अब पुन: विज्ञप्ति जारी कर दी है, जैसे आपने उत्तर में बताया है। बड़े दु:ख की बात है, यह आयुर्वेद चिकित्सक जो ट्रेनिंग करके या पढ़ाई करके, लाखों रुपये खर्च करके बैठे हुए हैं और सरकार ने पहले इनकी मेरिट लिस्ट बना दी थी और कहा गया था कि आपको इसी के आधार पर सर्विस में लिया जायेगा। लेकिन उसके भी माननीय आयुर्वेद मन्त्रीजी द्वारा पुन: यह लिस्ट निकाली जा रही है। मेरा निवेदन है, अध्यक्ष महोदय, जितने भी आयुर्वेद चिकित्सक पिछली लिस्ट में हैं उनके आधार पर यह मेरिट बनाई जाय, तो आने वाली जो यह मेरिट बन रही है इसमें भी उन्हीं लोगों को पहले लिया जाय क्योंकि वह पहले मेरिट में हैं।

श्री अध्यक्ष : इसमें सरकार ने यह तय किया है कि पुरानी लिस्ट और नयी लिस्ट दोनों पर विचार करेंगे। आप क्या चाहते हैं कि पुरानी लिस्ट का मेरिट पुराने हिसाब से रहे ...

श्री रामस्वरूप मीणा : हां, मेरा यह निवेदन है...

श्री अध्यक्ष : क्या ?

श्री रामस्वरूप मीणा : पुरानी लिस्ट का जो मेरिट है उसी के हिसाब से इसमें लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : और नई लिस्ट का अलग से रहे।

श्री रामस्वरूप मीणा : नई लिस्ट का अलग से किया जाये ताकि इन लोगों के साथ न्याय हो सके, वह बाहर धरने पर बैठे हैं और उनको सैकड़ों दिन हो गये धरने पर बैठे हुए।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, बिराजिये। श्री जुबेर खान।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : मैं आपकी अनुमति से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि 1993 मे 10 अक्टूबर को आर.ए.एस. के लिए प्रिलिमिनरी की जो परीक्षाएं हुई थीं उनका 4 फरवरी, 1994 को रिजल्ट निकाल दिया गया और इसमें आर.पी.एस.सी. ने पहली बार यह निर्णय किया कि यू. पी. एस. सी. में जो कोटा सिस्टम, एक पैटर्न एडाप्ट किया गया है उसी के आधार पर परीक्षाएं ली जायेंगी और रिजल्ट निकाले जायेंगे। अब अध्यक्ष महोदय, आपकी भी जानकारी में आया होगा कि संघर्ष समिति कुछ छात्रों द्वारा बना ली गई, जो इसमें पास नहीं हो पाये। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि एक आटोनोमस इन्स्टीट्यूट होने के नाते आर.पी.एस.सी., अगर फेल्योर स्टूडेंट्स इस तरह से संघर्ष समिति बनाकर ऐसी प्रतिष्ठित संस्था, आर.पी.एस.सी जैसी के परिणामों को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे, राजनीतिक आधार पर, तो यह प्रदेश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि आर.पी. एस.सी. ने जो पैटर्न इस बार एडाप्ट किया है इस पैटर्न के आधार पर आगे मेन परी-

(श्री जुबेर खान)

क्षाएं ली जायें, उत्तीर्ण छात्रों को ही बैठने दिया जाये और अगर सरकार यह समझती है कि यह पद्धति ठीक नहीं चल रही है तो अगले वर्ष से इसको हटा कर दूसरी पद्धति लागू की जाये। बीच में किसी पद्धति को तोड़ना और इंटरफियरेंस करना सरकार का कोई उचित कार्य नहीं है और इससे गलत परम्परा हमारे प्रदेश में पड़ेगी। यह बात मैं सरकार को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री गोपीराम जाट, 295।

नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख

भादवा निवासी राजेश की कथित हत्या की जांच

श्री गोपीराम जाट (आमेर) : अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत स्वर्गीय राजेश हत्या काण्ड की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

जयपुर जिले के पुलिस थाना फुलेरा अन्तर्गत राजेश पुत्र पूराराम जाट निवासी भादवा की लाश एक प्याऊ में पड़ी मिली। इस प्रकरण का मैं ध्यान आकर्षित कर अनुरोध करना चाहूंगा कि स्व. राजेश पुत्र पूराराम जाट भादवा (थाना रेनवाल) से चौमूं किसी कार्य हेतु गया था। यह भी ज्ञात हुआ कि वह चौमूं से जयपुर एवं फिर जयपुर से सांभर होते हुए अपने घर जा रहा था। रात्रि का समय हो चुका था एवं कोई साधन न मिलने के कारण पैदल ही अपने गांव हेतु रवाना हो गया। जब स्व. राजेश को ज्यादा सर्दी लगने लगी तो ग्राम ह्योत एवं सिनोदिया के बीच उसने कुछ पुले जला लिये ताकि कुछ देर रूक कर ताप लिया जाये। इसी कार्य ने राजेश की जान ले ली। पुलों की लपटें देख कर पास ही कुमावतों की ढाणी के ग्रामीण एकत्रित हो गये एवं स्व. राजेश के साथ बुरी तरह मारपीट की। यह घटना दि. 25.12.93 की रात्रि की है।

कुछ समय पश्चात् ही एक ट्रेक्टर पर सवार श्री राधेश्याम पुत्र भींवा जाट, मोहन पुत्र सवाई गुर्जर एवं छीतर पुत्र नन्दा जाट निवासी मणियानी, को सांभर के चन्दाराम, कोलूराम, प्रहलाद कुम्हार ने रुकवाया और कहा

(12.17)

(श्री रमाकान्त शर्मा, सभापति, पदासीन)

कि यह भादवा ग्राम का जाट है और काफी शराब पी रखी है। अतः इसे ट्रेक्टर से ले जाओ। ट्रेक्टर सवारों ने राजेश को देखा, उसका मुंह सूंघा तो न तो शराब की बदबू थी, न ही सांस चल रही थी। इस पर उन्होंने ले जाने से मना कर दिया। इस प्रकार इससे यह स्पष्ट होता है कि मृत्यु कारण मारपीट रही थी।

दिनांक 27.12.93 को सिनोदिया ग्राम के पास एक प्याऊ में लाश पड़ी थी एवं राहगीर प्योकरण गुर्जर एवं इसके पुत्र ने लाश को सर्वप्रथम देखा एवं इसकी प्रथम सूचना उसी समय खतवाड़ी ग्राम पंचायत के तत्कालीन सरपंच श्री खेमाराम को दी। खेमाराम ट्रेक्टर लेकर स्व. राजेश के घर ग्राम भादवा गया एवं इनके परिवारजनों श्री बाबू पुत्र भूरा एवं भंवर पुत्र काना

(64)

(श्री गोपीराम जाट)

को लेकर वापस आया तो परिवारजन ने लाश को पहचान लिया। उसने कहा कि मैं थाने में रिपोर्ट करा रहा हूं एवं लाश घर पहुंचा दूंगा।

दिनांक 28.12.93 के प्रातः तक जब खेमाराम लाश लेकर नहीं पहुंचे तो परिवारजन लाश लेने प्याऊ पर गये एवं वहां से पता कर थाने गये। इतने समय में श्री खेमाराम सरपंच लाश लावारिस बताते हुए हुए लाश का पोस्टमार्टम करा चुके थे। परिवारजन ने लाश लाकर इनका दाह संस्कार कर दिया।

इस पूरे प्रकरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि अगर राजेश की मृत्यु स्वाभाविक हुई थी तो उसकी लाश कुमावतों की ढाणी से प्याऊ तक कैसे पहुंची और जब खेमाराम को परिवारजन का भली-भांति पता था तो लाश को लावारिस क्यों बताया गया। लाश का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से नहीं करवाया गया, न ही मृतक की विसरा जांच करवायी गयी। चूंकि श्री खेमाराम की राजनैतिक पहुच थी जिसका उसने फायदा उठाया एवं इस हत्याकाण्ड को स्वाभाविक मृत्यु में बदलवा दिया।

क्या सरकार इस केस की पुनः जांच करवा कर हत्यारों को सजा दिलवाने की कार्यवाही करेगी ?

श्री सभापति : माननीय श्री सुन्दर लाल।

सूरजगढ़ में गम्भीर पेयजल समस्या

श्री सुन्दरलाल (सूरजगढ़) : सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत नीचे लिखे अनुसार विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में पीने के पानी की समस्या के महत्वपूर्ण विषय की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

सूरजगढ़ विधान सभा क्षेत्र के करीब-करीब सभी गांव पीने के पानी की समस्या से पीड़ित हैं। टकियां बनी हैं उनको चालू नहीं किया गया है। हैण्ड पम्प खराब हैं, दुरुस्ती के काबिल नहीं रहे हैं। रीजनल स्कीम सोहली-निहालपुरा-कलोठड़ा में कतई पानी नहीं मिल रहा है, पाइप लाइनें टूट चुकी हैं। कोई मरम्मत नहीं की गयी। कर्मचारियों की लापरवाही से टंकियां जो भी हैं उनको भरा नहीं जा रहा है। इसी प्रकार बुहाना से पालोता स्कीम अधूरी पड़ी है, पाइप लाइन से नहीं जोड़ा गया है। ठोठवाल ग्राम को भी पाइन लाइन से नहीं जोड़ा गया है। इसके अतिरिक्त अनेक गांव ऐसे हैं जहां पानी की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। माही पुरानी, काजलारावास, चनानिया का बास, काखनी का बास में कोई सुविधा नहीं है तथा कई गांवों को तो पड़ौसी हरियाणा के गांवों से पानी लाकर पीना पड़ता है। काफी प्रयत्न के बाद भी सरकार की तरफ से इस कष्ट के निवारण हेतु कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। आगे गर्मी का मौसम आने वाला है, समस्या और भी गम्भीर होगी और यदि कोई कदम नहीं उठाये जाते हैं तो प्यास के कारण पशुओं की मौत भी हो सकती है।

श्री सभापति : श्री मोहन लाल बारूपाल।

झाडेली ग्राम, जायल में 33 के.वी. लाइन की स्वीकृति

श्री मोहनलाल बारूपाल (जायल) : निर्वाचन क्षेत्र जायल, जिला नागौर के ग्राम झाडेली में 33 के.वी का जी. एस. एस. स्वीकृत हुए तीन-चार वर्ष हो गये हैं तथा खम्भे भी लग गये हैं मगर अभी तक लाइन नहीं खींची गयी है, जिस वजह से आस-पास के गांवों में बिजली नहीं मिलने से गर्मी में पेयजल की भयंकर समस्या उत्पन्न हो जायेगी। अतः राज्य सरकार उक्त लाइन खिचवाने की तरफ ध्यान दें, जिससे जनता को राहत मिल सके। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि....

श्री सभापति : नहीं, व्याख्या की जरूरत नहीं है, बिराजिये। माननीय श्री परसादीलाल जी।

श्री मोहनलाल बारूपाल : एक मिनट बोलूंगा साहब।

श्री सभापति : इसमें जो लिखा है वह पढ़ने की अनुमति है।

श्री मोहनलाल बारूपाल : मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, एक बात तो सरकार कह रही है कि गांव-गांव में बिजली लगाओ और फिर वह काम तो हमारा चार सालों से होता नहीं है, मैं आपको उस विषय में एक छोटी सी कविता सुना देता हूं।

श्री सभापति : सुना दो।

श्री मोहनलाल बारूपाल : सभापति महोदय, एक जेठ और बहू रहती थी, यह पुराने जमाने की बात है। आप तो कहते हो भेड़ और हम कहते है ललडियां। जेठ के पास एक भेड़ थी। कोई पावणा-वगैरह आता तो कहता बीनणी खीर रांद देना। तो एक तो ललड़ी का पाव भर दूध होता, बिसूं बीनणी कांय की खीर रांदे। दोपहर आतो तो जाते हुए कहा कि बीनणी इसके लाणी दे देना ताकि ब्याई जी कम्बल बना लेंगे, तो क्या कम्बल बनावें। कोई दूसरी औरत मिली और आकर कहा, भाभी जी क्या हुआ ? तो उसने कहा, "एक तो ललड़ी और जिसमें जेठ जी का सीर, और नित वै रंदावे खीर और आया-गया ने दिलावे लाणी, खाता खाक और, सभापति जी, पीता पाणी"। ऐसा हो रहा है।

श्री सभापति : श्री परसादीलाल।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : अध्यक्ष महोदय, मेरा तो 50 में स्थगन प्रस्ताव था, 295 का नहीं था।

श्री सभापति : इसमें आपका लालसोट के गांव .. मण्डाचारी में....

श्री परसादीलाल मीणा : हां, यह 50 में था।

श्री सभापति : ठीक है, कोई बात नहीं। माननीय श्री श्रवण कुमार जी।

श्री परसादीलाल मीणा : यह स्थगन प्रस्ताव माना जाए। इसको 50 में दिया है।

श्री सभापति : नहीं-नहीं, यह 295 है। मेरे पास लिस्ट गलत हो गयी होगी।

श्री परसादीलाल मीणा : सभापति महोदय, मैं आपसे व्यवस्था चाहूंगा कि 50 का नोटिस है वह ...

श्री सभापति : इस समय मैं 295 में ले रहा हूं, इसलिए 295 में आपका नाम था, आप नहीं बोलना चाहे, कोई बात नहीं।

श्री परसादीलाल मीणा : नहीं, बोलूंगा क्या ? मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया है, उसका ?

श्री सभापति : इसका स्थगन ..

श्री परसादीलाल मीणा : स्थगन प्रस्ताव में आप मुझे अनुमति दें तो मैं बोलूंगा।

श्री सभापति : जब मैं स्थगन प्रस्ताव की बात करूं, तब मैं आपसे बात कर लूंगा। अभी मैं सिर्फ 295 ले रहा हूं।

श्री परसादीलाल मीणा : नहीं, फिर यह मेरा स्थगन प्रस्ताव माना जायेगा कि नहीं, जो कल मैंने दिया है ?

श्री सभापति : माना जायेगा कि नहीं माना जायेगा, मैं निवेदन यह कर रहा हूं....

श्री परसादीलाल मीणा : नहीं, मैंने दिया है, तो माना जायेगा कि नहीं ?

श्री सभापति : हां, माना जायेगा। माना जायेगा। कल ले लिया जायेगा।

श्री परसादीलाल मीणा : हां, यह कहो फिर।

श्री सभापति : माननीय श्री श्रवण कुमार। माननीय श्री श्रवण कुमार। (अनुपस्थित)। श्री उदयलाल आंजना।

निम्बाहेड़ा एवं बड़ी सादड़ी को अकाल ग्रस्त घोषित करना

श्री उदयलाल आंजना (निम्बाहेड़ा) : माननीय सभापति महोदय, नियम 295 के तहत विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा को अकालग्रस्त घोषित करने के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं।

मेरे विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा, छोटी सादड़ी को अकालग्रस्त घोषित नहीं किया गया है, जबकि वहां बरसात नहीं के बराबर हुई है, लेकिन गिरदावरी के समय फसल ठीक दिख रही थी किन्तु अन्तिम बरसात नहीं होने से खड़ी फसल नष्ट हो गयी और पूरे क्षेत्र के काश्तकारों की मेहनत एवं खाद-बीज बेकार गया, जिससे दोहरी मार काश्तकारों और मजदूर वर्ग पर पड़ी है। क्षेत्र के काश्तकारों और मजदूरों के सामने आज रोजी-रोटी की समस्या पैदा हो गई। कोई काम धन्धा नहीं होने से भारी असन्तोष व्याप्त है। आदिवासी क्षेत्र में जीवन-यापन हेतु जंगल काटे जा रहे हैं। इस सम्बन्ध में मुख्य मन्त्री महोदय को पत्र भी लिखा था, कार्यवाही करने का आश्वासन भी मिला, परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

अतः पुनः निवेदन है कि इस क्षेत्र का सर्वे कराकर अकालग्रस्त घोषित किया जावे, ताकि रोजगार के अभाव में काश्तकारों, मजदूरों और आदिवासियों में असन्तोष नहीं फैले, रोजी-रोटी के लिए पलायन नहीं करना पड़े। आशा है कि सरकार इस ओर तुरन्त ध्यान देकर इस क्षेत्र को अकालग्रस्त घोषित कर अकाल राहत कार्य प्रारम्भ करेगी।

श्री सभापति : श्री रामस्वरूप मीणा।

'टोडाभीम में 132 के.वी. का ट्रान्सफार्मर लगाने की स्वीकृति

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : माननीय सभापति महोदय, जिला सवाई माधोपुर में बिजली की हालत बहुत खराब हो चुकी है, किसानों की फसल पकने का टाइम आ गया है और इसी के साथ-साथ मेरे विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में भी बिजली का वोल्टेज रात्रि को....

श्री सभापति : कृपया पढ़ आप।

श्री रामस्वरूप मीणा : हां मैं वही पढ़ने जा रहा हूं।

श्री सभापति : हां, तो कागज सामने लेकर पढ़िये आप।

श्री रामस्वरूप मीणा : भूमिका तो बना रहा हूं सुनिये, उसके लिये....

श्री सभापति : नहीं-नहीं भूमिका की आवश्यकता नहीं होती 295 में।

श्री रामस्वरूप मीणा : मन्त्री महोदय इस बात को समझेंगे तभी....

श्री सभापति : समय नहीं जाया करें, कृपया पढ़िये आप।

श्री रामस्वरूप मीणा : सभापति महोदय बहुत ही गम्भीर विषय है, इसलिए मैंने कहा, इसमें किसानों के जीवन-मरण का सवाल है। मेरा निवेदन विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के कस्बे टोडाभीम में 132 के. वी. का ट्रान्सफार्मर लगाने के बारे में है। ग्रामीणों की बिजली की समस्या को देखते हुए वहां पर 132 के. वी. का ट्रांसफार्मर जो सरकार में विचाराधीन है, उस का पूर्व में भी प्रस्ताव आया था, उसे सरकार ने आज तक विचार में नहीं लिया और समस्त किसान इस क्षेत्र में बोरिंग के द्वारा सिंचाई करते हैं। ये बोरिंग बिजली के द्वारा चलती है। इस क्षेत्र में इन्जन पानी नहीं उठाता, किसानों का जीवन एक मात्र बिजली पर ही आधारित है। इस क्षेत्र में एक से ज्यादा कनेक्शन कृषि के हैं। पर रात्रि को जो बिजली आती है, इसमें भी पूर्ण वोल्टेज नहीं मिल पाते हैं। ज्यादातर झटके आते रहते हैं। इसलिए यहां पर पूर्व से 132 के. वी. के ट्रान्सफार्मर का प्रस्ताव सरकार में विचाराधीन है, भेदभाव के कारण उसे मंजूर नहीं किया गया है, इसे हटवाया जावें, ताकि किसानों की इस समस्या का हल हो सके। इस टोडाभीम क्षेत्र को बिजली की समस्या के बारे में सरकार क्या कदम उठा रही हैं ? कब तक ट्रान्सफार्मर लगवा रही है ? जानकारी सदन के समक्ष रखें एवं नये कनेक्शनों के लिए भी कार्यवाही करावें। किसानों के लिए जो लागत नये लट्ठों की रखी है वह ज्यादा है, उसे कम करें, जो मीटर लगवाने चाहते हैं, उनको मीटर की व्यवस्था करावें।

श्री सभापति : श्री मांगीलाल मेघवाल।

केशवराय पाटन एवं बून्दी क्षेत्र में चम्बल सिंचित क्षेत्र में भूमि सुधार में मनमानी

श्री मांगीलाल मेघवाल : (केशवराय पाटन) : सभापति महोदय, बून्दी जिले की केशवराय पाटन एवं बून्दी क्षेत्र में चम्बल

(68)

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

सिंचित क्षेत्र में, भूमि सुधार (केचमेण्ट) में हो रही मनमानी एवं भ्रष्टचार बाबत मेरा विशेष उल्लेख का प्रस्ताव है।

हमारे बून्दी जिले की उक्त दोनों तहसीलों के सिंचित क्षेत्र में भूमि सुधार (केचमेण्ट) कार्य क्षेत्रों में वर्षों पूर्व के मनमाने ऋणों, सुधार कार्यों में भारी अनियमितताओं एवं पुनः खेत सम्भलाने में पैसे लेकर की जा रही मनमानी से हजारों कृषकों के सामने भयंकर संकट उत्पन्न हो रहा है, जैसे—

(1) पुराने ऋणों के कारण भविष्य में किसानों को बैंकों की ऋण सुविधा से वंचित रहना पड़ता है, जिससे किसानों के सामने भारी आर्थिक संकट हो गया है।

(2) भूमि सुधार कार्यक्रम में कटौती भूमि एवं सिवाय चक भूमियों पर अमीनों द्वारा पैसा लेकर नियम विरुद्ध सरकारी जमीनों पर नाजायज कब्जे करवाये जा रहे है और सरकार को अपने स्वार्थ एवं लोभ से हानि पहुंचाई जा रही है।

(3) भ्रष्टाचार से एक किसान की भूमि दूसरे किसान को, कम एवं कई किसानों को तो एक इंच जमीन भी नहीं दी गई। अब अनेक कृषक अदालतों, कोटा सम्भागीय आयुक्त महोदय एवं विभिन्न अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं।

(4) भूमि सुधार में घटिया स्तर का कार्य करने से खेतों को पानी पहुंचता ही नहीं एवं कहीं कही तो धोरे, ड्रेन्स एवं रास्ते उल्टे बनाये गये हैं, जिससे कृषक वर्ग में भारी असन्तोष एवं आपसी झगड़ों की नौबत तक आ रही है।

यह सारी अव्यवस्थाएं इस कार्यक्रम में सभी एजेन्सियों के अलग-अलग होने से हो रही है जैसे—सर्वे करने वाले अलग-अलग मशीनों द्वारा भूमि समतल करना, धोरे, नहर, ड्रेन, रास्ता बनाने वाले अलग-अलग खेतों के प्लाट काटने वाला अलग एव कृषकों को पुनः खेत सम्भलाने वाले अलग हैं। इसमें एक-दूसरे पर दोषारोपण कर किसनों को परेशान किया जा रहा है। अतः मेरी मांग है कि सरकार जनहित में निम्न आदेश तुरन्त देकर राहत दिलावे।

(1) इसी वित्तीय वर्ष 1994-95 में केचमेण्ट में कर्जे माफ करने की घोषणा करें। दुःख की बात है कि 25 बीघा वाला कृषक 25 हजार के कर्जे के कारण ऋण नहीं ले सकता, जबकि 25 हजार रुपया तो मात्र एक बीघा जमीन की ही कीमत है। अतः कर्जे माफ किये जाये।

(2) भूमि सुधार (केचमेण्ट) कार्यक्रम में पूर्व में की गयी कमियों को विशेष अभियान चलाकर सुधारा जावे।

(3) भविष्य में उक्त कार्य की रूप रेखा बनाते समय सभी एजेन्सियों को तालमेल से कार्य करने हेतु पाबन्द किया जावें।

(4) भूमि सुधारने के बाद निर्धारित समय अवधि में ही खेत सुधारे जाय।

अन्त में मैं अपने इस लोक महत्व के

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

प्रस्ताव के माध्यम से सरकार से पुरजोर शब्दों में विनम्र निवेदन कर उक्त समस्या का के समाधन हेतु तुरन्त वांछित आदेश करने की मांग करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री ओमप्रकाश शर्मा।

बून्दी में पेयजल समस्या

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बून्दी) : सभापति महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत निवेदन करना चाहता हूं कि बून्दी नगर में पीने के पानी का भारी अभाव है। इसको देख कर सन् 1989 में एक योजना बनायी गयी थी जो एक करोड़ बत्तीस लाख की थी। इसमें से प्रथम चरण में 56 लाख रुपये मंजूर किये गये थे परन्तु अधिकारियों की लापरवाही के कारण आज तक गुरूनानक कालोनी, रजतगृह कालोनी, देवपुरा, चरख्या का कुआ (छोटा बाजार), मोरड़ी पाड़ा, छत्रपुरा, उन्दालिया की डूंगरी, हाउसिंग बोर्ड (माटून्दा रोड) में टंकी, नई पाइप लाइन जोड़ने के लिए राज्य सरकार द्वारा पैसा स्वीकृत किया जा चुका है एवं मेरी जानकारी के अनुसार 5 माह से आवासन मण्डल (माटून्दा रोड) को भी स्वीकृत किया हुआ है परन्तु दुर्भाग्य से हमारे अधिकारी इतने +++ हैं कि काम करना ही नहीं चाहते हैं।

अभी 31.12.93 को मन्त्री महोदय ने मीटिंग ली थी उसमें श्री गोरधनपुरा एवं बड़कू गांवों में पीने के पानी की योजना बनायी जाने के बारे में एक सप्ताह का समय मन्त्री महोदय ने स्वयं दिया था परन्तु विभाग के अधिकारी कार्य नहीं कर रहे हैं। अधिकांशतः गांव जैसे गोरधनपुरा, बड़कू, बेबड़िया, बणजारों के झोंपड़े, जलोती, करोदी, पटियाल, रामसिंह के टापरे (बणजारों की बस्ती), गरडदा, भैंकपुरा (बरड़), बहादुरपुरया आदि गांवों में कुओं को गहरा करवाया जावे। हैण्ड पम्पों से पानी के बदले हवा निकल रही है, या काम के नहीं है। अभी कुछ हैण्ड पम्प ठीक हुए हैं। इसी प्रकार बूंदी नगर में देवपुरा, रजतगृह कालोनी, छत्रपुरा, उन्दालिया की डूंगरी, गुरूनानक कालोनी, छोटा बाजार (चरख्या का कुआ), मोरड़ी पाड़ा आदि में पीने के पानी का भारी सकट आ गया हैं। पानी की टंकियां पर्याप्त मात्रा में नहीं हैं।

अतः तत्काल पीने के पानी की व्यवस्था की जावे अन्यथा बूंदी तहसील एवं जिले में पीने के पानी को लेकर त्राहि-त्राहि होने वाली है और इससे आन्दोलन होंगे। पीने के पानी की उचित व्यवस्था के लिए चम्बल (कोटा) से पाइप लाइनों को बदला जावे....

श्री सभापति : भाषण नहीं दीजिये, उसको समाप्त कीजिये।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : और जो 1989 में योजना बनायी गयी थी उसको तत्काल पूरा किया जावे।

श्री सभापति : श्री रामपाल उपाध्याय।

सहाड़ा एवं रायपुर में भयंकर अकाल की स्थिति

श्री रामपाल उपाध्याय (सहाड़ा) : सभापति महोदय, सहाड़ा-रायपुर क्षेत्र में

+++ शब्द अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री रामपाल उपाध्याय)

अकाल की भयंकर स्थिति के सम्बन्ध में निवेदन कर रहा हूं।

भीलवाड़ा जिले की सहाड़ा व रायपुर तहसीलों की वार्षिक औसत वर्षा 800 से 900 एम.एम. है, परन्तु इस वर्ष एक चौथाई से भी कम वर्षा होने से समूचा क्षेत्र अकाल से बुरी तरह से प्रभावित है। परिणामत: लोगों के पास कार्य नहीं है। मनुष्यों व पशुओं के लिए पेयजल की भयंकर समस्या बनी हुई है। पशुओं के लिए घास बिल्कुल उपलब्ध नहीं है। आज तक घास की उपलब्धि का कोई गम्भीर प्रयास नहीं हो पा रहा है। घास व भूसा तीन-चार रुपये प्रति किलो मिल रहा है।

अकाल राहत का कार्य प्रारम्भ अवश्य हुआ है। परन्तु लगभग दो लाख अकाल से प्रभावित लोगों में से मात्र 2200 श्रमिकों को कार्यरत किया गया है जो नहीं के बराबर है। लोग कार्य के अभाव में दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। आलसी व कोशीथल जैसे पंचायत मुख्यावासों, जिनकी जनसंख्या पांच से सात हजार तक की है, में मात्र बीस-बीस लोगों को कार्यरत किया गया है। कुल ग्रामों में से एक तिहाई ग्रामों में राहत कार्य प्रारम्भ नहीं किये गये हैं। सारे क्षेत्र में कुल मिला कर अकाल की भयावह स्थिति बनी हुई है जिससे लोगों व पशुओं का जीना दूभर हो रहा है।

अत: अनुरोध है कि दोनों तहसीलों में अधिकाधिक श्रमिक लगाये जावें। पशुओं के लिए सरकार स्वयं घास लगाकर वितरण करे। पेयजल की समुचित व्यवस्था की जावें व हैण्ड पम्प ठीक किये जावें। सार्वजनिक कुओं को तुरन्त प्रभाव से गहरा करवाया जाकर उन पर बिजली की मोटरें लगाई जाकर मनुष्यों व पशुओं को पानी उपलब्ध करवाया जावे।

श्री सभापति : श्री राकेश मेघवाल।

बिदियाद औद्योगिक क्षेत्र में धर्म कांटा लगाने बाबत

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर) : सभापति महोदय, विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिये औद्योगिक क्षेत्र बिदियाद में धर्मकांटा लगाने बाबत राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं।

निवेदन है कि मेरे क्षेत्र बिदियाद व मकराना में भू-खनिज विभाग का एक ही कांटा है और वह कांटा शहर के बीच में आता है। उक्त कांटे के सामने पेट्रोल पम्प व राजस्थान रोडवेज का बस स्टेण्ड है और उक्त कांटा, पेट्रोल पम्प व राजस्थान रोडवेज का बस स्टेण्ड आस-पास में है जिनके आवागमन के लिए एक ही रोड गुजरती है। मकराना विश्व विख्यात संगमरमर मार्बल की मण्डी है। इस वजह से रोजाना करीब चार-पांच सौ ट्रकें खाली व भरी हुई तोलने का क्रम जारी रहता है। इसलिए आवागमन इतना अवरुद्ध हो जाता है कि चार व पांच घण्टे में एक ट्रक का नम्बर आता है। कुछ गाड़ियां पेट्रोल व डीजल के लिए कांटे के सामने पेट्रोल पम्प पर खड़ी रहती है। वहीं पर निगम की बसें खड़ी रहती हैं, उस समय मकराना के अन्दर आने-जाने के लिए रास्ता बन्द हो जाता है। देश के कोने-कोने से आये व्यापारी व क्रेता वहां पर खड़े रहते हैं और सरकार की बुराई करते हैं।

(श्री राकेश मेघवाल)

इस समस्या के समाधान के लिए मकराना से एक रास्ता औद्योगिक क्षेत्र बिदियाद होते हुए जयपुर-अजमेर रोड से मिलता है। रोजाना करीब दो सौ ट्रकें औद्योगिक क्षेत्र बिदियाद में से होकर गुजरती है जो वहां पर सरकारी या प्राइवेट कांटे पर तुल सकती है। इससे आस-पास के सभी क्षेत्रों को ही नहीं, अपितु समस्त भारत के ट्रकों को राहत मिलेगी। यह समस्या भारत के हित की है, इसलिए इस समस्या को सर्वोत्तम प्राथमिकता दी जावे। इससे सरकार को रायल्टी के रूप में आय की बढ़ोतरी होगी।

इसलिए जनहित को मध्यनजर रखते हुए मैं श्रीमान् से प्रार्थना करता हूं कि इसी सत्र में नया धर्मकांटा औद्योगिक क्षेत्र बिदियाद में लगाने की घोषणा करें। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्रीमती कमला।

सोनोग्राफी से ज्ञात बालिका भ्रूणों की हत्या

श्रीमती कमला (वैराठ) : माननीय सभापति महोदय, देश में तथा राजस्थान में भी, जिस प्रकार से सोनोग्राफी के जरिये बालिका भ्रूणों को गिराने का व्यापक तौर पर, अपराधपूर्ण सिलसिला चल रहा है वह न सिर्फ मानवता के लिए एक कलंक है और न सिर्फ समाज द्वारा किया जा रहा अक्षम्य और भयंकरतम अपराध है बल्कि समाज के विशेष वर्ग-बालिका के पैदा होने और जिन्दा रहने के मूलभूत अधिकारों का भी हनन है जिसकी किसी भी व्यक्ति या समाज को इजाजत नहीं दी जा सकती।

यह ऐसा कुकृत्य हो रहा है जिसे एक दिन भी चालू रहने देना राज्य सरकार की गम्भीर विफलता है और उसे सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं रहा है।

श्री सभापति : धन्यवाद। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। माननीय कालीचरण सराफ।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

आवासन मण्डल की नीति "नकद भुगतान दो, मकान लो" से जनता को असुविधा

श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार) : माननीय सभापति महोदय, आवासन मण्डल द्वारा निर्णय लेकर "नकद भुगतान दो, मकान लो" नीति के खिलाफ जो जन असंतोष है उसकी ओर मैं माननीय मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री सभापति : माननीय मन्त्रीजी।

श्री भंवरलाल शर्मा (नगरीय विकास एवं आवासन विभाग मन्त्री) : माननीय सभापति महोदय, मण्डल के डिस्पोजल आफ प्रोपर्टी रेगुलेशन, 1970 के अनुसार कुल उपलब्ध मकानों में से 45 प्रतिशत नकद भुगतान एवं शेष 55 प्रतिशत किराया क्रय पद्धति पर आवंटित करने का प्रावधान है तथा यह भी प्रावधान है कि यदि किसी कोटे में ऐसे आवंटन की पूर्ति नहीं होती है तो यह कैरी ओवर किया जा सकेगा। मण्डल द्वारा यह पाया गया कि नकद भुगतान पद्धति में आवंटन केवल 10 प्रतिशत

(श्री भंवरलाल शर्मा)

ही अब तक कुल आवंटित मकानों में हुआ है जिससे मण्डल की वित्तीय स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ा है। वित्तीय संसाधनों की स्थिति सुधारने हेतु मण्डल ने नकद भुगतान का शेष 35 प्रतिशत कोटा पहले पूरा करने का निर्णय लिया तथा यह भी निर्णय किया कि किराया क्रय पद्धति के आवंटन पंजीकृत आवेदकों को वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेने हेतु प्रेरित किया जावे। आवंटियों द्वारा आवंटित आवास की मासिक किश्तें या तो बिल्कुल ही जमा नहीं करायी जा रही थीं अथवा विलम्ब से जमा करायी जा रही थीं जिसके कारण अधिक किश्तों की वसूली का औसत लगभग 35 प्रतिशत रहा। इस कारण मण्डल की आर्थिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा तथा इससे मण्डल की भावी निर्माण योजनाओं पर भी बुरा असर पड़ा। साथ ही कभी-कभी तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गयी थी कि मण्डल को अपने कर्मचारियों को वेतन देने में भी कठिनाई आ रही थी। मण्डल के उक्त निर्णय के विरुद्ध कुछ आवेदकों द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिकाएं दायर की गयी थीं जिन पर एकल पीठ ने दिनांक 2.2.94 को निर्णय दिया। उक्त निर्णय के विरुद्ध मण्डल द्वारा खण्ड पीठ में अपीलें दायर की गयीं एवं खण्ड पीठ ने दिनांक 23.2.94 को एकल पीठ के निर्णय को स्थगित कर दिया। अतः जब तक माननीय उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ में दायर अपीलों पर निर्णय नहीं हो जाता तब तक मण्डल की नीति एवं संशोधन पर विचार किया जाना सम्भव नहीं है। मैं यह भी निवेदन करूंगा कि यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है ऐसी स्थिति में यहां कितना सम्भव है विचार करना, यह आप पर है।

श्री सभापति : माननीय श्री कालीचरण सराफ।

श्री कालीचरण सराफ : सभापति महोदय, राजस्थान आवासन मण्डल की स्थापना 24 जनवरी, 1970 को इसलिए की गयी थी कि प्रदेश में जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोग हैं, अल्प आय वर्ग के लोग हैं, मध्यम आय वर्ग के लोग हैं उनको आवासन मण्डल सस्ते, गुणात्मक दृष्टि से अच्छे मकान किश्तों पर आवंटित कराये परन्तु अत्यन्त अफसोस की बात है कि आवासन मण्डल अपने प्रमुख उद्देश्य से हट गया। गरीब को मकान देना, अल्प आय वर्ग के लोगों को मकान देना, यह जो मुख्य उद्देश्य था आवासन मण्डल का, आज इस लिए किश्तों पर मकान देने की योजना को पोस्टपोण्ड करने और केवल एकमुश्त नकद भुगतान के आधार पर मकान दिये जाने के निर्णय से अब यह स्थिति हो गयी कि चार-चार, पांच-पांच लाख रुपये मकान पर शुल्क और उनके आधार पर उससे मकान प्राप्त करिये। मैं पूछना चाहूंगा, सभापति महोदय, आपके माध्यम से मन्त्री महोदय को, कि जो गरीब को मकान देने का प्रमुख उद्देश्य था वह तो आपने खतम कर दिया और आवासन मण्डल को एक व्यावसायिक संस्थान बना दिया कि हम मकान बनायेंगे इसकी कास्ट चार लाख रुपया आयी, पांच लाख रुपया आयी, इतना पैसा जमा कराइये और मकान ले लीजिये।

माननीय सभापति महोदय, यहां जवाब

(श्री कालीचरण सराफ)

में यह कहा गया कि मण्डल के डिस्पोजल आफ प्रोपर्टी रेगुलेशन. 1970 के अनुसार कुल उपलब्ध मकानों में से 45 प्रतिशत नकद भुगतान और शेष 55 प्रतिशत किराया क्रय पद्धति के आधार पर आवंटन करने का प्रावधान है और यह इसलिए नकद भुगतान की पद्धति लागू की गयी है कि उसमें भी अब तक केवल 10 प्रतिशत मकान ही इन्होंने आवंटित किये हैं। मैं पूछना चाहता हूं मन्त्री महोदय से कि यह गलती किसकी हुई ? आज तक केवल 10 प्रतिशत मकान ही नकद भुगतान पद्धति से क्यों दिये गये और बाकी मकान किश्तों के आधार पर क्यों दिये गये ? अब आप अपनी अकर्मण्यता और विफलताओं को छिपाने के लिए जो 1979, यानि 79, 82, 83, 84 में जिन्होंने आवेदन कर रखा है किश्तों के आधार पर, , माननीय सभापति महोदय, यह आवासन मण्डल की जो प्रगति विवरणिका आयी है उसमें बताया गया है कि 2,07,318 व्यक्तियों ने 1970 से लेकर आज तक पंजीकरण कराया है यानि 24 साल में, उसमें से इन्होंने केवल 1,13,397 आवेदकों का आवंटन किया है और 93 हजार 921 लोग अभी भी बाकी हैं। अब उनका 14-14, 15-15 साल इन्तजार करने के बाद नम्बर आया तो आपने कह दिया कि नहीं, अब किश्तों पर नहीं देंगे, हम तो एकमुश्त राशि के आधार पर ही आपको मकान देंगे। अब उन्होंने जवाब में यह भी कहा है कि हम ने इस बात की भी व्यवस्था की है कि वित्तीय संस्थाओं से इनको ऋण मिले। मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि आवासन मण्डल 12 साल में 144 किश्तों में पैसा वसूल करता है, ऐसी एक भी वित्तीय संस्था बता दीजिये जो 144 किश्तों में ऋण देगी ? उसमें यह भुगतान करना पड़ेगा और दूसरी वित्तीय संस्थाएं जो ऋण देंगी वह व्यक्ति की हैसियत देख कर देंगी। अब यदि कोई व्यक्ति जो गवर्नमेण्ट सर्वेण्ट थे, 15 साल पहले अपना मकान बुक कराया और आज वह रिटायर हो गया तो रिटायर होने वाले व्यक्ति को क्या माननीय मन्त्री महोदय या आवासन मण्डल के अध्यक्ष महोदय ऋण उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करेंगे ? 15 साल तक उसने इन्तजार किया और 15 साल बाद जब उसका नम्बर आया तो आप कहते हैं कि नहीं, एकमुश्त राशि के आधार पर देंगे।

आपने जो बुकलेट छपा रखी थी, जिसके आधार पर उसने आवेदन किया वह उसने किश्तों के आधार पर मकान लेने का आवेदन किया और 15 साल बाद आप उसको कह रहे हैं कि नहीं, एकमुश्त राशि जमा करवाइये। यह ब्रीच आफ काण्ट्रेक्ट भी माननीय सभापति महोदय। जवाब में यह भी कहा गया है कि हाईकोर्ट में जब तक निर्णय नहीं हो जाता तब तक हम इस पर कोई विचार नहीं कर सकते। एकल पीठ ने किस के फेवर में डिसीजन किया ? आवेदक बन्धु हाई कोर्ट में गये और सिंगल बैंच ने यह निर्णय किया कि नहीं, आवासन मण्डल ने यह गलत किया है, किश्तों के आधार पर मकान देने चाहिए। होना तो यह चाहिए था कि जब हाई कोर्ट ने यह निर्णय किया तो आवासन मण्डल न्यायालय का सम्मान करता और उन्होंने जो निर्णय दिया उसके आधार पर किश्तों पर मकान देने की व्यवस्था दुबारा से चालू

(श्री कालीचरण सराफ)

करते, परन्तु ऐसा नहीं किया। हाई कोर्ट ने आपके निर्णय के खिलाफ, यानि आवासन मण्डल के खिलाफ निर्णय दिया इसलिए आवासन मण्डल हाई कोर्ट की डबल बेंच में गया और अब यह बहाना बना रहा है कि जब तक वहां फैसला नहीं होगा, मामला सबजुडिस है, हम क्या करें। यह भी कहा गया है जवाब में, कि किश्तों पर जो मकान दिये गये उसके केवल 35 प्रतिशत लोगों का ही पैसा जमा हुआ है। किसकी गलती से हुआ है? मैं पूछना चाहता हूं, आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से, क्या मन्त्री महोदय यह कहने की स्थिति में हैं कि आवासन मण्डल के पास रेकार्ड है? मैं आपको सूचना देना चाहता हूं कि आवासन मण्डल के पास कोई रेकार्ड ही नहीं है। सारा रेकार्ड रफा-दफा कर दिया गया। किसका कितना पैसा बाकी है, आवासन मण्डल के पास कोई रेकार्ड नहीं हैं। आज यदि कोई व्यक्ति अपनी किश्त के लिए पूछने जाता है कि साहब, मेरी कितनी किश्तें बाकी है, मैं जमा कराना चाहता हूं तो आवासन मण्डल के अधिकारी कहते हैं कि भाई, हमारे पास कोई रेकार्ड नहीं है आप ही लाइये, आपने कितना पैसा जमा करा दिया यानि जिसको मकान दिया वह 12 साल तक सारे कागज सेफ करके रखे। आवासन मण्डल जिसके पास इतना लम्बा चौडा स्टाफ है, सफेद हाथी के जैसे काम कर रहा है, हजारों स्टाफ के लोग हैं वह तो रेकार्ड रख नहीं सकते और एक गरीब व्यक्ति, अनपढ़ व्यक्ति, जिसने आपसे मकान ले लिया, यह गलती कर दी, वह पूरा रिकार्ड रखे। इनके पास रेकार्ड ही नही है तो अपनी अकर्मण्यता और विफलता को छिपाने के लिए आवासन मण्डल के मूल उद्देश्य से हटकर जिस प्रकार इसको व्यावसायिक संस्थान बनाने का कुकृत्य आवासन मण्डल के अधिकारियों ने किया है वह गरीब जनता के साथ धोखा है, गरीब जनता के साथ विश्वासघात है। इसलिए मैं माननीय मन्त्री महोदय से कहना चाहूंगा कि यह जो कल्याणकारी सरकार है, गरीबों की हिमायती सरकार है, राजस्थान के गरीब लोग किस प्रकार से ऊंचे उठें इस प्रकार की सरकार हैं, गरीब जनता इनकी तरफ आशा की निगाह लगाकर देख रही है, यह यहां पर यह घोषणा करे कि प्रशासनिक अधिकारियों की गलती के कारण जिन लोगों को कष्ट भुगतना पड़ रहा है, इस निर्णय को वह तुरन्त वापस लें, हाई कोर्ट से रिट वापस ले और किश्तों पर मकान मिले, इस बात की घोषणा सदन में करे। मैं इतना ही कहना चाहता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री घनश्याम तिवाड़ी।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : विधायकों का साथ भी यही स्थिति है और उनको भी एक मुश्त पैसा जमा कराने पर दिया जाता है।

श्री सभापति : आप बिराजिये। यह विधायक नहीं हैं क्या, जो बोल रहे हैं।

श्री रामस्वरूप मीणा : मैं भी विधायक हूं।

श्री सभापति : बिराजिये। आपका नाम नहीं लिया गया है।

श्री रामस्वरूप मीणा : किश्तों के आधार पर पैसा नहीं लिया जा रहा है, एक मुश्त पैसा लिया जा रहा है । जब यह सरकार विधायकों के लिए कुछ नहीं कर सकती तो ग्राम जनता के लिए क्या करेगी ? इसलिए मेरा निवेदन मानिये सभापति महोदय, आप इस बात के ऊपर विशेष ध्यान दें ।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : क्या होता है विधायक ? विधायकों की हिमायत करें, जनता की नहीं करें ?

श्री सभापति : माननीय श्री रामस्वरूप जी, बिराजिये । नियमों के तहत काम कीजियेगा और व्यवधान नहीं डालियेगा । आप नियमों के अन्तर्गत आ जाईयेगा इस प्रश्न पर ।

श्री रामस्वरूप मीणा : किश्तों के आधार पर प्लाट किये जायं, यह भी एक नियम था पहले । यह भी क्यों तोड़ा जा रहा है ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं) : सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय रामस्वरूप जी बोल रहे हैं । मैं उनसे निवेदन करूंगा कि बाद में बोलें । यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है । जयपुर में दोनों तरफ के विधायक हैं और यह उन सब का दुख है इसलिए आप थोड़ा नियमों में रिलेक्स करके जो भी माननीय सदस्य इस पर बोलना चाहें, बोलें और इसका निर्णय हो । इसलिए मैं चाहता हूं कि इस पर आप ऐसी व्यवस्था करें ।

श्री सभापति : मुझे कोई दिक्कत नहीं है परन्तु जिनके नाम पहले आये हुए हैं मेरे पास, मैं उनको बुलवाऊंगा, उसके बाद में कोई माननीय विधायक बोलना चाहें उन्हें मैं इजाजत दूंगा । बिराजिये आप ।

श्री रामेश्वर भारद्वाज (किशनपोल) : माननीय सभापति महोदय, आवासन मण्डल ने करीब जनता को एक नारा दिया था "अपना घर, अपनी छत" और अपना आंगन" । इस प्रकार एकलुभावना नारा देकर और उसको सुविधानुसार अपना मकान बनाकर देने की बात कही थी । उसी नारे के तहत जनता ने आकर्षित होकर जो एक मुश्त अपना मकान नहीं बना सकते थे उस व्यक्ति ने आवासन मण्डल में जाकर पंजीकरण कराया और आपकी संख्या भी, आंकड़ों में सुना रहे थे, दो लाख से भी ऊपर थी । माननीय सभापति महोदय, इसी एक बात को ध्यान में रखकर आवासन मण्डल की कालोनियां बनें । मेरे पूर्व वक्ता जौहरी बाजार से आने वाले माननीय विधायक ने कई सारी बातें रखीं, उनको मैं दोहराता नहीं, कुछ नयी बात आपके समक्ष रखना चाहता हूं कि 35 प्रतिशत मकानों को जो इस प्रकार से उपभोक्ताओं ने नहीं लिया उसके पीछे मुझे एक कारण और भी नजर आता है । जो आवासन मण्डल ने मकान निर्मित किये हैं उन मकानों की क्वालिटी अच्छी नहीं है । एक दिन जब भी पंजीकरण कराने वाला उपभोक्ता अपना मकान देखने के लिए जाता है और उसको आवासन मण्डल मकान देने की घोषणा करता है, मेरे ख्याल में मकान में जाते ही उसके मन में एक निराशा की भावना होती है कि यह मकान उसे सरकार आवंटित कर रही है और इस

(76)

(श्री रामेश्वर भारद्वाज)

मकान की स्थिति क्या है। मैं समझता हूं कि मकान में प्रवेश करने से पहले उस व्यक्ति को मकान की रिपेयरिंग करानी पड़ती है। इस कारण से जो एक आकर्षण आवासन मण्डल की ओर गरीब जनता का था उसमें भी कमी आयी है। यह भी एक कारण है। इसके साथ-साथ जिन सुविधाओं को देने की बात आवासन मण्डल ने कालोनियों की, की थी, आप एक बार उन कालोनियों का निरीक्षण करवायें, एक कमेटी का गठन करें और एक बार जाकर उसका दिग्दर्शन करें कि उन कालोनियों की दशा कैसी है। मैं हाउसिंग बोर्ड की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वहां अभी तक नगर निगम इसलिए सफाई नहीं करती कि आवासन मण्डल ने नगर निगम को अभी हैण्ड-ओवर नहीं किया है और आवासन मण्डल का जवाब है कि मकान बनाये बीस साल हो गये, अब तक हम उसको सिर पर कहां तक ढोते रहेंगे। मैं समझता हूं इस प्रक्रिया का जनता से कोई सम्बन्ध नहीं है। यदि एक विभाग दूसरे विभाग के साथ कोई जिम्मेदारी का भाव रखता है तो उसकी यह जिम्मेदारी आवासन मण्डल की है कि अपनी कालोनी को बनाकर किस विभाग को आगे की कमियों के लिए देना है। इसका भी मुझे सर्वथा अभाव लगता है। जो आवासन मण्डल ने पार्क छोड़े हैं, इतने बड़े-बड़े पार्क लोगों ने देखे तो उनके मन में स्वाभाविक रूप से, निश्चित रूप से आनन्ददायी रहा होगा कि इतनी सुन्दर कालोनी में मुझे रहने का सौभाग्य मिलेगा, परन्तु आज उन पार्कों की आप दशा देखेंगे तो मैं ऐसा विश्वास से कह सकता हूं, उन पार्कों में आज पशु भी बैठना पसन्द नहीं करते। यदि यही हमारी योजना थी आवासन मण्डल की ओर इसी के कारण हम जनता के दुख दूर करना चाहते थे तो मैं समझता हूं कि इस पर एक बार पुनर्विचार करना चाहिये कि वास्तव में आवासन मण्डल भी अपने उद्देश्य से अलग तो नहीं हट रहा इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए कुछ इस प्रकार के निर्णय आवासन मण्डल ने लिये हैं। जो सुविधा की भूमि छोड़ी गयी थी उस सुविधा की भूमि को भी बिना सोचे-समझे किसी को भी अलाट कर रहा है और इन सब के कारण जो वे पार्क थे, एक तरह से कल की तारीख में व्यक्तिगत सम्पत्ति बन कर रह जायेगी।

जिन संस्थाओं को आवासन मण्डल इस प्रकार भू-आवंटन करता है, या तो उनके ठीक प्रकार से उद्देश्य समझ लें और उन उद्देश्यों के साथ-साथ जनता को कौन से ऐसे लाभ देने की बात कहते हैं क्या उनकी कोई जांच की जा सकती है? तो मेरा यह निवेदन था कि जो गरीब आवासन मण्डल से एक आशा लेकर कि उसका अपना घर होगा, उसकी अपनी छत होगी और उसका अपना आंगन होगा और मैं सुविधा के साथ अपनी आमदनी के अनुसार समय-समय पर सरकार को पैसा देकर आवासन मण्डल के मकान में रह सकूंगा, यह जो उसका सपना था कि यह घर उसका होगा इसमें सरकार ने उलझन का काम जरूर किया है। जैसा मेरे पूर्व वक्ता ने कहा कि ऐसे अन्य विभागों से कर्ज लेकर आवासन मण्डल को तो वह पैसा दे देगा परन्तु और किसी विभाग का वह कर्जदार होगा। मेरे पूर्व वक्ता ने यह

(श्री रामेश्वर भारद्वाज)

भी बात कही कि वह कर्ज किसकी बिला पर लेगा, तो इसका भी एक बार माननीय मन्त्री जी कोई मार्ग-प्रशस्त करेंगे, अन्यथा जिसको कर्ज ही लेना है तो फिर आवासन मण्डल में क्यों जायेगा ? वह निजी क्यों नहीं बना लेगा ? आज उदाहरण के तौर पर मैं आपको तुलनात्मक दृष्टि से बताना चाहूंगा। जो भू-खण्ड सरकार देती है और स्वयं-व्यक्ति अपना निर्माण कराता है उसको यदि आप देखें और आवासन मण्डल के द्वारा निर्मित मकान को देखें तो आपको लगेगा कि जमीन-आसमान का अन्तर है। अगर इस अन्तर को मण्डल दूर करता है और बहुत अच्छे मकान बनाकर देता है और सरकार ने जिस प्रकार की योजना पूर्व में घोषित की थी उसी योजना के अन्तर्गत देता है, मैं समझता हूं आवासन मण्डल का उद्देश्य सफल होगा अन्यथा इस प्रकार की उलझन की चीज, गरीब ने जिस प्रकार से अपने मन में एक आशा संजोयी थी, वह आशा उसकी धूमिल होगी और अन्य स्रोतों से, किसी न किसी सोसायटी के चक्कर में फंसकर गलत जगह से वह मकान खरीदेगा या जमीन खरीदेगा। यदि उसको रोकना है, अच्छे नियमों के अनुसार मकान वह ले सके और सरकार की ऐसी योजना में नियमानुसार अपना मकान बना सके तो मैं समझता हू कि इन दोनों में कहीं न कहीं अन्तर को निकालना पड़ेगा ताकि जनता पुनः एक बार, एक गरीब आदमी आवासन मण्डल की ओर आकर्षित हो सके और अपने खुद का मकान ले सके। इतनी ही बात कहनी थी।

श्री सभापति : माननीय राजपाल सिंह शेखावत। विषय तक ही सीमित रहें कृपया।

(13.00)

श्री राजपालसिंह शेखावत (बनीपार्क) : माननीय सभापति महोदय, चूंकि आपने फरमाया कि मुझे अपने आपको विषय तक सीमित रखना है, न तो इस बात की चर्चा करूंगा कि अकबर रोड का मामला क्या है, न इस बारे में मैं चर्चा करूंगा कि मानसरोवर को चेयरमैन ने घना अभयारण्य मानकर अपनी ऐशगाह बना रखी है, न इस बात की मैं चर्चा करूंगा कि आवासन मण्डल की आर्थिक स्थिति क्या है। मैं सिर्फ इस बात पर चर्चा करूंगा कि आवासन मण्डल की क्रीडिबिलिटी क्या है, उसकी विश्वसनीयता क्या है। आवासन मण्डल ने उसी तरह से काम किया जैसा हर्षद मेहता ने किया। हर्षद मेहता ने भी लुभावने नारे दिये, बताने की कोशिश की कि आज का लगाया रुपया कल क्या हो जाएगा। कभी आपने कल्पतरू का नाम दिया, कभी परिजात योजना का नाम दिया, कभी गरीब की आंगन और आसमान के नीचे छत देने की बात कही। आपने वादे कोई और किये और दिया कुछ और। देने के नाम पर आपने चक्कर दिये, देने के नाम पर आपने हिसाब के बारे में चर्चा की, हिसाब नहीं मिला, हिसाब नदारद रहा। एक चंडुखाने का जो माहौल होता है, वही राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के आफिस का माहौल है।

मैं सभापति महोदय, यह कहना चाहता हूं, यह कहा गया, श्री कालीचरण जी बता रहे थे कि मार्च, 1992 तक दो लाख से ऊपर लोगों ने हाउसिंग बोर्ड के

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

मकान के लिए एप्लाई किया, आज 1994 तक हम करीब एक लाख लोगों को मकान दे पाये हैं और इस साल नौ हजार लोगों को मकान देने की हमारे पास योजना है, हम आने वाले 12–13 साल तक जो 1992 के अन्दर रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, उन लोगों को मकान नहीं दे पायेगे। हाउसिंग बोर्ड ने मकान रजिस्ट्रेशन कराने का जब टाइम था तो यह कहा कि प्राइस का एस्कलेशन 10–15 पर्सेन्ट के बीच में हो सकता है। आज प्राइस का एस्कलेशन रेडिकली हुआ है। अगर आपको लगता था कि नकद भुगतान योजना ज्यादा ठीक है, अगर आपको लगता था कि 45 पर्सेण्ट नकद भुगतान योजना के तहत देकर आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाये रखा जा सकता है तो मेरे ख्याल से मकान बनाने की रफ्तार भी बड़ी तेज हो गयी होती। और मकान बनाने की रफ्तार तेज हो गयी होती तो जिस मकान की कीमत आज छह लाख आ रही है वह मकान पहले जनता को मिल गया होता तो उसकी कीमत छह लाख रुपये नहीं आती। आज आप डिस्पोजल आफ प्रापर्टी रेगूलेशन एक्ट की बात करते हैं, 45 पर्सेण्ट और 55 पर्सेण्ट की बात करते हैं कि कितना पर्सेण्ट शेयर तो किराया क्रय पद्धति से जाना चाहिये और कितना पर्सेण्ट शेयर आउट राइट परचेज पर जाना चाहिये। तो यह आपको 1992 में याद आया। जब 1992 के मार्च में आपने रजिस्ट्रेशन बन्द कर दिये उसके बाद में आठवें महीने में आपको याद आता है, बोर्ड की मीटिंग में याद आता है कि फाइनेन्शियली पोजीशन बोर्ड की बहुत खराब है। हमारा 45 पर्सेण्ट और 55 पर्सेण्ट का जो मिक्स होना चाहिए, वह मिक्स नहीं हो पाया, सिर्फ 10 पर्सेण्ट नकद रूप से लोगों ने मकान खरीदे। तो इतने दिन तो आप सोते रहे। अगर आप सोते नहीं और सारे के सारे मकान नकद पर देते रहते तो पांच लाख का मकान लोगों को डेढ़-दो लाख में मिल गया होता। इस बात के लिए, इस नुकसान के लिए कौन जिम्मेदार है? वो मिक्स जो होना चाहिए, उस मिक्स में रेडिकल डिफरेंस आया है, 45 का 50 हो जाए, 50 से 30 हो जाए, समझ में आती है बात, 10 पर्सेण्ट रेडिकल चेंज आया है, अगर मिक्स एप्रोप्रियेट नहीं हुआ उसके लिए रेस्पांसिबिलिटी फिक्स तो आपको करनी पड़ेगी। आपने डिपार्टमेंट में रेस्पांसिबिलिटी फिक्स नहीं की। यही कारण है कि ज्यादातर सरकारी डिपार्टमेंट, ज्यादातर बोर्ड, ज्यादातर कारपोरेशन और आपके जे. डी. ए. सफेद हाथी सिद्ध हो रहे हैं। मैं, सभापति महोदय, कहना चाहता हूं कि हाउसिंग बोर्ड का यह भी दावा है कि 1992 के अन्दर आठवें महीने उनके निर्णय लेने के बाद मकानों के निर्माण के लिए जो राशि दी उस राशि की उपलब्धता बढ़ गयी, आज वह ज्यादा आराम से मकान बना सकते हैं, नकद पैसा लेकर बोर्ड की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। मैं कहना चाहता हूं, सभापति महोदय, कि बोर्ड के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। गये साल उनके पास निर्माण कार्यो के लिए प्रस्तावित योजना थी 100 करोड़ की, और प्रस्तावित योजना 100 करोड़ की होने के बावजूद मकान बनाकर सिर्फ दे पाया 70 करोड़ रुपये के। इस बार की योजना,

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

प्रस्तावित रकम, गयी बार की रकम से कम कर दी गयी। गयी बार ही जो फण्ड आपके लिए प्रपोज था कंस्ट्रक्शन का, उस प्रपोज्ड फण्ड को ही आप यूटिलाइज नहीं कर पाये। उसका केवल 70 पर्सेन्ट यूटिलाइज कर पाये और आप कहते हैं कि आपने नकद पद्धति इसलिए लागू कर दी कि इससे मण्डल की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, निर्माण बढ़ेगा, इससे लोगों को मकान जल्दी-जल्दी मिलेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि 70 पर्सेण्ट यूटिलाइज हुआ और इस बार एक लाख मकानों का बैकलॉग होने के बावजूद आज आपने जो प्रपोजल दिये हैं, जो प्रस्तावित बजट है, वह गये साल के प्रस्तावित बजट से कम है जब कि जो कुल बजट है वह बजट बढ़ा है। पहले बजट 105 करोड़ का था, अब 138 करोड़ का हुआ है। लेकिन जो मुख्य काम था हाउसिंग बोर्ड का, एक गरीब को मकान देने का, उस गरीब को मकान देने के लिए जो निर्माण कार्य के लिए खर्चा होना चाहिए था, उसके लिए रकम देता था, उस रकम को घटा दिया गया है।

मैं कहना चाहता हूं कि हाउसिंग बोर्ड अगर इस पैसे का एप्रोप्रियेशन करना सीख जाए, इस पैसे का सही उपयोग करना सीख जाए और प्लानिंग बाद में करे, प्राब्लम्स पहले क्रियेट करे। पहले आप प्राब्लम्स क्रियेट करेंगे उसके लिए प्लान करेंगे। आपने मिक्स मेण्टेन नहीं किया इसलिए 1992 में आपने निर्णय लिया। जिन लोगों ने किराया क्रय पद्धति को देखकर एप्लाई किया था उनके साथ में आपका एक कांट्रैक्ट हुआ है, इस कांट्रैक्ट का ब्रीच आपने किया है। कांट्रैक्ट के ब्रीच का सवाल तो कानून के तहत तय हो जाएगा। हाई कोर्ट की बात आपने मानी नहीं। सिंगल बैंच से आप पलट गये। आज आप कहना चाहते हैं सब-जुडिस है। सब-जुडिस तो आपके कारण ही है। अब आप गये कोर्ट में बचने के लिए। आप कोर्ट का नाम लेकर बचना चाहते हैं और यह कहना चाहते हैं कि आज तो केन फिन आ गया है, एच.डी.एफ.सी. आ गया है। मैं कहना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, हो सकता है संस्थाएं बढ़ी हों लेकिन मकानों के लिए फाइनेन्स करने वाली संस्थाएं एच. डी. एफ. सी. और केन फिन, केन होम से पहले नहीं थीं, ऐसी स्थिति नहीं है। मकानों के लिए हिन्दुस्तान के अन्दर बैंक और कई और संस्थाएं इससे पहले भी ऋण देती रही हैं। उनसे सरकार ने समझौता टाई अप क्यों नहीं किया? अगर आपको लगा कि टाई अप होना चाहिए, पैसा आना चाहिए तो आपको टाई अप पहले करना चाहिए था और आज आप लोगों को कहते हैं कि हम पैसा अवेलेबल करा रहे हैं। आपको तकलीफ क्या है, कर्जदार आप हमारे रहो, चाहे एच.डी एफ.सी. के रहो, फर्क क्या पड़ता है, किश्त उनको देते रहना।

मैं यह कहना चाहता हूं, मकान हाउसिंग बोर्ड से कौन खरीदता है? भगवान दास रोड में रहने वाला खरीदता नहीं है, तख्तेशाही रोड वाले ने इसका आवंटन कराया नहीं। यह भी सोचा गया है कि कई लोगों ने दो-तीन मकानों के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया बेनामी नाम से। अब बेनामी नाम का रजिस्ट्रेशन का मालूम पड़ता है उसको आप केन्सिल करिये।

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

अगर आपके पैसों की रिकवरी नहीं होती है तो आप अपने एक्ट में अमेंडमेंट कीजिये। मैं सोचता हूं, माननीय सभापति महोदय, यह हमारी जिम्मेदारी है कि अगर पैसा रिकवर नहीं होता है, जिस प्रकार से रीको के अन्दर, आर.एफ.सी. में और जे.डी.ए. में प्रोविजन्स हैं उन प्रोविजन्स का इस्तेमाल यहां पर होना चाहिए, इससे रिकवरी बढ़ती है। रिकवरी नहीं बढ़ पा रही है, हमारी नाकाबिलियत है, हमारी अकर्मण्यता है। एक्ट में अमेंडमेंट नहीं कर रहे हैं। इसलिए उस योजना को खतम कर दिया जाए, चाहे कांट्रैक्ट का ब्रीच हो जाए, चाहे क्रेडिबिलिटी का सवाल उठ जाए। मैं सोचता हूं, सभापति महोदय, हाउसिंग बोर्ड जिन भावनाओं के साथ में बनाया गया, जिन भावनाओं के साथ हाउसिंग बोर्ड को लाया गया, उन भावनाओं की पूर्ति होती तो जयपुर में सहकारी समितियां नहीं आतीं। जयपुर में सहकारी समितियां इसलिए हुई। राजस्थान के अन्दर बढ़ती हुई पापूलेशन, अरबनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन से जो इनफ्लो शहरों में पहुंचेगा उस इनफ्लो से उन शहरों की जो हाउसिंग प्राब्लम होगी और जो हाउसिंग प्राब्लम की प्रिक डवलप होगी, उस प्रिक को खतम करने के लिए अगर जे.डी.ए., हाउसिंग बोर्ड जैसी संस्थाएं विजिलेंट रहतीं तो मैं समझता हूं कि सहकारी संस्थाओं का जन्म नहीं होता, सहकारी समितियों की तकलीफ नहीं होती, आज नियमन का प्रश्न खड़ा नहीं होता। उन्होंने तो तकलीफ के समाधान के बजाय एक ऐसी समस्या को जन्म दिया है, मैं समझता हूं, हाउसिंग बोर्ड अपने आप में एक समस्या बन गया है। अगर यह समस्याओं का निदान नहीं करता है तो राजस्थान की जनता की छाती पर गरीब जनता की छाती पर हाउसिंग बोर्ड की जो समस्या आपने खड़ी कर रखी है, कम से कम इस समस्या का समाधान नहीं कर सकें तो इस बोर्ड को डिस्बेंड करके इस समस्या का समाधान तो करें।

मैं समझता हूं, सभापति महोदय, यहां पर सरकार सब-जुडिस के नाम पर बचने का प्रयास नहीं करे। जिस मूल भावना के साथ में आप आये हो, उस मूल भावना के साथ धोखा करने के लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। यह सवाल हमारी क्रेडिबिलिटी का भी है, सरकार की क्रेडिबिलिटी का भी है, हाउसिंग बोर्ड की क्रेडिबिलिटी का भी सवाल है। भावनाएं हैं, उन भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए, लैटर आफ लॉ से नहीं चलता। काम को लैटर आफ लॉ से नहीं, उस कानून की मूल भावना क्या थी, फिलासफी बिहाइंड दी लॉ क्या था और उस कानून के पीछे की जो फिलासफी थी, उस फिलासफी के अनुसार काम करें। जिस गरीब को हम मकान देना चाहते हैं, जिस गरीब को हम तकलीफ से छुटकारा देना चाहते है, जिस तरह से जयपुर का विकास करना चाहते हैं, राजस्थान का जिस ढंग से विकास करना चाहते हैं उस चीज को मद्देनजर रखते हुए कानून की दुहाई देकर, कोर्ट की दुहाई देकर, आर्थिक स्थिति की दुहाई देकर उससे बचने का प्रयास नहीं करें। मैं इतना ही आपसे अर्ज करना चाहता था।

श्री सभापति : श्री तिवाड़ी जी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं): माननीय सभापति महोदय, मैं सदन के....

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : भारतीय जनता पार्टी की क्या मूल भावना थी, वो दर्शाते हैं।

श्री सभापति : कृपया व्यवधान नहीं डालें, बिराजिये।

श्री जुबेर खान : यह तो सरकार की मंशा दर्शाती है।

श्री सभापति : आपको मौका मिलेगा बोलना चाहें तो। व्यवधान नहीं डालें। अच्छा नहीं लगता है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं) : माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहूंगा कि इस मामले को न तो राजनीतिक बनायें, न पार्टी का बनायें। यह मामला एक गरीब आदमी के आवास से जुड़ा हुआ है और उसी परिप्रेक्ष्य में हम इस पर विचार करें।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, पहला मुझे दुःख हुआ जब माननीय मन्त्री महोदय का अभी भाषण सुना, मुझे बड़ा दुःख हुआ, इतने वरिष्ठतम और आदरणीय हमारे मन्त्री हैं और वह यह कहें कि यह मामला सब-जुडिस है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि क्या सदन में इसकी हम चर्चा नहीं करें। और अगर चर्चा कराने के लिए मन्त्री महोदय चाहते हैं तो यह स्टेटमेंट जो आवासन मण्डल ने लिख कर भेजा है उस स्टेटमेंट को उसी प्रकार से पढ़ देना आपकी गरिमा के अनुकूल नहीं है। मैं क्षमा चाहते हुए उनको कहना चाहूंगा आदरपूर्वक कि सदन को इस प्रकार के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। इस सदन में इस प्रकार की व्यवस्थाएं हो चुकी हैं जिसमें सब जुडिस मामले को बहुत अच्छी तरह से परिभाषित किया गया है और यह कोई ऐसा जुडिशियल मामला नहीं है जो सदन से छुपाया जाए। यह मामला हाउसिंग बोर्ड के एक्ट से उत्पन्न हुआ है और उस एक्ट को हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने रिजेक्ट कर दिया कि आपने ब्रीच आफ कांट्रैक्ट किया है, आपने जिन लोगों के साथ समझौता किया है उनके साथ धोखा किया है। उसके बाद में हाउसिंग बोर्ड डबल बेंच में गया। पहला मेरा प्रश्न यह है, माननीय मन्त्री महोदय...

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मन्त्री) : एक सैकण्ड। माननीय सभापति महोदय, मैंने प्रारम्भ में निवेदन किया कि सारी बात पढ़ने के बाद मैंने केवल इत्तला दी है आपको कि यह मैटर....

श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार) : गया कौन था ? कोर्ट में हाउसिंग बोर्ड गया है।

श्री भंवरलाल शर्मा : ठहरिये, ठहरिये, एक मिनट पढ़िये। हां, गया होगा। यह मैटर सब-जुडिस....(व्यवधान) एक सैकण्ड मेरी बात....(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया बिराजें। व्यवधान नहीं डालें।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : सभापति महोदय, व्यवधान नहीं है, व्यवधान डालने का इरादा नहीं है।

(82)

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : आप एकमुश्त पैसा मांग रहे हो, गरीब कहा से एकमुश्त पैसा लायेगा ?

श्री सभापति : मन्त्रीजी खड़े ही हुए हैं और आप बीच में बोल गये ।

श्री विष्णु मोदी : लेकिन यह कहा कि राजस्थान हाउसिंग बोर्ड डबल बैंच में गया है और उसके बाद डबल बैंच ने स्टे दिया है ।

श्री सभापति : मोदीजी, इसमें गर्म होने की कौनसी बात है । बिराजें आप ।

श्री हरिसिंह (महुआ) : सभापति महोदय, मन्त्रीजी खुद ही व्यवधान पैदा कर रहे हैं .. (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय हरिसिंह जी, बिराजें ।

श्री रामस्वरूप मीणा : आपको तो मकान मिल गया, आप क्या जानें हमारी पीड़ा को ।

श्री हरिसिंह (महुआ) : आप मन्त्रीजी को डांटिये ।

श्री सभापति : मन्त्रीजी को सुनिये क्या कह रहे हैं।

श्री हरिसिंह (महुआ) : आप मन्त्रीजी को रोकिये, व्यवधान पैदा कर रहे हैं ।

श्री रामस्वरूप मीणा : आज आप घोषणा करिये कि किस वक्त तक मकान दे दिये जाएंगे । घोषणा करो स्पष्ट सदन के अन्दर, सारे माननीय सदस्य....

श्री सभापति ; रामस्वरूपजी, बिराजें। मैं आपसे निवेदन करता हूं, बीच में इन्टरप्ट नहीं कीजिये ।

श्री विष्णु मोदी : सभापति महोदय, इन्टरप्ट कोई नहीं करेगा लेकिन यह जो अभी जवाब दिया माननीय मन्त्री महोदय ने, गया होगा, क्या गया होगा ? आप जवाब दे रहे हैं ।

श्री सभापति : यह आवश्यक है क्या कि आपको यह गया हुआ कह दिया तो आप इन्टरप्ट करेंगे ।

श्री विष्णु मोदी : नहीं, गया होगा का मतलब ?

श्री सभापति : कोई बात नहीं, सुन लीजिये आप ।

श्री विष्णु मोदी : गया होगा का क्या मतलब है ?

श्री सभापति : बिराजें आप ।

श्री विष्णु मोदी : गया होगा का क्या मतलब है ?

श्री रामस्वरूप मीणा : हमारी मंशा की बात है, हम कहेंगे, कोई हमारी आवाज को नहीं रोक सकता ।

श्री सभापति : आप बिराजें । आप बार-बार खड़े हो जाते हैं .. (व्यवधान).... आप बिराजें । माननीय मन्त्रीजी ।

श्री रामस्वरूप मीणा : किश्तों में हमारे पैसे जमा होने चाहिए ।

श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना) : मन्त्रीजी ने ऐसा जवाब दिया कि गया होगा, यह उचित नहीं है । यह सदन है ।

श्री रामस्वरूप मीणा : हम भी इस सदन के सदस्य हैं। सदन है तो हम भी हमारी मंशा रख रहे हैं। आप हम को दबा कर नहीं रोक सकते।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (सार्वजनिक निर्माण मन्त्री) : कहां से बोल रहे हैं आप ? (व्यवधान)

श्री मोहनलाल मोदी : आप मन्त्रीजी को ताड़ना दीजिये।

श्री सभापति : माननीय रामस्वरूप जी, आप अब वरिष्ठ हैं, अब तो आप समझने लग गये होंगे कि नियमों के अन्तर्गत ही बोलना चाहिए।

श्री रामस्वरूप मीणा : वरिष्ठ हैं इस लिए तो करबद्ध निवेदन कर रहे हैं आपसे। वाजिब मांग है, सब की मांग है।

श्री सभापति : आप बिराजिये। मैंने आपसे निवेदन किया कि आप बोलना चाहते हैं तो आपको इजाजत दूंगा। सुनिये मन्त्रीजी को। अच्छा नहीं लगता है।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय सभापति महोदय, मैंने यह कभी नहीं कहा कि इस पर चर्चा नहीं की जाए, न आज मेरा मतलब है। मैंने केवल आपको निवेदन किया था कि यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है। चर्चा आप पर छोड़ दूंगा। यह नहीं कहा कि चर्चा मत करिये, आज भी नहीं कहता हूं कि वहां विचाराधीन है इसलिए चर्चा मत करिये। तो जबरदस्त का आप +++ मचा रहे हैं। मैंने कब मना किया कि चर्चा मत करो ? (व्यवधान) मैंने कभी नहीं कहा, मैंने नहीं पढ़ा इसको। इसलिए मैंने इसको नहीं पढ़ा। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय मोदीजी, उनको अधिकार है सदन को सूचित करना कि यह मामला कोर्ट में है। यहां से, चेयर से यह कह दिया गया कि इस मामले पर चर्चा होगी और चर्चा चल रही है, फिर किस बात की गर्मी है। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : इन्फार्म ही नहीं करूं मैं ? मैंने केवल इन्फार्म किया है, मैंने चर्चा का कभी मना नहीं किया है। अभी भी नहीं करता हूं।

श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम): सैद्धान्तिक प्रश्न पूछ रहे हैं। जब इस सिद्धान्त के आधार पर आप इसको गलत मानते हैं, डी. ओ. में नहीं जाते। Then why don't you withraw it ?

श्री भंवरलाल शर्मा : I will reply then. आप पहले बात कर लें, फिर जवाब भी दूंगा मैं। अगर आप अनुमति देंगे तो जवाब भी दूंगा, निर्माण भी करेंगे। आप निर्णय चाहते हैं तो सुनना भी पड़ेगा मा फिर तो। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : न आपने सभापतिजी को एड्रेस किया, आपने बैठे ही कह दिया, गया होगा।

श्री भंवरलाल शर्मा : कभी नहीं कहा मैंने यह। आप देख लो रिकार्ड में।

श्री रामनारायण चौधरी : आपका यूं

+++शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री रामनारायण चौधरी)

कहना और जुबान से यह कहना, यह जुबान ही एक ऐसी चीज है....

श्री भंवरलाल शर्मा : ना, ना, कभी नहीं कहा मैंने। (व्यवधान)

श्री सभापति : फिर रामस्वरूपजी, आप खड़े हो गये।

श्री रामनारायण चौधरी : जुबान ही ऐसी एक चीज है जो सारे झगड़े पैदा करवा देती है।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैंने कब कहा यह ?

श्री रामनारायण चौधरी : आप आसन के प्रति सम्मान दिखाते, सभापति महोदय, कि यह मामला इसमें ऐसे गया होगा।

श्री भंवरलाल शर्मा : कब कहा मैंने ? कभी नहीं कहा।

श्री रामनारायण चौधरी : ऐसे इस रूप में कोई बोला जाता है ?

श्री भंवरलाल शर्मा : कभी नहीं कहा। कब कहा मैंने ? कभी नहीं कहा। (व्यवधान) मैंने यह कभी नहीं कहा, गया होगा। I know, गया है। मैंने खुद ने कहा, गया है।

श्री विष्णु मोदी : गया नहीं, केजुअल-ब में आपने कहा, गया होगा।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैंने खुद ने कहा, आप देख लीजिये ना, गया, भई आप रिकार्ड देख लीजिये। मैंने खुद ने कहा, गया है। (व्यवधान)

श्री सभापति : बिराजिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सभापति महोदय, माननीय मन्त्री महोदय की मंशा तो क्लियर हो गयी, वह चाहते हैं कि सदन में चर्चा हो और सदन की भावना का आदर भी करूंगा। लेकिन मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं। सदन में जो स्टेटमेंट लिख कर भेजते हैं, अधिकारियों की क्या इतनी हैसियत और औकात बढ़ गयी कि वह सदन में बात नहीं आये इसके लिए इस प्रकार का माहौल बनायें और वह स्टेटमेंट मन्त्रीजी के देखे बिना विधान सभा की दीर्घा तक पहुंच जाए। इस सदन से छिपाने का प्रयत्न करने वाले कोई भी अधिकारी चाहे वह सैक्रेटरी हो, चाहे हाउसिंग बोर्ड का चेयरमैन हो, इसको यह सदन माफ नहीं कर सकता। इस सदन से छिपाने का किसी को भी अधिकार नहीं है। जब मामला सारा जा रहा है, अखबारों में छप रहा है उसके बाद में जिस अधिकारी ने यह स्टेटमेंट लिख कर भेजा है, सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मन्त्री महोदय से मांग करना चाहता हूं कि वह दृढ़ता दिखायें और ऐसे अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करने की मंशा जाहिर करें।

माननीय सभापति महोदय, मैं दूसरा निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार के पाइण्ट दिये गये हैं, जिसमें हाउसिंग बोर्ड कह रहा है कि वह किश्त वसूल नहीं कर पा रहा है। किश्त नहीं वसूल कर पा रहा है तो पाप तो हाउसिंग बोर्ड कर रहा है और भुगतना पड़ रहा है किराया क्रय

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

पद्धति वालों को । जो पापी हैं उनको पाप का हिस्सा मिलना चाहिए। इतनी बड़ी विफलता स्वीकार करने के बाद में तीन साल से, चार साल से जो अधिकारी वहां बैठे हैं, चाहे वह सैक्रेटरी हो, चाहे चेयरमैन हो, उनको एक सैकण्ड भी हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष के पद पर रहने का अधिकार नहीं है। वह नहीं कर पा रहे हैं 35 पर्सेण्ट वसूली। दोष किसका है? आज दोष हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन का है, सैक्रेटरी का है। वे रेस्पांसिबल हैं। हाउसिंग बोर्ड के पास आप जब पैसे जमा करवाने जाते हैं कि मैंने इतने रुपये जमा करवा दिये, तो वह कह देते हैं कि हमारे पास हिसाब नहीं है, आपकी स्लिप लाओ, रसीद, आपकी इस रसीद को देख कर ही हम कहेंगे कि इतना पैसा जमा हुआ कि नहीं हुआ। इससे भी ज्यादा और है कि उसको एक्सेप्ट नहीं करते। इतना प्रशासन में लुंज-पुंज और अस्त-व्यस्तता अगर किसी सरकारी विभाग में हो तो मैं कह रहा हूं अपनी सरकार, जो संवेदनशील है, को तुरन्त आज यहां पर तीन बातों की घोषणा करनी चाहिए। नम्बर एक....(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया डिस्टर्ब नहीं कीजिये। बात की गम्भीरता को समझिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हाउसिंग बोर्ड के वर्तमान अधिकारियों को आज का सदन होते ही तुरन्त स्थानान्तरित कर देना चाहिए। एक मिनट वहां रहने का उनको अधिकार नहीं है। नम्बर दो, हाउसिंग बोर्ड के सारे क्रिया-कलापों की जांच के लिए इस सदन की एक समिति गठित की जानी चाहिए जो उसके सारे कार्यकलापों की जांच करेगी और इसके बाद में इसके कार्य सुधार पर प्रतिवेदन जारी करेगी।

सभापति महोदय, मैं दो-तीन बात आपको और निवेदन करना चाहता हूं।

श्री किशन मोटवानी : अपील वापस ले लो, यह भी कहो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं कह रहा हूं। तो मैं निवेदन कर रहा हूं कि उन लोगों के साथ क्या होगा, एम एल.ए. का रिजर्वेशन हुआ जो वापस ले लिया। मैं पहली बात यह कहना हूं कि जिन-जिन लोगों का रिजर्वेशन किया था, पत्रकारों के लिए दो प्रतिशत, एम.एल.ए. के लिए एक प्रतिशत और कुछ कैटेगरीज के लिए किया गया था, आरक्षण कोई सोच समझ के बाद ही किया गया था, आज उस आरक्षण का हिसाब ही नहीं है कि वह एक पर्सेण्ट का कितना आवंटन हो गया, दो पर्सेण्ट का कितना आवंटन हो गया। मैं मांग करता हूं कि सरकार आज घोषणा करे कि एम.एल.एज. का जो रिजर्वेशन था वह कायम रहेगा, पत्रकारों का भी रिजर्वेशन कायम रहेगा। इसको पूरा कीजियेगा। आखिर समाज के ऐसे वर्ग के लोग हैं जो जयपुर में रहते हैं, आते हैं, अपना मकान पैसा खर्च करके बहुत से लोग नहीं बना सकते।

मैं दो-तीन बातें आपसे निवेदन करूंगा, हाउसिंग बोर्ड कब से खराब हुआ।

श्री रामनारायण चौधरी : यह आरक्षण किसने ले लिया वापस ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : कोटा पूरा नहीं हुआ।

श्री सभापति : एक प्रतिशत का जो कोटा था वह पूरा नहीं हुआ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इनको पता नहीं कि कितना कोटा हो गया।(व्यवधान) रामस्वरूपजी, बैठें। आप फिर बोल लेना। तो मैं कह रहा हूं, इसका हिसाब उनके पास नहीं है। कोई पत्रकार जाएगा कि दो प्रतिशत में मेरा दे दो, तो उनके पास हिसाब नहीं कि कितना कर दिया या कितना नहीं किया। रजिस्ट्रेशन ही नहीं करते। अन्य कैटेगरी का तो मुझे पता नहीं है जिनका आरक्षण किया गया था। तो इन सब का उनके पास कोई हिसाब-किताब नहीं है। यह आवासन मण्डल कब से भ्रष्ट हुआ, यह कब से अस्त-व्यस्त हुआ ? मैं कांग्रेस की, बी जे.पी की आलोचना नहीं कर रहा हूं। प्राइवेट आदमी चाहे कांग्रेस का था, बी. जे.पी. का तो कभी लगा नहीं....(व्यवधान) लगे तो हुकमानीजी लगे थे, मुझे ध्यान है, जब-जब प्राइवेट आदमी चाहे कांग्रेस पार्टी से सम्बन्धित रहा हो, चाहे बी.जे.पी. से सम्बन्धित रहा हो तब तक हाउसिंग बोर्ड ठीक चलता रहा। जब-जब इन प्राइवेट आदमियों को हटा कर सरकारी नौकरों के हाथ में दे दिया गया, यह भ्रष्टाचार और प्रशासन की अकर्मण्यता का अड्डा बन गया। इसलिए सदन को पहला प्रस्ताव यह पास करना चाहिये। कल यह भी हो सकता है।

सभापति महोदय, हाउसिंग बोर्ड है या यह सब बोर्ड हैं, वह किस लिए बनें ? यह प्राइवेट मकान बनाने की संस्थाएं नहीं हैं। मकान बनाने की तो बहुत बड़ी-बड़ी संस्थाएं आने के लिए तैयार हैं जो मकान बना देंगी। फर्स्ट क्लास मकान बना देगी और मकान बना कर आपकी समस्याओं का समाधान कर देगी लेकिन हाउसिंग बोर्ड का गठन इसलिए किया गया था कि जो गरीब आदमी हैं, जिनके पास पूरे पैसे देने के लिए नहीं हैं, उन गरीब आदमियों को मकान मिल जाए। इस लोक कल्याणकारी भावना से किया गया था। आज लोक कल्याणकारी भावना खतम करके आप बिजनेस का सेण्टर बनाना चाहते हो। जिन अधिकारियों ने हाई कोर्ट का आदेश आने के बाद डी.बी. में अपील करने की कोशिश की है, सरकार की परमिशन से की है या बिना सरकार की परमिशन से की है, मैं यह जानना चाहता हूं। सरकार की परमिशन से की है तो बड़े दुःख से कहना चाहता हूं कि सरकार ने गलती की है और अगर हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों ने बिना सरकार की परमिशन से की है तो उनके खिलाफ एक्शन निश्चित रूप से होना चाहिये, मेरा कहने का मकसद यह है। मैंने अभी आपसे कहा, आवासन मण्डल के कारनामों की जांच के लिए। चाहे पी.यू.सी. से करा लें, पब्लिक अण्डर टेकिंग कमेटी से चाहे सरकार सभी पार्टी के विधायकों की कमेटी बनाकर उससे जांच करा ले। इसका नीति सम्बन्धी निर्णय लेकर तय करे।

वर्तमान जो अध्यक्ष हैं उनका तो एक अलग तरीका है। मैं आलोचना नहीं करना चाहता हूं....(व्यवधान) मैं आलोचना नहीं करना चाहता हूं।

श्री सभापति : बोलने दीजिये उनको।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा, मेरी किसी अधिकारी से कोई व्यक्तिगत बात नहीं है लेकिन इस

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

हाउसिंग बोर्ड के इतने कारनामे मेरे पास हैं, मैं आज पेश नहीं करना चाहता हूं, मुझे विश्वास है कि सरकार मेरी बात पर ध्यान देगी और निश्चित रूप से कार्यवाही करेगी और मुझे उनको पेश करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और सदन की मूल भावना का आदर करके ऐसा नहीं किया गया किन्हीं कारणों से, तो आगे आने वाले समय में जब नगरीय आवासीय विकास की मांग होगी तो मैं हाउसिंग बोर्ड के ऐसे तथ्य ला सकता हूं जो हमारे लिए, हमारे सदन के लिए और हाउसिंग बोर्ड के लिए किसी प्रकार से उचित नहीं होंगे। इसलिए आज उन बातों को कहना मैं उचित नहीं समझता हूं।

अब जो मुद्दा हमारे सामने अटका हुआ है वह यह है, मूल रूप से प्रश्न जो आया, सरकार घोषणा करे कि हाई कोर्ट की डी. बी. वाली रिट वापस लेगी, नम्बर एक। जिस प्रकार से पहले गरीबों को मकान देने की घोषणा की थी, किराया क्रय पद्धति पर मकान देना जारी रहेगा, नम्बर दो। जिन लोगों के लिए आरक्षण करने की व्यवस्था थी दो पर्सेन्ट, एक पर्सेन्ट, पांच पर्सेन्ट गरीबों के लिए, विभिन्न कैटेगरीज के लिए, उसकी समीक्षा की जायेगी कि किस-किस कैटेगरीज के कितने-कितने मकान बन गये और कितना देना बाकी है, कब उनको अलाट किया जाएगा। जिनसे पूर्व में कांट्रेक्ट हो गया है उस कांट्रेक्ट को भंग नहीं किया जाएगा। हाउसिंग बोर्ड ने जिनको सार्वजनिक स्थानों की बेची है उन जमीनों के बारे में जांच की जाएगी। इन सारे मुद्दों पर जांच करके आज सरकार संवेदनशीलता का परिचय दे। मैं निवेदन करूंगा कि हमारे वरिष्ठतम मन्त्री माननीय भंवरलाल जी शर्मा, जिनके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता, व्यक्तिगत रूप से इतने स्पष्ट और साफ हैं, मैं उनसे चाहूंगा कि इस छवि को बनाये रखने के लिए वह अपने ऊपर नहीं लें और वह इस बात का प्रयत्न करें कि सदन, जो जनता की आवाज है, भ्रष्ट और अकुशल अधिकारियों का आश्रय स्थल नहीं है, यह बात हमको सदन में प्रमाणित करनी पड़ेगी। इसी भावना से मैंने प्रश्न उठाया है और मैं समझता हूं कि हमारी सरकार इस भावना को समझेगी और उसी भावना के अनुसार इसका जवाब देगी। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री ओमप्रकाश शर्मा। (अनुपस्थित) श्री राजेन्द्र गहलोत।

श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) : सभापति महोदय, मेरे से पूर्व माननीय सदस्यों ने हाउसिंग बोर्ड के सम्बन्ध में जो विचार रखे हैं और जिस प्रकार की भावना और विचार सदन में आये हैं उस सम्बन्ध में मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान आवासन मण्डल ने जनता को सस्ते मकान और अच्छे मकान देने की जो घोषणा की थी उस भावना के अनुरूप राजस्थान में नहीं चल रहा है। मेरे पूर्व सदस्यों ने जो बात कही है उसको नहीं दोहराते हुए मैं जोधपुर के सम्बन्ध में एक बात कहना चाहूंगा। जोधपुर की हाउसिंग बोर्ड कालोनियों के लिए किसानों से जो भूमि ली गयी थी वह बहुत सस्ती थी। उस भूमि का जो क्रय मूल्य था, सिर्फ चौदह-पन्द्रह हजार रुपये बीघा ली गयी और उसके बाद जब

(श्री राजेन्द्र गहलोत)

मकान बन कर तैयार हुए, आवेदनकर्ता व उपभोक्ताओं को उस भूमि की जो दर लगायी है वह बहुत अधिक लगायी है। आप देख सकते हैं तीस गुना अधिक है। जो दस रुपये मीटर से लेकर बीस रुपये मीटर तक की थी उसको हमने 485 रुपये मीटर तक की दर लगायी है। मेरा कहने का अर्थ यह है कि जिस समय आवेदनकर्ता ने अपना मकान बुक करवाया उस समय जो रेट थी उसके अनुरूप उसने अपनी किश्तें जमा करानी शुरू कर दीं। मकान पांच वर्ष में पूरा होने वाला था। पांच वर्ष में किसी कारण से वह पूरा नहीं हुआ तो उसका सारा सरचार्ज, उसका सारा सुपरविजन चार्ज आवेदनकर्ता के ऊपर लगाकर जो मकान दो लाख का था उस मकान की उन्होंने पांच लाख रेट लगायी। जिसके कारण आज बहुत से आवेदनकर्ता हाई कोर्ट में गये। हाई कोर्ट में भी एक निर्णय किया गया।

मैं बहुत संक्षेप में कह रहा हूं। मैं एक उदाहरण देता हूं इससे सारी चीज समझ में आ जाएगी। परिजात योजना के अन्दर 1989 में प्रथम श्रेणी का मकान आरक्षित कराया गया था उस मकान की रेट उन्होंने 2 लाख 5 हजार 769 रुपये लगायी जो दो वर्ष में पूरा होना था। उसके बाद वह दो वर्ष में पूरा नहीं किया गया। आवेदनकर्ता ने दो वर्ष में अपनी सारी किश्तें जमा करा दीं। दो वर्ष में चारों किश्तें जमा करवायीं। जब उसने मकान मांगा तो उन्होंने कहा कि मकान कम्प्लीट नहीं हुआ है। बार-बार वह हाउसिंग बोर्ड के चक्कर लगाता रहा। उसके बाद उन्होंने कहा कि 5 लाख 38 हजार 650 रुपये यदि आप जमा करवाओगे तो आपको मकान मिलेगा। यदि मकान में विलम्ब हुआ, मकान बनाने में देरी हुई, मकान समय पर नहीं बना, उसका दोष आवेदनकर्ताओं, जिन्होंने मकान की बुकिंग करवायी है, का तो नहीं हो सकता। इस प्रकार के सैकड़ों केस हमारे सामने हैं। जनता मारी-मारी घूम रही है। हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों ने उस पर कभी ध्यान नहीं दिया। वह चक्कर लगवाते रहते हैं, जनता को यह जवाब तक नहीं देते हैं कि कब आपका बुक किया और कब आपको मकान मिल जाएगा। जोधपुर के अन्दर इस प्रकार के 1500 उदाहरण हैं। आवेदनकर्ता बार-बार इनके सामने घूमते हैं तो भी हाउसिंग बोर्ड यह कहता है कि हम घाटे में चल रहे हैं। मैंने आपसे निवेदन किया कि जमीन सस्ती ली, उस सस्ती जमीन पर यदि आपने मकान बनाया तो तीस गुना अधिक जमीन की दर लगायी है उसके बाद भी आप कहते हैं कि घाटा है। घाटा पूरी व्यवस्था के अन्दर है। जो अफसरशाही है, तानाशाही है और जो अधिकारी बैठे हैं उनकी लापरवाही है जिस के कारण आज हाउसिंग बोर्ड को घाटा हो रहा है। शहरों में बढ़ती हुई जनसंख्या है, आवासीय समस्या है। इस समस्या के समाधान के लिए, मन्त्री महोदय, माननीय घनश्याम जी ने जो सुझाव दिये हैं उन सुझावों के आधार पर मैं भी यही निवेदन करना चाहता हूं कि पूरे हाउसिंग बोर्ड की समीक्षा की जाए और कौन-कौन दोषी अधिकारी हैं उनके ऊपर पूरी जांच बैठायी जाए, हाई कोर्ट में जो मामले चल रहे हैं उन मामलों को उठाया जाए, मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं। जो भ्रष्टाचार

(श्री राजेन्द्र गहलोत)

या लापरवाही हुई है उन अधिकारियों के खिलाफ जांच की जाए।

श्री सभापति : श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : सभापति महोदय, मै निवेदन करना चाहूंगी कि इस प्रकरण में कई गलतियां हैं। यह ऐच्छिक होता तो कोई दिक्कत नहीं होती। ऐच्छिक के लिए भी परमिशन लेनी चाहिये थी। बजाय इसके कि सीधे ही केवल नकद भुगतान पद्धति से लिये जाएं, इसके लिए ही मकान बने हुए रोके गये। हजारों की संख्या में मकान बने पड़े हैं लेकिन उनसे कमाई करनी है, गरीबों को नहीं देना है, इस आशा से यह निर्णय लिया गया। इस निर्णय को अगर मन्त्री महोदय ने समझ लिया तो उसको रोका क्यों नहीं गया ? हाई कोर्ट में चले गये, यह मेरी समझ में नहीं आता। गरीबों के लिए जो मकान बने थे उनकी तीनों तरह की कैटेगरीज बनी हुई थीं। छोटे मकान, मध्यम मकान और उच्च श्रेणी के मकान एक मुश्त पैसा देकर लिए जाने वाले मकान और किराया क्रय पद्धति पर लिए जाने वाले मकान। इसमें किस प्रकार से यह निश्चय आया कि वह एक बार एकमुश्त पैसा देकर खरीदेंगे। इतना ही नहीं, उनको तो नोटिस दिये ही गये हैं बल्कि आम आदमी को आमन्त्रित किया गया है कि आप आकर मकान ले लीजिए, हमें तो पैसा चाहिए। यह कहां का तरीका हैं ? जिनसे जमीन खरीदी उनको पैसे नहीं दिये, वह रोते फिर रहे हैं। उनसे सस्ती जमीन खरीदी और महंगे मकान बेच रहे हैं। जिनके लिए आवंटित किये गये आवंटित होने चाहिए थे उनको दिये नहीं जा रहे हैं। मेरी वन विहार कालोनी में पता नहीं किन लोगों को घुसेड़ दिया और जो आवांटी थे, जिनके नाम थे उनको दिया नहीं गया। हमने कई बार चर्चा करी, उसकी कोई चर्चा ही नहीं। मैं यह बताना चाहती हूं कि यह तरीका क्या है।

मैं एक ही उदाहरण देना चाहती हूं। एक ज्ञानीबाई हैं, बहुत गरीब औरत है ऐसी है जिसके पास दो वक्त खाने को नहीं है। मान लीजिये वह किराया क्रय पद्धति से किश्तें जमा करा रही थी उसको यह नोटिस दिया गया है कि आप पूरा का पूरा पैसा एक मुश्त जमा कराओ, नहीं तो हम इसको बेचेंगे। यह कहां का तरीका है ?

शॉपिंग सेण्टर नहीं है, उनके जो पार्क बने हैं उनकी कोई योजना नहीं है, सड़कों की मरम्मत नहीं है, मकान खराब बने हैं। यह बात है, उनके होते हुए भी यह समझ में नहीं आया। क्या आवासन मण्डल केवल अमीरों के लिए है, उनके लिए है जो धनी है। जो गरीब हैं उनके लिए क्या योजना है ? यह बुनियादी जरूरत है रोटी, कपड़ा और मकान। क्या समझ रखा है मन्त्री महोदय ने। इनको सुधारिये जो वहां बैठकर सरकार की छवि बिगाड़ना चाहते हैं। मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगी कि ऐसे अधिकारियों, कर्मचारियों को समझिये। जब उनसे यह पूछने जाते हैं कि हमें कितना पैसा और देना है, कितनी किश्तें और देनी हैं, पैसा जमा करा दिया, चढ़ाया नहीं गया, कोई रेस्पोंस नहीं मिलता। और पैनल्टी का मैं आपको बताऊं एक उदाहरण। अगर किसी ने पैसा जमा नहीं

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

कराया, एक सीड मनी का, तो रुपया पर मत्थ। एक को नोटिस आया 75 प्रतिशत मैंने पूछा कि यह हुडको के द्वारा ऋण पद्धति के आधार पर ले रहे हैं या बैंकिंग के आधार पर ले रहे हैं? तब जाकर अधिक से अधिक यह कहा गया कि 24 प्रतिशत लेंगे। 24 प्रतिशत देकर तो देखो। जिनके पैसे जमा हैं उनको 24 प्रतिशत दो। आपने समझ क्या रखा है। बरसों-बरस से लोगों के पैसे जमा है लेकिन आपके यहां कोई हिसाब, खाता नहीं है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि आप इस सबको सुधारिये। मेरा तो आपको सुझाव है कि जो यह मामला बिगड़ा हुआ है, आपके हाथों में आने पर भी, मन्त्री महोदय, अगर यह बिगड़ा पड़ा रहा तो सुधरेगा कब। यह उधर के पक्ष ने बिगाड़ा होगा या इन्होंने बिगाड़ा होगा अधिकारियों ने, परन्तु मैं यह पूछना चाहती हूं कि आपकी एक संस्था कहती है कि नाले के सहारे मकान मत बनाओ और नाले से इतनी दूर बनाओ और आपने नाले के सहारे खड़े कर दिये मकान। आपके अधिकारियों, कर्मचारियों ने समझा नहीं। मालवीय नगर योजना देखी है आपने। उस पर जो नाला बना है उसके हिस्से का पैसा जमा नहीं कराते, सिंचाई विभाग मर-मर कर रो चला। यहां के मुख्य सचिव, की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी है उन्होंने कई बार कहा कि आप अपने हिस्से का पैसा दो। यह अन्य बातें बता रही हूं जो यहां पर होती है।

से यह निवेदन करना चाहूंगी, मालवीय नगर में जिस दिन तेज बरसात आ गयी, पता नहीं कितने मकान ढह जाएंगे। खराब सामान लगा उसके माध्यम से कितने गिरेंगे वह अलग है आकस्मिक आपदा के आधार पर आने वाले समय में कौन सा अधिकारी वहां झाड़ लगाकर खड़ा हो जाएगा? मकान गिरेंगे और मकान में रहने वाले बहेंगे। पिछली बार यहां पर 79 आदमी नाग तलाई के नाले में बह गये, किसने रोक लिए? मैं निवेदन करना चाहूंगी इन सारी मामलात को देखते हुए श्री घनश्याम तिवाड़ी ने यहां पर अपने जो सुझाव दिये हैं मैं उनको दोहराना नहीं चाहती. उसके आधार पर निर्णय लेकर आप यह निश्चय करें और जो यह मकानात हैं, जिस पद्धति में आपने तय किये उसी पद्धति से दें और जितने बने हैं, खड़े हुए मकान हैं उनको तत्काल रूप से आवंटित करवायें। यह कोई तरीका नहीं है कि प्रताप नगर में ढेर सारे बने खड़े हैं, आज चाहे मानसरोवर में ढेर सारे बने खड़े हैं। चोरियां हो रही हैं आये दिन, सन्नाटा है वहां पर। किसलिए नहीं देते मकान, किसलिए उसको महंगा कर रहे हैं? हर आदमी जिसको 48 हजार रुपये में मकान मिलना चाहिए था उसको ढाई लाख में मकान मिल रहा है। जिसको 98 हजार में मिलना चाहिये था उसका पांच लाख का मकान हो गया।-आपकी देरी के कारण लोग परेशान हैं। उनकी जेब काटने के तरीके लगा रखे हैं। आप इसको समझिये और इसको सुधारिये।

श्री सभापति : माननीय श्री गोपीराम चौधरी। चौधरी जी हैं? नहीं है? (अनुपस्थित) श्री किशन मोटवानी। आप प्रारम्भ करें उससे पहले नम्र निवेदन है कि नियम 131 के अन्तर्गत यह जनरल

(श्री सभापति)

डिबेट नहीं बनाई जा सकती इसलिए अति संक्षेप में जो प्रश्न नहीं आये हैं वह कह दीजियेगा।

श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम): सभापति महोदय, मैं सबसे पहले तो ध्यान आकर्षणकर्ता मेरा साथी का आभार व्यक्त करता हूं। उनके खुलेपन की खुले दिमाग की भूरी-भूरी प्रशंसा करता हूं। लेकिन सरकार की +++ बुद्धि समाजवाद के प्रति जो है उसकी भर्त्सना करता हूं। अभी तक माननीय मन्त्री महोदय को खड़े होकर यह कह देना चाहिये था कि जो डी. बी. में मसला गया है वह सैद्धान्तिक रूप में गलत है और हम उसको वापस लेते हैं और जो पूर्व की पद्धति है उसको अपनाते हैं जिसके माध्यम से हम गरीबों को छप्पर देना चाहते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं आपने एक सर्विस पेशे वाले की बात कही कि जो अब रिटायर हो गया 15 साल के बाद, उसको आप किस प्रकार से ऋण दिलवायेंगे। आज ठेले वाले की बात मैं कहता हूं। एक औरत की बात उजला अरोड़ा जी ने कही, उसको आप किस तरह से बैंक से ऋण दिलायेंगे। आप तो फिर भी हुडको से ऋण ले सकते हैं, लेकर आप इस किराया क्रम पद्धति के माध्यम से दे सकते हैं फिर रिकवर करके आप हुडको को वापस दे सकते हैं। अब आप कहें एच.सी. एफ. डी. से ऋण लीजिये, मेरे जैसे व्यक्ति को कितनी परेशानी है मैं जानता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं घनश्यामजी तिवाड़ी, ने जो विधायकों के सन्दर्भ में आरक्षण की बात कही, मेरे को दिया है भंवरलाल जी ने, मैं भंवरलालजी के लिएनिवेदन करता हूं उन्होंने इस पर निर्णय नहीं लिया, उसको अटकाये रखा। फिर मुझे वापस अपने मकान का जो मेरा ओरिजनल रजिस्ट्रेशन था उस पर मकान लेना पड़ा। वह मामला हाई कोर्ट में पड़ा हुआ है, अब तक पड़ा हुआ है। इस तरह का मामला मैं उठाना नहीं चाहता हूं किन्तु जो सिद्धान्त की बात है उसको डाइल्यूट भी नहीं करना चाहता हूं। एक ही मुद्दा है, वैसे चन्दुखाना है यह आपका हाउसिंग बोर्ड, इसको ठीक करिये। यह आपका उत्तरदायित्व है। उसके लिए डिस्कशन करना चाहे तो यहां समय रख दीजिये लेकिन मैं उस सिद्धान्त से हटना नहीं चाहता जो पद्धति आपने अपनायी है कि नकद भुगतान दो मकान लो, इसको तो आप तुरन्त वापस लो। इससे हजारों-हजारों गरीब लोगों को पीड़ा है और मैं समझता हूं कि आप के दफ्तर में सैकड़ों-सैकड़ों प्रतिवेदन आये होंगे जिनको शायद आपने अभी दफ्तर दाखिल कर रखा है। उस पर आपने निर्णय नहीं लिया, यह दुर्भाग्य की बात है मैं आपसे कहूंगा कि आप इस पर तुरन्त निर्णय लेकर डी. बी. से केस वापस लीजिये और पुन: किराया क्रय पद्धति को चालू कीजिये।

श्री सभापति : श्री विष्णु मोदी।

श्री विष्णु मोदी : माननीय सभापति महोदय, संवेदनशीलता के ऊपर कल माननीय चतुर्वेदी जी का और माननीय मुख्य मन्त्री जी का लम्बा-चौड़ा भाषण हुआ। गरीब को गणेश मानने वाली, संवेदनशीलता का दावा करने वाली यह सरकार

+++ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री विष्णु मोदी)

जिस तरह के निर्णय कर रही है एवं जो कथनी और करनी में इनका अन्तर, है इनसे ज्यादा और क्या उम्मीद की जा सकती है। हाई कोर्ट के जज ने कह दिया कि यह निर्णय गलत है तो अब डी. बी. में गये। डी. बी. से हो जायेगा तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। मान्यवर, मुकदमेंबाजी सरकार का काम नहीं है। उसका काम है, आदमियों की समस्याओं का निपटारा करना। आप किश्तें वसूल कर नहीं पाते, लोगों को जवाब आप दे नहीं पाते और उल्टे-सीधे फैसले आप लेते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी का यही उद्देश्य है या यही मूल भावना है? जब इस सदन की एक राय है, एक्रोस टू दी पार्टी लाईन यह बात है कि यहां आप सैद्धान्तिक, नीतिगत निर्णय लीजिए और वह निर्णय लीजिये जिससे गरीब आदमी को लाभ मिले, आप यह दुकानें बन्द करिये, इतनी केजूअल जो आपकी अप्रोच है उस अप्रोच को बन्द करिये और इस बात की घोषणा इस सदन में होनी चाहिये कि जो पद्धति पहले थी वह लागू रहेगी, मुकदमा वापस होगा और इस बात को एनश्योर करिये, आप टाइम बाउंड प्रोग्राम बनाकर दीजिये कि आप कब तक जो आपके रजिस्ट्रेशन हैं उनका निपटारा करेंगे।

श्री सभापति : माननीय श्री जुबेर खान।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): सभापति महोदय, मै निवेदन करना चाहूंगा कि ज्यादातर माननीय सदस्यों ने कहा है, मन्त्री महोदय से मैं यह कहना चाहूंगा कि 90 से जब से यह सरकार बनी है तभी से ही यह विभाग आपके पास है, जैसा एक माननीय सदस्य ने आपके पक्ष की तरफ से कहा कि कांग्रेस की गलतियां हैं लेकिन आप मुझे यह बताइये कि आप जब मन्त्री हैं, आप जब विभाग के मुखिया बैठे हैं फिर राजस्थान आवासन मण्डल में इस तरह के फैसले होते रहें तो आप उनसे अछूते नहीं रह सकते। हमारा यह मानना है कि जो कुछ भी आवासन मण्डल में हो रहा है वह आपकी मंशा से कर रहे हैं, आपकी वाणी बोल रहे हैं। अगर आप यह समझते हैं कि आवासन मण्डल गलत कर रहा है तो आपको कहीं न कहीं लगाम लगानी चाहिये। सारी डिबेट आज यह दर्शायेगी कि सरकार की मंशा क्या है। अगर आपकी मंशा सही है तो आप घोषणा कीजिये कि किश्तों की पद्धति रहेगी। कम से कम यह तो कीजिये कि जिन लोगों से आपने 8-10 साल पहले पैसा ले लिया रजिस्ट्रेशन के नाम पर और किश्तों की पद्धति पर तो आप उनको तो किश्तों से दीजिये और आगे ऐलान कर दीजिये कि जो लोग एक मुश्त देना चाहें वही आकर रजिस्ट्रेशन करायें ताकि सक्षम लोग ही आपके पास रजिस्ट्रेशन करायेंगे।

मेरा दूसरा निवेदन यह है कि आपको इसी तरह से राजस्थान आवासन मण्डल चलाना है तो आप निविदायें अखबारों मे दे दीजिये कि जो भी कम्पनी आगे आना चाहे हमारे क्राइटेरिया के आधार पर, हम जमीन उनको मुहैया करायेंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बहुत-सी ऐसी संस्थाएं हैं जो आपके आवासन मण्डल से अच्छे मकान बनाकर देंगी, सस्ते मकान बनाकर देंगी, अच्छी लोकेलिटी बनाकर

(श्री जुबेर खान)

देंगी, अच्छे शापिंग सेण्टर्स और काम्पलेक्स बनाकर देंगी। अगर आपको यही रखना है तो काम्पीटिशन में और भी संस्थाएं हैं उनको उतारिये तब पता चलेगा कि आपका आवासन मण्डल कहां खड़ा होता है...

श्री सभापति : कृपया रिपीट नहीं कीजिये, समय बहुत कम है।

श्री जुबेर खान : सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि विधान के सदस्यों के लिए और पत्रकारों के लिए आरक्षण था और यह आरक्षण यह सोचकर किया गया था कि एम.एल.ए. और एम.पी. को बड़े साइज के मकान दिये जाएंगे।

श्री सभापति : वह बात आ गयी।

श्री जुबेर खान : उसका उद्देश्य यह था कि एम.एल.ए. और एम.पी. के पास लोग गांवों से आते हैं उनको कहां रखा जाएगा इसलिए थोड़ा बड़ा साइज दिया जाए। उसके अन्दर ओपन स्पेस भी थी ताकि अपने लोगों के लिए कोई व्यवस्था कर ली जाए। आज एम.एल.ए. को भी उसी केटेगरी में रख दिया गया और 200 वर्गगज का दे रहे हैं और जो आपका फ्लेट सिस्टम है वह दे रहे हैं। यह बन्द होना चाहिए। सरकार को आज यह घोषणा करनी चाहिए कि एम.एल ए. के लिए 400 वर्गगज का जो क्राइटेरिया था, पत्रकारों के लिए अलग से जो क्राइटेरिया था उसी आधार पर मकान दिया जाएगा और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आजकल के जो माननीय सदस्य हैं उनके साथ एक प्रकार से अन्याय है। सीनियर लोगों को तो पहले बड़े-बड़े मिले और आज जो लोग सदस्य बनकर आ रहे हैं उनको छोटे-छोटे दे रहे हैं। क्योंकि आवासन मण्डल के पास जमीन के अलावा कुछ नहीं है। माननीय सभापति महोदय, आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि आवासन मण्डल का मकान इसलिए लोग लेते हैं कि एक रेगुलेराइज कालोनी में जमीन मिल जाएगी। आप जमीन भी छोटी कर देंगे तो क्या इस तरह का स्केलेटन लेंगे कि आदमी प्रवेश करने से पहले कम से कम एक लाख रुपया लगायेगा तब जाकर मकान का श्रीगणेश कर सकता है अन्यथा वह उसमें नहीं रह सकता। मेरा आपसे करबद्ध शब्दों में निवेदन है, मन्त्री महोदय, आप कोर्ट के माध्यम से या मण्डल के माध्यम से अपने उत्तरदायित्व से मत बचिये। आज आपको निर्णय लेना होगा हाउस के सदस्यों की भावनाओं के अनुरूप कि आपकी सरकार क्या करना चाहती है, किस दिशा जाना चाहती है और किस तरह का सन्देश लोगों को देना चाहती है। यही बात मैं सभापति महोदय, कहना चाहता था।

श्री सभापति : समय बहुत कम है, माननीय सदस्य। श्री हरिसिंह महुआ। (अनुपस्थित) श्री रामचन्द्र (अनुपस्थित) श्री शैलेन्द्र जोशी।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : माननीय सभापति महोदय, यदि यह प्रश्न आये कि प्रश्न यह है कि भारतीय जनता पार्टी पैसे वालों की संस्था है और पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से लोक कल्याणकारी राज्य में कोई संस्था बनायी जा रही है, मेरा सबसे पहला यह निवेदन है कि माननीय कालीचरणजी सराफ ने, तिवाड़ीजी ने,

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

भारद्वाजजी ने, गहलोत साहब ने और श्रीमती उजलाजी अरोड़ा ने पहली बार इस सदन में एक सच्ची बात रखी कि राजस्थान आवासन मण्डल जो अपने प्रिएम्बल के टाइम पर नो प्राफिट नो लास की भावना को लेकर आगे बढ़ा था वह भावना भूल गया। राजस्थान जैसे गरीब और लोक कल्याणकारी राज्य की जो हमारी मूल भावना है उससे अलग हटकर आज सुनने में यह आ रहा है कि हाउसिंग बोर्ड के काउंटर पर जाइये, रुपयों की थैली खोलिये, चाबी लीजिये, और पजेशन लीजिये। यह एक लोक कल्याणकारी राज्य के लिए बहुत ही गलत बात है, खास तौर से ऐसी स्थिति में कि जब 1979 के पंजीकर्ताओं को यह भी पता नहीं कि उनको जमीन कहां है। उनको जमीन न मालवीय नगर में मिली और न मानसरोवर में मिली बल्कि सांगानेर में मिलेगी। इसके बदले में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किराया क्रय पद्धति खतम करके जो एक गरीब आदमी की रीढ़ की हड्डी थी उसको तोड़ दिया। इंस्टालमेंट की पद्धति पर एक गरीब आदमी और एक ठेला चलाने वाला मजदूर, एक छोटा एल.डी.सी. जो 300-400-500 रुपये की किश्त भर सकता था....

श्री सभापति : कृपया संक्षिप्त कीजिये।

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय सभापति महोदय, सही बात कह रहा हूं।

श्री सभापति : समय का प्रश्न है।

श्री शैलेन्द्र जोशी : सबसे बड़ी बात यह है कि आज 1700 की आय है और 1900 की किश्त हो गयी। क्या कांग्रेस के राज में ऐसी किश्त थी ? यह इसी सरकार की देन है। दो हजार जिनकी आमदनी है....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : शैलेन्द्र जी, इसको राजनैतिक मत बनाइये।

श्री शैलेन्द्र जोशी : मेरा निवेदन करना यह है कि किराया क्रय पद्धति के आधार पर ही राजस्थान हाउसिंग बोर्ड मकानों को अलाट करे और जो नकद भुगतान देकर काउण्टर पर जाकर चाबी लीजिये, पैसा दीजिये, यह जो कार्मशियल पद्धति है इसको तत्काल बन्द करे और विशेष पंजीकरण योजना में पंजीकृत लोगों को जब तक मकान नहीं मिले तब तक कोई भी पंजीकरण योजना हाथ में नहीं ले, क्योंकि विशिष्ट योजनाओं में पैसा आ जाता है और वह योजना पहले की पीछे रह जाती है।

श्री सभापति : बिराजिये।

श्री शैलेन्द्र जोशी : धन्यवाद।

श्री सभापति : श्रीमती इन्दिरा मायाराम।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय को कुछ वित्तीय संस्थाओं के द्वारा कर्जा लेने के बारे में बताना चाहती हूं। जो अभी आपने बताया कि हाउसिंग बोर्ड के मकान वित्तीय संस्थाओं के द्वारा कर्जे से लिये जा सकते हैं, वह बहुत कठिन है। उन वित्तीय संस्थाओं को हाउसिंग बोर्ड यह कहे कि हम सिक्योरिटी देंगे तब तो

(श्रीमती इन्दिरा मायाराम)

देते हैं, नहीं तो एम.एल.ए. के लिए भी इतनी बड़ी किश्त है और इतना कम लोन देते हैं कि आदमी का वहां से कर्जा लेना बड़ा कठिन है। वह उनकी आमदनी पूछते हैं। आमदनी कम होने पर उनको बहुत कम कर्जा दिया जाता है। हाउसिंग बोर्ड के जो मकान हैं वह बहुत बड़ी रकम से मिलते हैं। इसलिए यह जो आप बता रहे हैं कि इस तरह से लिया जा सकता है, यह बड़ा कठिन काम है। तो मेरा निवेदन है कि वित्तीय संस्थाओं से अगर हाउसिंग बोर्ड अलग से किसी तरह का एग्रीमेंट करे तो शायद आप जो योजना चालू करना चाह रहे हैं वह सम्भव हो सकेगी।

दूसरा मेरा निवेदन यह था, कल जैसा मैंने बताया था कि हाउसिंग बोर्ड में जो ज़मीन ली जाती है वह बहुत कम पैसों से ली जाती है और सांगानेर में तो यह समस्या बहुत बड़ी है। श्योपुर और बम्वाला, हमारे आधे से ज्यादा गांव सांगानेर के आस-पास के हाउसिंग बोर्ड में आ गये हैं। तो इसका भी कुछ अनुपात तय किया जाना चाहिए। हाउसिंग बोर्ड जो जमीन दे रहा है, जिस रेट पर किसानों से ले रहा है उसका भी कुछ न कुछ ऐसा अनुपात होना चाहिए कि उनको पूरी धनराशि वहां पर मिल सके।

तीसरा मेरा निवेदन यह है कि वहां की जो सड़कें, बिजली और पानी की व्यवस्था है अब वह निगम के नीचे आ गयी हैं। तो इसके लिए भी कोई प्रबन्ध करना चाहिए। वहां के ज्यादातर मेरे पास लोग आते हैं और उनकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह सड़कों को ठीक करने की या किसी भी चीज की कहते हैं तो हाउसिंग बोर्ड वाले उनको मना करते हैं इसलिए कि वहां पर वह निगम को दे दी गयी है। तो इस बारे में आपको कुछ विचार करना चाहिए।

चौथा मेरा निवेदन यह था कि जिन लोगों से आपने कुबेर योजना और कई योजना बता कर अग्रिम किश्तें ली थीं उन लोगों के ऊपर भी आप यही योजना लागू कर रहे हैं। उसमें पांच-सात साल से कोई 500 दे रहा है, कोई 1100 अग्रिम दे रहा है और मकान नहीं मिलने के बावजूद दे रहे हैं उन लोगों पर भी यही योजना लागू करेंगे तो बड़ी कठिनाई होगी। वह तो इसी मंशा से दे रहे हैं कि हम किश्त अग्रिम दे रहे हैं शायद मकान मिल जाएगा। लेकिन अब उनको यह कहा जा रहा है कि आप एकमुश्त पैसा जमा करायेंगे तो सरकार आपको मकान देगी। तो इस बारे में भी आपको विचार करना चाहिए। इस तरह की अग्रिम राशि ली गयी है उनके ऊपर तो कम से कम यह लागू नहीं हो।

आखिरी मेरा यह निवेदन है कि किश्तें जिनकी बकाया हो गयी है, किसी की एक साल की, किसी की दो साल की और वह कम आय वाले हैं, सिर्फ इसलिए कि एक-दो साल की किश्तें वह नहीं दे पा रहे हैं उनके मकान नीलाम किये जा रहे हैं। तो मेरा निवेदन यह है कि उनकी किश्तें चार कर दें, पांच किश्तों में वह दे दें, छह किश्तों में कर दें ताकि उनकी दो-दो साल की बकाया है....

श्री सभापति : यह बात आ चुकी है। बिराजिये। श्री रामनारायण बर्मा।

श्री रामनारायण वर्मा (नैनवां) । सभापति महोदय, यह मामला जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा ।

श्री सभापति : भूमिका में नहीं, संक्षेप में बोलिये, दो मिनट में ।

श्री रामनारायण वर्मा : मैं उनको इस मामले में धन्यवाद देना चाहूंगा । सदन इस मामले में एक मत है, एक राय है ।

(13.50)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

मेरा जहां तक ख्याल है, माननीय मुख्य मन्त्री जी भी इस बात को जानते हैं कि आज-कल राजस्थान आवासन मण्डल की क्या स्थिति हो रही है ।

श्री अध्यक्ष : आप सवाल पूछिये, केवल पाइंटेड क्वेश्चन पूछिये ।

श्री रामनारायण वर्मा : प्रश्न यह नहीं है कि इसकी स्थिति क्या है । क्या इसके निदेशक मण्डल को इस बात की जानकारी है कि उनका पैसा कहां से आता है और कहां जाता है । माननीय मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा वे ध्यान से सुन लें, क्योंकि वे खुद परेशान हैं इस आवासन मण्डल से कि जिन्होंने अपने मकान बुक करवाये हैं उन्होंने जितना पैसा जमा कराया है क्या उतना पैसा हाउसिंग बोर्ड में जमा हुआ है ? मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि इस बात की चर्चाएं होती हैं कि लोग जो ड्राफ्ट देते हैं उन ड्राफ्टों को भी डाल देते हैं और मियाद निकल जाती है, फाड़ कर फेंक देते हैं । यही कारण है ।

श्री अध्यक्ष : फिर आप सवाल तो नहीं पूछ रहे हैं । आप सब लोग यदि नियम 131 पर इसी तरह भाषण देंगे तो एक ही पूरा नहीं होगा । केवल पाइंटेड क्वेश्चन पूछिये ।

श्री रामनारायण वर्मा : मुझे पता नहीं था आप पधारोगे, नहीं तो मैं पाइन्ट लिख लेता ।

श्री अध्यक्ष : एक को डेढ़ घण्टा हो गया, दो काल अटेंशन और हैं ।

श्री रामनारायण वर्मा : मैं इतना जानना चाहूंगा कि जिन माननीय सदस्यों ने आवासन मण्डल में हाउस बुक कराये हैं, आवासन मण्डल ने कह दिया है कि 12 × 27 के मकान आपको दिये जाएंगे कांट्रेक्ट करके । उनसे सीड मनी ले ली गयी है । सीड मनी उनके द्वारा जमा कराने के बाद भी आवासन मण्डल ने जो कांट्रेक्ट किया उसके अनुसार उनको मकान नहीं दिये हैं । उनसे बढ़ी हुई किश्तें मांगी जा रही हैं । उनकी जो मियाद है क्या उस मियाद में पुरानी रेट से उनको मकान देंगे ? आवासन मण्डल ने जो कांट्रेक्ट किया क्या वही मकान देंगे ? तीसरा, इन्होंने योजनाएं तो बहुत चला दी हैं, एक नीति नगर योजना चलायी थी क्या उसको दुबारा चलायेंगे ? चौथा, मेरा/जहां तक ख्याल है, आवासन मन्त्रीजी इस बात से भी सहमत हो गये होंगे कि जो भी सदन के नये सदस्य बनकर आये हैं उन माननीय सदस्यों को भी उसी कैटेगरी के उसी नाप के मकान दिये जाएं एम.एल.एज के कोटे के जो मकान बचे हुए हैं । क्योंकि आम जनता के साथ क्या हो रहा है....

श्री अध्यक्ष : श्री शांतिकुमार धारीवाल ।

श्री रामनारायण वर्मा : उन मकानों की सीड मनी जमा हो गयी है उनको दिया जाएगा ?....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नहीं, अब किसी को मौका नहीं मिलेगा।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : मैं बहुत देर से कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये। आपका कोई नाम नहीं है और न आपने नाम दिया है। आप एट रेण्डम इस तरह से खड़े होंगे तो फिर तो समाप्त नहीं होगा। न आपने नाम भेजा है, न आपका नाम इसमें है। मेरे पास नहीं है।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : एक मिनट के लिये। मैं सिर्फ दो प्रश्न पूछूंगा, दो से तीसरा नहीं।

श्री अध्यक्ष : पहले इनको पूछने दीजिये। हां पूछिये। सवाल पूछिये, भाषण मैं अलाउ नहीं करूंगा। डायरेक्ट क्वेश्चन, पाइंटेड क्वेश्चन पूछिये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : सीधे ?

श्री अध्यक्ष : हां, बिलकुल सीधे-सीधे।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डोली): तो सरकार यह बताने की कृपा करे कि विशिष्ट व्यक्ति के नाम पर बगैर पंजीकृत लोगों को, बार-बार सरकार से निर्देश हाउसिंग बोर्ड में जाते हैं कि मकान अलाट कर दिया जाए, क्या इस बात की जांच करायेगी सरकार ? एक ही व्यक्ति के नाम पर चार-चार मकान हैं, फिर उस आदमी ने पंजीकरण करवा लिया। ऐसे कई केसेज में सरकार के....

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : नाम तो बताओ एक-दो तो।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप नाम ही पूछते रहोगे ? सरकार को जांच करने दो, आ जायेगा नाम। मुझ से काहे को लिवाते हो आप नाम ? दुबारा पंजीकरण कराने की उनको इजाजत दे दी गयी। चार चार सिटीज में उनके पास मकान मौजूद हैं वह भी सरकार के निर्देश से। क्या ऐसे आदमियों की जांच करवाकर उनके खिलाफ कार्यवाही करके मकान उनसे लेगी ? एक मकान के वे एनटाइटल हैं, चाहे एम. एल. ए. हों, चाहे एम.पी. हों, किसी भी कैटेगरी में आते हों। उनकी जांच करके उस पर कार्यवाही करेगी ?

दूसरी बात यह है कि 433 करोड़ रुपये आज हाउसिंग बोर्ड के जनता में बकाया हैं। आप डेपुटेशन पर मुख्य लेखाधिकारी को वहां रखते हैं, वह क्या ड्यूटी अदा करते हैं ? आप ऐसी ट्रेनिंग उनको दें, ऐसे निर्देश दें कि वह जनता से पैसे वसूल करके हाउसिंग बोर्ड की आर्थिक हालत तो कम से कम सुधारने का प्रयत्न करें। रेवेन्यू एजेन्सी यू.आई.टी. और म्यूनिसिपैलिटी बहुत मुश्किल से हाउसिंग बोर्ड को जमीन उपलब्ध करवाते है, और करवाने के बाद झगड़े भी डाल देते हैं। अगर एक्वायर की गयी तो उन जमीनों के मालिकों को तरकीब बता दी जाती है अफसरों के द्वारा कि हाई कोर्ट में चले जाओ। कई कालोनीज आज अधूरी पड़ी हुई हैं इसी बिना पर। ऐसे मामले अगर

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

हाउसिंग बोर्ड आपके नोटिस में लाता है तो क्या सरकार के लेवल पर हाउसिंग बोर्ड की मदद के लिए कोई कार्यवाही सरकार करेगी ?

श्री कालीचरण सराफ : हो गया, हो गया।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : ऐसे हो गया, हो गया से काम नहीं चलेगा।

श्री अध्यक्ष : लेकिन अनलिमिटेड टाइम भी नहीं है, आप तुरन्त बोलिये। ऐसे नहीं चलेगा, आप सीधे-सीधे क्वेश्चन करिये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : गरीब को गणेश मानने की बात सरकार मानती है। अगर अल्प आय वालों और कमजोर तबके वालों को भी किश्तों में मकान उपलब्ध नहीं होंगे....

श्री अध्यक्ष : रिपीट मत करिये, हो गया यह प्रश्न।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यह नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष : दूसरा पूछिये, यह तो हो चुका। इसी को लेकर यह सारा आया है। कालीचरण जी बोल चुके हैं, रिपीट मत करिये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : जितने भी भाषण हुए हैं उन सब भाषणों को मैंने तो सुना नहीं। मुझे यह तो पता नहीं कि क्या चीज रिपीट हो रही है, क्या नहीं।

श्री अध्यक्ष : तो अब बिराज जाइये आप।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं खतम कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : आपको पता नहीं तो फिर बैठ जाइये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : स्केलटन हाउसेज देने की जो स्कीम हाउसिंग बोर्ड द्वारा चालू की गयी है इससे बढ़िया कोई बात हो नहीं सकती। जिन लोगों को हाउसिंग बोर्ड मकान अलाट करता है उनमें से 50 प्रतिशत से ज्यादा आदमी ऐसे हैं जो उसको रीमाडल कराने में हजारों-लाखों रुपये खर्च करते हैं क्योंकि फ्लोरिंग डिफेक्टिव, प्लम्बरिंग डिफेक्टिव, वायरिंग डिफेक्टिव और प्लास्टर तो सूत में कभी मिलता ही नहीं है। यह बहुत बढ़िया है कि आप स्केलटन हाउसेज दें। जो अलाटी होगा वह अपनी मर्जी से उसमें प्लम्बरिंग का भी काम करायेगा और उसको रीमाडल भी करायेगा।

श्री अध्यक्ष : हो गया आपका, बिराजिये।....(व्यवधान).. आ रहा है जबाब, सब आ जायेगा। कोई नयी बात हो तो बोलिये।.. (व्यवधान)....पहले सुन लीजिये मन्त्री जी को। मन्त्री जी सुनने के बाद कोई बात लगे तो कहना। पहले एक बार मन्त्री जी को सुन लीजिये प्लीज। आप बैठिये। एक बार सुन लीजिये। हां, मन्त्री जी, बोलिये।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जिस विषय पर चर्चा हो रही थी वह पाइंट बड़ा लिमिटेड था। लेकिन

(श्री भंवरलाल शर्मा)

मैं माननीय सदस्यों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपने विचारों के माध्यम से हाउसिंग बोर्ड के पूरे कार्य-कलाप की चर्चा यहां कर ली। और उससे बहुत सारी जानकारी मुझे भी मिली हैं और वह उपयोगी भी है। जब 1991 में हमारे पास सरकार आयी तब बहुत शिकायतें थीं। निर्माण की भी थीं और–और भी कई प्रकार की थीं। हमने उस समय निर्णय किया था कि पूरे मकान बनने के बाद आवंटन करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि पूरे मकान बनने में एक तो वर्ष बहुत लगते हैं, फिर उसकी क्वालिटी की बड़ी शिकायतें रहती हैं, वह ठीक नहीं बनता है। इसलिए जब मकान प्लिंथ लेवल पर आ जाए उस समय ही आप अलाटमेंट कर दीजिये। उस समय ही इसकी व्यवस्था कर देना चाहिए। उसी में से स्केलटन हाउस अभी चल रहे हैं। आपने ठीक कहा कि स्केलटन हाउसेज में व्यक्ति जाकर मामूली उसमें रहने लग जाए इतनी-सी हम आवश्यकता पूरी करते हैं, बाकी वह बनाने के लिए स्वतन्त्र है हमारे प्लान के हिसाब से। जैसी इच्छा होती है, जब उसकी सुविधा होती है, पैसा मिलता है तो करता रहता है। यह व्यवस्था इस लिए की थी।

यहां अकाउण्ट्स की बात की गयी। अकाउण्ट्स 1986 से नहीं थे। 1991 के बाद के पूरे हैं। बीच के अकाउण्ट्स पूरे कराने की हमने बहुत कोशिश की है, थोड़े से बचे हैं। लोगों को कांट्रेक्ट पर देकर उनको पूरा कराया है, इसलिए वह अकाउण्ट्स की कमी पूरी हो रही है। उसके बावजूद बहुत सारी बातें आप लोगों ने रखी हैं। विशेषकर, गरीब लोगों के लिए जो आप कहते हैं कि जो एक किश्त देने का निर्णय किया है उसको बदलना चाहिए। मेरा ऐसा निवेदन है कि एक विषय नहीं है। इसमें कई विषय आ गये हाउसिंग बोर्ड के लिए। मैं चाहूंगा कि इस पर एक कोई अच्छा विचार करके माननीय सदस्य मेरे सहयोग में यहां आयें और इसकी पूरी चर्चा करके कोई निर्णय-ऐसा निकालें

(14.00)

जो इसका भी समाधान हो और भविष्य में आने वाली समस्याओं का भी समाधान हो। और इस प्रकार से जिस उद्देश्य के लिए हाउसिंग बोर्ड बना है वह सफलतापूर्वक काम कर सके। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अभी तो एक ऐसी समिति माननीय सदस्यों की बना दें कि जो मेरे साथ बैठें. हाउसिंग बोर्ड के कार्यकलापों को देख लें और देखने के बाद क्या सुधार किया जा सकता है, किससे जनता को राहत मिल सकती है, क्या उनकी प्राब्लम्स हैं, उनकी प्राब्लम्स समझ लें, उसमें से कौन नहीं लिए जा सकते। तो मेरा निवेदन कि आप एक समिति यहां बना दें, उसकी अध्यक्षता के लिए मैं घनश्याम तिवाड़ी का नाम प्रस्तावित करता हूं और वह समिति एक महीने में यानि विधान सभा चलते-चलते यह सम्भव हो तो अपनी रिपोर्ट दे दे। उस पर दुबारा यहां विचार हो जायेगा और फिर उसमें जो भी निर्णय हो, कर लिया जाए।

श्री किशन मोटवानी : जो किश्त पद्धति वाला है ...

श्री घनश्याम तिवाड़ी : साहब, किश्तों वाला तो करो।

श्री कालीचरण सराफ : माननीय मुख्य मन्त्री महोदय, हाई कोर्ट का निर्णय हो गया।

श्री अध्यक्ष : किश्तों वाला भी उसमें शामिल है ? (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : हां, बिल्कुल शामिल है।

श्री अध्यक्ष : वह भी शामिल है उसमें।

श्री किशन मोटवानी : Sir, that will be delayed, वह ऐसा प्रश्न है, आज ही निर्णय होना चाहिये।

श्री भंवरलाल शर्मा : मेरा यह निवेदन है, इसमें एक महीने की मियाद मैक्सिमम है, अगर समिति दो दिन में तय कर दे, दो दिन में तय कर दे, कोई दिक्कत नहीं है।

श्री अध्यक्ष : इस प्रश्न पर समिति जल्दी विचार करके दे।... (व्यवधान) वह तो ठीक है। बाकी सदस्यों के नाम मैं नामिनेट कर दूं।

श्री भंवरलाल शर्मा : आप तय कर दें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप बाद में कर दें, साहब।

श्री अध्यक्ष : ठीक है। इसमें सदस्यों की समिति बना दी जाएगी जो पूरे हाउसिंग बोर्ड की व्यवस्था की जांच करेगी और इस मामले में, किश्तों के मामले में महीने भर का नहीं, वह 2-4 दिन में भी तय कर दे तो उसके हिसाब से हो जाएगी, जितनी जल्दी तय कर दे। नैक्स्ट, श्री शिवकिशोर सनाढ्य।

शिक्षा नियमों से उत्पन्न समस्या

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय शिक्षा मन्त्रीजी का गैर सरकारी शिक्षण संस्था एक्ट, 1989 जो 1.3.93 से लागू हुआ है और उसके नियम, उनकी तरफ उनका ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (शिक्षा मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान शिक्षा अधिनियम लाने का विचार सन् 1974 में प्रारम्भ हुआ। कई बार यह महसूस किया गया कि शिक्षा के क्षेत्र में संस्थाओं की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए एवं अनुदान के भुगतान के बारे में केवल प्रशासनिक आदेश ही होने की वजह से ऐसे किन्हीं निर्धारित नियमों का प्रावधान किया जाए जिनके माध्यम से शैक्षणिक संस्थाओं, कर्मचारियों एवं शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत अन्य एजेन्सियों पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके एव उनमें कार्यरत कर्मचारियों के हितों की रक्षा की जा सके। इस अधिनियम के अन्तिम प्रारूप का अनुमोदन मन्त्री मण्डल द्वारा दि. 28.8.86 को करने के पश्चात् वर्ष 1986-87 में विधान सभा में प्रस्तुत किया गया। प्रवर समिति की रिपोर्ट 1989 में आने के बाद दिनांक 30.12.1989 को विधान सभा द्वारा इसे पास कर दिया गया। इस अधिनियम पर राष्ट्रपति महोदय की सहमति दिनांक 4.6.92 को प्राप्त हुई तथा यह अधिनियम "राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989" दि. 1.1.93 से प्रभावशील हो गया। इस अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत राज्य सरकार ने विशिष्ट शासन

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

सचिव, शिक्षा की अध्यक्षता में नियम बनाने के लिए एक कमेटी का गठन किया। इस कमेटी की रिपोर्ट पर वित्त सचिव, विधि सचिव एवं शिक्षा सचिव की उच्च स्तरीय समिति की सहमति प्राप्त की गयी। नियमों को महामहिम राज्यपाल महोदय की परामर्शदात्री समिति द्वारा दिनांक 6.2 1992 को अनुमोदन कर दिया गया। ये नियम राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, अनुदान सहायता और सेवा शर्तें आदि) नियम, 1993 दिनांक 1.4.93 से लागू कर दिये गये।

इस अधिनियम एवं नियमों में गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को सेवा सम्बन्धी निम्न सुविधाएं दी गयी हैं :-

(1) नियमों में कर्मचारियों को समान स्तर की राजकीय शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों के समान ही वेतन भुगतान करने का उल्लेख किया गया है।

(2) कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता एवं शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता भी अनुज्ञेय किया गया है।

(3) कर्मचारियों को उपदान का लाभ देने हेतु यह भी प्रावधान किया गया है कि उन्हें उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत उपदान का लाभ दिया जाए।

(4) कर्मचारियों को जीवन सुरक्षा प्रदान करने हेतु भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से समूह बीमा योजना का लाभ भी इन नियमों में समाविष्ट किया गया है।

(5) नियमों में यह भी आवश्यक प्रावधान किया गया है कि कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों के पेमेण्ट केवल अकाउण्ट पेयी चैक से किये जाएंगे। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो व्यय अनुदान के योग्य नहीं समझा जाएगा।

(6) इन नियमों में पहली बार कर्मचारियों को वृहद् सेवा सुरक्षा प्रदान की गयी है।

(7) संस्थाओं के कर्मचारियों को पहली बार राज्य कर्मचारियों के समान ही अवकाश सुविधा देने हेतु उदारीकृत नियम समाविष्ट किये गये हैं।

(8) कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों एवं उनके पुत्र/पुत्रियों के विवाह तथा अन्य प्रयोजनार्थ अंशदायी प्रावधायी निधि से 75 प्रतिशत तक का ऋण देने की सुविधा का लाभ देने का भी प्रावधान किया गया है।

(9) संस्थाओं एवं कर्मचारियों के सेवा सम्बन्धी आपसी विवादों के मामले में दोनों पक्ष राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिकरण में अपील कर सकेंगे।

उपरोक्त वर्णित अधिनियम एवं नियमों के लागू होने के पश्चात् संस्थाओं के संचालकों द्वारा काफी संख्या में अभ्यावेदन राज्य सरकार को प्रस्तुत किये गये। इन अभ्यावेदनों पर विचार करने हेतु राज्य सरकार ने भटनागर समिति का गठन किया, जिसने अपना प्रतिवेदन दिसम्बर, 1993 में दिया। इसी दौरान राज्य सरकार के स्तर पर भी इन नियमों में वर्णित कठिनाइयों के बारे में दिये गये अभ्यावेदनों पर विचार हुआ तथा कुछ महत्वपूर्ण विषयों

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

पर इस विभाग के पत्रांक प.10(8)शिक्षा-5/93 दिनांक 19 अक्टूबर, 1993 द्वारा निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा को स्थिति स्पष्ट की गयी, इसमें मुख्य बिन्दु निम्न हैं :–

(1) यह स्पष्ट किया गया कि ये नियम दिनांक 1.4.93 से प्रभावशील हैं तथा वे संस्थाएं जो इस दिनांक के पश्चात् मान्यता के लिए आवेदन पत्र देंगी, उन पर ये लागू होंगे। इसलिए पूर्व में कार्यरत संस्थाओं की मान्यता पर इन नियमों से प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(2) पुराने नियमों में 50 प्रतिशत अप्रशिक्षित अध्यापक नियुक्त करने का प्रावधान था जबकि नये नियमों में सभी अध्यापकों का प्रशिक्षित होना आवश्यक है। किन्तु दिनांक 1.4.93 से पूर्व यदि किसी संस्था द्वारा अप्रशिक्षित अध्यापक को रखा गया है तो उसको हटाया नहीं जाएगा।

(3) जिन संस्थाओं द्वारा पुराने नियमों के अनुसार क्रमोन्नति/विषय/संकाय खोलने हेतु आवेदन पत्र देकर पूर्ण पूर्ति कर दी गयी थी उनके छात्रों को वर्ष 1993–94 में बोर्ड की परीक्षा में बैठने की अनुमति होगी।

(4) इसी प्रकार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा भी दिनांक 1.4.93 से पहले जो मान्यता प्रदान की गयी थी वे मान्यताएं निरन्तर जारी रहेंगी।

इससे स्पष्ट है कि इन नियमों से उत्पन्न कठिनाइयों का निस्तारण तुरन्त ही राज्य सरकार द्वारा कर दिया गया था। फिर भी कुछ मुद्दे ऐसे रहे जिनके बारे में नव-निर्वाचित सरकार के गठन के पश्चात् माननीय शिक्षा मन्त्रीजी को पुनः विभिन्न संगठनों द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किये गये।

अपने स्तर पर हमने संस्थाओं के प्रबन्धकों एवं कर्मचारियों के संगठनों के साथ दिनांक 18.1.94 को बैठक ली जिसमें इन मुद्दों पर गम्भीरता से विचार हुआ। इस बैठक के पश्चात् इन नियमों के पुनरीक्षण हेतु एक उच्च स्तरीय समिति माननीय श्री ललित किशोर जी चतुर्वेदी, उच्च शिक्षा मन्त्री की अध्यक्षता में गठित करने का निर्णय लिया गया है। इस समिति में विधान सभा के माननीय सदस्य, गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं के प्रबन्धकों, कर्मचारियों के प्रतिनिधि तथा शिक्षाविदों को सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया है।

यह पुनरीक्षण समिति मुख्यतः निम्न बिन्दुओं पर राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी :–

(1) भटनागर समिति का प्रतिवेदन।

(2) नव-निर्वाचित सरकार द्वारा कार्य सम्भालने के पश्चात् इन नियमों व अधिनियमों के सम्बन्ध में प्राप्त आवेदन-पत्र।

(3) क्या नियम व अधिनियम के प्रावधान इनमें निर्धारित उद्देश्यों, लक्ष्यों की पूर्ति करने हेतु पर्याप्त तथा उपयुक्त है ?

इस समिति को यह भी अधिकार होगा कि इन नियमों में व्यावहारिक कठिनाइयों पर प्राथमिकता से विचार कर उनके क्रियान्वयन के सम्बन्ध में उपयुक्त सुझाव सरकार को दे सकेगी।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

उपरोक्त स्थिति से स्पष्ट है कि राज्य सरकार इन सारी परिस्थितियों से भली-भांति परिचित है तथा उचित कार्यवाही कर रही है। इसलिए उपरोक्त वर्णित ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की ग्राह्यता स्वीकार करने योग्य नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, कम से कम शासन से मन्त्रियों को यह निर्देश दिया जाए कि जब शासन ने इसको जवाब देखने के बाद ग्राह्य कर लिया और ग्राह्य करके एनलिस्ट कर दिया उसके बाद में जो लिखा हुआ विभाग का आता है, वैसा का वैसा स्टेटमेंट पढ़ कर पहले भवरजी ने कर दिया और अब इन्होंने कर दिया कि ग्राह्य नहीं है, यह उचित नहीं है। इनको कम से कम, यह निर्देश तो मिल जाए।

श्री अध्यक्ष : आपकी सलाह मन्त्रीजी ने सुन ली। उन्होंने मेरे से तो पूछा नहीं है, उन्होंने खुद ने ही सलाह दी है। मेरे से पाइण्ट आफ आर्डर उठा कर पूछते तो मैं जवाब देता, व्यवस्था देता, उन्होंने मेरी व्यवस्था मांगी नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मांग ली साहब, इतना ही पर्याप्त है।

श्री अध्यक्ष : तो ठीक है।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था उस प्रस्ताव की बिन्दुओं के अनुसार आपका यह उत्तर स्पष्ट नहीं है। इसमें उन बातों का उल्लेख नहीं किया गया, जिन बातों के कारण आज राजस्थान की गैर सरकारी संस्थाएं हैं, उससे न संस्थापकों को लाभ होने वाला है, न उससे कर्मचारियों को लाभ होने वाला है, न शिक्षकों को लाभ होने वाला है। राजस्थान शिक्षक संघ, राजस्थान यूनिवर्सिटी एण्ड टीचर्स एसोसिएशन द्वारा वर्षों तक संघर्ष करने के बाद, वर्षों तक यह डिमाण्ड करने के बाद में 1974 के बाद यह प्रक्रिया प्रारम्भ हुई जैसा कि माननीय मन्त्रीजी ने अपने जवाब में दिया कि यह प्रक्रिया प्रारम्भ हुई। जब 1977 में जनता सरकार बनी उस समय इसके ऊपर विधेयक तैयार हुआ लेकिन वह पास नहीं हो सका, बाद में पास हुआ लेकिन इसके जो नियम हैं और नियम बनने के बाद में इसे लागू किया जाता। एक्ट तो पास कर दिया 1989 में और लागू किया 1.4.1993 से, इसके नियम बाद में बनाये गये, राष्ट्रपति शासन के दौरान, और ये नियम ऐसे हैं जिनकी वजह से किसी भी तरह का संस्थाओं को लाभ नहीं होने वाला है।

मैं बिन्दुवार माननीय शिक्षा मन्त्रीजी से जानना चाहता हूं वह मुझे बतायें कि सन् 2000 तक सबको शिक्षित करना चाहते हैं, सारे राजस्थान को शिक्षित करना चाहते हैं तो ये जो चार हजार के करीब ऐसी संस्थाएं राजस्थान के अन्दर हैं, काम कर रही हैं, 1200 अनुदानित संस्थाएं हैं केवल, जिनको हम अनुदान देते हैं। इनके अन्दर जो लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं उन बच्चों की पढ़ाई के ऊपर इसका असर होने वाला है। आपने जल्दीबाजी में इनके अनुदान के नियम इस प्रकार के बना दिये हैं जिनकी वजह से मार्च का वेतन शिक्षकों को नहीं

104

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

दिया जा सकेगा, कर्मचारियों को नहीं दिया जा सकेगा। मैंने उल्लेख किया था कि आपका सन् 2000 तक सबको शिक्षित करने का प्लान है उस प्लान को आप किस प्रकार से पूरा करेंगे यदि ये संस्थाएं बन्द हो गयीं तो। क्योंकि आपने इनके जो रिजर्व फण्डस् थे संस्थाओं ने अपने रिजर्व फण्डस् बनाये क्योंकि 50 प्रतिशत, सरकार अनुदान देती है उनको, बाकी वह अपने कर्मचारियों को अपने रिजर्व फण्ड का जो ब्याज है, जो बच्चों से शुल्क लिया जाता है, उन्होंने अपनी दुकानें बनाकर किसी तरह से सम्पत्ति अर्जित करके रिजर्व फण्ड बनाया था, उसके ब्याज से शिक्षकों और कर्मचारियों का वेतन चुकाते थे, यह सारा का सारा संस्थाओं का मानकर आपने अपने अनुदान में से काट दिया तो वह किस तरह से अपने कर्मचारियों का वेतन चुकाएंगे जबकि आप 50 प्रतिशत ही अनुदान उनको देते है। गुजरात की तरह आप सेंट-पर्सेण्ट देते तो आप संस्थाओं पर लागू कर सकते थे।

आपने इन संस्थाओं की मान्यताओं के लिए जो नियम बनाये हैं, आपने अभी अपने उत्तर में बताया कि जो पुरानी संस्थाएं हैं उनके ऊपर वह लागू नहीं होंगे। मैं जानना चाहता हूं कि यदि उसकी क्रमोन्नति हुई, वह आज प्राथमिक विद्यालय है उच्च प्राथमिक विद्यालय होगा, माध्यमिक विद्यालय होगा, क्या उसे पचास हजार, एक लाख और तीन लाख रुपये जमा कराने पड़ेंगे या नहीं कराने पड़ेंगे? यदि कोई उन्होंने संकाय खोला, साइंस, कामर्स, आर्ट्स, किसी भी तरह का कोई संकाय खोला तो क्या आपकी शर्तों के अनुसार उनको पैसा देना होगा या नहीं देना होगा?

मान्यवर, पूरे सालभर से न तो आपने मान्यताएं दी हैं; न क्रमोन्नति हो सकी है, क्योंकि आपने ऐसे कठोर नियम बना दिये जिनकी वजह से कोई संस्था चलने वाली नहीं है। मैं यह भी जानना चाहता हूं, आपने कहा कि हमने तो कर्मचारियों का, कर्मचारियों को आपने दिया क्या है? कर्मचारियों के लिए जो नियम पहले थे उन्हीं को आपने रिपीट कर दिया। जहां पर आपको चेंज करना चाहिए था वहां पर उनको चेंज नहीं किया। आपने आदेश दे दिया, बोनस दे दिया, महगाई भत्ता बढ़ा, महगाई भत्ता दे दिया और आपने संस्थाओं से उनको वापस काट लिया। आपके नये नियमों के अन्तर्गत ये संस्थाएं कहां से उस पैसे को चुकायेंगी? माननीय मन्त्री महोदय आप इस पर विचार करें। कर्मचारियों को आपने कहा कि हमने मकान भत्ता दे दिया, क्षतिपूर्ति अवकाश दे दिया, आपने उनको डी. ए. की किश्त दे दी, बोनस भी दे दिया और आपने अपने उत्तर में अभी कहा कि हमने यह सब दे दिया। मैं जानना चाहता हूं कि यह सब आपकी एड लिस्ट में है, जहां उन संस्थाओं को एड मिलनी चाहिए, क्या आप उसके ऊपर अनुदान देंगे? क्या अन्य कर्मचारियों को जो 9-18-27 का लाभ दिया जा रहा है, क्या इन संस्थाओं के कर्मचारियों को प्रमोशन पर 9-18-27 का लाभ देंगे? किन्तु वह लाभ आप नहीं देंगे, न उन पर आप अनुदान देंगे।....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

माननीय शिक्षा मन्त्रीजी मैं इस तरफ भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि संस्थाओं के लिए यह जो बिल है इस बिल के अन्दर, माननीय अध्यक्ष महो-

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

दय, जो सबसे बड़ा अन्याय किया गया है वह यह किया गया है कि जब यह विधान सभा के अन्दर पास हुआ उसके पहले प्रवर समिति को गया था। प्रवर समिति ने जिन बातों को इसमें से निकाल दिया था लेकिन नियमों के अन्तर्गत या एक्ट में नहीं हैं। प्रवर समिति का इस ओर ध्यान आकर्षित किया गया तो एक्ट से निकाल दिया लेकिन जब नियम बनाये तो उनको वापस जोड़ दिया गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि नियम 1 (ग) में अनुदान प्राप्त संस्थाओं की परिभाषा दी गयी है। इस परिभाषा के नीचे यह स्पष्टीकरण दिया गया है कि "यदि किसी संस्था का कोई भाग अनुरक्षण अनुदान प्राप्त करता है तो इस बात को विचार में लाये बिना कि उस संस्था का अन्य भाग सहायता के अन्तर्गत आता है या नहीं, सम्पूर्ण संस्था को ही अनुदान प्राप्त माना जाएगा।" सम्पूर्ण सस्था को, प्राथमिक की तो मान्यता मिल रही है स्कूल हाई स्कूल है और आप उसकी मान्यता मान लेंगे सारी की सारी जब कि आप उस पर अनुदान नहीं दे रहे हैं। इसको प्रवर समिति ने रिजेक्ट कर दिया था और जब उसने रिजेक्ट कर दिया तो उसको एक्ट में भी नहीं रखा गया। माननीय शिक्षा मन्त्री जी इसी तरीके से एक्ट के अन्दर, इस शैक्षिक संस्थाओं के अधिनियम, 1989 के प्रावधानों में मूल अधिनियम में "प्रत्येक मान्यता प्राप्त सस्था के लिए एक प्रबन्ध समिति ऐसी रीति से गठित करने का प्रावधान किया गया था जो विहीत की जाए।" प्रवर समिति ने इस प्रावधान को उचित नहीं माना। अपने प्रतिवेदन में उसने लिखा "कि एक कल्याणकारी राज में मान्यता प्राप्त संस्था की प्रबन्ध समिति के गठन की शक्ति राज्य सरकार को विहित नहीं होनी चाहिए, अपितु संस्था को अकेले स्वयं के विधान के अनुरूप ही प्रबन्ध समिति को गठित करने का अधिकार होना चाहिए।" क्योंकि आज कई संस्थाएं, सिख संस्था चला रहे हैं, जैन संस्था चला रहे हैं उनका भाव उनके साथ में जुड़ा हुआ है और इसलिए लोग उनको अनुदान देते हैं। यदि उनकी प्रबन्ध समिति को, क्योंकि आपने उसमें डोनर की परिभाषा कर दी कि जो 50 रुपये दे देगा वह उस संस्था का सदस्य हो जाएगा। इसलिए यह जो संस्थाएं चल रही हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह निवेदन करना चाहता हूं कि आजादी के पूर्व जिन संस्थाओं ने राष्ट्रीय चेतना पैदा की, जिन्होंने आजादी के लिए योगदान दिया है, ऐसे लोग तैयार किये है, उन संस्थाओं के ऊपर प्रबन्ध समिति बनाने के लिए यह राज्य सरकार और यह नौकरशाही इस तरह का काम कर रही है, उन पर हावी होना चाहती है, नियमों के अन्तर्गत जबकि प्रवर समिति ने इस बात को नहीं माना, एक्ट में नहीं है तो यह मैं मानता हू कि इस तरह से जोड़ देना ठीक नहीं है।

तीसरी बात, यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो प्रवर समिति ने रिजेक्ट की थी स्थायी और अस्थायी सम्पत्ति, और जिस शब्द का उन्होंने प्रयोग किया है "जंगम" शब्द का। वह जंगम सम्पत्तियां हैं पैंसिल्स, पैन, होल्डर, दवात, प्रत्येक वर्ष यह संस्था इनकी सूची देगी कि हमारे पास

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

इतनी तो पैंसिल्स है, इतनी घिस गयी हैं इतनी हैं। जो चल सम्पत्ति है उनकी सूची मांगते तो ठीक था लेकिन अचल सम्पत्ति के लिए सूची देगी इस तरह का नियमों में प्रावधान करके इन संस्थाओं से क्या चाहते हैं ?

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं कि समय बहुत हो रहा है लेकिन मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आज इन सारी संस्थाओं के सामने संकट पैदा हो गया है, वह यह संकट पैदा हो गया है कि इनके लाखों रुपये की जो चैकिंग हुई है, क्योंकि वह पहले खर्च करते हैं, उस साल इन्होंने खर्च किया है और इस मार्च में उसके अनुसार पैसा मिलने वाला है। इन्होंने इतना रुपया उन संस्थाओं का काट दिया है कि इसके बाद में संस्थाएं चलाना इन लोगों के लिए भारी होगा। माननीय शिक्षा मन्त्रीजी, मैं केवल एक संस्था का उदाहरण आपको देना चाहता हूं और अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से मैं यह कागज भी आपको सौंपूंगा। मान्य व्यय 4,13,039/- अमान्य व्यय 54,176/- कुल व्यय 4,67,215/- और इसमें से 80 प्रतिशत दिया एड और बाकी उसमें से रुपया काटकर इन लोगों को दो लाख रुपये के करीब मिलने वाला है। ये कैसे अपनी संस्थाओं को रख पायेंगे ? ये सारे के सारे बीकानेर में जो बैठे हुए हैं उन क्लर्कों को जब तक आप नहीं बदलेंगे, वहां के प्रबन्ध को नहीं बदलेंगे, आप संस्था के लोगों को बुलाकर पूछें कि जब तक रिश्वत नहीं दी जाती, जब तक पैसा नहीं दिया जाता...

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

ये बरसों तक संस्थाओं का पैसा रोके रखते हैं।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। बाकी का और पूछ लेंगे। इसमें और भी लोग हैं।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : मान्यवर, इस समय इस सदन में इनसे केवल आश्वासन यह चाहता हूं कि जो एक्ट में प्रोविजन नहीं है, केवल नियमों के अन्तर्गत किया गया है, और जिस तरह से संस्थाओं का पैसा काटा गया है....

श्री अध्यक्ष : नियम जो बने हैं वे एक्ट की परिधि से बाहर बने हैं ?

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : नियम जो बनाये हैं वे तो अलहदा से बनाये है।

श्री अध्यक्ष : आपके हाउस की कमेटी बनी हुई है उसमें करिये, यदि एक्ट के बाहर की परिधि में बने हैं।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : वे नियम हाउस में नहीं आये, एक्ट तो हाउस में आया।

श्री अध्यक्ष : हाउस में नहीं आयेंगे, कमेटी में आयेंगे। कमेटी एग्जामिन करेगी। आपकी नियम समिति बनी हुई है।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जब सरकार यह मानती है कि इन संस्थाओं को चलाने में कठिनाई पैदा हो रही है....

श्री अध्यक्ष : ठीक है आप तो नियम समिति में इसको एग्जामिन करवा लीजिये। विराजिये अब आप।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं कि ये जब मानते हैं कि इस एक्ट में कमी है, इन नियमों की वजह से संस्थाएं चल नहीं रही हैं इसलिए इन्होंने भटनागर कमेटी बनायी और अब एक हायर पावर कमेटी माननीय ललित किशोर जी चतुर्वेदी की अध्यक्षता में बनायी है। इन बातों को अगर ये सब मानते हैं तो क्यों नहीं उसको स्थगित कर देते हैं। जब तक ये कमेटी रिपोर्ट दे माननीय अध्यक्ष महोदय ...

श्री अध्यक्ष : विराजिये, विराजिये। श्री अरुणकुमार (अनुपस्थित) ...

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : तब तक ये नियम लागू नहीं किये जाएं।

श्री अध्यक्ष : श्री नारायण मीणा (अनुपस्थित)

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : अगर ये नियम लागू किये गये तो संस्थाएं बन्द हो जाएगी और राजस्थान का जो शैक्षणिक जगत है उसको बहुत नुकसान होगा, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : श्री जोगेश्वर गर्ग। आप नहीं हैं। श्री नारायण मीणा है। श्री जोगेश्वर गर्ग....(अनुपस्थित)

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : अध्यक्ष महोदय, मुझे उनसे उत्तर दिलवाइये।

श्री अध्यक्ष : मैं इसलिए ही पूछ रहा हूं। कि वे तीनों नही है। थोड़ा समय ले लीजिये आप। वे तीनों अनुपस्थित हैं।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : मेरा नाम ...

श्री अध्यक्ष : आपका नाम है। मैं अनुपस्थित के लिए बोल रहा हूं ताकि वे थोड़ा समय और ले लें। फिर आप बोलिये।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : इन्होंने अभी अपने उत्तर में कहा हमने अवकाश भी अन्य कर्मचारियों की तरह दिया है। भारतीय संविधान के अनुसार समान काम के लिए समान वेतन की बात हुई है। आपने उनको अवकाश दिया है। उपार्जित अवकाश भी आप देंगे लेकिन क्या उसको एड लिस्ट में लिया आपने? कहां से देगी संस्था, बोनस कहां से देगी, उसके लिए ये सारे के सारे अर्थहीन जो बयान आपने दिये हैं, उनका कोई मतलब नहीं है, इससे न इन संस्थाओं को लाभ होने वाला है न शिक्षकों और न कर्मचारियों को। मैं माननीय शिक्षा मन्त्रीजी से फिर यह अनुरोध कर रहा हूं कि इन संस्थाओं के नियम को रोका जाए।

श्री अध्यक्ष : विराजिये अब आप। श्री शिवनाथ सिंह जी।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : और उसके बाद उस पर कमेटी विचार करें तो ही उसका लाभ होगा बाकी कोई लाभ नहीं होगा।

श्री शिवनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत हो तो आपकी मार्फत पूछ लूं वरना सीधे ही पूछ लूं माननीय मन्त्रीजी

(श्री शिवनाथ सिंह)

को । अच्छा, मार्फत ही पूछता हूं । आपकी मार्फत ही पूछता हूं । अभी अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि सीधे ही पूछ लो ।

श्री अध्यक्ष : नहीं, कहना तो पड़ेगा । बाकी आप सीधा ही पूछ रहे हैं ।

श्री शिवनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षा मन्त्रीजी से जानना चाहूंगा कि काफी लम्बे समय के बाद प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं पर कुछ अंकुश लगाने के लिए कायदा कानून बना है और उसके कुछ प्रावधान हैं, हो सकता है उन प्रावधानों में कठिनाई हो लेकिन वे प्रावधान नियमों के और कानून के, मैं दो भागों में बांटता हूं । एक जो शिक्षण संस्थाएं चलाते हैं और जो उसमें रुपया लगाते हैं उनके लिए कठिनाई हो सकती है लेकिन हमें उनको देखना है जो शिक्षक उसमें नौकरी करते हैं और उनके फायदे के लिए इसमें कई प्रावधान हैं । आपने भटनागर कमेटी बनायी, उसने एक रिकमण्डेशन की, उसके आधार पर आपने नियम बनाये । अब एक दूसरी कमेटी बना रहे हैं, मैं अधिक नहीं बोलकर इतना ही जानना चाहूंगा कि ये शिक्षकों के लिए उदारीकरण और प्रबन्धकों पर अंकुश लगाने के लिए शिक्षकों के हित में कानून बने हैं उनको आप कहीं बैक-आउट तो नहीं करने जा रहे ।

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्रीजी ।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : उसमें शिथिलता मत दो । उसमें मजबूती दिखाओ ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा अधिनियम के बारे में लम्बे समय के प्रयास के बाद इस अधिनियम को लागू कर सके और सब लोगों की राय से और सबकी सहमति से लागू किया । उसमें काम करने वाले कर्मचारियों के हितों को प्रोटेक्ट किया जाए, इस मंशा को रखकर इसको हमने पूरा किया है लेकिन एक्ट की भावना से नियम बनाते समय कुछ बातें, एक्ट के विपरीत नियम उन्होंने बना दिये जिसके कारण से शिक्षण संस्थाओं को बहुत अधिक जकड़ दिया गया । उस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद यह लगा कि अगर इन नियमों का पालन किया तो कोई भी शिक्षण संस्था, जो हमारे पास उस दिन वार्ता में थी, किसी ने यह नहीं कहा कि कर्मचारियों के हितों की रक्षा नहीं होनी चाहिए उन्होने सबने एक स्वर से कहा कि कर्मचारियों के हितों की रक्षा निश्चित रूप से होनी चाहिए लेकिन जो पाबन्दियां हम पर लगायी गयी हैं उन पाबन्दियों के बारे में सरकार को जरूर विचार करना चाहिए और अगर विचार नहीं करेंगे तो एक-आध साल में ये संस्थाएं हम आपको सुपुर्द कर देंगे । हम चलाने की स्थिति में नहीं रहेंगे । उसमें विशेषकर मैनेजमेन्ट कमेटी के बारे में, संस्था अपनी मैनेजमेन्ट कमेटी बनाती है, इसके तहत सरकार के द्वारा मैनेजमेन्ट कमेटी बनेगी और जो संस्थाएं काम कर रही हैं उनका काम करने का कोई औचित्य नहीं रहेगा । बोर्ड में जो उन्होंने दायरा लिया, पहले सारे बोर्डों को सम्मिलित किया था, जो सारे बोर्डों की मान्यता प्राप्त संस्थाएं हैं उन सब पर लागू होगा लेकिन इस नियम में केवल हमारा राजस्थान का माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, उसको रखकर बाकी जो केन्द्रीय शिक्षा बोर्ड है और अन्य एजेन्सियां हैं, उनको इससे बाहर निकाल दिया और

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

वास्तविक स्थिति तो यह है कि राजस्थान की मान्यता प्राप्त संस्थाओं के द्वारा शोषण की स्थिति और शिकायत नहीं है लेकिन केन्द्रीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से जो सस्थाएं चल रही हैं और जो एडेड, केवल मान्यता के रूप में तो दायरे में है लेकिन एड में नहीं होने के कारण से वे मनमर्जी से अपनी फीस वसूल कर रहे हैं, उसके कारण से जो स्थिति आयी, वह इस समय में नहीं है।

इसी तरह से संस्था के एक हिस्से को अनुदानित कर दिया तो सम्पूर्ण संस्था में चलने वाली सब संस्थाओं को अनुदानित मानकर उन पर ये सब नियम लागू करने की अगर कोशिश करेंगे तो कोई भी सस्था इनको नहीं चला सकेगी। जो उसकी स्थिति वास्तविक है उसको आपने, सब लोगों का भी सुझाव था कि इस पर फिर से बैठकर विचार किया जाए और नियम ऐसे बने कि जिनके कारण से निजी शिक्षण संस्थाए जो सेवा भावना लेकर चल रही है उन पर कुठाराघात नहीं हो लेकिन जो व्यावसायिकता के आधार पर जिन्होंने संस्थाए चलायी है उनको जरूर सख्ती के साथ दबाया जा सके। यही इसमें मन्शा थी लेकिन चूंकि इसमें कई विषय हैं और बहुत लम्बी चौड़ी बातें है इसलिए इस कमेटी को नियुक्त किया है कि वह जल्दी से जल्दी, मैं प्रयास करूंगा कि 10ता. तक एक बार उनकी एक अन्तरिम रिपोर्ट आ जाए जिससे मार्च में मिलने वाली एड में जो परेशानी होने वाली है संस्थाओं को, वह नहीं आये। विशेषकर बोनस का सवाल आज ऐसा खड़ा हो गया पहले हमारे यहां बोनस देय था और निजी संस्थाओं द्वारा भी इन नियमों के तहत बोनस चुकाया जाता रहा बीच में ए. जी. ने एक आब्जेक्शन कर दिया कि बोनस देने का प्रोविजन है ही नहीं, ये दे रहे है तो गलत दे रहे है। इसलिए उन्होंने एक आदेश निकाला इसलिए हमारे यहां पर भी एक आदेश निकाल दिया कि बोनस देय नहीं है। लेकिन संस्थाओं ने तो नौ महीने तक बोनस चुका दिया था, हमने एक आदेश वापस निकाल दिया कि जो बोनस चुक गया है, उस पर यह नियम लागू नही होगा, उन पर यह कटौती नहीं होगी। लेकिन फिर भी संस्थाए जो फीस अर्जित कर रही है उसको उसमें से माइनस करते हैं लेकिन इस कमेटी के पास हमने भेजा है जिसमें पहले के शिक्षा मन्त्री माननीया कमलाजी और चन्दन मल बैद को भी, हमारे यहां से 2 विधायक शिवकिशोर जी सनाढ्य और घनश्याम जी तिवाड़ी और ललित किशोर जी और बाकी सस्थाओं के एक-एक प्रतिनिधि को लेकर ऐसे 10-11 लोगों की कमेटी बनायी है और उस कमेटी को हमने कहा कि जिन समस्याओं के कारण से मार्च में विद्यालयों पर कठिन संकट आने वाला है, उससे मुक्ति मिल जाए इसके लिए एक अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत करें और उसके बाद अपने स्तर पर नये नियम बनाकर हमें दे ताकि हम उसके ऊपर कार्यवाही कर सकें।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री शिवनाथ सिंह : नियमों का पालन करने वाले बहुत कम मिलेंगे। मैंने पाइंटेड सवाल पूछा कि उनको करो, लेकिन जो कर्मचारियों को प्रोटेक्शन उन नियमों में मिल चुका है उनको तो विथड्रा नहीं किया जाए।

श्री अध्यक्ष : यह मान लिया है इन्होंने वह मान लिया है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : सबसे पहले वही किया है....

श्री अध्यक्ष : ऐसा है मैं समझता हूं माननीय मन्त्री जी ने यह 131 के तहत जो ध्यानाकर्षण किया है उनमें वे भी एक-मत के लगते हैं तो इसमें आगे बात करने की जरूरत नहीं हैं। वे जो कह रहे हैं, उसी बात को करने के लिए कमेटी बना दी तो वह सारा एग्जामिन करेगी।

श्रीमती कमला (बैराठ) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मुद्दा है इसमें सिर्फ दो ही पक्ष नहीं है, इसमें चार पक्ष हैं। एक पक्ष संस्था चलाने वालों का है जिनके ऊपर अगर कोई ऐसी पाबंदियां लग गयी हैं जो व्यावहारिक नहीं है और सम्भव नहीं हैं उनके बारे में विचार करना है। दूसरे, जो इसमें शिक्षक, कर्मचारी काम करते हैं उनको उनके हक मिलने चाहिये। तीसरा एक पक्ष शायद इसमें नहीं है और विस्तृत नहीं है, अगर कहीं होगा भी तो जो बच्चे वहां पढ़ते हैं उनके पेरेंट्स पर जो प्राइवेट शिक्षण संस्थाएं भार डाल रही है उनको किस सीमा तक, किस-किस तरह से डाला जाना चाहिए और किस तरह से उनसे फीस ली जाए, डवलपमेंट फीस ली जाए कैसे उनको रेगुलेट किया जाए, यह तीसरा पक्ष है पेरेंट्स का। चौथा पक्ष सरकार का है। सरकार किस हद तक इसको रेगुलेट करें, किस हद तक डवलप करे और कितना इंटरफियरेंस हो, कितना नहीं हो, ये चारों पक्ष इसके अन्दर संतुलित ढंग से चर्चित होने चाहिये और जब उस कमेटी की मीटिंग बैठे तो इसके बैक ग्राउण्ड पेपर इस हिसाब से तैयार होने चाहिये।

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण मीणा :

बीसलपुर परियोजना का पुनर्गठन

श्री रामनारायण (नैनवां) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रक्रिया तथा-कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 131 के अन्तर्गत अरबों रुपयों की लागत वाली बीसलपुर परियोजना के स्वरूप को बिगाड़ने तथा अधिकतर वर्षों में अकालग्रस्त रहने वाले गांवों को अलग करने व अन्य सिचाई बाधों आदि से सिंचित भूमि को परि-योजना क्षेत्र में सम्मिलित करने से उत्पन्न स्थिति की ओर सिंचाई मन्त्री का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री कैलाश मेघवाल (गृहमन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, बीसलपुर नदी पर ग्राम बीसलपुर के पास बांध बनाकर सिंचाई सुविधा प्रदान करने हेतु विभिन्न विकल्पों पर विचार-विमर्श सन् 1944-45 से ही चल रहा था। बीसलपुर परियोजना पर विभिन्न स्तर पर विचार-विमर्श के बाद वर्ष 1982 में प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाकर स्वीकृति हेतु केन्द्रीय जल आयोग को भेजी गयी। इस रिपोर्ट के अनुसार जलाशय की कुल भराव क्षमता 24,800 एम.सी. फिट एवं उपयोगी भराव क्षमता 21,800 एम.सी. फीट थी। परियोजना के अनुसार बीसल-पुर बांध के प्रस्तावित जल संग्रहण में से 8500 एम.सी. फिट पानी अजमेर, ब्यावर किशनगढ़, जयपुर आदि शहरों के लिए पेयजल आपूर्ति हेतु उपलब्ध कराया जाना था एवं 15,000 एम.सी. फीट बनास नदी

(श्री कैलाश मेघवाल)

के दांयी तरफ स्थित 85 हजार हैक्टेयर सिंचित क्षेत्र सी.सी.ए. में से 60 हजार हैक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित था। इस प्रारूप के अनुसार जिला टोंक की देवली तहसील के 3, टोंक तहसील के 113, उनियारा तहसील के 195, सवाई माधोपुर जिले की सवाई माधोपुर तहसील के 181 एवं बूंदी जिले

(14.33)

(श्री रमाकान्त शर्मा, सभापति, पदासीन)

के नैनवां तहसील के 56 गांव इस प्रकार कुल 568 गांवों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित था। राज्य सरकार ने योजना आयोग से परामर्श कर परियोजना के प्रथम चरण की रुपये 52 करोड़ (वर्ष 1985 के मूल्यों पर) की प्रशासनिक स्वीकृति दिनांक 15.10.86 को प्रदान की, जिसके अनुसार बांध का क्रेस्ट लेवल तक निर्माण कर अजमेर, ब्यावर, किशनगढ़ इत्यादि कस्बों को आंशिक पेयजल आपूर्ति करने का प्रावधान था। बांध का निर्माण कार्य वर्ष 1987 में प्रारम्भ किया गया।

राष्ट्रीय जल नीति के अनुसार पेयजल को सर्वोच्च प्राथमिकता दिये जाने हेतु परियोजना का स्वरूप मुख्यत: पेयजल परियोजना रखा गया है। तदनुसार जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा पेयजल की आवश्यकताओं की पुन: गणना करके मार्च, 1989 में पेयजल हेतु 8,500 एम.सी. फीट पानी की आवश्यकता (जलाशय में वाष्पीकरण ह्रास के अलावा) आंकी गयी जबकि पूर्व में की गयी गणना में वाष्पीकरण ह्रास भी सम्मिलित था। तत्पश्चात् अजमेर, ब्यावर, किशनगढ़, जयपुर इत्यादि शहरों में जलापूर्ति करने हेतु लगाये जाने वाले पाइप लाइन के रास्ते में पड़ने वाले गांवों की पेयजल आवश्यकता को सम्मिलित करते हुए बीसलपुर बांध से पेयजल की आपूर्ति हेतु आरक्षित की जाने वाली जल की मात्रा की पुन: गणना की गयी। इस गणना के आधार पर पेयजल की आवश्यकता 18,665 एम.सी. फीट आंकी गयी। बीसलपुर परियोजना के लिये गठित राज्य स्तरीय समिति ने इस मुद्दे पर विचार-विमर्श कर वर्ष 1991 में पेयजल हेतु 16,200 एम. सी. फीट पानी आरक्षित करने का निर्णय लिया। इस गणना में जलाशय से वाष्पीकरण ह्रास सम्मिलित नहीं है। पेयजल हेतु उक्त आरक्षण के पश्चात् सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 75 प्रतिशत विश्वसनीयता पर केवल 8,000 एम. सी. फीट पानी उपलब्ध होगा जिसमें कमाण्ड क्षेत्र में आ रहे वर्तमान तालाबों के 1,000 एम. सी. फीट को सम्मिलित करते हुये 9,000 एम. सी. फीट पानी से बनास नदी के दांयी तरफ करीबन 69,300 हैक्टेयर सिंचित क्षेत्र में 72 प्रतिशत सिंचाई क्षमता पर 49,900 हैक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।

इस प्रकार राष्ट्रीय जल नीति के अन्तर्गत पेयजल को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुये शेष पानी की सिंचाई हेतु उपलब्धता को ध्यान में रखते हुये संशोधित प्रोजेक्ट रिपोर्ट दिनांक 14.11.91 को केन्द्रीय जल आयोग को प्रस्तुत की गयी। संशोधित प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार पानी की

(श्री कैलाश मेघवाल)

सीमिति उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए पूर्व के प्रस्तावित 568 गांवों के बजाय जिला टौंक की देवली तहसील के 24 गांव टौंक तहसील के 106 गांव, उनियारा तहसील के 73 गाव व सवाई माधोपुर जिले की सवाई माधोपुर तहसील के 5 गांव, इस प्रकार कुल 208 गांवों में सिंचाई सुविधा प्रदान किया जाना प्रस्तावित किया गया।

संशोधित प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार पानी की सीमित उपलब्धता को ध्यान में रखते हुये दांयी मुख्य नहर की हैड रीचेज में 208 गांवों में ही सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित किया गया है। नैनवां तहसील के जो गांव 1982 की प्रोजेक्ट रिपोर्ट में प्रस्तावित सिंचित क्षेत्र में लिये गये थे वे बीसलपुर परियोजना की दांयी मुख्य नहर के अंतिम छोर पर आते थे जो कि अब सिंचाई हेतु पानी की कम उपलब्धता होने के कारण कमाण्ड क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किये गये हैं। नैनवां तहसील के अतिरिक्त अन्य जिलों के अन्तिम छोर वाले गांवों को भी सम्मिलित नहीं किया गया है जैसे कि टौंक तहसील के 113 में से 7 गांव, उनियारा तहसील के 195 में से 122 गांव तथा सवाईमाधोपुर तहसील के 181 में से 176 गांव कम किये गये हैं।

राहूघाट पन विद्युत परियोजना राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल द्वारा तैयार कर केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण/केन्द्रीय जल आयोग को प्रस्तुत की गयी थी। इस परियोजना के प्रस्तावित बांध की डूब में मध्य प्रदेश राज्य का क्षेत्र भी आता है। अतः इसके लिये मध्य प्रदेश सरकार की सहमति आवश्यक है। ऐसी अन्तरराज्यीय परियोजनाओं के सभी प्रकार के विवादों को सुलझाने के लिये राजस्थान एवं मध्यप्रदेश अन्तरराज्यीय नियन्त्रण मण्डल गठित हैं। इस मण्डल ने अपनी दिनांक 30.5.89 की बैठक में एक अध्ययन ग्रुप का गठन किया था जो चम्बल नदी में उपलब्ध जल की उपयोगिता का अध्ययन दोनों राज्यों की आवश्यकताओं के संदर्भ में कर आवश्यक सिफारिश कर सके। इस ग्रुप की अब तक छह बैठकें हो चुकी हैं व अन्तिम बैठक दिनांक 10.2.94 को हुई थी पर इस परियोजना पर अभी तक कोई निर्णय नहीं हो सका है जिससे यह परियोजना अभी विचाराधीन परिस्थिति में ही है।

चम्बल नदी से जयपुर शहर को खुली नहर के जरिये बीच में आने वाले सवाई माधोपुर, टौंक, जयपुर जिले के गांवों को सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराते हुए पेयजल पहुंचाने सम्बन्धी कोई परियोजना सिंचाई विभाग के विचाराधीन नहीं है तथा ना ही इस सम्बन्ध में विशेषज्ञ नियुक्त किये जाने की कोई कार्यवाही की जा रही है। गोपाल एवं रामेश्वर देह के पास चम्बल पर बांध बनाने की भी कोई परियोजना विचाराधीन नहीं है। परन्तु चम्बल नदी के जल के उपयोग हेतु इन्दिरा लिफ्ट वृहद सिंचाई परियोजना प्रस्तावित है। यह परियोजना बनास व चम्बल नदी के संगम से नीचे रामेश्वर घाट से प्रस्तावित है। इस परियोजना का सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है।

तथ्य यह है कि बांध का पूर्ण भराव स्तर दो मीटर बढ़ाकर 313.50 मीटर

(श्री कैलाश मेघवाल)

से 315.50 मीटर का दिया गया है। परिणामस्वरूप बांध की पूर्ण भराव क्षमता भी बढ़ गयी है। इसी प्रकार नहर का निकासी लेवल जो सन् 1982 में 307.30 मीटर प्रस्तावित था को 2.30 मीटर बढ़ा कर 309.60 मीटर किया गया है।

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत(श्रीमाधोपुर): सभापति महोदय, पाइंट ग्राफ इन्फार्मेशन। पिछले दिनों हमारे कृषि मन्त्रीजी के अपने गनमैन और ड्राइवर को छोड़ने की खबर छपी थी। मैं इतना सा निवेदन करना चाहता हूं कि मन्त्री की सुरक्षा की दृष्टि से इस प्रकार का निर्णय कैसे हो गया बीच में, इसको थोड़ा क्लियर करवा दें कि सरकार ने हटा दिया था मन्त्रीजी ने खुद ने अपने गनमैन और ड्राइवर को विथड्रा किया है।

श्री सभापति : बिराजिये, बिराजिये।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : एक मन्त्री की सुरक्षा का प्रश्न है इसलिए थोड़ा सरकार की तरफ से इस पर स्पष्टीकरण आ जाए और इन्फार्मेशन हम लोगों को मिल जाए।

श्री सभापति : आ जाएगा। बिराजिये आप। श्री रामनारायण मीणा।

श्री महावीर प्रसाद जैन (सरकारी मुख्य सचेतक) : स्पष्टीकरण मन्त्रीजी की तरफ से हो गया।

श्री रामनारायण (नैनवां) : माननीय सभापति महोदय....

श्री सभापति : केवल प्रश्न पूछेंगे।

श्री रामनारायण : मेरा जहां तक ख्याल है, यह नियम किधर लागू होता है, दाहिने या बांये, यह नहर का ही मामला है....

श्री सभापति : नहीं-नहीं, उधर भी मैं यही बात कहूंगा। अच्छा, पूछिये-पूछिये, जो कुछ भी कहना है।

श्री रामनारायण : मैं खड़ा हुआ हूं और अपन साथ-साथ ही इस सदन में सदस्य बने हैं....

श्री सभापति : अच्छा, बोलिये-बोलिये।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : सभापति महोदय, मेरी बात का जवाब....

श्री सभापति : आप बिराजिये। प्रश्न दूसरा चल रहा है।

श्री रामनारायण : माननीय सभापति जी, मैं रूपरेखा शुरू कर रहा हूं....

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : नहीं, आपने व्यवस्था दी कि इसका जवाब आयेगा इस लिए मैंने निवेदन किया कि कब ?

श्री सभापति : आ जाएगा।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : अभी सरकार की तरफ से।

श्री सभापति : आ जाएगा, आ जाएगा।

114

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : मन्त्रीजी ने स्वयं ने उसका स्पष्टीकरण दे दिया। गनमैन को उन्होंने भेजा नहीं था, आवश्यक काम था इसलिए एकाध दिन के लिए छुट्टी दे दी।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : अगर एक दिन के लिये भेजा था तो रिप्लेसमेंट क्यों नहीं हुआ ?

श्री सभापति : यह उनका प्रश्न है, आप बिराजिये।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : और मंत्री जी कार खुद चला रहे हैं, रिप्लेसमेंट ड्राइवर का हुआ या नहीं ?

एक माननीय सदस्य : माननीय सदस्य, हमारे मन्त्री स्वयं सक्षम हैं अपनी सुरक्षा करने में।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : नहीं, मंत्री जी की कार कौन चला रहा है फिर, एक-दो दिन के लिये दोनों को एक साथ काम पड़ गया....

एक माननीय सदस्य : आपको चिन्तित होने की आवश्यकता नहीं, हमारे मन्त्री सक्षम हैं।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : यह तो उनका प्रश्न है मैडम....

श्री सभापति : वह अपनी सुरक्षा के लिये स्वयं चिन्तित हैं, आप बिराजिये प्लीज।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : मन्त्री राजस्थान के हैं, केवल आपके नहीं हैं....

श्री सभापति : कृपया बिराजिये।

श्रीमती शशि दत्ता (राज्य मन्त्री, विधि) : हम आपकी भावनाओं को....

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : और हमसे डेपुटेशन पर गये हुए हैं इसलिये हमको चिन्ता और ज्यादा है।

श्री सभापति : बिराजिये। श्री रामनारायण जी।

श्री रामनारायण : आप बैठाइये थोड़ा।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

एक माननीय सदस्य : फिर यदि उन को खतरा है तो आपसे ही है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपका कोई सम्बन्ध नहीं है उनसे, आप जरूर डेपुटेशन पर गये हैं।

श्रीमती शशि दत्ता (राज्य मन्त्री, विधि) : सभापति महोदय, मैं उनकी बात का जवाब दे दूं। माननीय सदस्य ने हमसे पूछा है तो इनडायरेक्टली वह हम सब पर... (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : मन्त्रीजी से स्पष्टीकरण कराइये।

श्री सभापति : आवश्यक नहीं है, आप बिराजिये ... (व्यवधान).... आवश्यक नहीं है, बिराजिये आप।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : जवाब मन्त्रीजी से दिलवाइये, वह कह रहे हैं दुःखी

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत)

हैं सरकार में, गला घुटा हुआ है इसलिए बोल नहीं पा रहे हैं....

श्री सभापति : ठीक है।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : चीफ व्हिप महोदय, उनको जवाब देने नहीं दे रहे।

श्री सभापति : आवश्यक होगा तो जवाब दे देंगे।

श्री नरपत सिंह राजवी (चित्तौड़गढ़) : आप भी दुःखी हैं, हम जानते हैं। आपका दुःख भी हम जानते हैं। आप शांति से बिराजिये।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री रामनारायण : माननीय सभापति महोदय, यह जो धन्यवाद प्रस्ताव है, इस मायने में भी बहुत जरूरी और महत्वपूर्ण हो जाता है कि इससे जयपुर का भविष्य जुड़ा हुआ है। राजस्थान में दो नदियां हैं, एक चम्बल और एक माही। सिंचाई मन्त्री जी जानते हैं इस बात को कि माही में कोई खास पानी नहीं है, चम्बल में पानी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बीसलपुर है, दोमाही नदी है। बीसलपुर का जो प्रोजेक्ट बना था, 44–45 में जो विचार आया था उस समय शायद आपको ध्यान नहीं होगा, आपको जो रिपोर्ट दे दी, आपने पढ़ ली, आपके डिपार्टमेंट के अफसर तो बहुत अच्छे हैं, ऐसा सुनते हैं, लेकिन यह गलत आंकड़े उन्होंने दिये हैं। 32 हजार एम.सी. फीट पानी ... (व्यवधान) .. पता नहीं, इनके मिलने वाले ही होंगे, मुझे जानकारी नहीं है। सैक्रेटेरिएट नहीं जाता हूं। आप जब मन्त्री बनेंगे तब चलूंगा।

32 हजार एम.सी. फीट पानी था, कैचमेंट एरिया पूरा था, इसमें कोई दो राय नहीं है। यह भी सही है कि उसके बाद कैचमेंट एरिया में कुछ डेम्स बने, कुछ एनीकट्स बने। लेकिन आज भी उस बांध में पानी की मात्रा जितनी बतायी गयी है उतनी पानी की मात्रा मान ली जाए, इसके बाद में माननीय सभापतिजी, जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट इसकी बनी थी, जब इस डेम को बनाने के बारे में सोचा गया था कांग्रेस राज में, मेरा जहां तक ख्याल है नेहरूजी भी थे, उस समय सिंचाई के लिये ज्यादा ध्यान दिया गया था, उस समय बहबूदी लानी थी इस देश में। दो नहरें निकाली गयी थी इसमें से – एक दांयी नहर, एक बांयी नहर। आप इस बात को भूल गये हैं माननीय सिंचाई मन्त्रीजी, दांयी नहर एज इट इज रख दी गयी है। प्रश्न यह उठता है कि दांई नहर से जो गांव काटे गये 360, मैं नहीं कहता कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय काटे गये, जो भी सरकार 14 नवम्बर, 1991 को होगी....

श्री महावीर प्रसाद जैन : 89 को....

श्री रामनारायण : चीफ व्हिप महोदय, आप समय बढ़ाने के लिये हाउस में रहिये अभी, आपका मसला है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपका ज्ञान....

श्री रामनारायण : आपका मसला है, आपके गांव कट गये हैं और आपका जिला भी इसमें शामिल है। आप निवाई तो आ जाते हैं लेकिन टोंक तहसील....

श्री सभापति : उनकी वकालत वह स्वयं कर लेंगे, आप तो अपनी बात बोलिये।

श्री रामनारायण : आप कण्ट्रोल कीजिये न उनको।

श्री सभापति : हां, कर लेंगे। वह कर लेंगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपका ज्ञानवर्द्धन कर रहा हूं।

श्री रामनारायण : बीच में वह डिस्टर्ब करते हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मिस गाइड हो रहे हो आप।

श्री रामनारायण : आप थोड़ा शांत हो जाएं।

श्री सभापति : प्लीज कैरी-आन।

श्री रामनारायण : सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था, जो गांव काटे गये है क्या उनके लिये कोई अल्टरनेट हम सिचाई योजना बना सकते हैं ? क्या जिस शहर को पानी दिया जा रहा है उसके लिए अल्टरनेट ड्रिंकिग वाटर हम ला सकते हैं ? इसलिए यह एक विचार आया था और वर्षों से विचार चल रहा है। यह सही है कि आज ड्रिंकिग वाटर को हम टाप प्रायोरिटी देना चाहेंगे। भारत सरकार और विश्व बैंक से या जो भी संस्थाएं हमारे को लोन देती है वह ड्रिंकिग वाटर के नाम से पैसा देगी। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो दूसरा ईसरदा बांध उन्होंने किया है जिसके बारे में सोच रहे हैं क्या ईसरदा बांध के लिए यह ईमानदारी से थिंकिग कर रहे है कि इसको बनाया जाए। यदि ईसरदा बांध को बनाया जाए और जयपुर को ईसरदा के साथ जोड़ दिया जाए तो मेरा जहां तक ख्याल है, यह सारी प्राब्लम वहां की वहां खतम हो जाती है। ड्रिंकिग वाटर के नाम पर ईसरदा बांध को हम प्रगति में ला सकते हैं, उसको मंजूरी दिला सकते हैं। एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा कि यह आठ ही शहर नहीं है इसमें, केकड़ी, सरवाड़ भी हैं, 1200 गांव, पता नहीं कितने गांव आप जोड़ रहे हैं, उन गांवों से कोई विरोधाभास नहीं है। समस्या यह पैदा हो गयी इस मामले में, जयपुर के साथ, ब्यावर के साथ, किशनगढ़ के साथ, केकड़ी सरवाड़, नसीराबाद और उन गांवों के साथ अन्याय हो जाएगा और वह लोग कभी भी आपको उलाहना देने से नहीं भूलेंगे क्योंकि जयपुर को जोड़ने के बाद, जयपुर की जनसंख्या आज की तारीख में, जो आंकड़ों में नहीं है,....

(14.45)

(श्री घनश्याम तिवाड़ी, सभापति, पदासीन)

22लाख है। सभापतिजी, 20 साल बाद में एक करोड़ भी हो जाएगी। मुझे पता नहीं, अधिकारीगण साल भर कुर्सी पर रहते हैं, चीफ इन्जीनियर हैं, कोई भी हो या कोई भी बैठे हों सरकार में, उसको योजना सौ साल आगे की मानकर सोचनी चाहिए। जयपुर की आबादी जब एक करोड़ हो जाएगी उस समय पानी कहां से आवेगा ? यदि जयपुर को हम पानी देंगे तो क्या अजमेर, केकड़ी, सरवाड़ और ब्यावर को आप पानी दे सकेंगे ? उसके लिए आप पाइप लाइन डाल दो, वह व्यर्थ जाएगी या

(श्री रामनारायण)

जयपुर की व्यर्थ जाएगी ? यह इसलिए व्यर्थ जाएगी, मेरा एक सजेशन है, बिल्कुल, यह इन्होंने नहीं कहा है...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, एक करोड़ होगी तो बीसलपुर और जयपुर तब तक जुड़ जाएंगे।

श्री रामनारायण : हां, यह बात सही है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि जयपुर को हम भूल-भुलैया में न रखें। ईमानदारी से जयपुर के लिए सेपरेट योजना बनायें। जयपुर के लिए सेपरेट योजना के लिए मैंने इस सदन के फ्लोर पर निवेदन किया था और कहता आ रहा हूं। पिछले सत्र में भी, नवम् विधान सभा में भी इस का बार-बार निवेदन किया है कि आप चम्बल से पानी दीजिये और सिंचाई मन्त्री जी, आप जा कहां रहे हैं ?

श्री सभापति : हां, कृपया संक्षेप में।

श्री रामनारायण : मैं बिलकुल संक्षेप में, इसलिए कि आखिरी में नाम आया तो टाइम काटिये मत। अच्छे आदमी बैठ गये हैं कुर्सी पर, आसन पर। हम तो चाहते हैं इस पर आप परमानेंट बैठें।

श्री सभापति : कुर्सी हमेशा अच्छी है, इस पर बैठने वाले अच्छे नहीं है।

श्री रामनारायण : मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, यह बहुत महत्वपूर्ण मसला है और आप तो जानते हैं इस मामले में किसान की हालत क्या है। मैं निवेदन इसलिए कर रहा हूं कि हमारे साथ चम्बल का जो पानी है, चम्बल बेसिन रिपोर्ट है, मेरा जहां तक ख्याल है सिंचाई मन्त्रीजी ने इसको देखा होगा, सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने चम्बल बेसिन रिपोर्ट देखी होगी। माननीय सभापतिजी, चम्बल बेसिन रिपोर्ट क्लियर कहती है कि 13.75 मिलियन एकड़ फीट पानी जो चम्बल का है वह मध्य प्रदेश में जा रहा है जबकि गांधी सागर की ओर आपके भाखड़ा....

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री रामनारायण : गांधी सागर की ओर भाखड़ा डेम की जो भराव क्षमता है वह 6.25 मिलियन एकड़ फीट पानी की है। ऐसी स्थिति में हमारा जो पौने चौदह मिलियन एकड़ फीट पानी जा रहा है उसका हम कहां उपयोग कर रहे हैं ? यह बहुत गम्भीर मसला इसलिए हो गया सभापति जी, कि उत्तर प्रदेश में पचनाड़ के पास एक डेम का निर्माण हो रहा है। मध्य प्रदेश लिफ्ट योजनाएं बना रहा है। यदि हमने ड्रिंकिंग वाटर के नाम से चम्बल के पानी का उपयोग लिया, ईसरदा से उसके पानी का उपयोग लिया, जयपुर के बारे में सोचेंगे तो पानी मिल सकेगा। जयपुर अभी जिस स्थिति में है वह बहुत खराब हालत है। आपको ध्यान है सभापतिजी, कुछ दिनों पहले इस मामले में आन्दोलन हुआ। 15 हजार से 20 हजार के बीच में आदमी सरोली मोड़ नेशनल हाइवे पर इकट्ठे हुए, साढे पांच घण्टे तक वहां इकट्ठे हुए और यह बात बिल्कुल सही और साफ है कि इतनी बड़ी तादाद में पिछले दस साल में कभी कोई जनता इकट्ठी नहीं हुई होगी। इसका मतलब जनता की ग्रिवान्सेज है, जनता क्या चाहती है, हम संवेदनशील सरकार की बात करते, संवेदनशीलता की

(श्री रामनारायण)

बात करते हैं, जनता और गरीब आदमी जो चाहता है, जो पैदल चल कर आये हैं, 25–25, 30–30 किलोमीटर से, उनकी भावना की हम कद्र करें और उसके लिए महत्वपूर्ण यह होगा, यह सही है कि आप लोगों ने दुबारा सर्वे के लिए कहा था लेकिन मेरा जहां तक ख्याल है, आपके अधिकारी इस बात पर मेहनत नहीं करना चाहते। क्या कारण है कि आप टोकरवास होकर सर्वे नहीं करना चाहते ? क्या कारण है कि आप बाथोला के पास नहर का सर्वे नहीं करना चाहते ? यदि आपके इन्जीनियर्स में थोड़ी कमी रह गई हो, पुराने इन्जीनियर्स जो रिटायर्ड हैं, जिन्होंने 58 से 63 के बीच में इसका सर्वे किया है....

श्री सभापति : थोड़ा संक्षिप्त कर लें।

श्री रामनारायण : मैं बिल्कुल संक्षिप्त कर रहा हूं, मैं वही बात कह रहा हूं जो इससे लगी हुई है। 58 से 63 के बीच जिन इन्जीनियर्स ने सर्वे किया है वह जिन्दा हैं, मौजूद हैं, मैं नाम भी बताना चाहता हूं आपको। स्वाजन ऋषि मेहता हैं जो रिटायर हो गये, आपके एडीशनल चीफ इन्जीनियर थे, बूंदी में रहते हैं और एक आपके मिस्टर गुप्ता हैं जो अजमेर में रहते हैं या जयपुर में रहते हैं। हम उनको ढूंढ कर आपको देंगे। आप उनके साथ 15 जनों को लेकर घूमिये। वह ईमानदारी से अपनी बात कहेंगे, आपको समझायेंगे, आपके अधिकारियों को समझायेंगे। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि आपने जो दो कमेटी बैठायी है, यह सही है कि आपने दो कमेटियां बैठायी हैं। एक कमेटी आपने अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, जलदाय विभाग की अध्यक्षता में बैठायी थी लेकिन दुर्भाग्य है, उसके बारे में कोई कार्यवाही आगे नहीं हुई। दूसरी, आपने भारत सरकार की जो कम्पनी है वेपकोस या कौनसी है, उसमें आपने कहा, उसमें भी आपने काम पूरा करवाया जो ऐसा नहीं है। इनसे आप कहिये, अपना काम पूरा करें, आपके अधिकारियों से कहिये अपना काम पूरा करें, ईसरदा को इसके साथ जोड़ें और टोकरवास के पास होकर जो सर्वे की बात है, उस सर्वे को आप करवाने की बात करें, तब तक नहर का काम बन्द रखें, क्योंकि तीन दफे आन्दोलन हो चुके हैं। माननीय सभापति महोदय, माहौल ठीक नहीं होता, सभी पार्टीज के लोग उसमें हैं, बिना झंडे के आते हैं और यदि किसी को इस बात में शक-शुबहा हो कि इसमें सब पार्टी के लोग नहीं हैं, तो मेरा जहां तक ख्याल है, सारी पार्टीज के लोग अपने झंडे लेकर आ जायेंगे इसलिए आप इस मामले में निश्चित रहिये। बिना किसी पालिटिकल बात के, और हम आप को सदन में आश्वस्त करना चाहते हैं, इसका हम कोई पालिटिकल फायदा नहीं उठाना चाहते हैं, हम उस गरीब आदमी को, डिप्रेस्ड क्लास का आदमी जो गांवों में बैठा हुआ है, उसको पानी पिलाने की बात करना चाहते हैं। इसलिए बात करना चाहते हैं कि आपने सदन के फ्लोर में कहा है, यहां आपने पहले भी कागजात रखे हैं कि इन गांवों को कभी पानी नहीं मिलेगा। आपने नैनवां तहसील के 56 गांवों के बारे में कहा है, जो 59 गांव थे, 110 गांवों का शुरू में सर्वे हुआ था कि इन गांवों में अधिकतर वर्षों में अकाल पड़ता रहता है, एक साल अकाल नहीं होगा तो 10 साल अकाल होगा....

श्री सभापति : आपका विषय आ गया है ?

श्री रामनारायण : नहीं, वह नहीं आया । जो बात मैं कह रहा हूं....

श्री सभापति : तो लाइये उसको ।

श्री रामनारायण : मैं बिल्कुल पाइंट से बात कर रहा हूं । माननीय सभापतिजी, मेरा जहां तक ख्याल है आप आ गये मेरा सौभाग्य था । एक बात मैं आपके माध्यम से इस मामले में पूछना चाहूंगा । यह जो कमांड क्षेत्र, जिसको आप ले रहे हो, क्या उसमें सिचाई बांध नहीं है ? 20 तो सिचाई बांध आते हैं, दो लघु सिचाई योजनाएं हैं, उनको पानी देने की बात कर रहे हैं । दो मध्यम सिचाई योजनाएं हैं, जब मध्यम सिचाई योजना वाले इलाके को लघु सिचाई योजना वाले 22, आप सिचाई योजना के उन गांवों को जिनकी संख्या 81 है 208 गांवों में से आप 81 गांवों को शामिल कर रहे हो, जो आलरेडी सिचित क्षेत्र में हैं, सिचित उनका रकबा है, सिचाई योजनाओं से उनको पानी पहुंच रहा है, आप इन्हीं डेमों में उस पानी को डालना चाहते हो और एक तरफ आप कहते हैं कि वाष्पीकरण से पानी उड़ेगा, डेमों में आप पानी डालेंगे तो पानी डेम में नहीं उड़ेगा ? इसमें नहीं खराब होगा ? बीसलपुर डेम में नहीं खराब होगा, गर्मी से नहीं उड़ेगा, बल्कि इन डेमों से और उड़ेगा । ऐसी स्थिति में आपने अमेंड करके इस तरह की योजना बनायी है, जिस योजना से किसान को नुकसान होगा, पानी का नुकसान होगा । एक तरफ तो हम कहते हैं कि एक-एक बूंद का उपयोग करेंगे, इसलिए माननीय सभापति महोदय, जो 22 डेम हैं, दो बड़े मध्यम श्रेणी के, 20 जो लघु श्रेणी के हैं, इन डेमों के ऊपर से इस नहर को निकालें, वहां नहीं निकाले । आपको किसी डेम में डालना है तो ऊपर से चैनल दे दीजियेगा । इसलिए एक तो मेरा निवेदन करना यह है कि इसमें आप कंटूर कैनाल जिस ढंग से बना रहे हो, उस ढंग से बनाइये लिफ्ट में ले जाने की बात आप कर दीजिये ।

श्री सभापति : रिपीट मत करें ।

श्री रामनारायण : बिल्कुल नहीं, मैं नहीं कर रहा हूं ।

श्री सभापति : रिपीट कर रहे हैं आप रामनारायणजी ।

श्री रामनारायण : मैं समझा रहा हूं उनके अधिकारियों को....

श्री सभापति : यह समझ जायेंगे ।

श्री रामनारायण : नहीं, यह कह दें, अधिकारियों से बात कर लें तो मैं उनको ज्यादा समझा सकूंगा, शायद आप तो इस मामले को नहीं जानते, मैंने एक-एक गांव देखा है, माननीय मन्त्रीजी ।

दूसरा मेरा निवेदन करना यह है कि एक बात इन्होंने जवाब में कही है वह बिल्कुल गलत है और आज सुबह से सदन में पता नहीं क्यों कहा जाता रहा है, अफसर जो जवाब बना देते हैं, वही जवाब पढ़ देते हैं । आपने यह कहा है कि नैनवां क्षेत्र के गांवों या उनियारा क्षेत्र के उन गांवों को काटा गया है, जो बीसलपुर बांध से दूर थे, ऐसा नहीं है । माननीय सभापति महोदय, सवाई माधोपुर तहसील का कोई सा

(120)

(श्री रामनारायण)

भी गांव ले लीजिये और डेलपुर गांव ले लीजिये और बामनवास गांव ले लीजिये, सवाई माधोपुर गांव की दूरी बीसलपुर बांध से दुगुनी है। डेलपुरा और बामनवास गांव जो नैनवां तहसील का है, उसकी आधी, सतवाड़ा जो रह गया, आपका टोकरवास रह गया, उसकी दूरी 1/4 है, ऐसी स्थिति में जो जवाब दिया गया है, आप उसको दुबारा चैक करवाइये, ढंग से जवाब बनाये, ढग से उसका रि-इन्वेस्टीगेशन हो, यह बात जवाब में गलत है। इसलिए मैं आपका ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहूंगा और इसके साथ ही मैं इस सम्बन्ध में, मेरा जहां तक ख्याल है मन्त्रीजी आश्वासन देंगे। मैं इस बारे में एक और आपको निवेदन करना चाहूंगा, सायद चिट्ठी आपको मिली नहीं हो। आप बार बार कहते हो, हमारा शासन था, हमारा शासन नहीं रहा, राष्ट्रपतिजी का आ गया, राष्ट्रपति शासन में इस मामले में जरूर कुछ काम हुआ था, कुछ प्रगति हुई थी, किसान के इण्ट्रेस्ट में, किसी भी तरह से हुई, लेकिन हुई। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य इनको बोलने दें।

श्री रामनारायण : वैसे यह मामला लाइटली नहीं है क्योंकि आपका क्षेत्र नहीं है, इसलिए आपको ध्यान नहीं है, आप थोड़ा राजस्थान में घूमें माननीय मर्ग साहब....

श्री सभापति : हां, बोलिये विषय पर।

श्री रामनारायण : मैं आपको तारीख बता दूं, 7 जुलाई, 1993 को मेरे पास चिट्ठी आयी है। जुलाई, 1993 को केन्द्रीय जल संसाधन मन्त्रीजी ने चिट्ठी लिखी है, राजस्थान सरकार को। क्या इन गांवों की सिंचाई सुविधाएं हम बढ़ा सकते हैं? क्या चम्बल से पानी दे सकते हैं? एक बात और निवेदन करना चाहूंगा, माननीय सभापतिजी, केन्द्रीय कृषि मन्त्रीजी ने इस बात का आश्वासन दिया है, लेकिन आप प्रोग्राम बना कर नहीं भेजते हो। भारत सरकार ईमानदारी से चाहती है कि जयपुर को ऐसी जगह से पानी दिया जाये, जहां पानी का सतही जल हो। सतही जल कहां मिल सकता है, यह आप देख लीजियेगा। सतही जल चम्बल के अलावा और कहीं नहीं है ईसरदा के अलावा कहीं नहीं है, बीसलपुर में किसी साल बरसात नहीं हुई तो छह शहर आपके निपट जायेंगे, यहां पानी मिल जायेगा? इसलिए मैं वह रिपीट नहीं करते हुये इतना ही निवेदन करना चाहूंगा, जब केन्द्रीय जल संसाधन मन्त्री, केन्द्रीय कृषि मन्त्री इस बात के लिये तैयार है, जब माही में 60 फीट गहराई नहर की कर सकते हैं, यहां 20 फीट गहराई में, हमारा उनियारा का इलाका है, मैं इसकी पार्टीबाजी की बात इसलिए मानता, उनियारा से आपकी पार्टी के विधायक जीतकर आये हैं उनके साथ बड़ी प्राब्लम है, मैं जानता हूं उनके सामने कितनी परेशानी है, आप उसके बारे में उनकी सुन लीजिये, मेरी मत सुनना, चाहे पार्टी लेबल पर लेना चाहे तो मैं इसलिए कह रहा हूं यह जन समस्या है। आम जनता की, गरीब काश्तकार की बात है, इसलिए उन गांवों को आप जोड़िये, उनियारा के गांवों को जोड़ दीजिये। भारत

(श्री रामनारायण)

सरकार ने जो यह चिट्ठी लिखी है, आप चाहे मैं ले लूं ... (व्यवधान)

श्री सभापति : नहीं वह बात आ गयी। यह बात रिपीट मत करें। आपने कह दिया भारत सरकार की चिट्ठी आयी है।

श्री रामनारायण : मैं एक बात कहना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, इनको विश्वास नहीं होगा भारत सरकार पर, तो मैं योजना ...

श्री सभापति : आपका विषय आ गया। भारत सरकार पर सबको विश्वास है आप तो बोलिये।

श्री रामनारायण : कितना विश्वास है ? यह जाकर मेरे पीछे से भी मिलते हैं, खुद भी मिलते हैं।

तीसरी बात मैं निवेदन कर रहा हूं यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है और इसलिए कि आपने बीसलपुर से पानी दिया, 50 किलोमीटर का डिफरेंस पड़ेगा, चूंकि आपके दो डिपार्टमेन्ट्स में तालमेल नहीं बैठ रहा। 50 किलोमीटर ज्यादा है, ईशरदा से 50 किलोमीटर कम पड़ेगा, 50 करोड़ रुपये की आपकी बचत होगी, ईसरदा से जयपुर को पानी देने में 50 करोड़ का खर्चा कम आयेगा, ऐसी स्थिति में आप ईसरदा से क्यों नहीं जोड़ना चाहते हैं? एक तो मेरे को यह समझ में नहीं आ रही। दूसरी रावत-भाटा पन बिजली वाली बात है। चूंकि चम्बल में आप डेम बनवायें. आप इन्दिरा लिफ्ट कैनाल की बात करते हैं, इसको आप करायें, लेकिन इसके साथ ही आपका प्रारम्भिक जो था 8,500 एम. सी. फीट पानी आपने ड्रिंकिग वाटर के लिये दिया था, क्या कारण रहा, उसके बाद आपने 16,500 या 16,200 जो आपने किया, ऐसी स्थिति में ड्रिंकिग वाटर की बात बढ़ेगी, ड्रिंकिग वाटर हमें ज्यादा चाहिए। इसलिए भी जयपुर को बीसलपुर से जोड़ना हमारे लिये नुकसानदायी है, राजस्थान के हितों के खिलाफ है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं बहुत विनम्र शब्दों में सरकार से निवेदन करना चाहूंगा, अपनी संवेदनशीलता बरकरार रखें, मामला बहुत गम्भीर है, पिछले वर्षों में इसके बारे में बहुत कुछ कहा जाता रहा है, लेकिन मैं मानता हूं मुझे गरज है ना किसानों के हित में ...

श्री सभापति : हां बिराजिये। श्री महावीरजी।

श्री रामनारायण : नहीं, मैं ऐसा निवेदन करना चाहूंगा इसके बारे में पूरे सही ढग से सोचें, आप चाहे तो उस क्षेत्र के जो भी विधायक हैं, अधिकारियों को उनके साथ बैठाइये और यदि हम सन्तोष नहीं कर सकें तो बात दूसरी है, बाकी आप इस पर दुबारा, 14 नवम्बर, 91 को आपने जो चिट्ठी दी है भारत सरकार को, उसको विथड्रा कीजियेगा, उन गांवों को आप पुनः जोड़ने की बात कीजियेगा वह भले आपके उनियारा तहसील के हों, भले आपके नैनवां के हों, भले ही डेलपुरा के हों, बाछोली के हों, टोकरवास के हों उस नहर को दुबारा दिखवाइये और तब तक आप नहर रोकने का काम कर दीजिये। मैं इसलिए कह रहा हूं कल को कोई आन्दोलन हुआ,

(श्री रामनारायण)

आन्दोलन के बाद में कोई दुर्घटना हो गयी, जो नहीं होनी चाहिए, हम भी नहीं चाहते दुर्घटना हो लेकिन हमारे वश की बात नहीं है। हम नहीं पहुंच पाये, कोई दुर्घटना हो गयी, हमारे लिये बहुत ज्यादा शर्मनाक होगी और आपकी क्षमता ऐसी नहीं है, गांवों के काश्तकार उस नहर को खोदने को तैयार हैं। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं पुन: इस सरकार से चाहूंगा कि इस मामले में संवेदनशीलता दिखा दें और ईमानदारी से काम करें।

धन्यवाद।

श्री सभापति : धन्यवाद। श्री नरपत सिंह राजवी।

श्री नरपत सिंह राजवी (चित्तौड़गढ़): सभापति महोदय, बीसलपुर के सम्बन्ध में किसानों के दर्द को समझते हुए, माननीय सदस्य और दोस्त ने काफी कुछ कहा, लेकिन बीसलपुर परियोजना जो 1982 में बनीं थी क्या वह सही थी इस पर सोचना चाहिए। जितना भी सरप्लस फ्लो माना है, तथा वास्तव में उतना ही सरप्लस है? स्टडी में खुद ने माना है कि हमारे पास एम्पलाइमेन्ट्स इतना नहीं है, एडिक्वेट इनपुट नहीं है और उसके आधार पर फिर अन्दाज लगाया जा सकता है, अन्दाज के आधार पर जो रिपोर्ट बनायी गयी है, उसको चुनौती देना चाहता हूं और किसी भी अधिकारी के साथ, माननीय मन्त्रीजी जो अभी एडहॉक चार्ज लेकर के बिराजे हैं, मैं चाहूंगा उसको खुले रूप में डिस्कस करें, न सिर्फ रिपेरियन थ्योरी, जो डाऊन स्ट्रीम के लिये, लेकिन जो कैचमेण्ट एरिया, जिसमें चित्तौड़गढ़, उदयपुर जिले भी है, इसमें मध्य प्रदेश में लगी हुई सीमा नीमच से भी है, वहां से लेकर के, उदयपुर जिले में राजसमन्द अब अलग जिला हो गया, उस पूरे क्षेत्र को लेकर, सिर्फ सिंचाई, टौंक जिले या जयपुर जिले के बारे में सोचा जायेगा, यह अन्याय होगा। 1991 की रिपोर्ट में संशोधन किया, बिल्कुल सही है, लेफ्ट बैंक, राइट बैंक, आप कुछ भी सोच ले मान लेता हूं मैं, लेकिन आदिवासी क्षेत्र जहां पर बरसात होकर पानी विध्याचल और अरावली हिल से बहकर आता है, उस क्षेत्र के गांव तो प्यासे मरें, जिस क्षेत्र से आवें। मैं गांव का नाम बताता हूं बिजयपुर घाटा में 22 हजार से 32 हजार क्यूसेक उस गांव के आगे से पानी निकलता है।

(15.00)

लेकिन आज वहां के जानवरों के लिये पीने को पानी नहीं है, आदमी तो प्यासा मरता ही है। किसी क्षेत्र विशेष को डवलप करने के लिये योजना बनायें, बिल्कुल सही है। नेशनल वाटर पालिसी के बारे में बात कही। तो नेशनल वाटर पालिसी तो, माननीय मन्त्रीजी, यह भी कहती है कि किसी भी कैचमेन्ट एरिया पर, मैं आपको इस समय मिनिमाईजिंग अवेलेबिलिटी के बारे में बताऊं–"Resource planning in case of water has to be done for hydrological unit such as basin as a whole or a sub-basin. All individual development projects and proposals should be formulated by States and considered within the framework of such an overall plan for basin." अब इस बीसलपुर बेसिन के डवलपमेंट के लिए

(श्री नरपतसिंह राजवी)

आपने चित्तौड़ और उदयपुर के लिये क्या किया ? एनीकट निर्माण नहीं कर सकते, पानी को आप रोक नहीं सकते। माइनर इरिगेशन स्कीम जो पहले से बनी हुई थीं उनका भी इम्प्लीमेंटेशन हो नहीं सकता। उन जिलों के लिये आपको कुछ नियमित पानी अवेलेबल कराना पड़ेगा वरना एवरेज रेन फाल जो हमेशा डाउन जाती जा रही है वह और नीचे चली जायेगी। स्थिति यह हो जायेगी कि बीसलपुर डेम में डेम रह जायेगा, पानी नहीं रहेगा। वहां से पानी नहीं आयेगा तो आगे जायेगा कहां ?

वाटर मेनेजमेंट के अलावा स्टडी तो यह भी नहीं की गई कि इसमें एवरेज टोटल रेन फाल क्या है और एक नया मैथड बनाया है– इनोवेटिव मैथड। यह सिंचाई अधिकारी, जिनका नाम लिया है, बहुत इनोवेटिव थे। दो मैथड्स के आधार पर करके एक नया एवरेज निकाल कर दे दिया। लेकिन उसको सी. डब्ल्यू. सी. से एप्रूव कराने पर यह भी शर्त लगा दी कि आगे कोई निर्माण नहीं हो। तो इधर तो लैफ्ट बैंक, राइट बैंक में जितना इरिगेशन का पानी सरप्लस है, आप काम में लें। लेकिन 425 एम. सी. एफ. टी. पानी जब रिजर्व 1982 स्कीम में रखा उसको बढ़ा कर आप 800 तक ले जाना चाह रहे हैं तो चित्तौड़ जिले के काश्तकार क्या अपने यहां से पलायन करके दूसरी स्टेट में जायें ? इसलिए इसको भी आपको निगाह में रखना होगा कि बीसलपुर स्कीम को पूरी को आल ओवर स्टडी करके चाहे माइनर इरिगेशन स्कीम के माध्यम से जिससे वहां पर पहाड़ों पर, वैलीज में छोटे-छोटे डेम्स इस टाइप के कैचमेंट डेम्स बन जायें जिससे कि पानी थोड़ा वहां पर रुके, वाटर लेबल वहां का थोड़ा ऊपर आये। वहां की जनता को, चाहे सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध न हो उसकी कोई आवश्यकता नहीं लेकिन पानी पीने को मिल जायेगा और आदिवासियों को जंगल की उपज वहां पर मिल जायेगी तो वह जिन्दा रहने लायक रह जायेंगे। यह मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं।

दुनिया भर की पर्ते इस स्कीम में रखी है। इसमें लिखा है हाइड्रोलोजिस्ट का काम क्या है– "Hydrological staff is given inadequate and imperfect data....how to approach hydrological analysis for best judgment and assessment within the time frame allowed." यह दो साल में पूरी होनी थी। दो की जगह पांच में पूरी करवा लें, अब पूरी करवा लें। लेकिन डाटा जो अवेलेबल हैं वह तो कम से कम अपडेट कर लें। इनके पास ना तो कोई इम्पलीमेंट्स हैं, पूरा सिस्टम डवलप नहीं था, आज भी डवलप नहीं है। अन्दाज से एवरेज रेन फाल लेकर कर लिया। लेकिन यह भी साथ में कर लिया कि मानसून में पीक फ्लो पीरियड में कितना पानी बहेगा इसका अन्दाज नहीं लगाया जा सकता। उसका अन्दाज भी नहीं लगाया। बारह महीने के एवरेज से किया है। जो पेरेनियल रिवर नहीं हैं, चम्बल पेरेनियल है, बनास पेरेनियल नहीं है, पेरेनियल नदी में लीन पीरियड में जब फ्लो नहीं होगा तो कम से कम सरप्लस जो मानसून पीरियड में फ्लो होता है उसी को आपको कैच करना पड़ेगा, उसी को वाटर शैड के अन्तर्गत लेना

(श्री नरपत सिंह राजवी)

पड़ेगा। यह सारा कुछ उन्होंने नहीं किया इसीलिए इसको दुबारा जांच करने लायक डाक्यूमेंट मानता हूं और मन्त्री जी से चाहता हूं कि इस पर कुछ स्पेसिफिक दें।

एक बात और उन्होंने इसमें इन्क्लूड नहीं की। जितने भी पचास या सौ साल से अधिक प्रोजेक्ट हैं, उदयपुर स्टेट के टाइम में बहुत बने हुए हैं, सिल्टिंग उसमें खूब होती है। सिल्टिंग होने से उनकी कैपेसिटी जितनी उन्होंने ली है प्रोजेक्ट पीरियड के टाइम में, उसमें और आज में बहुत अन्तर आया है। उसका उन्होंने क्या किया है? इस प्रोजेक्ट के अन्दर उन्होंने शायद लिया है दस पर्सेण्ट। दस पर्सेण्ट किस आधार पर लिया है इसका वह कोई जवाब नहीं दे सकते। महाराष्ट्र में भी बहुत डेम पहले भी बने हुए थे, आज भी बन रहे हैं उन्होंने 15 पर्सेण्ट तक लिया है। तो दस पर्सेण्ट लेने का क्या आधार था। व्हाट वाज दी बेसिस, जिस पर इन्होंने माना कि आंकड़े सही निकलेंगे? यह मैं मन्त्री जी से पूछना चाहूंगा।

उन्होंने अपने मेजरमेंट में एक और लिखा है कि "It is general experience that measurement of monsoon months' flow during wet years involve greater error due to constraints of equipment" कम से कम पांच बार यह चीज रिपोर्ट की है। तो यह गणना, कितने एम. सी. एफ. टी. इन्होंने रिजर्व किये हैं इरिगेशन के लिये, कितना पानी उसके अन्दर आयेगा, कितना आने की गुंजाइश है, जब उस आधार को वह स्वयं ही सही नहीं मानते हैं उस आधार पर आगे बहस करने का और इसके अन्दर पानी की डिमाण्ड करने का, अन्य जिलों को रोकने का कोई औचित्य नहीं है।

एक निवेदन और करना चाहूंगा इसमें लिखा है "presented study lean heavily on philosophy". अब किसी भी टेक्नीकल डाटा के आधार पर कौन-सा दर्शन इसके अन्दर लगा दिया। भारतीय दर्शन की यहां पर कोई झलक नहीं है। गप्प जरूर छेपी है। लिखा है "keeping in view the constraints of data, quality and quantity...." आगे कहने की आवश्यकता ही नहीं है। तीनों चीज जो मूलभूत आधार है किसी परियोजना रिपोर्ट के। क्वालिटी उसकी पूरी नहीं, डाटा सही नहीं और क्वान्टिटी सही नहीं तो किसके आधार पर किया है, यह समझ में नहीं आया। पहले अपस्ट्रीम के लिए इन्होंने कुछ रिजर्व रख रखा था जो बांध बन गये थे, 6 बांध। लेकिन उन 6 बांधों के अलावा सैकड़ों ऐसी स्कीम थीं माइनर इरिगेशन की जो पड़ी है, उनका क्या हुआ? क्या सिर्फ इरिगेशन इस जिले में कराना है। अन्य जिलों में कैचमेंट एरिया इज होल या सब बेसिन इज होल का नहीं करना है। अगर चम्बल में इसी प्रकार से कोई बड़ा बांध बना लिया तो चम्बल का तो बनास ही एक ट्रिब्यूटरी है। चम्बल का बेसिन भी इसी प्रकार से रोक लीजिये।

What is the basis of all this? कम से कम इसको वापस एक हाई लेवल पर कमेटी अपाइन्ट करें। मैं मानता हूं कि माननीय प्रतिपक्ष के नेता इससे सहमत होंगे कि बेसन इज होल का डवलप करना है तो

(श्री नरपत सिंह राजवी)

अपस्ट्रीम भी होगा, डाउन स्ट्रीम भी होगा। सब किसानों को अपना उनका योग्य जितना है कम से कम उतना पानी उनको मिले। पीने के पानी की सुविधा अगर अजमेर जिले में हो तो मैं कहता हूं कि विजयपुर घाटा के किसानों को भी पीने का पानी मिलना चाहिए। उनको पांच किलोमीटर पैदल चल कर पीने के पानी के लिए जाने की आवश्यकता नहीं। इसलिए इस स्कीम को दुबारा रिव्यू करना चाहिए। और विस्तार में, मन्त्री जी जब भी बहस का मौका दें, जिस दिन भी आप समय दें, मैं इस पर और डिटेल्स देने के लिए तैयार हूं। यह आंकड़े जो दिये हैं यह कतई सत्य नहीं हैं। मन्त्रीजी इस भुलावें में नहीं रहें। जब तक मेरे ख्याल से माननीय देवीसिंह जी भाटी भी पधार आयेंगे। उस पर और डिटेल में डिसकस करना है तो उनसे भी मैं डिसकस करने को तैयार हूं। लेकिन इस चीज को रिकन्सीडर करने के लिए सदन को, माननीय सदस्यों को मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसी केवेलियर थ्योरी पर जो बेस्ड है उसका दुबारा करना चाहिए।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, सदन में जो मन्त्री बोल रहे हैं, वक्तव्य दे रहे हैं वह पूरी जिम्मेदारी से दे रहे हैं।

श्री नरपत सिंह राजवी : अभी माननीय मन्त्री जी एडहॉक है ना इसलिए।

श्री सभापति : नहीं, नहीं। पूरी जिम्मेदारी से दे रहे हैं। सरकार का वक्तव्य आता है। श्री महावीर प्रसाद जैन।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : सभापति महोदय, नैनवां से आने वाले माननीय सदस्य ने जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा है उसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि टोंक जिले में यह बीसलपुर बांध बन रहा है और यह सिंचाई और पेयजल की दृष्टि से बना था, यह इसलिए भी बना था कि बनास का पूरा पानी चला जाता था और उस पानी का कोई उपयोग नहीं होता था। 1980 से लेकर लगातार हम इस प्रयास में रहे कि इस पानी को रोका जाना चाहिए और उसी आधार पर 1982 में इसका सर्वे होकर एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार हुई और 1984-85 में इसका शिलान्यास भी हुआ और 1986-87 में यह योजना प्रारम्भ हुई। प्रश्न यह है कि उस समय यह एरिया बड़ा था और गांव 500 और कुछ थे जो आज केवल 208 गांव रह गये हैं। हम यह चाहते हैं कि सब गांवों में सिंचाई हो....

श्री सभापति : शायद यह माननीय मदेरणा साहब ने प्रारम्भ किया था।

श्री परसराम मदेरणा : आपने कहा कोई शिलान्यास हुआ था तो वह खुद ने किया था, शिलान्यास तो हुआ है....

श्री महावीर प्रसाद जैन : वह शिलान्यास के भाटे उखाड़ दिये गये थे माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय। जो शिलान्यास करने माननीय शिवचरण जी माथुर और आप गये थे उसके बाद आपने कोई प्रोवीजन नहीं रखा। उस बांध का शिलान्यास होकर रह गया और वह भाटे उखाड़ दिये गये थे।

श्री परसराम मदेरणा : हमने क्या

(श्री परसराम मदेरणा)

प्रोवीजन रखा है, दुनिया की सबसे बड़ी नहर तो लाये हैं हम और आप यह +++ काम कर रहे हो और हम को गिना रहे हो। आज संसार भर के अन्दर 1200 किलोमीटर व्यास की गुफा से जो नहर निकलती है वह जा रही है मोहनगढ़, दुनिया के इतिहास की कोई 18000 क्यूसेक की कोई नहर है क्या अभी ? क्या बात कर रहे हो आप ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : कितने साल में बननी थी यह ?

श्री परसराम मदेरणा : यह टाइम लगेगा। होस्टाइल टेरेन के अन्दर जहां पर रेत आती है, बड़ा डिफिकल्ट काम है। और दुकान में बैठ कर बाट से ही तोल रहे हैं खोटे।

श्री महावीर प्रसाद जैन : वह प्रोजेक्ट रिपोर्ट मैंने देखी है, माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय, यदि आप जिम्मेदारी से काम करते तो आज तक वहां पर उस पानी का उपयोग हो सकता था।

श्री परसराम मदेरणा : कांग्रेस सरकार ने जो भी काम किया है....

श्री महावीर प्रसाद जैन : कांग्रेस सरकार में बहुत लैप्सेज रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : मेण्टल ओनेस्टी से, बहुत जिम्मेदारी से किया। यहां आप समझते हैं कि हम से ज्यादा जिम्मेदार लोग हैं, क्या आपको यह गलतफहमी हो गयी है ? You are in a hallucination in a mirage and make believe world. कि आपने बुद्धि का और योजना का और दूरदर्शिता का ठेका ले रखा है।.... (व्यवधान)....हम सुनते-सुनते तंग आ गये हैं और अब यह सुनना पसन्द नहीं करेंगे, अगर यह बात भी है तो एक दिन इस पर भी बहस हो जाये चल कर के। आपको तीन दफे अवसर मिला, उस वक्त आपने राजस्थान की क्या प्रगति की है, इसकी कल बहुत ही लो प्रोफाइल में बोल रहा था कि राजस्थान की स्थिति क्या है और जो हम प्राब्लम फेस कर रहे हैं और जो हमारे सामने विषमतायें हैं; हिन्दुस्तान के किसी भी प्रान्त या सूबे के सामने नहीं है।

श्री सभापति : जी हां, बिराजिये। महावीरजी।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने जो कहा है उस से कई मामलों में मैं भी सहमत हूं लेकिन मेरा निवेदन बीसलपुर का है कि हमारे टोंक जिले और नैनवां तहसील की बात है, सवाई माधोपुर के भी कुछ गांव हैं उन गांवों में पानी आना चाहिए और वह ड्रिंकिंग वाटर को प्रायोरिटी के आधार पर लेने की दृष्टि से जिस प्रकार 300 गांव हटा दिये गये और पी.एच.ई.डी. की जिस प्रकार की यह रहती है कि सिंचाई विभाग के जो भी बांध हैं उन बांधों के पानी का उपयोग किया जाये लेकिन अपनी तरफ से किसी प्रकार का नहीं किया जाये, मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं है और मेरा यह सुझाव होगा कि पी. एच. ई. डी. की

+++शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

दृष्टि से जैसा नैनवां से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है कि जयपुर को, ईसरदा डेम को, आज भी साढ़े आठ हजार एम.सी.एफ.टी. पानी बीसलपुर के बनने के बाद सरप्लस पानी है उसको ईसरदा में रोका जाये और जयपुर को ईसरदा डेम से जोड़ा जाये और यह पानी जो रुकेगा उसके कारण से माननीय सदस्य की भावनाओं को भी और उनियारा से आने वाले माननीय सदस्य जो चाहते हैं कि उनियारा को पानी मिले वह मालपुरा और टोडा को भी पानी मिले उसके लिए आवश्यक है कि ईसरदा का जो पानी है वह वहां पर रोका जाये।

श्री परसराम मदेरणा : सभापति महोदय, मुझे आप माफ करेंगे, ईसरदा बांध से पेयजल के पानी की जयपुर शहर को अवाप्ति की जाय, यह बहुत अहम मुद्दा है, उसका सर्वे भी हुआ है। अब वह ईसरदा की स्कीम ले ली कि नहीं ले ली, अगर ईसरदा की स्कीम नहीं ली और यह जो गवर्नमेंट चीफ व्हिप हैं, जिनका केबिनेट रैंक है, यहां पर याचना कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, आप दया के पात्र हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : नहीं, मैं याचना और प्रार्थना नहीं, मैं यही कह रहा हूं कि सरकार ने इसका सर्वे करा लिया है और सिंचाई विभाग ने इसका सर्वे कम्पलीट कर लिया और वह निश्चित रूप से निकट भविष्य में ही....

श्री परसराम मदेरणा : सर्वे इसका 10 साल पहले हो गया, एक डिकेड पहले।

श्री महावीर प्रसाद जैन : नहीं, 10 साल पहले नहीं हुआ।

श्री परसराम मदेरणा : चीफ व्हिप महोदय, 10 साल पहले इसका सर्वे हो चुका है और सर्वे से कुछ नहीं होता है। सर्वे तो पूरे राजस्थान के सभी वाटर अवेलेबल है, का हो चुका है। अभी ठीक कह रहे थे चित्तौड़गढ़ से आने वाले माननीय सदस्य कि बेसिन सर्वे जो डिटेल में किया जाता है वह राइपेनियर और दूसरे मामलों में नहीं आता लेकिन बेसिन सर्वे डिटेल, एक जगह नेशनल वाटर पॉलिसी में लूणी के बेसिन के सर्वे के आदेश हुए थे, हुआ कि नहीं, मुझे मालूम नहीं है। ज्ञानचंदानी, जो उस वक्त एम.डी. थे नेशनल वाटर कमीशन की जो सोसायटी बनी हुई है, लेकिन बेसिन सर्वे होना चाहिए ताकि डिटेल में मालूम हो कि पानी कितना सरप्लस, कितना अवेलेबल है। इस एरिया को ड्राई कर के दूसरे क्षेत्र को सिंचित करेंगे तो मैं कहता हूं कि यह भी इन्जीनियर्स हैं इनको टेक्नोक्रेट्स को आप खुदा मत मानिये। वेरिइंग डिग्री आफ इग्नोरेंस के यह लोग स्वामी हैं और इस लिए यह भी गलती करते हैं। आज लूणी के ऊपर पिलोनिया का बांध बनने के बाद आप देखिये कि जालोर और पाली के अन्दर इस साल दो बार फ्लड आया ट्रीब्यूट्री से और लूणी खाली पड़ी हुई है। लूणी में पहला बांध जसवंत सागर है वह खाली पड़ा हुआ है, पांच फिट ही पानी नहीं आया, आप देख लीजिये। रायपुर का बांध पड़ा है, रायपुर का बांध जब नहीं बना था उस वक्त 15 हजार एकड़ की सिंचाई होती थी, सिंचाई कुओं से होती थी, अब फ्लो इर्रिगेशन से होती है, तीन हजार एकड़ के अन्दर, सात हजार एकड़ के कुए

(श्री परसराम मदेरणा)

सूख गये हैं। तो यह इन इन्जीनियर्स से नहीं चलना चाहिए, सोच-समझ कर ग्राउण्ड रियलिटी क्या है उसको देख कर चलना चाहिए। ईसरदा का मामला, आप चीफ व्हिप और आपके मुख्य मन्त्री मेहरबान, मामे का ब्याव और ..

श्री नरपत सिंह राजवी : यह पाचना का बांध भी ऐसे ही हुआ था, पाचना का बांध है वह भरतपुर जिले को बर्बाद कर गया।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप भी मेहरबान थे हमारे पर।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं, मैं कहूंगा आल्टरनेटली अगर ईसरदा से आ रहा है तो ईसरदा से ले लीजिये लेकिन ईसरदा से आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए ट्यूरिस्ट मिनिस्टर इस सम्बन्ध में कोई अपनी राय रखती होंगी, उस क्षेत्र की रहने वाली हैं, मैं इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना चाहता लेकिन कानोता का सर्वे हो रहा है कि नहीं इसी जयपुर को पानी देने के लिए, वह आपकी जानकारी है कि नहीं है ?.... (व्यवधान) जयपुर को पानी देने के लिए कानोता के ऊपर एक बांध बन कर के सब से पहले सर्वे उसका हुआ था उस सर्वे को हुए आज 18 साल हो गये....

श्री सभापति : माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय, आज आप आक्रामक मुद्रा कैसे धारण किये हुए हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : मैं इसलिये कर रहा हूं कि भैरोंसिहजी शेखावत धुआंधार भाषण से आप सब को ट्रांकुलाइजर में रखते हैं इसलिये कोई दूसरी भाषा ही नहीं जानता। अब मुझे वही भाषा बोलनी पड़ेगी। एक दफे जिन्ना ने जब हिन्दुस्तान की बहुत बुराई की तो सरदार पटेल से पूछा गया कि आपकी जिन्ना के भाषण के बारे में क्या प्रतिक्रिया है ? The disease with Mr. Jinha has gone so deep. He need not be taken seriously and it is incurable. The disease with the Chief Minister is incurable and I don't want to develop that very disease.

श्री कालीचरण सराफ : आपकी टक्कर के इधर बैठे हुए होते हैं तभी बोलते हुए अच्छे लगते हो आप। .. (व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने जो यह कहा, बीसियों विधान सभा के सत्र इस योजना के बनाने के लिए आपसे आग्रह करते हुए चले गए, कांग्रेस की राज्य सरकार थी ...

श्री सभापति : यह विषय नहीं है इस समय, माननीय सदस्या।

श्रीमती उजला अरोड़ा : और मैं निवेदन करना चाहूंगी, बनास योजना स्वीकृति में नहीं आयी जयपुर तक, यह कष्ट रहा और आपने कानोता बांध के बारे में कहा....

श्री सभापति : यह विषय नहीं है, इसको मैं चर्चा का विषय नहीं बनने दूंगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : कानोता बांध, एक मिनट....

श्री सभापति : नहीं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : विश्व बैंक से योजना मंजूर हो चुकी, पर अधर-झूल में लटक रही है। मन्त्री महोदय इसको स्वीकार कर लें, ईसरदा बांध स्वीकार कर लें, बनास ले आयें, रामगढ़ का बांध अब बहुत दिन पानी नहीं देगा।

श्री सभापति : सदन में इस समय जयपुर का पानी चर्चा का विषय नहीं है। माननीय महावीरजी।

श्री भंवरसिंह चोधरी : माननीय सभापति जी, चर्चा की बात नहीं है, मैं सिर्फ एक बात....

श्री सभापति : बिराजिये, चौधरी साहब, महावीरजी बोल रहे हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : सभापति महोदय. मैं इसमें ज्यादा समय नहीं लेकर केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, नैनवां से आने वाले माननीय सदस्य को कि वह न तो स्वयं मिस गाइड हों, न क्षेत्र की जनता को मिस गाइड करें। जो उन्होंने एक आन्दोलन चलाया कि पानी रुक गया ....(व्यवधान) ...

श्री सभापति : बीच में नहीं, माननीय रामनारायण जी, बीच में नहीं। बैठिये आप।

श्री रामनारायण (नैनवां) : यह आरोप वाली बात का....

श्री सभापति : नहीं, बीच में नहीं बोलिये। आप बैठिये पहले, बीच में नहीं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अभी भी आपने मांग की है कि नहर निर्माण का काम रोक दिया जाये। एक तरफ हम चाहते हैं कि गांव को पानी पहुंचे और दूसरी तरफ उसका निर्माण कार्य यदि रुक जायेगा तो वह पानी स्टोरेज हो चुका है और आगे आने वाले समय में पूरा स्टोरेज हो जायेगा उसके बिना नहर नहीं बनेगी, पानी को यदि रोक लिया जायेगा, टेक्निकल पाइण्ट आफ व्यू से यदि कोई कमी है तो उसको निश्चित रूप से माननीय मन्त्री महोदय देखेंगे लेकिन इस प्रकार आन्दोलन खड़ा करने की धमकी देकर यह आन्दोलन खड़ा करके गलत तरीके से इस पर नहीं आयें और कृपया उस पानी को आने दें और ईसरदा बांध जो बनेगा उसके कारण इनको सिंचाई का सिंचित पानी बढ़ेगा और उसके लिए आप जितना दबाव डाल सकते हैं, डालें। ईसरदा बांध बने और उसके कारण ही नैनवां के, सवाई माधोपुर के और उनियारा के क्षेत्र में सारा पानी आ सकेगा; टोडा और मालपुरा के क्षेत्र में पानी आ सकेगा अन्यथा नहीं। इसलिए मेरा आपके माध्यम से माननीय सदस्य से निवेदन है कि इस प्रकार स्वयं भी समझ कर ठीक प्रकार से निर्णय लें। यही निवेदन करना चाहता हूं।... (व्यवधान)

श्री सभापति : आप मेरी बात सुनिये, बिराजिये एक बार। अब आप सीधे प्रश्न पूछेंगे, समय बहुत कम है। सीधे प्रश्न पूछिये। भंवरसिंह चौधरी, सीधे प्रश्न पूछिये मन्त्री महोदय से, अगर इस विषय में पूछना हो।

श्री भंवरसिंह चौधरी : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री

(श्री भंवरसिंह चौधरी)

महोदय से प्रश्न करना चाहता हूं कि क्या यह योजनाएं गांवों का पानी सुखा करके शहरों को पानी देने के लिए बनायी गयी हैं ..

श्री सभापति : जनरल नहीं है माननीय सदस्य, इस योजना के बारे में प्रश्न पूछिये।

श्री भंवरसिंह चौधरी : इसी योजना के साथ जुड़ी हुई योजना तिलोरा गोविन्दगढ़ की जो नागौर जिला मेड़ता क्षेत्र....

श्री सभापति : नहीं।

श्री भंवरसिंह चौधरी : प्यासा मर रहा है, कुओं का पानी सूख गया है और योजनाएं पीछे बनती हैं आगे सुखाते जाते हैं आप, यही प्रार्थना है।

श्री सभापति : बिराजिये। माननीय सदस्य, प्रश्न पूछिये।

श्री बनवारीलाल बैरवा : आज यह सदन के सामने बहुत महत्वपूर्ण मसला चल रहा है....

श्री सभापति : प्रश्न पूछिये, माननीय सदस्य।

श्री बनवारीलाल बैरवा : जिस समय शुरू के अन्दर यह योजना मंजूर की गयी थी उस समय यह बात सही है कि अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, नसीराबाद के लिए पेयजल की व्यवस्था करायी गयी थी और टौंक जिले की, सवाई माधोपुर जिले की और बूंदी जिले के 562 गांवों को सिंचित करने के लिए योजना थी, यह 66 हजार एकड़ को सिंचित करने की व्यवस्था थी। आप जानते हैं इस बात को माननीय सभापति जी, मन्त्रीजी भी जानते हैं कि एक बार कहीं आशायें और आकांक्षायें आप जगा दें गांव के लोगों की और फिर आप बीच में नकार देते हैं तो बहुत बड़ी निराशा की स्थिति होती है तो उस सिलसिले में जो आज काल अटेंशन मोशन माननीय सदस्य ने रखा है उस तरफ आपको बहुत सहानुभूतिपूर्वक विचार करके कुछ व्यवस्था देनी थी। लेकिन मैं इसके साथ यह आपसे जानना चाहता हूं कि क्या सरकार की जानकारी में यह बात है कि टौंक जिले का जो ड्रिंकिंग वाटर बनास नदी के माध्यम से आ रहा था वह अवरुद्ध हो गया और आज हमारे कुओं की जो गहराई है, बहुत ज्यादा हो गयी है। लाखों रुपये खर्च करते हैं काश्तकार, उसके बाद उनको पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है वहां, उसके अन्दर बहुत बड़ी परेशानी हो रही है।

श्री सभापति : जी हां। आ गया पाइण्ट।

श्री बनवारीलाल बैरवा : तो उसके लिए क्या सरकार का यह विचार है कि ईसरदा के ऊपर जो बांध का निर्माण हो रहा है तो उसको आप यहां पर घोषित करने का कष्ट करें।

श्री सभापति : बिराजिये। शांतिलाल जी चपलोत। प्रश्न पूछिये।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली) : एक सैकण्ड में मैं अपनी बात कह देता हूं। हमारी इस बीसलपुर योजना के नाम पर....

श्री सभापति : प्रश्न पूछिये आप।

श्री शांतिलाल चपलोत : एक सैकण्ड में अपनी बात कह देता हूं उसके बाद ही सारा क्लियर हो पायेगा। सारे सदन को यह पता नहीं कि हम कितने इफेक्टेड हैं इस बीसलपुर के नाम पर। राजसमन्द, उदयपुर जिले का पानी, यहां पर भी हम एनीकट बनाने की बात करते हैं। छोटे-छोटे एनीकट के माध्यम से ही सिंचाई की सुविधा बढ़ सकती है, कुओं के पानी का जल स्तर बढ़ सकता है और इसको रोक कर, इन छोटे-छोटे एनीकट को रोक कर, मैं माननीय मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि इन छोटे-छोटे एनीकटों का कन्स्ट्रक्शन अधूरा है उनको पूरा करने का और नये कन्स्ट्रक्शन कराने का, नये एनीकट बनाने को क्या इसलिए रोका जा रहा है कि केवल उदयपुर से पानी जयपुर तक पहुंच जाय ? एक।

दूसरा, क्या हमारी जो बीसलपुर योजना है, हमारी उदयपुर साइड, राजसमन्द साइड में, रेलमगरा-साइड में, रेलमगरा इस राजस्थान का एक हरा-भरा क्षेत्र था जैसे गंगानगर और कोटा का क्षेत्र है। आज भी बीसलपुर के नाम पर क्यों बनास में पानी नहीं छोड़ा जा रहा है इस लिए सारा का सारा रेलमगरा सूख गया। इधर से तो हिन्दुस्तान जिंक ने रेलमगरा को बर्बाद कर दिया, पानी नीचे चला गया उस हिन्दुस्तान जिंक से और उधर बीसलपुर के नाम पर रेलमगरा में वह जो बनास आती है उसका पानी नहीं छोड़ा जाता है। एक लाइन भी पानी नहीं छोड़ा जाता है। इसकी वजह से सारा का सारा रेलमगरा सूख गया है।

माननीय सभापति महोदय, इस साल चार इंच बरसात वहां नहीं हुई है, सारी भीषण हालत है। ऐसे समय में हम बीसलपुर का नाम लेकर हजारों एनीकट का और जो एक-डेढ़ करोड़ की आबादी उससे इफेक्टेड है, क्या उसको हम नजरअन्दाज कर सकते हैं ? मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा।

श्री सभापति : श्री बद्रीप्रसाद गुरूजी। प्रश्न पूछिये सीधे। आपसे जुड़ा हुआ प्रश्न है तो पूछ लें।

श्री बद्रीप्रसाद गुरूजी (माण्डलगढ़) : माननीय सभापति महोदय, जीवन के लिए पानी की जितनी आवश्यकता होती है....

श्री सभापति : सब जानते हैं, आप प्रश्न पूछिये। वक्तव्य पर प्रश्न पूछिये।

श्री बद्रीप्रसाद गुरूजी : उतनी ही भोजन की आवश्यकता होती है। बीसलपुर के प्रश्न पूछ रहा हूं। माननीय शांतिलाल जी जो पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं, मेरे क्षेत्र में भी कई मूल प्रश्न हैं। बनास नदी पर मान लें आप एनीकट की योजना नहीं दें परन्तु बाकी के जो नाले हैं, नदियां हैं उन पर बांध और एनीकट बनाने की स्वीकृति जारी होनी चाहिए जिससे उस क्षेत्र के लोगों को भी, मेरे भी बेरूद है, जूट का नाका आदि कई बांध हैं जो माडा गांव हैं उनमें इस योजना के कारण हमारे बांध नहीं बन रहे हैं, एनीकट नहीं बन रहे हैं। इस कारण से काफी परेशानी पैदा हो रही है इसलिए इसमें सरकार को चिन्तन करना चाहिए। उन लोगों की भी रोटी नहीं छीनें, उनको सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो। यह मेरा निवेदन है। उनके लिए क्या योजना बन रही है ?

श्री सभापति : माननीय मन्त्रीजी ।

श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम): एक सैकण्ड साहब ।

श्री सभापति : मोटवानी साहब ।

श्री किशन मोटवानी : माननीय सभापति जी, इस सदन में बीसलपुर के नाम को लेकर दो बार यह मामला आ चुका है। बीसलपुर की परियोजना कई वर्षों की स्टडी के बाद बनी थी और कई वर्षों तक यह पानी यूं ही बेकार बहता जा रहा था। जब उसका अध्ययन किया गया तब बीसलपुर पर बांध बांधने की बात आयी थी और अजमेर की पेयजल समस्या बहुत विकट थी। आज भी विकट है। आज भी मन्त्री महोदय जानते हैं, पांच-पांच दिन मे हमको, अजमेर को पानी मिल रहा है, ब्यावर को सात दिन में पानी मिल रहा है। उसकी पूर्ति करने के लिए जब वेस्ट वाटर जा रहा था तब यह बना। उस समय तो किसी ने कहा नहीं। पानी जब बह कर आता है तो रिचार्जिंग कुओं में होता है। आज जैसा माननीय मदेरणा साहब ने भी कहा जो पानी बह जाता है उस बहने से रिचार्जिंग होता है तो जो आपके क्षेत्र से पानी बह कर आ रहा है तो रिचाजिंग यहां स्वत: ही हो रहा है। रिपेरेण्ट जो पालिसी की बात माननीय सदस्य ने कही है वह भी इससे पूर्ति होती है। एनीकट बनाने की बात होती तो पूर्व में बनाते। वेस्ट जा रहा है इसी लिए बीसलपुर बना। आज उसकी पूर्ति हो रही है। पौने दो सौ करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं। आप क्या उस योजना को अंधेरे में डाल देना चाहते हैं।

श्री सभापति : विष्णु मोदी जी। कृपया शांत रहें।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : माननीय सभापति महोदय, यहां राइपेरियन और बेसिन थ्योरी की बात....

श्री सभापति : थ्योरी की नहीं है मोदी जी।

श्री विष्णु मोदी : एक सैकण्ड लूंगा साहब। जगह-जगह पर एनीकट की और उसकी बात कर रहे हैं, हमारी राजस्थान कैनाल जो पानी ऊपर से आ रहा है तो क्या उसके ऊपर हम आगे बात करना चाहते हैं? क्या हम यह चाहते हैं कि जहां पानी गिरता है वहां से बह कर उसको वही रोक दिया जाय और आगे नहीं आने दिया जाय तो आप इस बात को जरा सोच लें कि आज राजस्थान कैनाल जो हमारी लाइफ लाइन बन रही है उसके बारे में क्या सोचा है?

श्री सभापति : माननीय मन्त्री जी।

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मन्त्री) : सभापति महोदय, मैं प्रतिपक्ष के नेता को बधाई देना चाहता हूं कि 1982 में जब मैं उधर बैठता था, अजमेर की जल समस्या का प्रश्न था और उधर बैठने वाले हमारे साथी जिनका नाम मुझे याद आता है स्वर्गीय केशरीचन्द चौधरी किशनगढ़ के उनके परसुएशन पर, मेरी मांग पर आपने इस योजना को जब 81 में आप सिचाई मन्त्री थे तब बनवाया था और हमारे से सहमति लेकर इसको दिल्ली भेजा था। 1982 के बाद यह योजना कई उतार चढ़ावों से गुजर रही है और निवाई से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात कही उसके लिए मैं

(श्री कैलाश मेघवाल)

सहमति व्यक्त करता हूं। उसी के कारण यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आया कि मूल योजना में नैनवां तहसील के 56 ग्राम थे और जब इसका पुनर्विचार हुआ तो जब इसकी मूल योजना थी सिंचाई विभाग की प्राथमिकता की और पानी केवल अजमेर तक आने का था। जब इसका पुनर्विचार हुआ तो यह योजना हो गयी पेयजल की प्राथमिकता की और इसके लिए पेयजल जो है....

श्री सभापति : बीच-बीच में अलाउ नहीं करूंगा। नहीं, माननीय सदस्य बीच में नहीं। इनको बोलने दो। बाद में प्रश्न पूछ लेना।

श्री विष्णु मोदी : मैं तो यह कहना चाहता हूं कि मूल योजना जो सिंचाई की थी वह तो मंजूर ही नहीं हो रही थी। उस वक्त मैं अजमेर से लोक सभा का मेम्बर था। मनमोहन सिंह जी उस वक्त डिप्टी चेयरमैन थे और उस वक्त हमने उनके हाथ जोड़े, पैर पकड़े, नटवरसिंहजी के यहां डिनर पर, तब उन्होंने ड्रिंकिंग वाटर के नाम पर इस योजना की स्वीकृति दी।

श्री सभापति : मन्त्री जी भी यही कह रहे हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय सभापति महोदय, मैंने खुद ने स्वीकार किया है कि 1982 के बाद उसमें कई उतार-चढ़ाव आये। पुष्कर से आने वाले माननीय विधायक की इस बात से सहमत हूं कि जब अजमेर में पानी का दबाव बढ़ा और पानी की मांग का दबाव बढ़ा, प्रदर्शन हुए तो उस समय दिल्ली में इसको आंशिक स्वीकृति दी थी। कोई इसकी सारी टेक्निकल और सारे एस्टीमेट्स और सारी स्वीकृतियां नहीं और 52 करोड़ रुपये हमारी स्टेट ने इसके लिए मंजूर किया था। वहां से यह प्रारम्भ हुआ। क्योंकि अजमेर को पानी देना था तो मैं निवेदन यह कर रहा था कि आज यहां मुद्दे दो उठे हैं। एक मुद्दा है ईसरदा का बांध बनाने का और मैं आपसे निवेदन करूंगा माननीय सभापति महोदय कि सारी परिकल्पनायें काम में ली जाती हैं। जयपुर की आबादी जैसा कि अभी माननीय विधायक कह रहे थे कि जयपुर की कब तक की योजना बनती है तो यह योजना 2021 के प्रोजेक्टेड जो फीगर्स हैं, प्रोजेक्शन फार्मूला सही है या गलत है लेकिन सांख्यिकी आधार पर और इस तरह की गणना करने वाले जो प्रोजेक्टेड फीगर्स देते हैं तो 2021 की 45 लाख की जनसंख्या मान कर जयपुर की यह योजना तैयार की गयी है और यह सही है कि जयपुर में पेयजल उपलब्ध होता रहे और आगे हम कल्पना पर चलें। इसके बारे में माननीय प्रतिपक्ष के नेता सही कह रहे थे कि कानोता के बारे में एक विचार हो रहा है और ईसरदा के बारे में भी मैं, माननीय सभापति महोदय, आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि ईसरदा का एक्सक्लूजिवली पेयजल योजना के रूप में सर्वे करा कर उसका सर्वे पूरा होकर पी. एच. ई. डी. विभाग के पास विचाराधीन है इस योजना पर कार्य किया जा सकता है या नहीं, जयपुर की पेयजल समस्यायें हल हो सकती हैं या नहीं। इसलिए, सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह सारे प्रश्न उठे हैं। चित्तौड़गढ़ से आने वाले माननीय विधायक ने कुछ तक-

(श्री कैलाश मेघवाल)

नीकी सवाल भी उठाये, कुछ विशेषज्ञों का हवाला भी दिया। मैं यह स्वीकार करता हूं कि सारी जानकारी मेरे पास नहीं है और मैं उनको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इन सारे प्रश्नों पर हम सोचेंगे क्यों कि इसके बारे में निश्चित रूप से वापस एक बार विचार करने के लिए कई मुद्दे हैं। उनके बारे में विचार होना है।

प्रतिपक्ष के नेता ने आज तीखे तेवर दिखाये। मैं सवाल नहीं करना चाहता लेकिन राजस्थान के साथ एक अन्याय अवश्य किया गया है। आज जिस नहर को लेकर गौरवान्वित हो रहे हैं और हमको गौरवान्वित होना चाहिए, राजस्थान नहर दुनिया में सबसे बढ़िया एक डिफिकल्ट टेल एण्ड में बनायी गयी नहर है और वहां मुश्किलात बहुत आती हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं 1957 में स्वर्गीय गोविन्द वल्लभ पंत ने इस नहर को सबसे पहले खोदना प्रारम्भ कराया था और उस समय इस नहर को बनाना था 1970 तक। उसके बाद अगला कार्यकाल बढ़ा 1973 तक। माननीय सभापति महोदय...

श्री सभापति : इसको विवाद का विषय नहीं बनायें माननीय मन्त्री महोदय।

श्री कैलाश मेघवाल : नहीं, विषय नहीं। मैं कहना यह चाहता हूं कि अगर यह नहर उस समय बन जाती उस समय इसकी लागत 66 करोड़ रुपये आंकी गयी थी और आज 1200 करोड़ रुपया खर्च हो गया है। उस समय अगर ईमानदारी से काम किया जाता और 1967 या 1973 में यह नहर बन कर पूरी हो जाती तो....

श्री परसराम मदेरणा : आप सदन को मिसगाइड कर रहे हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं कतई मिसगाइड नहीं कर रहा हूं।

श्री परसराम मदेरणा : आप 10 साल तक सत्ता में रह जायेंगे तो इसकी तमाम डिस्ट्रीब्यूटरीज और वाटर सोर्सेज के लिए अभी 50 पर्सेण्ट बनाना बाकी है और 10 साल और लगेंगे। यह कोई छोटी-मोटी योजना है क्या? और कम्पेक्शन और कन्सोलिडेशन का वर्क आगे जाकर रेत के टीबों में करना – it is a herculean task Mr. Home Minister. आप तो चुस्त-दुरुस्त बनाओ पुलिस को, आपके समाज का ही मामला नहीं है पहले इरिगेशन मिनिस्टर रहेंगे आप।

श्रीमती कमला (बैराठ) : सभापति महोदय, स्टेट के प्लान में से बनायी गयी है और स्टेट के प्लान में इतना बड़ा प्रोजेक्ट कैसे समायोजित किया गया है इसलिए इतना लम्बा समय लगा।

श्री कैलाश मेघवाल : प्रतिपक्ष के तीखे तेवर से तो मैं भय खाऊंगा नहीं। यह तर्क का सवाल है।

श्री परसराम मदेरणा : डेढ़ हजार करोड़ रुपये और लगेंगे। आप अभी पूछ लीजिये, डेढ़ हजार का और एस्टीमेट है।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं एक सवाल, माननीय सभापति महोदय, आपके द्वारा पूछना चाहता हूं। 1952 में राजस्थान मे शासन में आप थे। 1957 में इस नहर को बनाना आपने प्रारम्भ किया और मैं पूछना

(श्री कैलाश मेघवाल)

चाहता हूं कि आपकी अपनी योजना के हिसाब से 1967 में पूरी होनी थी कि नहीं। और उसके बाद 1973 तक अगर राजस्थान में यह योजना पूरी हो जाती और आप इसमें अगर ढिलाई नहीं बरतते तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, राजस्थान की अनाज की....

श्री सभापति : माननीय मन्त्री महोदय, प्रतिपक्ष के नेता....

श्री कैलाश मेघवाल : सारी पूर्ति राजस्थान की नहर करती। आज राजस्थान लहलहा रहा होता। आज 1994 में भी आपकी योजना अधूरी है....

श्री परसराम मदेरणा : आपने गेट्स के अन्दर बादल के साथ षड्यन्त्र किया।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं इस आरोप से कतई सहमत नहीं हूं और मैं इस आरोप से इसलिए सहमत नहीं हूं कि मैंने जो बात कही उसका जवाब नहीं है इनके पास... (व्यवधान) 1967 में पूरी क्यों नहीं की गयी, 1973 तक पूरी क्यों नहीं की गयी? और उस समय कम लागत में पूरी हो जाती तो आज राजस्थान खुशहाली में पीछे नहीं रहता। माननीय सभापति महोदय, मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं।

श्री रामस्वरूप मीणा : मन्त्री महोदय को जानकारी है नहीं, बोलने लग गये।

श्री हरिसिंह (महुआ) : आप गुमराह कर रहे हैं। .. (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य....

श्री लक्ष्मण सिंह (भीम) : सभापति महोदय, बादल साहब इनका ऋण चुकाने के लिए आये थे। बादल साहब ने सरदार साहब को इनके पक्ष में किया और सरकार बनाने के लिए बादल साहब ने इनका कर्जा चुकाया था।

श्री सभापति : श्री लक्ष्मण सिंह जी, बिराजिये। इस समय सदन में राजस्थान नहर पर चर्चा नहीं है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप ध्यानाकर्षण प्रस्ताव तक अपने आपको सीमित रखें और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर जवाब दें।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय सभापति महोदय, मैं इस विषय पर नहीं जाता। लेकिन प्रतिपक्ष के नेता ने अपनी तरफ से यह विषय छेड़ा था और इसलिए जरूरी था कि इस पर भी अपना प्रकाश डालूं।

श्री परसराम मदेरणा : सभापति महोदय, मैं इनसे बीसलपुर पर एक प्रश्न पूछना चाहता हूं क्योंकि माननीय मन्त्रीजी का जवाब आ चुका है। क्या यह सही है मन्त्रीजी कि यह योजना पहले ड्रिंकिंग वाटर की थी, लेकिन 1984 के अन्दर जब इसका शिलान्यास हुआ तब यह मिक्स योजना थी, ड्रिंकिंग वाटर की और इरिगेशन की? केवल ड्रिंकिंग वाटर की नहीं थी? आप कह रहे हैं कि केवल पेयजल के लिए योजना का प्रारम्भ में सोचा गया था। इसका सर्वे हो चुका था और इसका जो बेस रखा गया फाउण्डेशन, वह दोनों योजनाओं के लिए रखा गया अलग-अलग। इसकी कितनी हाईट रहेगी? पहले हमारे पास साधन कम

(श्री परसराम मदेरणा)

हैं। इसलिए ड्रिंकिंग वाटर को प्राथमिकता दी जायेगी। यह बात जरूर थी लेकिन फाउण्डेशन रखते वक्त फाउण्डेशन ऐसी रखी जाय, ताकि पीने का पानी और सिंचाई के लिए, दोनों के लिए ही पानी वहां एकत्र किया जा सके, इम्पाउण्ड किया जा सके।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय सभापति महोदय, कहीं कुछ समझने में गलती हुई है। यह योजना जब से बनी है तब से मिक्सड योजना है। 1982 में आपने जो योजना भेजी, वह भी मिक्सड योजना थी। उसमें प्राथमिकता सिंचाई विभाग को थी। मैं अपने स्टेटमेंट में बता चुका हूं।

श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम): At that time it was not being accepted.

श्री कैलाश मेघवाल : जो आंकड़े हैं मेरे पास, उस समय इसका अधिकांश पानी सिंचाई के लिए था और पीने के लिए कम था और इसके बाद जब यह रिवाइज हुई, रिवाइज होने के बाद भी यह मिक्स योजना चल रही है। उसमें अब प्राथमिकता, रास्ते में पड़ने वाले गांव हैं केकड़ी और इनसे मिला कर ब्यावर, किशनगढ़, अजमेर और जयपुर तक तो अब इसमें प्राथमिकता आ गयी है पेयजल की। मिक्स योजना तो यह आज भी है इसमें कोई दिक्कत नहीं है और इसलिए माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, ईसरदा बांध के बारे में मैंने अपनी स्थिति स्पष्ट की है कि सर्वे हो चुका है, मगर वो अल्टरनेटिव पी.एच.ई.डी., जो ईसरदा वाली योजना है, वह जयपुर के पेयजल की एक्सक्लूजिव योजना है। वह पी.एच.ई.डी. डिपार्टमेण्ट को सिंचाई विभाग ने सर्वे करके सुपुर्द कर दी है। उसमें वह क्या विचार करते हैं, क्या निर्णय लेते हैं उस पर भी इस योजना का भविष्य निर्भर करता है इसलिए, माननीय सभापति महोदय, मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाकर अभी पिछली कैबीनेट की मीटिंग हुई थी ...

श्री परसराम मदेरणा : विस्तार में जाने की जरूरत ही नहीं है। सर्वे तो हो चुका है। ईसरदा वाली का सर्वे हुआ है, प्रीलीमिनरी हुआ है। मुझे मालूम नहीं सर्वे हुआ है।

श्री कैलाश मेघवाल : हां, सर्वे हो गया।

श्री परसराम मदेरणा : सर्वे हो चुका है तो आपको चाहिए निवेश के लिए धनराशि, पूंजी। पूंजी के लिए किसी मुल्क को पकड़ो। कर्ज का भार तो और है, उसमें क्या है थोड़ा सा और लाद दो। राजस्थान का जब 11 हजार करोड़ का है तो वहां कौनसा....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कल तो आप विरोध कर रहे थे, कर्जा मत लेओ।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं, नहीं। मैं यह नहीं कह रहा हूं जब लेना ही है। आपने जब यह कहा कि यह तो हमारी क्रेडिबिलिटी है और क्रेडिबिलिटी बढ़िया है, टिकाओ किसी और कण्ट्री को। ईसरदा में तो तुरन्त मिल जायेगा आपको। औरों में तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुझे मालूम नहीं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ठीक है। आपके विचारों में परिवर्तन आ गया, मुझे बड़ी खुशी है विचारों में परिवर्तन तो आया।

श्री परसराम मदेरणा : बहुत सोच-विचार कर आया है, क्या आया है वह आप समझे नहीं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सोच-विचार करके आया है तो वह और भी अच्छी बात है। बिना सोचे-विचारे परिवर्तन आता तो खतरनाक था।

श्री कैलाश मेघवाल : नहीं। मैं खतम कर रहा हूं माननीय सभापति महोदय। मैं एक निवेदन और कर दूं, जब यह चर्चा आई है मुझे पूछा गया कि कोई विकल्प हो सकता है कि नहीं। राजस्थान में आज भी 47 साल के बाद यह सारी सिंचाई योजनाएं बनाने के बाद 44 पर्सेण्ट रेनी वाटर का आज हम उपयोग कर सके हैं। आज भी 56 पर्सेण्ट रेनी वाटर....

श्री परसराम मदेरणा : 45 पर फिर आ गये हो आप। फिर आओगे 42 पर, फिर आओगे 50 पर। मैं यह कह रहा हूं कि 1992 और 1993 के अन्दर 52 इरिगेशन की योजनाएं जो मीडियम और माइनर थी, जिन्हें कम्पलीट हो जाना चाहिए था, यह शिड्यूल्ड था। अब अभी पूछिये, मेरे पास लिस्ट है। उनमें स्लिपेजेज क्यों हुआ? आप क्या कर रहे थे? पैसे की कोई कमी नहीं, साढ़े ग्यारह हजार करोड़ की आपके पास योजना है और डींग मार रहे हैं दुनिया को, आप कह रहे हो। शिड्यूल्ड के अन्दर आपने उसको कम्पलीट क्यों नहीं किया?

श्री कैलाश मेघवाल : जिन योजनाओं का जिक्र प्रतिपक्ष के नेता कर रहे हैं माननीय सभापति महोदय, तो सारी योजना निश्चित अवधि में पूरी नहीं कराने के आरोपी अगर कोई हैं तो प्रतिपक्ष के नेता और उनकी पार्टी है। एक भी योजना ऐसी नहीं जिसको समय पर पूरा किया। उस ढिलाई को पूरा करने का हमने पूरा प्रयत्न किया है। एक-एक योजना के मैं आपको आंकड़े दे सकता हूं।

श्री परसराम मदेरणा : एक एग्जाम्पल ले लीजिये। +++ मत कीजिये। जाखम को लीजिये....

श्री कैलाश मेघवाल : बर्बाद तो आप ....(व्यवधान) राजस्थान कैनाल की स्थिति आपके सामने है कि वो 1967 में पूरी होनी थी, 1973 तक पूरी होनी थी। 1973 तक....

श्री परसराम मदेरणा : जाखम, शिड्यूल्ड में पूरी हुई है। टाइम पर पूरी हुई है ...

श्री कैलाश मेघवाल : एक भी योजना नहीं हुई। माननीय सभापति महोदय, अगर इस पाइण्ट पर बहस कराना चाहते हैं प्रतिपक्ष के नेता तो मैं उसके लिए तैयार हूं कि एक भी योजना कांग्रेस के अपने शासन में शिड्यूल्ड के हिसाब से और जो अनुमानित लागत थी, उसके हिसाब से कभी पूरी नहीं की। वो ढिलाई जो आपने की,

+++ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री कैलाश मेघवाल)

वो ढिलाई हमारे माथे पड़ी, उसको हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : मैं तो धीरे ही बोल रहा हूं, जाखम बारे में क्या ?

श्री कैलाश मेघवाल : जाखम नहीं हुआ टाइम पर पूरा (व्यवधान) हां, हां, नहीं हुआ टाइम पर पूरा। आप कहते हो आंकड़े मुझे याद नहीं है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : जाखम की योजना किसने बनायी थी ?

श्री परसराम मदेरणा : कांग्रेस गवर्नमेण्ट ने।

श्री भैरोंसिह शेखावत : तो फिर ?

श्री परसराम मदेरणा : आपके टाइम में पूरी नहीं हुई। प्रश्न यह है कि ...

श्री भैरोंसिह शेखावत : मेरी सुनिये, काम चालू होने के कितने वर्ष बाद में....

श्री परसराम मदेरणा : आपके दिमाग में जो बातें हैं, आप तो चश्मा लगाये चलते हैं।

एक माननीय सदस्य : यह कांग्रेस की है इसलिए पूरी नहीं की जा रही है क्या ?

श्री परसराम मदेरणा : जाखम की योजना टाइम पर पूरी हुई है।

श्री कैलाश मेघवाल : सभापति महोदय, मैं इस बात की भी चुनौती स्वीकार करता हूं प्रतिपक्ष के नेता की, इसी सदन में अगर चाहें प्रतिपक्ष के नेता, जाखम की योजना का मैंने अध्ययन किया है, वह न तो शिड्यूल्ड टाइम में पूरी हुई, न अनुमोदित लागत पर पूरी हुई। उनमें दोनों में ही आगे बढ़ोतरी हुई है। समय भी आगे बढ़ा है और लागत भी आगे बढ़ी है। मैं उनकी इस चुनौती को स्वीकार करता हूं।

श्री सभापति : माननीय, आप विषय पर सीमित रहें।

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मन्त्री) : सभापति महोदय, मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि योजनाएं समय पर पूरी नहीं होने से बार-बार रिवाइज होकर इनकी लागत बढ़ती चली जाती है, यह एक परम्परा चली आ रही थी। माननीय भैरोंसिह शेखावत मुख्य मन्त्री बने और मैं इरिगेशन मन्त्री था तो इस विषय पर बार-बार चर्चा हुई कि योजनाएं समय पर पूरी हो और पुनर्विचार करके बार-बार उसकी लागत नहीं बढ़े। तो इस तरह की कोई प्रक्रिया निकाल दी जानी चाहिए, इस पर कार्य हो रहा है। अत में, सभापति महोदय, कैबिनेट की एक सब कमेटी बनी है। उसमें पांच मन्त्री हैं। पी.एच.ई.डी. मन्त्री, पी. डब्ल्यू.डी. मन्त्री, मैं होम मिनिस्टर, इरिगेशन मन्त्री और पंचायत राज मन्त्री। इन पांचों मन्त्रियों की कमेटी बीसलपुर के बारे में और दूसरे जो प्रश्न हैं उनके बारे में और आज जो विचार यहां आये हैं माननीय सदस्यों के, इन सारे के बारे में यह पांच मिनिस्टरों की कमेटी विचार करेगी। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान की धरती पर पड़ने वाली एक-एक बूंद किसानों के खेतों पर पहुंचे यह इस सरकार का प्रयत्न रहेगा, इसमें किसी तरह की कमी नहीं आने दी जायेगी।

श्री सभापति : चर्चा समाप्त हुई। विधायी कार्य लिया जायेगा।

श्री रामनारायण (नैनवां) : माननीय सभापति महोदय, मेरा जो मूल प्रस्ताव....

श्री सभापति : रामनारायण जी आप का सारा आ गया है, आपके सारे जवाब आ गये हैं।

श्री रामनारायण : माननीय सभापति महोदय, मेरा जो मूल प्रस्ताव है उसके बारे में तो कुछ कहा ही नहीं है। मेरा प्रस्ताव है कि जो गांव आपने रखे हैं, जो नजदीक पड़ते हैं उनमें भी आप पानी की व्यवस्था करें। इसके बारे में क्या कहना है ?

श्री सभापति : रामनारायणजी, आप याचिकाओं का उपस्थापन करिये। (व्यवधान) वह चर्चा मैंने समाप्त कर दी। पांच मन्त्रियों की कमेटी बनी है....

श्री रामनारायण : इसके बारे में करेंगे इतना तो कह दीजिये।

श्री कैलाश मेघवाल : जो उचित होगा वह किया जायेगा।

श्री सभापति : याचिकाओं का उपस्थापन। श्री रामनारायण जी।

याचिका का उपस्थापन

बूंदी के ग्राम माटून्दा से बागदा तक सड़क निर्माण

श्री रामनारायण (नैनवां) : माननीय सभापति महोदय, मैं जिला बूंदी के ग्राम माटून्दा से बागदा सड़क निर्माण करवाने बाबत पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका उपस्थापित करता हूं।

राजस्थान नगर पालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1994

विधेयक पर विचार

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव

श्री सभापति : विधायी कार्य। नगर पालिका विधेयक। श्री रामनारायण जी, आपने कल प्रस्ताव पेश नहीं किया था, आपने भाषण तो करीब-करीब दे दिया था। तो आप संक्षेप में अपनी बात कह दें जो बची हुई है और अपना प्रस्ताव पेश कर दें, फिर रमाकान्त जी बोलेंगे।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव पर ही बोल रहा था और बीच में काफी माननीय सदस्यों ने उस बहस के अन्दर दिलचस्पी ली इसकी वजह से मैं पूरा नहीं कर सका। मेरा प्रस्ताव यह है कि इस बिल को जनमत जानने हेतु एक महीने के लिए परिचालित कर दिया जाय ताकि सब लोगों को पढ़ने का मौका मिले। सदन के माननीय सदस्यों में से बहुत से ऐसे हैं, उनमें से मैं भी एक हूं, कि इसको ठीक ढंग से पढ़ नहीं सके क्योंकि अभी यह इन्ट्रोड्यूज हुआ और दूसरा बिजनस इतना था विधान सभा का कि हम समय नहीं निकाल सके। तो यह अच्छा होगा या और कोई रास्ता निकाल दिया जाय ताकि सब लोगों में विचार-विमर्श होने के बाद एक अच्छी तस्वीर राजस्थान की नगरपालिकाओं के लिए बनायी जा सके। जिस मंशा से संविधान में परिवर्तन करके

(श्री रामनारायण चौधरी)

गारंटी दी गयी और कुछ दिशा निर्देश दे दिये गये कि इसमें यह चीज होनी चाहिए, यह तो हम देखते हैं कि इसमें कोई चीज, माननीय सभापतिजी, ऐसी नहीं है कि जिसको अनुकरणीय कहें, जिसमें यह हो कि कोई सैल्फ गवर्नमेंट को प्रोत्साहन मिले, इन्सपरेशन मिले। पुरानी को रिप्लेस कर रहे हैं, उसमें अमेंडमेंट कर रहे हैं। उससे कोई बेहतर चीज हो। संविधान के अन्दर जिन चीजों की गारंटी दी वही आप इसमें शामिल कर रहे हैं बाकी अपनी तरफ से, हमारी तरफ से भी कुछ ऐसी चीजें जोड़ी जानी चाहिए जिसकी वजह से शहरों की, नगरों की सैल्फ गवर्नमेंट अच्छी चले, लोगों की उसके अन्दर भागीदारी हो, यह इस प्रस्ताव के जरिये, माननीय मन्त्री महोदय, मेरी मंशा है।

आपने वार्डों के बारे में, नगरपालिकाओं के चेयरमैन के चुनाव के बारे में कोई इसमें स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं दिये। दिल्ली में जब पार्लियामेंट में बहस हो रही थी और प्रोसीडिंग्स हमने देखी है उसमें ओरिजनल यह था कि चेयरमैन का चुनाव भी जनता के द्वारा सीधा होना चाहिए ताकि लोकतंत्र की गंगा सीधी बहे. ऊपर से नीचे तक सब लोगों का चेयरमैन के अन्दर इन्वाल्वमेंट हो।

श्री सभापति : माननीय रामनारायण जी, मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, यह पंचायत का और नगरपालिका का जो संविधान संशोधन है उसमें पंचायत समिति और जिला परिषद् के निर्वाचन का सीधा प्रावधान संविधान संशोधन में है और वह डायरेक्ट नहीं है वह जो इलेक्टेड मेम्बर्स हैं उनमें से है। इसलिए संविधान संशोधन में है, इसमें आपकी क्या राय है ?

श्री रामनारायण चौधरी : अब संशोधन में है यह तो दुःख की बात है, मान्यवर। राजीव गांधी की यह आकांक्षा थी ...

श्री सभापति : उसको हम नहीं बदल सकते।

श्री रामनारायण चौधरी : आपने बदल दिया ना। उनकी आकांक्षा की बात बताता हूं। जो सैल्फ गवर्नमेंट जनता के पास आ रही थी, उनका जो इरादा था, उनका जो संकल्प था उसके अनुरूप यह नहीं है, मैं यही कह रहा हूं।

श्री सभापति : संविधान संशोधन के अनुरूप है।

श्री रामनारायण चौधरी : उसके अनुरूप भी नहीं है। मान्यवर, इसमें एक बात तो यह है कि आपने चेयरमैन के खिलाफ अविश्वास के प्रस्ताव की अवधि दो साल कर दी कि दो साल से पहले कोई अविश्वास का प्रस्ताव नहीं आयेगा। अविश्वास का प्रस्ताव पहले छह महीने का था और अब आपने सीधा जम्प लगा कर एकदम दो साल का कर दिया। तो दो साल का बहुत बड़ा पीरियड है। इसमें अधिक से अधिक एक साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए।

दूसरा, अनुभवी लोगों को नोमीनेट करने का अधिकार इसमें देना चाहते हैं। तो मैं आपसे यह चाहता हूं कि यदि संविधान के अन्दर इसका जिक्र है तो मेरा इसमें

(श्री रामनारायण चौधरी)

सुझाव है कि अनुभवी लोगों से या किस से फायदा उठाया जाय यह लोकल बोडीज के ऊपर ही छोड़ देना चाहिए कि जो वह ठीक समझें उनको कोअप्शन कर लें या नोमीनेट कर लें, जो भी भाषा उसकी हो वह होनी चाहिए, उन पर ही छोड़ देना चाहिए। हालांकि आपने राइट टू वोट भी दे रखा है फिर भी ऐसे आदमी उसमें नोमीनेट हो जाय सरकार की तरफ से। यह कोई जरूरी नहीं है कि आप की सरकार हमेशा ही बनी रहेगी, और भी सरकार आ सकती है, कोई भी आ सकता है। लोकतंत्र का इस्तेमाल होना चाहिए, लोकतंत्र की ताकत लोकतंत्र के अन्दर ही रहनी चाहिये। सरकार किसी की भी हो, उसके गुण और दोष हैं। सरकार तो ज्यादा दोषी ही मानी गयी है, सरकार दोषों के ऊपर किसी की भी नहीं रही, सरकार तो मानी ही गयी है दोषपूर्ण। तो मैं चाहता हूं कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए उन लोकल बोडीज को ही अधिकार होने चाहिए कि वह खुद कोअप्शन करें। अविश्वास का प्रस्ताव दो साल वाला बहुत बड़ा है।

तीसरा, मान्यवर आपके माध्यम से कहना चाहता था वह यह था कि इसमें कुछ और अधिकार दीजिये। जो पुरानी बातें हैं वही का वही इसमें किया है। अब इसमें आपने डाला कि एक असेसर की नियुक्ति होगी उसकी भी सरकार से अनुमति ली जायेगी, सरकार की स्वीकृति से ही नगरपालिका असेसर की नियुक्ति करेगी। आप मुझे बताइये, यह कैसी सैल्फ गवर्नमेंट होगी? आज किसी भी अपाइण्टमेंट के ऊपर, और तो छोड़िये, चीफ सैक्रेटरी के लिए भी अनुमति भारत सरकार से ली जायेगी। क्या हालत हो गयी आपकी सरकार की, आप बता दीजिये। सभापति महोदय, मुख्य मन्त्रीजी को पसीना आ गया था जब एक बार गड़बड़ होने लगी थी कि मीठालाल मेहता को दिल्ली से रिलीव होने में विलम्ब हो रहा है और वहां रिलीव होने में टाइम लग सकता है तो मुझे मालूम है कि उन्होंने किस तरह से प्रयत्न करके उन्हें वहां से रिलीव करवाया था और क्यों करवाया था? इसलिए करवाया था कि उनकी स्थिति प्रदेश में, सर्विसेज के अन्दर डांवाडोल होने को थी। तो असेसर की नियुक्ति भी उस लोकल बोडीज को नहीं करने देना चाहते हैं। चलो, एक्जिक्यूटिव आफिसर जो नगरपालिका का चीफ सैक्रेटरी है वह आप अपनी मर्जी का वहां पर बैठाना चाहते हैं, स्वीकार करते हैं, बैठाओ। लेकिन असेसर भी काम क्या करेगा। मकानों की देखभाल करना, उनको असेस करना कि क्या, कितनी प्रोपर्टी का कितना टैक्स बनता है, यही तो उसका काम है। वह आदमी भी आप अगर पालिका की पसन्द का नही देना चाहते हैं इससे बड़ा लोकतंत्र के ऊपर क्या आघात होगा और उन लोगों की राय क्या है, काहे की सैल्फ गवर्नमेंट है? इसी तरह से और कर्मचारियों के बारे में कि यह चेयरमैन कर सकेंगे, यह नगरपालिका कर सकेगी। लेकिन यह काम जो आयेगा, यह नियुक्ति सरकार की आज्ञा से ही होगी।

मान्यवर, इसमें मैंने पढ़ा और मुझे लगा कि जब लोकल बॉडीज डिजोल्व हो जायेगी किन्हीं कारणों से, सरकार की वजह से या और कोई वजह से, या त्याग-

(श्री रामनारायण चौधरी)

पत्र से डिजोल्व हो जायेगी और आप प्रशासक बनायेंगे, फिर आप उसके चुनाव करायेंगे एक निश्चित अवधि में तो मुझे ऐसा समझ में आया और मन्त्रीजी स्पष्ट कर दें कि वह जो चुनाव होगा, वह रेस्ट आफ दी पीरियड के लिए होगा, पूरे पांच साल के लिए नहीं होगा। तो आप यह बताइये कि आम चुनाव होगा तो रेस्ट आफ दी पीरियड के लिए क्यों होगा? विधान सभा भंग हुई। रेस्ट आफ दी पीरियड के लिए हुई। लोक सभा भंग हुई, मध्यावधि चुनाव हुए रेस्ट आफ दी पीरियड के लिए हुए। आप डिजोल्व करके वापस मैनडेट ला रहे हैं तो दो साल का नहीं, वह तो पांच साल का होना चाहिये। तो यह एनोमली है। यह विसंगतियां हैं जो मैंने देखी, और सब देख नहीं सके इसीलिए मैंने आपसे प्रस्ताव किया था। इसी तरह से इलेक्शन का है। आपने जिला चुनाव अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन आफिसर बनाया। एक आपने चीफ इलेक्ट्रोल आफिसर बनाया और वहीं आपने बीच में चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी डाल दिया। इन तीनों को आपने ऐसा मिला दिया कि कौन क्या करेगा, यह स्पष्टतया क्लियरिटी मुझे नजर नहीं आयी। इसको भी मन्त्री महोदय देखें, और ऐसी बहुत सी बातें हैं। तो इन्हीं सुझावों के साथ...

श्री सभापति : धन्यवाद।

श्री रामनारायण चौधरी : मान्यवर, मैं मांग करता हूं कि अभी फिलहाल इसको जल्दी में पास नहीं करवाया जाये। लोगों की राय ली जाये। लोगों की आप राय लेंगे तो आपके पास अच्छी राय आयेगी, और दूसरे लोग भी आपके पास भेजेंगे। हम एम. एल. ए ही नहीं, दूसरे लोग भी आपके पास लिखकर भेजेंगे।

श्री सभापति : धन्यवाद। श्री रमाकान्तजी शर्मा।

श्री रमाकान्त शर्मा (थानागाजी) : सभापति महोदय, मैंने भी इस बिल को जनमत जानने हेतु परिचालित करना प्रस्तावित किया है परन्तु मैंने इसलिए नहीं किया कि मुझे इसको पढ़ने का मौका नहीं मिला। यह तो आठ, दस दिन पहले सक्यूलेट हो गया था। काफी पढ़ने का मौका मिला है। मैंने इसलिए भी नहीं किया जैसे अभी चौधरी साहब आब्जक्शन लाये हैं। एक तरफ तो यह कह रहे हैं कि चेयरमैन का चुनाव डायरेक्ट होना चाहिये और सिद्धान्त यह है कि जिसका सीधा चुनाव हो, डायरेक्ट जनता से हो, उसका विश्वास आ ही नहीं सकता। किसी एम. एल. ए का विश्वास आ सकता है क्या? जो इनडायरेक्ट चुनाव से होता है उसी के विश्वास के प्रस्ताव का प्रश्न पैदा होता है। जो सीधे चुनाव से जाये, एक सरपच के लिए जो है.... (व्यवधान) वह गलत है। सीधे जो चुनाव से, पब्लिक से चुनकर आता है, उस पर चन्द आदमी किस प्रकार से अविश्वास का प्रस्ताव ला सकते हैं....(व्यवधान) बता तो रहा हूं मैं। गलत है वह। सरपंच का गलत है, मैं यही तो कह रहा हूं।

श्री सभापति : आपका कहना है, वह प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है।

श्री रमाकान्त शर्मा : प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है। जो चुनने वाले हैं वही अविश्वास ला सकते हैं, दूसरा आदमी नहीं ला

(श्री रमाकान्त शर्मा)

सकता। इसके अन्दर मेरे कुछ आधारभूत आब्जेक्शंस हैं। उन बातों के लिए मैंने इस बिल को जनमत के लिए परिचालित करने हेतु निवेदन किया है।

सभापति जी, दुनिया के अन्दर म्युनिसपैलिटीज के चार ही पेटर्न हैं फ्रेंच, इंगलिश, रसियन और एक ट्रेडिशनल पेटर्न कहलाता है। मैं उन बातों पर नहीं जाऊंगा कि फ्रेंच पेटर्न क्या है, इंगलिश पेटर्न क्या है? दुर्भाग्य से मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे देश के अन्दर चारों में से कोई सा भी पेटर्न नहीं है। अंग्रेजों ने सभी मामलों के अन्दर जब हम गुलाम थे तो उनके यहां जो अच्छी चीज थी उसका उन्होंने हमारे यहां नियोजन नहीं किया। उनके यहां सर्विसेज डिफरेंट टाइप की थी, हमारे यहां पर सर्विसेज ब्यूरोक्रेटिक डिफरेन्ट आधार पर थीं। उनके यहां एजूकेशन सिस्टम दूसरा था, हमारे यहां पर एजूकेशन सिस्टम दूसरा किया। उनके यहां जो काउंटी सिस्टम था म्युनिसिपैलिटीज का वह सिस्टम हमारे यहां पर इन्ट्रोड्यूज नहीं किया। हमारे यहां म्युनिसिपैलिटीज का जो सिस्टम है, वह यह जो आधारभूत पेटर्न हैं दुनियां के अन्दर उन पेटर्नस् में से किसी पेटर्न पर नहीं है। हमारे यहां कानून के अमेंडमेंट की एक और परिपाटी चली हुई है। सभी हाईकोर्ट में कोई बात आ जाये तो अमेंडमेंट ले आइये। अभी एक कांस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट आया है, वहां पर तो जागरूकता बढ़ी है हमारी और हम यह अमेंडमेंट ले आये। परन्तु हमारा जो एक्ट है जिसके अन्दर बेसिक खामियां हैं, जिनकी वजह से हम अभी तक पिछले 48 साल के अन्दर म्युनिसपैलिटीज द्वारा जो पब्लिक को गुड्स डिलीवर करना चाहिये था, उस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। जो इनके पास में कार्य होना चाहिये था, वह नहीं कर रहे हैं। जो इनकी व्यवस्था होनी चाहिये थी वह व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। उस बारे में विभाग ने, सरकार ने कभी सोचा नहीं। मेरा तो निवेदन यह है कि राजस्थान म्युनिसपैलिटीज एक्ट 1959 इटसैल्फ सारे के सारे को इस मौके पर एक अमेंडेड करके सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहिये था तो ज्यादा उचित होता और किसलिए अमेंड करना चाहिए था? म्युनिसिपैलिटीज का बेसिक फंक्सन होता है कि वह हैल्थ के बारे में सोचे। न तो हमारी म्युनिसिपैलिटी प्रिवेंटिव हैल्थ के बारे में सोचती है, क्युरेटिव हैल्थ के बारे में तो अगले सौ साल तक सोच उनके विचारों में ही नहीं है, कहीं पर भी। म्युनिसिपैलिटीज को चाहिये कि पब्लिक के लिए अत्यन्त आवश्यक असिस्टैंस तत्काल प्रोवाइड करे क्योंकि वह बहुत नीयर टू दी पब्लिक होती है। हमारी म्युनिसिपैलिटीज के अन्दर वह सोच ही नहीं है कि पब्लिक असिस्टैंस जैसा भी कोई उनके पास काम होना चाहिये। म्युनिसिपैलिटीज को चाहिये कि यह देखे, जो कचरा है वह कहां डिसपोजल हो। लोग तो इस बात को देखते हैं कि एक देश से जहाज में भर कर कचरा पांच हजार किलोमीटर दूर जाकर डिस्पोजल करते हैं और यहां घर के सामने डिसपोजल हो रहा है। गली में डिस्पोजल हो रहा है और सब ओर से इकट्ठा करके कभी किसी सड़क को सड़ा देते हैं, अजमेर वाली को सड़ा देते हैं तो कभी टोंक वाली को सड़ा देते हैं। कभी विचार ही नहीं किया किसी ने भी। मुझे दो, चार दफा अमेरिका जाने का मौका

(श्री रमाकान्त शर्मा)

मिला है। वहां की काउंटीज के अन्दर जो मेन इनकम है वह ट्रैफिक पुलिस से है। ट्रैफिक के जो वायोलेशन होते हैं, श्रोफेंसेज होते हैं, वह सारी की सारी इनकम उन काउंटीज को जाती है, उन म्युनिसिपैलिटीज को जाती है। यहां पर विचार ही नहीं है म्युनिसिपैलिटीज के पास में कि जो ट्रैफिक है, वह इनके पास होना चाहिये और ट्रैफिक पुलिस भी उनकी होनी चाहिये। ट्रैफिक श्रोफेंसेज के लिए छोटे-छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव जजेज होने चाहिये। एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से ज्युडिशियल तरीके से नहीं। वह इनके पास होने चाहिये थे। दुनिया के हर पेटर्न के अन्दर है। मैंने आपसे कहा था कि फ्रेंच, अमेरिकन, इंग्लिश, रसियन पेटर्न है। इस बात पर विचार ही नहीं है। हमारे यहां सिटी ट्रांसपोटेशन के बारे में सोच ही नहीं है, कल्पना ही नहीं है इनके पास में। कंस्ट्रक्शन की यह हालत है, जिस कंस्ट्रक्शन के बारे में इनका डायरेक्ट सुपरविजन होना चाहिये, सारी गलियां सकड़ी हो गई हैं, हर आदमी मरजी आये जिधर की तरफ छज्जा निकाल लेता है, मरजी आये चबूतरा निकाल लेता है।.... (व्यवधान) माननीय मैं बोल रहा हूं। आपको मौका मिलेगा आप तब बोल लीजियेगा। आप क्यों मुझे बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं?

डा. हरिसिंह (फुलेरा) : आप गलतबयानी कर रहे हैं। मैं करेक्ट कर रहा हूं।

श्री रमाकान्त शर्मा : जी हां, तो आप सही कर देना जब आपको मौका मिले। क्या आपने ठेका ले रखा है मेरी गलतबयानी ठीक करने का?

डा. हरिसिंह (फुलेरा) : अमेरिका में पेनल्टीज से ...

श्री रमाकान्त शर्मा : आप डाक्टरी कीजिये। आपको क्या लेना देना है इस कंस्ट्रक्शन के कामों से।

डा. हरिसिंह (फुलेरा) : मैं वहां चार साल रहा हूं। मैंने तो देखा नहीं कि इतनी पैनल्टीज होती है। आप तो चार घण्टे जा आये उसमें अमेरिका की लाइफ स्टाइल बता रहे हैं।

श्री रमाकान्त शर्मा : बिराजिये। चार घण्टे नहीं, मैं आपसे ज्यादा दिन गया हूं। आप जितने दिन रहे हैं उससे ज्यादा दिन रहा हूं मैं। आप शायद पढ़ने किसी के वजीफे से चले गये होंगे और मैं अपनी जेब से पैसे खर्च करके चार दफा गया हूं.... (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री रमाकान्त शर्मा : क्या फरमाया? तो मैं निवेदन....

श्री सभापति : चार घण्टे, या चार वर्ष....

श्री रमाकान्त शर्मा : और फिर सभापति महोदय, यह तो अकल पर मुनस्सर करता है। कोई आदमी चार घण्टे में सीख जाता है और कोई आदमी वहां पर चार महीने भी रहे तो भी धेले की अक्ल नहीं आये। तो यह तो....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप

(श्री सभापति)

चार महीने या चार वर्ष की बात करते हैं, मैं तो यह कहता हूं कि चार सौ वर्ष भी जाकर आये तो भी अमेरिका की लाइफ को भारत के हुजूम में तो नहीं मानता ...

श्री रमाकान्त शर्मा : तो सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था....

श्री सभापति : भारत की बात ही लागू कीजिये।

श्री रमाकान्त शर्मा : इन फंक्शंस के बारे में, कांस्टीट्यूशन के बारे में खास तौर से निवेदन कर रहा था कि हमारे हर शहर में इस समय लोगों ने मनमाने तरीके से अतिक्रमण कर रखा है, सारे शहरों के नक्शे खराब हो गये हैं। तो हमारी म्युनिसिपैलिटीज इस मामले के अन्दर जो बेसिक चीज थी, उसके बारे में कुछ नहीं कर सकी। हमारे यहां पर अचानक चार्जेज इवेन्ट हो जाती हैं। उन इवेन्ट्स पर म्युनिसिपैलिटीज का कण्ट्रोल होना चाहिये। वह कण्ट्रोल वह नहीं कर सकी। दूसरा, म्युनिसिपैलिटीज बनाने का बड़ा चार्म है। न तो हमारे कांस्टीट्यूशन में म्युनिसिपैलिटीज को कोई अहमियत दी है, कांस्टीट्यूशन के अन्दर पंचायतों को बहुत अहमियत दी है। पंचायतों के बारे में स्पेशल मेन्शन है। हमारे कांस्टीट्यूशन के अन्दर म्युनिसिपैलिटीज के बारे में कोई मेन्शन नहीं है।

(16.00)

एक शिड्यूल बताया हुआ है केवल मात्र। परन्तु जनरली यहां म्युनिसिपैलिटी बना दी और वहां म्युनिसिपैलिटी बना दी, नतीजा यह हुआ कि म्युनिसिपैलिटी वायबल नहीं होती है। जब तक म्युनिसिपैलिटी की वायबलिटी की पहले स्टडी न हो जाए तब तक न बनायेंगे। अब यह जनसंख्या हो गयी कहीं पर 15 हजार, कहीं पर 8 हजार, जनसंख्या का क्राइटेरिया आपने रखा है। जनसंख्या की क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए म्युनिसिपैलिटी बनाने के लिए। म्युनिसिपैलिटी बनाने के लिए पहला क्राइटेरिया यह होना चाहिए कि अपने यहां पर जिस प्रकार की संस्था कायम करेंगे उसकी वायबलिटी होगी कि नहीं होगी। जब तक उसकी वायबलिटी नहीं हो और फिर उसके अन्दर अपने आप के अन्दर सैल्फ सस्टेनिंग की हिम्मत और प्राब्लम सोल्विंग की हिम्मत है कि नहीं, प्राब्लम आये तो रेफर कर दिया सरकार को, तो प्राब्लम सोल्विंग जो उनका मेन फंक्शन है यह जब तक बात नहीं जाती तब तक हमें म्युनिसिपैलिटी नहीं बनानी चाहिए।

मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं प्रति संक्षेप के अन्दर कि अमेंडमेंट करने का जो तरीका है यह भी दुनिया के अन्दर अपने यहां निराला तरीका है Add here; subject there; interpole after two lines इसमें पढ़ने वाले को कुछ समझ में नहीं आ सकता है और पब्लिक को भी समझ में नहीं आ सकता है। जब इतना बड़ा अमेंडमेंट यह लेकर के आये हैं तो यह कहते हैं कि नया जो एक्ट है, नया हमारा जो बिल है that would read like that. और फिर उसको पढ़ लीजिये। पुराना भी कोई पढ़ना चाहेगा तो देख लेगा कि उसमें क्या डिफरेन्सेज है। तो यह जो अंग्रेजों के टाइम से चला

(श्री रमाकान्त शर्मा)

आ रहा है कंफ्यूजन करने का बिल को, एक्ट को, कानून को कोई साधारण आदमी समझ ही नहीं सके उसी तरीके को हमने अपना रखा है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब कोई एक्ट लायें तो इंटरपोलिशन का जो तरीका हटाया जाना चाहिए और जो एक बदली हुई भाषा है उस भाषा के अन्दर बात आनी चाहिए। दूसरा, मुझे समझ में नहीं आता कि अब तो हाई कोर्ट के अन्दर भी हिन्दी में बात होने लगी तो फिर क्यों पैसा हमारे राज का बरबाद किया जाता है अंग्रेजी के अन्दर छाप करके। अधिकतर लोग हिन्दी में पढ़ते हैं। हिन्दी हमारी भाषा है, प्रदेश की भाषा है तो सारा का सारा अंग्रेजी का मोह अपना छूट जाना चाहिए। इस अंग्रेजी के मोह की वजह से यह हो गया है कि अंग्रेजी तो वैसे लोग पढ़ते नहीं हैं और हिन्दी ऐसी है कि समझ में नहीं आता कि इसके अन्दर पढ़ें क्या। इसकी जो वाकेबुलरी है वह बड़ी विचित्र वाकेबुलरी है। साधारण हिन्दी जो हर नागरिक समझ सके उस साधारण हिन्दी के अन्दर हमारे कानून बनने चाहिए। हमारे प्रशासन को सोचना चाहिए और जो कानून बनाने वाली ब्यूरोक्रेसी है उनको बताना चाहिए कि पुराना सौ साल का जो अंग्रेजों के टाइम का तौर-तरीका है उस तरीके को बदलियेगा।

दूसरा मैं यह निवेदन कर रहा था, हमें जो काम नियमों में देना चाहिए उसको हम अक्सर एक्ट में दे देते हैं और जो एक्ट में देना चाहिए वह नियमों में दे देते हैं। तो नतीजा यह होता है कि बारबार अमेंडमेंट लाना पड़ता है। जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए एक बात कहता हूं कि अमेरिकन कांस्टीट्यूशन कुल मिलाकर के दो पेज में है सारा ही और मेरे ख्याल में एक या दो अमेंडमेंट हुए हैं इतने सैकड़ों सालों के बाद और हमारे यहां कोई-सा भी कानून ले आइये, कानून के अन्दर हर दूसरे दिन अमेंडमेंट होते हैं। यह इसी कंफ्यूजन की वजह से होते हैं कि इसके अन्दर यह नहीं देखा जाता कि हमारी कौनसी चीज नियमों में आनी चाहिए जिनको साधारणतया जब चाहे प्रशासन समय पर बदल सके और कौनसी चीज एक्ट के अन्दर आनी चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मेरा निवेदन है कि चूंकि यह बिलकुल अधूरा है, चूंकि यह कॉम्प्रोहेंसिव नहीं है, चूंकि यह राजस्थान म्युनिसिपैलिटीज एक्ट, 1959 इटसैल्फ को अमेंड करके जैसा चाहिए इसलिए मैं प्रस्ताव करता हू राजस्थान नगर पालिका (द्वितीय सशोधन) विधेयक, 1994 को एक माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए।

श्री सभापति : धन्यवाद। माननीय श्री शिवकिशोर सनाढ्य।

श्री विष्णु मोदी : माननीय सभापति महोदय, पाइण्ट ऑफ इन्फार्मेशन।

श्री सभापति : एक सैकण्ड, आप बोलिये।

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष): अब आपकी स्पीच तो समाप्त हो गयी माननीय सदस्य, थानागाजी वाले, मैं आपसे पूछ रहा था कि आपने ट्रेनिंग अमेरिका में ली या इंग्लैण्ड में।

श्री रमाकान्त : मैंने ट्रेनिंग जर्मनी में ली है और अमेरिका और इंग्लैण्ड में कई दफा जाने का मौका मिला है। जर्मनी में दो साल ली है ट्रेनिंग मैंने।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं, आप यह समझ रहे हैं, मैं कोई इम्तिहान नहीं ले रहा हू। वहां म्युनिसिपैलिटी को क्या कहते हैं ?

श्री रमाकान्त : कहां ?

श्री परसराम मदेरणा : जर्मनी और इंग्लैण्ड में।

श्री रमाकान्त : इंग्लैण्ड में इनको काउंटीज कहते हैं। हां, हां, काउंटीज को डिस्ट्रिक्ट नहीं कहते, म्युनिसिपैलिटी को कहते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : और जर्मनी में ?

श्री रमाकान्त : जर्मनी में कम्यून्स कहते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : हां।

श्री रमाकान्त : कम्यून्स कहते हैं, कम्यून्स।

श्री परसराम मदेरणा : बोरोज कहां हैं ?

श्री रमाकान्त : बोरोज कहां हैं, बोरोज इंग्लैण्ड में हैं, साहब।

श्री सभापति : यह आप बाद में बात कीजिये। बिराजिये। श्री शिवकिशोर सनाढ्य।

श्री रमाकान्त : माननीय विपक्ष के नेता मुझे बेफल मत कीजिए मेरा बहुत अच्छा ज्ञान है इस मामले के अन्दर। जिस प्रकार से अपने यहां पर नगर पालिका अलग है, म्युनिसिपैलिटी अलग है, तीन स्तर हैं उसी प्रकार से वहां बोरोज भी हैं, काउटीज भी हैं।

श्री सभापति : विष्णुजी कुछ कह रहे हैं।

सूचना

तिजारा में तनाव

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : अभी जानकारी मिली है कि तिजारा में बहुत तनाव है और वहां पर बड़ी गम्भीर स्थिति बनी हुई है तो मैं सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार से जानकारी चाहूंगा....

श्री सभापति : गृह मन्त्रीजी ध्यान देंगे।

श्री विष्णु मोदी : कि सदन को यह बताया जाय कि तिजारा में क्या स्थिति है, क्या परेशानी हुई है और उसमें अब....

श्री सभापति : गृह मन्त्रीजी ध्यान देंगे। बिराजिये।

श्री शान्तिकुमार धारीवाल (हिण्डोली): इस पर अविलम्ब वक्तव्य आना चाहिए सरकार का।

श्री सभापति : अभी घटना का ही कुछ पता नहीं है। आपने सूचना दी है, अभी पूछेंगे मन्त्रीजी को।

श्री शान्ति कुमार धारीवाल : मामला गम्भीर है चारों तरफ तनाव फैलता जा रहा है और बहुत बड़ा हादसा हो....

श्री सभापति : आप बिराजिये, माननीय मन्त्रीजी ध्यान करेंगे।

श्री शान्तिकुमार धारीवाल : और कोई बहुत बड़ा हादसा हो ही चुका है।

श्री सभापति : शिवकिशोर सनाढ्य।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान नगर पालिका द्वितीय संशोधन विधेयक, 1994 को सदन के समक्ष प्रस्तुत है....

श्री परसराम मदेरणा : सनाढ्यजी, माफ करेंगे आप मुझे। चेयरमैन सर, यहां जब कभी भी मिनिस्टर एबसेंट होता है हाउस में तो या तो पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर कम्यूनिकेट करते हैं यहां। पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर नहीं हैं यहां पर, होम मिनिस्टर नहीं,

श्री सभापति : भंवरलालजी हैं।

श्री परसराम मदेरणा : आप कन्वे कराइये। चेयर कन्वे कराये।

श्री सभापति : माननीय भंवरलालजी, आप जरा कन्वे करायें।

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : माननीय सभापति महोदय, यह बिल पास करने के पहले मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि इस बिल के अन्दर इतने अमेंडमेंट्स किये हुए हैं, यहां पहले ही नगरपालिका और नगर परिषदों की स्थिति यह है कि लम्बे लम्बे समय तक चुनाव नहीं हो पा रहे हैं। उदयपुर नगर परिषद् का चुनाव 1973 में हुआ था और उसके बाद 1973 से लेकर अब तक नगर परिषद् का चुनाव नहीं हो सका है। ऐसी स्थिति बहुत सी नगर परिषदों की है। इन्होंने इस बिल के अन्दर इस बार यह व्यवस्था की है कि पांच साल का समय होगा और उसके बाद उसे नहीं बढ़ाया जाएगा लेकिन उसके पीछे यदि उसको पढ़ें तो कहीं ऐसी मंशा नजर नहीं आती है कि समय नहीं बढ़ाया जाएगा। उसके सब-क्लाजेज में स्थितियां ऐसी बन गयी हैं कि कहीं पर बोर्ड का गठन नहीं हो पाया सीमाओं का गठन नहीं हो पाया। पिछली बार हमारे यहां केवल एक व्यक्ति हाई-कोर्ट में चले गये और उन्होंने जाकर के कह दिया कि यह जो सीमांकन हुआ है, वह गलत हुआ है, उसके प्रोविजन्स के अनुसार नहीं हुआ है और नगर परिषद् का हमारे यहां पर चुनाव नहीं हो सका। तो मैं यह निवेदन करूंगा कि अगर जनमत जानने के लिए इसे भेजा जाता है तो निश्चित रूप से इसके ऊपर गहन विचार होगा। अगर इन्होंने कोई कमेटी बना करके, सदन की कमेटी बना करके....

श्री सभापति : नहीं आपका प्रस्ताव नहीं है ऐसा कोई। आपका जनमत का ही प्रस्ताव है।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : उसके साथ ही मेरा यह सुझाव है कि इसके एक एक क्लाज पर अगर डिस्कशन हो जाता है तो इसमें जो कमियां रह जाने वाली हैं, जो माननीय सदस्यों ने इसमें बतायी हैं, तो मैं सोचता हूं कि यह एक्ट ठीक तरह से बन सकता है। नगर पालिका और नगर परिषदों की जो स्थिति है यह किसी से छिपी हुई नहीं है। मैं अपने क्षेत्र उदयपुर की, कानोड नगर परिषद् का उदाहरण दूं। इनके यह जो प्रशासक लगे हुए हैं इन प्रशासकों ने इनकी वित्तीय स्थिति खराब कर

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

दी है। इसमें कर की चोरियां होती रही। यानि हमारे यहां एक अफसर बदला तो उस अफसर के बदलने से एक करोड़ रुपये का फर्क पड़ा। तो इस तरह से यह प्रशासक लगा देने की जो परिपाटी है, जो आफिसर्स पर छोड़ने की परिपाटी है उसकी वजह से जो इनके पीछे भावनाएं हैं कि जन-प्रतिनिधि रहेंगे तो वह अधिक अपने क्षेत्र का काम करा सकेंगे, वह पूरी नहीं हो पा रही हैं इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1994 को तीन माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए।

श्री सभापति : धन्यवाद। संसदीय कार्य मन्त्रीजी आ गये हैं। अभी कोई सूचना आयी है जिसको आप गृह मन्त्रीजी को पहुंचा दें।

श्री महावीरजी भगोरा।

श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नगर पालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1994 को तीन माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए। यह जो संशोधन विधेयक, 1994 प्रस्तुत किया गया है इसमें संशोधन के लिए आग्रह कर रहा हूं, जनमत के लिए। मैं दो मुख्य बिन्दु आपके सामने रखना चाहता हूं। जैसा माननीय श्री रमाकान्तजी ने कहा कि राजस्थान म्यूनिसिपैलिटीज, 1959 के जितने क्लाजेज हैं उन पर गहनता से अध्ययन करके उसमें संशोधन की आवश्यकता है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं मैंने क्लाज 170 है उसमें प्रावधान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति या संस्था अपना नक्शा पास करवाने के लिए ले जाए म्यूनिसिपैलिटी में तो उस नक्शे पर सब-क्लाज 6 में एतराज करके लौटाने का प्रावधान है और अस्वीकृत करने का प्रावधान नहीं है। इस क्लाज में संशोधन किया जाना चाहिए कि अगर म्यूनिसिपैलिटी इसको अस्वीकृत करना चाहे तो स्पष्ट अंकन करके उसको अस्वीकृत कर दे। एक्ट में यह प्रोविजन है कि नक्शा अगर डेढ़ माह के अन्दर म्यूनिसिपैलिटी ने एतराज या पास करके नहीं लौटाया तो वह स्वतः ही पास माना जाएगा। इस तरह का जो प्रोविजन है, डेढ़ महीने की जो अवधि है, कई बार नक्शे बाबुओं की गलती से या आफिसर्स की गलती है उनकी टेबल पर पड़े रहते हैं और वह स्वतः ही डेढ़ महीने में पास हो जाते हैं। एक टेम्प्रेरी इंजेक्शन लेकर, एतराज करके लौटाने की जो योजना है उसको छोड़कर आदमी पास करा लेते हैं।

इसी तरह से कोई ऐसे काम्प्लीकेशंस या लिटिगेशन के मामले फस जाए तो उसके निपटारे के लिए इस एक्ट में यह प्रोविजन नहीं है। मेरा यह निवेदन है कि इसके लिए किसी ट्रिब्यूनल का गठन किया जाना चाहिए। लिटिगेशन में फंसने के बाद मूल योजना जो होती है वह लम्बित हो जाती है और जो विकास नगर पालिकाएं करना चाहती हैं वह नहीं कर पाती हैं। इसी तरह से उन क्षेत्रों में जहां नगर परिषदें हैं और यू. आई. टी. हैं उसमें दोहरी व्यवस्थाएं हैं। तो इस एक्ट में भी ऐसा प्रोविजन किया जाना चाहिए। जैसे मैं उदयपुर का उदाहरण दे रहा हूं, अभी तक वहां यू.आई.टी. और नगर परिषद् की सीमाओं

(श्री महावीर भगोरा)

का ही अंकन नहीं है। इसी तरह से जो अन्य क्षेत्र नगर परिषद् में या यू. आई. टी. में लाये जा रहे हैं उनके विकास के बारे में कोई उत्तरदायित्व निर्धारित नहीं है कि कौन इस क्षेत्र का विकास करेगा और वहां की जनता अपनी मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित रह जाती है। उस एक्ट की बात में कर रहा था सैक्शन 170 की। माउण्ट आबू में एक राज्य स्तरीय कमेटी बनी हुई है। वह नक्शा पास कराने के लिए राज्य स्तरीय कमेटी में आता है और जयपुर में उसका हैडक्वार्टर है, वहां लोग रहते हैं। तो उसको पास कराने के लिए डेढ़ महीने की जो अवधि है वह पार हो जाती है और लोग लिटिगेशन में जाकर टी. आई. प्राप्त करके अपना काम शुरू कर देते हैं और जो मूलभूत उस क्षेत्र के विकास की बात आती है, नगर परिषद् बिलकुल अपने अधिकार क्षेत्र से वंचित रह जाती है। तो इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए, यही मेरा निवेदन है।

श्री सभापति : विधेयक को प्रवर समिति को....

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : सभापति महोदय, मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगी कि मेरा नाम बोला ही नहीं। दूसरा नम्बर मेरा था।

श्री सभापति : बोलिये आप।

श्रीमती उजला अरोड़ा : पता नहीं चूक गया होगा।

श्री सभापति : हां, हां, बोलिये। श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सभापति महोदय, रमाकान्त जी के बाद सनाढ्य साहब जो चौथे नम्बर थे वह दूसरे नम्बर पर आ गये।

श्री सभापति : आप बोलिये।

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : सभापति महोदय, इतनी बड़ी हस्ती को भूल जाते हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सभापति महोदय, यह जो नगरपालिका संशोधन विधेयक लाया गया है इसे पहले सत्र में भी लाया गया है। मैं दुर्भाग्य समझती हूं कि हमारी जयपुर नगर परिषद के 1972 के बाद से चुनाव नहीं हुए। हम जनतन्त्र में रहते हैं, हम तो चाहते हैं कि जल्दी चुनाव हों और फिर संशोधन जैसा चाहें वैसा कर दो उसको हम देख लेंगे।

श्री सभापति : जनमत को जाएगा तब तो चुनाव जल्दी नहीं हो पायेंगे।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं निवेदन करना चाहूंगी कि जनमत जानने के लिए तो यों कहना चाहती हूं कि इसमें कई कमियां रह गयी हैं और इसलिए मैं चाहती हूं कि जनता से पूछ कर फिर इसको लाया जाए। मैं तो इसलिए उत्सुक हूं कि एक बार यह चर्चा चली कि 18 वर्ष के मतदाताओं को हम मत देने का अधिकार दे रहे हैं। हमने 1977 से 80 के सत्र के बीच में सूचियां बनवायी, अचानक हमारी सरकार चली गयी और आज इधर बैठे हैं वह बिल लाये कि नहीं 18 साल का नहीं करेंगे हम तो इसे 21 साल का करेंगे। फिर दिल्ली में एक महापुरुष हैं उन्होंने

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

कहा कि नहीं-नहीं, 18 साल का ही मत देगा। ऐसी खींचातान चल रही है लगातार और कभी किसी कारण से, कभी किसी कारण से चुनाव टलते जा रहे हैं। नगर पालिका के चुनाव हुए लेकिन नगर परिषद् जयपुर थी और अब तो निगम बन गया। अब तो पता नहीं कि निगम का क्या होगा, उसके चुनाव कैसे हों, पता नहीं कुछ। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि जो अनुसूचित जाति के वार्ड बनने हैं, अनुसूचित जनजाति के वार्ड बनने हैं और महिलाओं के वार्ड बनने हैं उसमें क्या आपत्ति है? कहीं महिलाएं नहीं आ जाएं, महिलाएं चुनाव नहीं लड़ लें, केवल इसलिए ऐसा किया जा रहा है और षड्यन्त्र किया जा रहा है, लगातार कि इसको और टाला जाए। समझ में नहीं आता कि आफत क्या है। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि जनतन्त्र है, इसमें जनता से पूछ कर कुछ काम करने चाहिए।

श्री सभापति : बात आ गयी आपकी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : बात और आ रही हैं दो-चार। मेरे इलाके में जयपुर से लगी हुई एक पंचायत है। उन्होंने कभी नहीं चाहा जयसिंहपुरा खोर वालों ने कि हम नगर निगम या नगर परिषद् में आयें। बिना पूछे ही मेज पर बैठकर उनको शामिल कर लिया और उनके लिए कोई काम नहीं। जो हमारी पंचायत के माध्यम से काम होने वाले थे वह ठप्प हो गये। मैंने नगर निगम जाकर बातचीत की, कि वहां पर एक स्कूल तय हुई थी और उसके लिए 1 लाख और कुछ रुपया मंजूर हुआ था तो वह तो उन्होंने बनाई नहीं, अब आप बनाओ। उन्होंने कहा कि हमारे अधिकार क्षेत्र में ही नहीं है, हम तो स्कूल बनाते ही नहीं हैं। तो जब स्कूल नहीं बनाते हैं तो किस लिए इन्होंने जयसिंहपुरा खोर को शामिल किया? किस से पूछ कर किया? वहां न लाइट का प्रबन्ध है, न नालियों के लिए पैसा स्वीकृत हुआ। जयपुर में ही कुछ नहीं होता। मेरा तो सरकार से निवेदन यह है कि जो पंचायतें आपने नगर परिषदों में शामिल करने का विचार किया है इस विचार को आप छोड़ दीजिये और आप तो उन्हें पंचायतें ही रहने दीजिये जिससे कुछ तो काम हो। कुछ उनके अधिकार होंगे, कुछ उनके प्रतिनिधि भी होंगे। जयसिंहपुरा खोर का वार्ड है उस वार्ड का जो सीमांकन दर्शाया गया है तो कहां है जयसिंहपुरा खोर, जमवा रामगढ़ रोड पर और वह गंगापोल चौकड़ी तक आ गया है। मैं नहीं समझ पाती कि किस संस्कृति से और किस विचार से इस प्रकार से किया गया है।

माननीय सभापति महोदय, ट्रीटमेंट प्लांट जयपुर में है और...

श्री सभापति : माननीय सदस्या, बिल के सम्बन्ध में ही चर्चा करें। म्यूनिसिपैलिटीज के कार्यकलापों की बात नहीं करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप मेरी बात सुनिये।

श्री सभापति : मैं आपकी बात सुन रहा हूं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं किन कारणों से जनमत के लिए बात करना चाहती हूं तो आप मेरी बात तो सुनिये।

(152)

श्री सभापति : माननीय सदस्या, मेरी एक बात सुनें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं निवेदन करना चाहूंगी कि जयपुर ग्रामीण में ट्रीटमेंट प्लांट डेढ़ करोड़ की लागत से 16 जनवरी को लगा।

श्री सभापति : कुछ रीजन्स दीजिये, म्यूनिसिपैलिटी को चर्चित मत कीजिये यहां पर।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सभापति महोदय, आप ही मुझे टोकेंगे तो क्या होगा। आप मुझे बोलने दीजिये। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि एक ट्रीटमेंट प्लांट वहां पर है और जलमहल सड़ रहा है और आगे चले जाएं तो पशु हटवाड़ा खोल दिया। उसके आगे एक फैक्ट्री तय कर ली कि मांस बनाने के डिब्बे वहां बनाये जायेंगे, मांस काट करके उसमें भरा जाएगा। यह सरकार का काम है? यही नहीं, जलमहल के पास से जाइये, मरे हुए मवेशी वहां डालने लगे हैं। मैं नहीं समझती कि प्रशासक के कार्यकाल में कोई काम हुआ है। मैं चाहती हूं कि जनतन्त्र हो, मैं चाहती हूं कि चुने हुए प्रतिनिधि आयें, ठीक से वार्डों का सीमांकन हो, ठीक प्रकार से कुछ कार्य हों। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि जयपुर शहर कितनी लगन से और कितनी योजना से बनाया गया कि विश्व में विख्यात पिंकसिटी है उसका रंग बिगड़ गया।

श्री सभापति : यह चर्चा का विषय नहीं है, माननीय सदस्या।

श्रीमती उजला अरोड़ा : हम निवेदन करते हैं तो उस पर कोई सुनवाई नहीं होती। यह अच्छा नहीं है। मान्यवर, यहां पर चुनी हुई परिषदें तो हों। यह मैं कहना चाहूंगी कि चुनी हुई नगरपालिकाएं हों लेकिन 74वां संशोधन लाये हैं और मुझे लगता है आने वाले समय में....

श्री सभापति : यह 74वा संशोधन नहीं है। 74वें संविधान संशोधन के अन्तर्गत यह बिल है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : हां, मुझे मालूम है। मैं निवेदन करना चाहती हूं कि इसी परिप्रेक्ष्य में जो कार्य अकार्य हो रहे हैं इन सबको देखते हुए मैं प्रस्ताव करती हूं कि राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1994 को एक माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए।

श्री विष्णु मोदी : मेरा अमेंडमेंट है।

श्री सभापति : नहीं, आपका अमेंडमेंट नहीं है।

श्री विष्णु मोदी : कैसे नहीं है?

श्री सभापति : नहीं है।

श्री विष्णु मोदी : यह रहा, इसके नीचे है।

श्री सभापति : आपका खण्डश: विचार में है। अभी तो जनमत जानने के लिए परिचालित करने पर है। अभी प्रवर समिति का आएगा, उसके बाद जब खण्डश: विचार होगा तब उसमें आपका है। अब आपको पुकारेंगे, इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं, माननीय सदस्य?

श्री विष्णु मोदी : प्रवर समिति को सौंपने में भी है।

श्री सभापति : हां, उस पर आ जाएगा। आप थोड़ा बिराजो।

श्री लक्ष्मण सिंह (अनुपस्थित)। श्री भीमसेन चौधरी (अनुपस्थित)। श्री माधव सिंह दीवान (अनुपस्थित)। श्री शैलेन्द्र जोशी, विधेयक को प्रवर समिति को सुपुर्द करने के सम्बन्ध में।

विधेयक को प्रवर समिति को सुपुर्द करने का संशोधन प्रस्ताव

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : माननीय सभापति महोदय, यह जो राजस्थान नगर पालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1994 प्रस्तावित किया गया है इसमें जगह-जगह पर यह उद्धृत किया गया है कि बाद में राज-पत्र में प्रकाशित करवाया जाएगा। राज-पत्र में इसमें क्या रूल्स फालो किये जायेंगे इसका कोई विश्लेषण नहीं है जिससे राज्य सरकार की स्वेच्छाचारिता आच्छादित होगी और वह मनमाना संशोधन रूल्स के द्वारा पूरा हो जाएगा। जब कि संशोधन का मतलब होता है कि कोई भी चीज संशोधित होने के बाद किस तरह व्यवहार में आएगी, किस तरह पढ़ी जाएगी और किस तरह अमल में लायी जाएगी। अमेंडमेंट लाने की दशा में कुल उसका मूल स्वरूप क्या होगा वह अमेंडेड बिल में होना चाहिए जो कि इसमें नहीं है।

इसी तरह मैं निवेदन करूं 1959 के राजस्थान अधिनियम 38 की धारा 72 का संशोधन, इसमें यह प्रस्तावित किया गया है कि इस धारा के अधीन प्रस्ताव का कोई भी नोटिस किसी अध्यक्ष या किसी उपाध्यक्ष के पद ग्रहण के दो वर्ष के भीतर नहीं लाया जाएगा। ऐसी स्थिति में कोई भी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष दो साल तक पदासीन होंगे भले ही उनको बहुमत चाहे या नहीं चाहे। यह जो अवधि बढ़ायी गयी है यह जन भावनाओं के विरुद्ध होगा। इस दो साल की अवधि में घटोतरी होनी चाहिए और यह ज्यादा से ज्यादा छह महीने तक की रखी जानी चाहिए।

इसके अलावा इसमें पिछड़े वर्ग, महिलाओं और अनुसूचित जाति – जनजाति के लिए चक्रानुक्रम की बात कही गयी है, लेकिन पूरे संशोधित बिल में यह नहीं बताया गया है कि यह चक्रानुक्रम हिन्दी वर्णमाला के हिसाब से होगा या अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से होगा। यह सरकार की स्वेच्छाचारिता पर निर्भर रहेगा कि इसकी वर्णमाला कैसे लें। वर्णमाला पर ही बहुत डिपेण्ड करेगा। फिर आने वाले स्वरूप में अगली बार जो चुनाव होंगे उसमें रोटेशन किस तरीके से होगा? महिलाओं के लिए बदलते हुए वार्ड में एक-दो-तीन नम्बर वार्ड से होगा या ज्यादा जनसंख्या के आधार पर लिया जाएगा, इसका कोई खुलासा इस एक्ट में नहीं है कि अमुक नगर पालिका में आज से कोई विधायक यह सोच ले कि इस बिल के आने के बाद इसकी यह मंशा जगजाहिर होती है।

श्री सभापति : आपस में बातचीत न करें।

श्री शैलेन्द्र जोशी : इस एक्ट को पढ़ने के बाद कोई विधायक यह नहीं कह सकता कि उसकी नगरपालिका में अमुक वार्ड महिला वार्ड होगा, अमुक वार्ड अनुसूचित जाति के लिए होगा, बैकवर्ड के लिए होगा या जनजाति के लिए होगा। एक्ट के

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

अकार्डिंगली रूल्स में क्या भावना रखी जाएगी, क्या मेजरमेंट रखा जाएगा उनका विवेचन ब्राड स्पैक्ट्रम पर नहीं किया गया है। जब तक ब्राड स्पैक्ट्रम पर उनका विवेचन नहीं किया जाएगा एक्ट के अकार्डिंगली, मैं समझता हूं कि वह दुर्दिन दूर नहीं जब राजस्थान की जनता हम से सवाल करेगी कि इस तरीके का प्रस्ताव आने से पहले क्यों नहीं जनता को अपनी भावना जानने के लिए समय दिया गया और जन मानस को क्यों नहीं टटोला गया।

इसके अतिरिक्त जैसा कि पूर्व सदस्य ने कहा, ऐसे सदस्य की नियुक्ति सरकार की अनुमति पर की जाएगी और जो चीफ एक्जीक्यूटिव है वह भी सैक्रेटरी के द्वारा होगा। इसके अलावा वार्ड कमेटी में भी जो मैम्बर होंगे वे नामिनेटेड होंगे। मैं कहता हूं कि यह नामिनेशन की परम्परा जो है, यह सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं होना चाहिए। इसमें सरकार की मोनोपोली नहीं रहनी चाहिए, सरकार का कोई भी समावेश, शक्ति नहीं रहनी चाहिए। नगर पालिका के कांस्टीट्यूशन में वार्ड में किसी को नियुक्त करने की बात है, जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, स्थानीय लोग हैं उन्हीं को कारपोरेट मैम्बर के रूप में लेने की शक्ति होनी चाहिए, न कि सरकार में यह शक्ति वेस्ट रहनी चाहिए।

श्री भंवरलाल शर्मा : संविधान में अमेंडमेंट है यह तो।

श्री शैलेन्द्र जोशी : इसकी मूल भावना जो हमारे भूतपूर्व प्रधान मन्त्री ने दी थी वह यह दी थी कि सीधी सत्ता की सम्प्रभुता नगरपालिका में वेस्ट करे न कि राज्य सरकार की मेहरबानी पर रहे। उनको आर्थिक स्वायत्तता हो और वास्तव में ही ऐसा लगे कि वहां का लोकल प्रशासन, लोकल गवर्नमेंट ही चला रही है यानी म्यूनिसिपैलिटी चला रही है; न कि हर छोटे छोटे आर्थिक स्वावलम्बन की अनुमति के लिए मन्त्री महोदय के पास या लोकल बाडीज के डायरेक्टर के पास रोजाना आ रहे हैं; प्रस्ताव कर रहे हैं और अगर एक भी कर्मचारी की नियुक्ति है तो उसके लिए बार-बार आपके मुखापेक्षी हो रहे हैं। ऐसी भावना नहीं है।

श्री सभापति : 30 माननीय सदस्य बोलने वाले हैं प्रवर समिति के लिए इस लिए समय सीमा 5–5 मिनट में समाप्त करें तो ठीक है।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : सीधे ही समिति को भिजवा दो न, समय बच जाएगा।

श्री सभापति : सुझाव आने दीजिये।

श्री शैलेन्द्र जोशी : मैं तो मेरी बात एक मिनट में खतम करता हूं। इसमें लिखा है कि गजट नोटिफिकेशन के द्वारा किया जाएगा....

श्री सभापति : प्रतिपक्ष के नेता कुछ कह रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष): जयपुर ग्रामीण से आने वाली माननीय सदस्या के बाद छह मैम्बर गैरहाजिर थे। तीन तो थे बुलेटिन नम्बर एक में, उसके बाद दूसरी लिस्ट में he is at serial number 4. इस रफ्तार में जो आपका जम्प हो रहा है तो इसमें तो अभी हो जाएगा।

श्री शैलेन्द्र जोशी : सभापति महोदय, इलेक्शन डिस्प्यूट के बारे में यह कहा गया है कि कोई भी कोर्ट काम्पीटेंट नहीं होगा, चुनाव के दौरान किसी भी तरह का स्टे नहीं लाया जा सकेगा। यह बात तो ठीक है कि एक इलेक्टोरेल प्रोसेस शुरू हो जाता है, इलेक्टोरल कालेज कांस्टीट्यूट हो जाता है तो उसके बाद किसी तरह का कोई स्टे चुनाव की प्रक्रिया को रोकता है। लेकिन इसके साथ यह भी न्यायोचित है कि इलेक्शन के लिए कोई ट्रिब्यूनल कांस्टीट्यूट करने के लिए इसमें व्यवस्था की जानी चाहिए थी। ऐसे निष्पक्ष लोगों का ट्रिब्यूनल बनाये जाने का प्रस्ताव लाया जाता जिससे कि किसी तरह का सन्देह नहीं होता। आज की तारीख में जो प्रारूप है इस बिल का, उसके अनुसार समूचा निर्णय प्रशासक और राज्य सरकार के अधिकारी पर निर्भर है जिससे कि उतनी निष्पक्षता और न्याय की आशा की बात आज की तारीख में नहीं सोची जा सकती जो एक जुडिशियल ट्रिब्यूनल कांस्टीट्यूट करने से होती। नगरपालिका के चुनावों में होने वाले विवाद कोर्ट में नहीं जाने का जो प्रावधान है उसमें मेरा यह संशोधन है कि इस तरह का ट्रिब्यूनल बनाया जाए और उसमें जुडिशियल अफसर को लिया जाए ताकि जो बुराई आने वाली है वह नहीं हो।

मेरा अन्त में यह कहना है कि इस तरीके का बिल इतनी जल्दी आनन-फानन में हमें नहीं पारित करना चाहिए बल्कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द करना चाहिए। भावनाओं का भी हमें ध्यान रखना चाहिए क्योंकि आने वाली पीढ़ी हमसे जवाब मांगेगी कि इसकी महत्ता को हमने समय रहते क्यों नहीं आंका।

श्री सभापति : श्री रामनारायण मीणा (अनुपस्थित)। श्री रामस्वरूप (अनुपस्थित) श्री रामचन्द्र रावत (अनुपस्थित)। श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (अनुपस्थित)। श्री किशन मोटवानी।

श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम): माननीय सभापति महोदय, मैं संक्षेप में इस विधेयक के सन्दर्भ में निवेदन करूंगा। हमारा प्रस्ताव है कि यह प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाए ताकि इस पर गहन विचार, गहन अध्ययन हो सके। एक कांस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट के नाते इस अमेंडमेंट बिल को जो यहां लाया गया है यह उसके अनुरूप कतई नहीं है। आज आपके सामने उजला अरोड़ा जी + + + रही थीं, चुनाव नहीं हुआ है वहां की स्थिति क्या है। पर मैं तो उसके विपरीत बोलना चाहता हूं कि जहां चुनाव हो चुका है उन नगर परिषदों का हाल क्या है। आखिर हमको इसी परिप्रेक्ष्य में बात करनी है, इसको कंसोलिडेट कैसे करना है, यह जो नगर-पालिकाएं हैं वह किस तरह से चलें, स्वशासी संस्था बन करके कैसे चलें इस सारे विकल्प पर सोचें इसमें आवश्यक है जो इस विधेयक में नहीं मिल रही है। वही का वही ढर्रा है, जो पूर्व का बिल है उसी तरह से इस विधेयक को लाया गया है। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस पर अध्ययन होना चाहिये अन्यथा अजमेर की नगरपालिका पुनः सारे राजस्थान में बिराजमान हो जाएगी। उसकी स्थिति मैं न बताऊं तो अच्छा है। भंवरलालजी स्वयं

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री किशन मोटवानी)

जानते हैं कि किस तरह की अजमेर नगरपालिका की स्थिति चल रही है, उसकी वित्तीय स्थिति क्या है। उसको एक हरिजन अगर रखना पड़ता है तो सरकार की ओर देखना पड़ता है और यह विडम्बना है कि सरकार का यह सोच नहीं कि क्यों करें। एक हरिजन के बढ़ावे की मांग कर रही है वहां जिस अनुपात से आज शहर बढ़ा है, हर शहर बढ़ा है। आज उनके पास रख-रखाव को ट्रक नहीं हैं। यहां तो डम्पर्स वगैरह सब लाद दिये, वहां डम्पर तक नहीं है, ट्रक तक नहीं है। तो कुल मिलाकर आज हम जिस विधेयक को चिन्ता का विषय बनाकर सोच रहे हैं कि नगरपालिकाएं ऐसी बनें जो एक उदाहरण पैदा करें, तो उस उदाहरण को पैदा करने के लिए हमको इस एक्ट का पुनः अध्ययन करने की आवश्यकता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि कोई वैकल्पिक बात करके इस पर अध्ययन कराइये।

इसमें बहुत सारे लेकूनाज हैं। बहुत सारी बातें तो आपने वापस गवर्नमेंट को देने का प्रयास किया है। तो मैं ज्यादा विशेष नहीं जाकर अपनी यही बात कहना चाहूंगा, भंवरलालजी, कि आप भी क्योंकि जयपुर के हैं, आप भी पीड़ित होंगे, अल्टीमेटली आपकी स्थिति चेंज हुई तो आप भी बहुत पीड़ित होंगे और पूर्व में जैसी स्थिति बहुत पीड़ाजनक तरीके से जयपुर की बात बताया करते थे, वह पीड़ाजनक स्थिति सारे राजस्थान की न हो इसलिए इस नगरपालिका एक्ट का आप और अध्ययन कराइये, प्रवर समिति को सुपुर्द कीजिये।

श्री सभापति : श्री रतनलाल ताम्बी।

श्री भंवरसिंह चौधरी (मेड़ता) : सभापति महोदय, एक मिनट लूंगा, व्यवस्था का प्रश्न है। मैंने कल भी निवेदन किया था कि मेरे पास इस विधान सभा की कोई डाक नहीं आती है। मैंने सामान्य शाखा में मेरा पता दिया है, सूचना कक्ष में जाकर लिखाया है। क्या आप यह उम्मीद करते हैं कि विधायक महोदय गली-गली में घूमकर डाक इकट्ठी करें। ऐसी व्यवस्था कीजिये।

श्री सभापति : अब अव्यवस्था नहीं होगी। माननीय श्री रतनलाल ताम्बी।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : माननीय सभापति महोदय, जहां तक इस नगर पालिका बिल का सवाल है, मैं समझता हूं, इसकी काफी लम्बे समय से, पिछले 3 वर्षों से प्रतीक्षा की जा रही थी। स्वर्गीय राजीव गांधी ने जिस भावना से पंचायती राज और नगर पालिका के माध्यम से समाज के कमजोर वर्ग महिलाओं, और अब बैकवर्ड क्लासेज की बात भी इसमें आ जाती है, इन सब के उत्थान की दृष्टि से संविधान में संशोधन किया, उस कारण आज हमें नया बिल लाने की आवश्यकता हुई है। लेकिन मैं समझता हूं उस भावना को समाविष्ट करके यह बिल नहीं लाया गया है। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे महत्वपूर्ण बिल में भी बहुत जल्दबाजी की गयी है और पूर्वाग्रह भी इसमें काफी लगते हैं। हर जगह हम विकेन्द्रीकरण की बात करते हैं और इसमें हर मामले में धाराओं में यह प्रावधान आप कर रहे हैं कि राज्य सरकार उसके बाद निर्णय करेगी। उसके बाद वहां से राज्य सरकार नोटिफिकेशन करेगी। तो इस प्रकार की बातों के बजाय उन धाराओं

(श्री रतनलाल ताम्बी)

में सभी बात स्पष्ट होनी चाहिये। इसके साथ-साथ जिला केन्द्र का विधायक वहां की नगर परिषद या जो भी बड़ी नगर-पालिका होगी उसका सदस्य होगा, एक प्रावधान यह किया है और उसके साथ-साथ जिले में कई नगरपालिकाएं होंगी वहां का विधान सभा सदस्य उस नगरपालिका से जुड़ा हुआ नहीं रहेगा। इस तरह की स्थिति में वहां की जन समस्याएं वहां के कई मसले हैं उनसे एक तरह से उसको दूर रखा जाएगा। यह भावना इसमें नहीं होनी चाहिये। मेरे ख्याल से जिस विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत नगरपालिका आती है, पंचायत राज और नगरपालिका में हम इसी भावना से उन सदस्यों को उसमें जोड़कर चलें ताकि वहां की गतिविधियों से, वहां के विकास के कार्यक्रमों से, वहां के निर्माण और दूसरी योजनाओं से बराबर सम्बन्ध रहे।

मैं इसके साथ-साथ यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि यह बिल कोई सामान्य बिल नहीं है और जैसा आपने देखा होगा कि राजस्थान में अनेक विधेयक और कानून कायदे बने हुए हैं वे एक-दूसरे से कहीं जुड़ जाते हैं, कहीं टकरा जाते हैं। कई प्रकार की अलग-अलग स्थितियां उन कानूनों की पहले से है। मैं चाहूंगा कि इस बिल को जल्दबाजी में स्वीकार नहीं करें, इसके बारे में विस्तृत चर्चा हो और अच्छा तो यह होता कि जनमत के लिए इसको परिचालित किया जाता, प्रवर समिति बनायी जाती जिसके माध्यम से सभी लोग, इसमें सत्तारूढ़ या विपक्ष ये बातें न होकर आम राजस्थान का जो शहरी जीवन है उससे सम्बन्धित सभी लोग जुड़े रहते, उन सब की भावनाओं को देखकर हम इस बिल का निर्माण करें तो ज्यादा उपादेयतापूर्ण यह बिल होगा। मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि इस बिल में कई संवैधानिक प्रावधान जो किये गये हैं वे लगभग समाविष्ट हैं, कुछ ऐसे हैं जिनको तोड़-मरोड़ करके किया गया है और कुछ ऐसे हैं जिनको शायद इसमें जोड़ने का प्रयास नहीं किया गया है और किया गया है तो इसको राज्य सरकार की मंशा पर आधारित कर दिया गया है।

श्री सभापति : उदाहरण के लिए।

श्री रतनलाल ताम्बी : उदाहरण की बात तो मैं नहीं कह पाऊंगा, मेरी इतनी तैयारी नहीं हो पायी, मैं गलत बात नहीं कहता। जैसे एक बात तो मैंने बता दी विधान सभा के सदस्यों वाली। तो उसमें आपने भेदभाव किया है। यह जरूरी है कि नोटिफिकेशन करके बार-बार आप सरकार से निकालेंगे, उसके बाद में लागू होगा। यह भावना न होकर बिलकुल लोकतान्त्रिक ढंग से इसमें व्यवस्था हो ताकि यह बिल वास्तव में जनता की भावना के अनुरूप बन सके। क्योंकि आज जो नगरपालिकाओं की हालत है, आय के स्रोत हैं, ऐसा लगता है कि हम नगर को नारकीय जीवन की ओर बढ़ा रहे हैं। आज से उनकी आय के स्रोत ठीक हो सकें, उनके संसाधन बढ़ सकें, और नगरपालिकाएं अच्छे ढंग से चल सकें इसलिए मैं स्वायत्त शासन मन्त्री महोदय से आपकी मार्फत अनुरोध करना चाहूंगा कि इस बिल को जनमत जानने के लिए परिचालित करें, प्रवर समिति बनाकर उसके माध्यम से इसकी विस्तृत चर्चा करायें और चर्चा कराने के बाद चाहे आप इसी सत्र में

(श्री रतनलाल ताम्बी)

लायें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और ला करके उस ढंग से करें यह आवश्यक है।

दूसरा, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वर्तमान व्यवस्था में नगरपालिका के चेयरमैन हों अथवा सदस्य हों इनके बारे में कई प्रकार के आरोप-प्रत्यारोप लगते हैं मगर उसके बावजूद महीनों तक, साल तक उन सब को देखा नहीं जाता है। इसके लिए भी एक स्वतन्त्र न्यायाधिकरण जैसी व्यवस्था हो ताकि इसका समय पर निपटारा हो और गलत भी कुछ हो रहा हो तो उसको न्याय मिल सके ताकि नगरपालिका प्रशासन सुचारु रूप से चल सके, यही मुझे अनुरोध करना है।

श्री सभापति : धन्यवाद। श्री सुन्दरलालजी। आप भी इस पर अपने विचार रखेंगे? बोलिये।

श्री सुन्दरलाल (सूरजगढ़) : माननीय सभापति महोदय, जो नगरपालिका का बिल है इस पर मैंने भी दस्तखत किये थे कि यह वापस भेजा जाए। इसके अलावा आपने इस बिल में एक जिले में सात एम. एल. ए. हैं तो उनकी भी दो जात कर दी। जो जिला हैडक्वार्टर पर जीतेगा वह तो वोट दे सकता है और दूसरी जगह से जीतेगा वह वोट नहीं देगा। मतलब हमारी भी दो जात क्यों बनाते हो? एम. एल. एज. की दो जात बना दी इस बिल में। वह मेम्बर नहीं हो सकता। तो ऐसा विधान क्यों बना रहे हो। ये 200 आदमी हैं इनको तो एक लाइन में रखो, इनको दो जगह क्यों ले जा रहे हो। इसलिए एक ही भावना रखो अगर छोटी नगरपालिका का भी एम. एल. ए. है तो उसको भी वोट देने का अधिकार दो, अगर जिले का है तो उसको भी अधिकार दो, समान अधिकार रखो। और मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, उधर भी बुद्धिजीवी हैं और इधर भी, बैठकर के एक कमेटी बना दो जो 10–15 दिन में फैसला कर दे और उस फैसले को मान्य कर लो। कहीं अमेरिका में ले जा रहे हो क्या? अमेरिका में मत ले जाओ, राजस्थान में ही रहने दो। राजस्थान की बात तय करके राजस्थान की समस्या है वह राजस्थान में ही निमेटो राजस्थान के हिसाब से। अब अमेरिका चार दिन में बनाओगे तो बनेगा नहीं, यह राजस्थान ही रहेगा। इस राजस्थान में नगरपालिका की आपको बताऊं, झाड़ू लगाने वालों को तनख्वाह नहीं मिलती, 6 महीने में मिलेगी। 6 महीने तक रोते फिरते हैं, मेरी छोरी को ब्याव मंडगो, मने तनख्वाह ही कोनी मिली। तो इसमें ऐसी व्यवस्था करो, जो भी नौकरी करता है उसको महीने के पहले दिन तनख्वाह मिले।

इसके अलावा आपने यह कहा है कि दो साल तक जो चेयरमैन बनेगा वह नहीं हटेगा। इसको एक साल करो। उसके बाद भले ही अगला टर्न 2 साल का कर दो। पर एक साल तक उसको डराकर तो रखो कि अगर सही काम नहीं करेगा तो एक साल बाद आपको हटा देंगे। आपने तो सीधे ही धक्का मारा कि 2 साल से पहले नहीं हटेगा। एक छलांग और लगा दी कि 5 साल पहले नहीं हटेगा चाहे कितना नुकसान कर दें। भेड़ को कुत्ता तो दिखाओ ताकि डरता तो रहे कि खा जाएगा। इसलिए उसको यह तो कहो कि अगर एक साल सही काम नहीं करेंगे

(श्री सुन्दरलाल)

तो आपको हटाया जा सकता है। हमें तो इस बात का पता ही नहीं है कि चुनाव करवायेंगे या नहीं यों यों ही खर्चा कर रहे हैं। इस बात का ही पता नहीं है। हमसे गांव में जिक्र किया कि पंचायतों के चुनाव होंगे। मैं आपको ईमानदारी से कहता हूं कि मैं गांव का आदमी हूं, वहां मेरे से कहा कि इन "राम सेवक +++ से गैल छुटाओ"। मैंने कहा कि मेरे बस का काम तो है नहीं छुटवाना। इसलिए इस बिल में भी आप संशोधन करवा कर दोनों ओर के 5-7 सदस्यों की कमेटी बनाकर, दोनों ओर के पढ़े-लिखे अच्छे आदमी हैं इस बिल को प्रवर समिति को भेज दिया जाए उसके सुझाव लिये जाएं और सुझाव लेकर दुबारा लाया जाए।

श्री सभापति : धन्यवाद। श्री हरिसिंह जी कुम्हेर।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : सभापति महोदय, प्रवर समिति को सुपुर्द किये जाने हेतु जो प्रस्ताव रखा गया है वह इसलिए रखा गया है कि इसमें मुझे 3-4 प्रकार के एतराज हैं। एक तो यह है कि यह बिल हेस्टिली ड्राफ्ट किया गया है। दूसरा यह है कि यह बिल अगर एज इट इज पास हो जाए, एक्ट बन जाए तो मौजूदा संविधान के प्रावधानों के विपरीत होगा और यह हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जाकर स्ट्रक डाउन हो जाएगा, इसके अन्दर चुनाव नहीं हो सकेंगे। तीसरा मेरा यह है कि जो संविधान का 74वां संशोधन है उसके प्रोविजन्स का यह पालन नहीं कर रहा है, पूर्ण रूपेण पालन नहीं कर रहा है इसलिए दुबारा फिर सरकार को लाना पड़ेगा, क्यों कि यह तो मेंडेटरी प्रोविजन्स हैं वह तो आपको करने पड़ेंगे। चौथा यह है कि इनमें बहुत से ऐसे प्रोविजन्स रखे गये हैं जो जनहित में नहीं हैं। यह चार एतराजात मैं बहुत संक्षेप में आपके सामने पेश करना चाहता हूं।

श्रीमन्, पहला तो जैसा मैंने आपको बताया कि मौजूदा संविधान के प्रावधानों के खिलाफ है उसका एक उदाहरण मैं आप को देना चाहता हूं। इसमें यह लिखा हुआ है सैक्शन 7 में, जहां संविधान में यह कहा गया है एम.एल.एज. और एम.पीज. के लिए कि उनको क्षेत्र की नगरपालिका में बैठने का, वोट आन राइट देने का प्रावधान सरकार करेगी, उसके सम्बन्ध में आप यह लिखते हैं कि -

"A member of the House of the people or of the Rajasthan Legislative Assembly representing a constituency which comprises wholly or partly the area of a munisipality known by reference to the name of the place of a district headquarters-"

डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर के जो एम.पी. और एम.एल.ए. होंगे वह मैम्बर हो सकेंगे। अब, श्रीमन्, आप यह देखिये कि हमारे संविधान का आर्टिकल 14वां है, वह आर्टिकल 14 यह कहता है -

+++ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री हरिसिंह)

"The State shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India."

समानता के आधार पर कोई कानून बनाना लाजिमी होगा और एक से व्यक्तियों के बीच में असमानता का कानून हम बना नहीं सकेंगे। आप यहां क्या पैदा कर रहे हैं ? मैं कुम्हेर का एम.एल.ए. हूं, मैं तो म्यूनिसिपैलिटी कुम्हेर के अन्दर वोट नहीं दे सकता हूं और मेरे दूसरे भाई जो भरतपुर से चुन कर आये हैं, शर्मा साहब, वह वहां की म्यूनिसिपैलिटी के मैम्बर बन सकेंगे और वोट दे सकेंगे।

श्री सभापति : इसके पीछे कारण क्या नजर आता है आपको ?

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : कारण राजनैतिक सीधा-सा है, मैंने पहले ही कहा ना कि बहुत ही इस प्रकार से ड्राफ्ट किया गया है ...

श्री जुबेर खान : राजनैतिक बेईमानी है।

श्री विष्णु मोदी : सभापति महोदय, इसके पीछे मूल उद्देश्य यह है कि गांवों में भारतीय जनता पार्टी हारती है और शहरों में जीतती है। इसके पीछे मूल भावना यह है।

श्री सभापति : तो म्यूनिसिपैलिटीज तो शहरों में ही तो हैं सब। (व्यवधान).... आप बोलिये।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : आपने इस तरह से इसको बचाना चाहा है कि डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर की म्यूनिसिपैलिटी है इसलिए हम देना चाहते हैं। यह बात नहीं चलेगी। श्रीमन्, इसके ऊपर लिखा हुआ है, Equal protection means the right to equal treatment.

श्री सभापति : हरिसिंह जी, अगर इसमें यह लिखा हुआ होता कि कारपोरेशन और कौंसिल उनमें आने वाले तो मैम्बर होंगे और म्यूनिसिपैलिटीज वाले नहीं होंगे तो भी यह डिस्क्रिमिनेशन होगा क्या ?

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : वह दूसरी बात है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह क्यों प्रवर समिति को सौंपना चाहता हूं। इन सब बातों पर विचार हो। आपका ख्याल ठीक है, इन सब बातों पर विचार करने के लिए प्रवर समिति में जाना चाहिए, Equal protection means a right to equal treatment.

श्री परसराम मदेरणा : It should not be discriminatory.

श्री सभापति : इसलिए मैं यह निवेदन कर रहा था....

श्री परसराम मदेरणा : सैपरेट कैटेगरी नहीं बनी है इसमें।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : सैपरेट कैटेगरी नहीं है, कोई म्यूनिसिपैलिटी जो कि डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर के नाम की है....

श्री सभापति : डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर सब जगह म्यूनिसिपल कौंसिल हैं।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : अब यह पता नहीं है कि म्यूनिसिपल कौंसिल होगी या नहीं होगी। एक नयी चीज बनाने जा रहे हैं....

(16.45)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री परसराम मदेरणा : सिरोही में है, नागौर में है ? आपका गृह जिला रहा है पूर्व में, वहां पर कहां है कौंसिल ? धौलपुर में है ? धौलपुर में ही म्यूनिसिपैलिटी और कौंसिल की बात चल रही थी, एवरी डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर कौंसिल है वह कौंसिल हरेक डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। जालौर में नहीं है, बून्दी में नहीं है, झुन्झुनू में नहीं है।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घण्टे के लिए बढ़ाया जाए।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की इच्छा है कि एक घण्टे के लिए सदन का समय बढ़ाया जाए ?

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घण्टे के लिए बढ़ाया गया।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, समय बढ़ा रहे हैं लेकिन बात यह है कि बहुत इम्पार्टेंट बिल है और इस पर गवर्नमेंट चीफ व्हिप जो हैं रश थ्रू करवाना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : नहीं, देखिये, मैं आपको इस बारे में स्थिति स्पष्ट कर दूं।

श्री परसराम मदेरणा : बहुत मैम्बर बोलने वाले हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय, मैं आपको स्थिति स्पष्ट कर दूं कि आज आप एक घण्टे में इस पर अपने विचार जितने भी हैं वह रख दीजिये। सलेक्ट कमेटी के प्रस्ताव पर आप लोग बोल रहे हैं उसके बाद में कल सुबह आप भी अपने तय कर लीजिये और कुछ लोग यह भी तय कर लेंगे और बैठ कर के थोड़ा सा तो मामला है ट्रेस आउट कर लीजिये और कल जब डिस्कशन हो उसके पहले-पहले बैठ कर डिसीजन कर लीजिये और उसमें जो निकलता है उसके हिसाब से आगे कार्यवाही कर लेंगे।

श्री परसराम मदेरणा : इसमें तो क्या निकलेगा, अध्यक्ष महोदय ?

श्री अध्यक्ष : यह निकलेगा कि यदि आप एग्री हो जाते हैं तो उसी हिसाब से पास कर लेंगे और किसी पाइंट पर आप डिसएग्री होते हैं तो उस तरह से कार्यवाही करा लेंगे। लेकिन आप एक बार डिस्कस तो कर लें आपस में। जैसे मैं बताता हूं कि यह कौंसिल वाला मामला है ...

श्री परसराम मदेरणा : आस्टेंसिबली और सीमिंगली तो....

श्री अध्यक्ष : वह सारा डिस्कस कर लीजिये।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, यह छोटासा बिल दिख रहा है ?

श्री अध्यक्ष : यदि आपको उसमें लगा कि ...

श्री परसराम मदेरणा : प्रभारी मन्त्रीजी....

श्री अध्यक्ष : डिस्कशन में आपको लगा कि टाइम और चाहिये, देंगे । यानि आप फुल डिस्कशन करिये । मैं आपको यह नहीं कह रहा हूं कि दो घण्टे में करके उठ जाइये । आप जितने भी प्रोविजन्स हैं उन पर डिस्कशन कर लीजिये और आपको लगे कि भाई अब डिस्कशन कम्प्लीट हो गया तो आगे ले लेंगे और आपको लगे कि फर्दर डिस्कशन करना है तो गो आन ।

एक माननीय सदस्य : एक कमेटी बना दें, साहब ।

श्री अध्यक्ष : वह एक ही बात है ।

विधेयक को प्रवर समिति को सुपुर्द करने का संशोधन प्रस्ताव

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि यह जो बिल है – On the ground of denying equality before the law, यह स्ट्रक डाउन हो जाएगा और इसी सिलसिले में आपको निवेदन करना चाह रहा था कि आर्टिकल 14 के अन्दर – Equal protection means the right to equal treatment in similar circumstances. In other words there should be no discrimination between one person and another. As regards the subject matter of legislation their position is the same. तो यहां पोजिशन हमारे एम.एल.एज. की एकसी है और एम.एल.एज. की एकसी पोजिशन में भी आप डिफरेंसियेट करना चाहते हैं यह कोई डिफरेंस नहीं है कि मैं कुम्हेर से आया हूं, आप भरतपुर से आये हैं, देयर इज नो डिफरेंस । मैं कुम्हेर से आया हूं इसलिए मुझे म्युनिसिपैलिटी में राइट नहीं होगा और दूसरा आदमी भरतपुर से आया है तो उनको राइट होगा । इसलिए आन दी ग्राउण्ड आफ नान इक्वेलिटी यह बिल जो आपका है, स्ट्रक डाउन हो जाएगा । यह एक बहुत बड़ी कमी है ।

श्रीमन्, दूसरा मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अपना जो संविधान संशोधन आया है उसमें सिर्फ यह लिखा है, इसी प्रोविजन के सम्बन्ध में 243 आर 2(11):

"The Members of the House of the People and the Members of the Legislative Assembly of a State representing constituencies which compromise wholly or partly the municipal area...."

यानि जितने भी एम.एल.एज. हैं, जो पार्टली और होलली म्युनिसिपल एरिया को कान्स्टीट्यूएंसी है उसको रिप्रजेंटेशन देने के लिए म्युनिसिपैलिटीज में आप क्या कर रहे हैं ? आपने कुछ नहीं किया । आपने 4 लाइन बढ़ा कर डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर्स के जो एम.एल.एज. है उनको तो रिप्रजेंटेशन दे दिया और जो एम. एल. एज. रह गये हैं उनके बारे में आपने क्या लिखा है ? मतलब यह है कि जो 74वां संविधान संशोधन है

(श्री हरिसिंह)

उसके इस प्रोविजन पर आप लौं नहीं ला रहे हैं।

इस सम्बन्ध में मैं एक प्रोविजन दे रहा हूं, श्रीमन्। इसी संविधान संशोधन के 243 (टी) का (4) में लिखा है –

"Office of Chair-persons in the municipalities shall be reserved for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and women in such manner as the Legislature of a State may, by law, provide."

यानि म्यूनिसिपैलिटीज के चेयर पर्सन होंगे उनमें शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स और वूमेन को किस प्रकार से रिप्रजेंटेशन मिले इसके ऊपर लेजिस्लेचर कोई कानून बनायेगी। यह काम आपने इसमें नहीं किया है। आप क्या कहते हैं इसके अन्दर, यह जो आप बिल लाये हैं इसमें आपने कानून नहीं बनाया है। आप इसको पढ़ें :

"The following sub section shall be inserted, namely, such number of the offices of chairpersons of Municipality shall be reserved for the Scheduled Caste, Scheduled Tribe, Backward classes and women as may be fixed by the State Government from time to time by notifications in the official gazette."

संविधान संशोधन आपसे अपेक्षा कर रहा है कि आप लेजिस्लेचर के अन्दर कानून बनायेंगे कि कितने चेयर पर्सन शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब के होंगे या वूमेन होंगी। वह आपसे यह उम्मीद नहीं कर रहा, वह आपको यह इजाजत नहीं दे रहा कि आप उस काम के लिए स्टेट गवर्नमेंट को पावर डेलिगेट कर दीजिये और State Government by order notified in a gazette. यह तय कर देगी। यह संविधान संशोधन की जो अपेक्षा है आपसे, तो उसको एक्ट के अन्दर आप पूरा नहीं करें; श्रीमन्, इसलिए यह बहुत जरूरी है यह प्रवर समिति को सौंपा जाए।

इसके अलावा आप और देखिये, श्रीमन्, इसमें एक नहीं अनेकों प्रकार की खामियां हैं। इसके सेक्शन 3(ए) के बाद 3(बी) देखिये;

"Seats shall be reserved for women belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, or, as the case may be; backward Classes from among the seats reserved for the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes or the Backward Classes; the number of such seats being determined by the State Government by order published in the Official Gazette which shall not be less than one-third of the total number of seats reserved for the Scheduled Castes or Scheduled Tribes or, as the case may be, Backward classes."

उसमें भी संविधान संशोधन के अनुसार आप लेजिस्लेचर पास करके कानून बना

(श्री हरिसिंह)

कर शिड्यूल्ड कास्ट को, शिड्यूल्ड ट्राइब को, वूमेन को वार्ड्स में इतनी सीट्स देंगे जो कि एक तिहाई से कम नहीं होंगी। इस प्रकार का कानून बनायेंगे। आपको कानून बनाना पड़ेगा कि एक तिहाई देंगे, दो तिहाई देंगे, 40 प्रतिशत देंगे, 50 प्रतिशत देंगे आप। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि आपको यह कानून बनाना पड़ेगा। आपने एकदम से लैंग्वेज लिख दी। वह तो आपसे कह रहा था कि आप एक तिहाई से कम नहीं बनायेंगे, आपको कानून ऐसा बनाना पड़ेगा जिसमें यह लिखना पड़ेगा कि एक तिहाई से ज्यादा इतने होंगे या एक तिहाई होंगे। आपने अपनी पावर्स फिर युजर्प कर ली इस बिल के माध्यम से यूजर्प करना चाहते हैं जो संविधान संशोधन की मंशा के विपरीत है। आप कर नहीं सकते, इसके लिए आप करेंगे तो संविधान संशोधन के विपरीत होगा। आप करिये, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाकर स्ट्रक डाउन हो जायेगा। इसमें अनेकों इस प्रकार के प्रोविजन्स हैं इसलिए आपको प्रवर समिति को सौंपना बहुत जरूरी है।

इसके अतिरिक्त, श्रीमन्, फिर वही आता है – "Seats shall be reserved for women. The number of such seats being determined by order published in the Official Gazette."

संविधान संशोधन इस बात के लिए कहता ही नहीं है कि आर्डर से यह तय कर देंगे हर बात को। वहां तो यह मंशा थी कि कुछ प्रतिशत सीट फिक्स की जाएगी। वह फिक्स कौन करेगा? केन्द्र सरकार ही फिक्स कर सकती थी। केन्द्र सरकार कह सकती थी कि उसके लिए 40 प्रतिशत या 35 प्रतिशत होगी लेकिन क्योंकि यह संविधान का शिड्यूल है जिसमें इस प्रकार का कानून बनाने की पावर स्टेट के लिए है इसलिए वह युजर्प नहीं करना चाहते आपकी पावर्स। इस पर पहले बहस भी हुई थी संसद में और राजनीतिज्ञों ने इस बात का विरोध किया था कि आप प्रोविन्सेज की पावर्स को पार्लियामेंट में कानून बनाना चाहते हैं तो उसमें उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया था कि हम पावर्स यूजर्प नहीं करना चाहते, हम तो यह चाहते हैं कि ग्राम स्तर तक सत्ता पहुंचे, गांव के जन-प्रतिनिधि आवें, उनके पास सत्ता जाए। इसलिए इसमें जन-प्रतिनिधि कैसे चुन कर आयेंगे, किस प्रकार चुनकर आयेंगे, शिड्यूल्ड कास्ट के कितने चुनकर आयेंगे, इसका अधिकार हम लेजिस्लेचर को देते हैं। तो वहां लेजिस्लेचर को अधिकार दिया गया इस मंशा से। और एक तिहाई का तो प्रोविजन इसलिए फिक्स कर दिया गया कि इससे कम आप नहीं जावें। लेकिन जितने जाएंगे, 30 प्रतिशत जाएंगे, 20 प्रतिशत जाएंगे, 35 प्रतिशत जाएंगे, उसके लिए आपको इस प्रोविजन में कानून के अन्दर लिखना पड़ेगा। गवर्नमेंट बाई आर्डर इन नोटिफिकेशन इस काम को नहीं कर सकती। यह मेरा आपसे निवेदन है, इस बात को आप इसमें लिखें कि कितना प्रतिशत आप करना चाहते हैं, बिल के अन्दर लिखना पड़ेगा। इसके लिए बिल का पार्ट बनाना पड़ेगा। इस काम के लिए प्रवर समिति को सौंपिये।

इसके अलावा जैसी कि उनकी मंशा है डायरेक्ट इलेक्शन होने चाहिये। गवर्नमेंट

(श्री हरिसिंह)

नोमिनेट कर देती है। आज से कोई 30 साल पहले यह प्रथा थी, आपको याद होगा। आप उस समय भी नगरपालिका जयपुर के अन्दर थे। महिला और शिड्यूल्ड कास्ट के आदमी अगर चुनकर नहीं आते थे तो गवर्नमेंट नामिनेट करती थी उनको। उस प्रथा पर कितना हंगामा हुआ और उसके बाद सरकार को भी मजबूर होना पड़ा। सरकार ने उचित समझा इस काम के लिए कि नहीं नामिनेट मत करो, इसके लिए जो मैम्बर्स चुनकर आते हैं वह को-आप्ट करें। इसमें इस बात के लिए प्रोविजन है कि स्पेशल नालेज के, स्पेशल इन्ट्रेस्ट के आदमी का भी रिप्रजेंटेशन होना चाहिये म्यूनिसिपैलिटीज में, जिनको म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ तजुर्बा हो। उसकी मंशा यह नहीं है कि उसको आप नामिनेट करें। आपने इस बिल के अन्दर लिख दिया कि State Government shall nominate 'three persons or ten per cent of the elected members' यह वार्ड के सम्बन्ध में, उस समय आप कमेटी की बात कर रहे थे, यह 3 प्रतिशत या 10 प्रतिशत आपने लिख दिया। आप इसमें प्रोविजन इस प्रकार का करें कि जो मैम्बर चुनकर आएगा उनको जरूरत है अगर इस प्रकार के इन्ट्रेस्ट वाले व्यक्तियों की, उसमें एक लिस्ट बना दीजिये कि जिस प्रकार के लोग उसमें आने चाहिए ताकि उनको वह को-आप्ट कर लें जैसा अभी तक होता आया है। इसके अन्दर अब भी होता है, हुआ है को-आप्शन। लेकिन वह तो एस.सी., एस. टी. के बारे में था। अब जो उसके लिए चुनकर आयेगा, अब तो आप वार्ड रिजर्व कर रहे हैं, वार्ड रिजर्वेशन के सम्बन्ध में आप देख लीजिये, उसमें भी आपने क्या किया है। उसमें भी आपने यह कहीं नहीं लिखा कि किस प्रकार से वार्डों का रिजर्वेशन होगा। चक्रानुसार स्टेट गवर्नमेंट जो आर्डर निकालेगी, नोटिफाई करेगी, उसके अनुसार हो जायेगा। चक्रानुसार क्या होता है ? आपको यह तय करना चाहिये कि शिड्यूल्ड कास्ट की, शिड्यूल्ड ट्राइब की, बैकवर्ड क्लास की पापूलेशन जिन वार्ड्स के अन्दर ज्यादा है। कम्पेरेटिवली लास्ट वर्ड्स यूज किया है।

श्री अध्यक्ष : नहीं, इस वार्ड रिजर्वेशन में, इसी में आगे प्रोविजन रोटेशन का है।

श्री हरिसिंह : वार्ड रोटेशन का है, श्रीमन्।

श्री अध्यक्ष : है ना। तो यदि आप एक्ट में वह स्पेसिफाई कर दें तो रोटेशन के समय एक्ट अमेण्ड करना पड़ेगा।

श्री हरिसिंह : नहीं, रोटेशन से भी होगा पर पहली बार तो....

श्री अध्यक्ष : पहली बार मान लीजिये वार्ड तय कर दिये और बाद में उनको रोटेट करना पड़ा, चेंज करना पड़ा तो एक्ट को बदलना पड़ेगा। क्योंकि यदि एक्ट में यह आ गया कि यह वार्ड रिजर्व है तो फिर एक्ट में अमेण्ड करना पड़ेगा।

श्री हरिसिंह : नहीं, रोटेशन की बात नहीं है। यह वार्ड रिजर्व नहीं है। सिस्टम आएगा इसमें, जिन वार्ड्स के अन्दर ज्यादा पापूलेशन है वह रिजर्व होंगे।

एक माननीय सदस्य : असेम्बली और पार्लियामेंट की तरह....

श्री अध्यक्ष : मतलब वार्ड का तो एनीवेट होना जरूरी नहीं है ।

श्री हरिसिंह : नहीं । वह तो आधार ही बनायेंगे लेकिन आधार इसमें बनाना चाहिये ।

श्रीमती कमला (बैराठ) : यह तो आधार ही बनाना है इसमें ।

श्री हरिसिंह : उस आधार को भी अपने आप लिये जा रहे हैं । इसके अतिरिक्त एक्ट के अन्दर प्रोसिजर तय करना पड़ेगा कि अब कितनी प्रतिशत इसमें होंगी, एक तिहाई के ऊपर कितनी करनी चाहेंगे । ये आप अपने पास पावर्स ले रहे हैं । आप करें तो 40 प्रतिशत कर सकते हैं, 50 प्रतिशत कर सकते हैं, 60 प्रतिशत कर सकते हैं, 70 प्रतिशत कर सकते हैं । आप इतनी इनलिमिटेड पावर्स अपने आप लिये जा रहे हैं । यह तो पार्लियामेंट के पास में नहीं हैं ऐसी पावर्स, जिन पावर्स को आप ले रहे हैं इस लेजिस्लेचर की ।

श्री अध्यक्ष : नहीं, इसमें भी यह है कि according to the number of the residents or voters, यानि यह डिफर करेगा कि कितना प्रतिशत किस कास्ट का है जिसका रिजर्वेशन हो तो उस हिसाब से वह डिफर करेगी । या तो पूरे राजस्थान के अन्दर अभी से यह तय कर दें । यह सम्भव नहीं होगा मेरे ख्याल से । तो ये पावर्स तो ऐसा ही रखना पड़ेगा कि जो डिटरमिन करना पड़ेगा, वहां पर लोकल कितनी प्रतिशत पापूलेशन है, उस हिसाब से तय करना पड़ेगा ।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : इसमें यह हो जाए कि जनसंख्या के आधार पर हो ।

श्री अध्यक्ष : नहीं, जो हो जाए, वह मैं नहीं कह रहा हूं । मैं तो सोचने के लिए बता रहा हूं कि यह डिफिकल्टी आ सकती हैं ।

श्री हरिसिंह : आप जो फरमा रहे हैं, उस डिफिकल्टी का इसमें समाधान होना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष : हां वह बता दीजिये ।

श्री हरिसिंह : वह तो करना चाहिये, इसलिए मैं इसको प्रवर समिति को सौंपने की बात कर रहा था ।

अब आपने इसमे लिख दिया, सैक्शन 12 है; "In Section 14 of the Principal Act in sub section (1)...."

कोई भी वार्ड हो, उसमें वूमेन के लिए स्टेट गवर्नमेंट को आप पावर्स दे रहे हैं । क्यों नहीं पावर्स देते हैं कमीशन के लिए । चुनाव सम्बन्धी बातें हैं । वैसे तो पावर्स कमीशन को जाना चाहिये और कमीशन की मंशा यह है कि म्यूनिसिपैलिटी के चेयरमैन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात पर एकदम एबरप्टली, मैं समझता हूं, इस पाइंट के ऊपर कई बार संशोधन आये हैं । कभी 6 महीने में आया है, कभी साल भर में आया है, फिर 6 महीने में हुआ है, साल भर में हुआ है । इसमें कई बार ऐसे

(श्री हरिसिंह)

समर साल्ट की है। उसके बाद एकदम से आ गये कि 2 साल तक नहीं आयेगा। पिछले चुनावों में 2 साल तक नहीं किया और फिर 2 साल तक नहीं किया, मतलब 5 साल के समय में शायद एक साल ही आ सकेगा। तो इसमें मेरा यह निवेदन है, कि प्रवर समिति इसके ऊपर विचार करे।

(17:00)

डेमोक्रेसी के अन्दर एक आदमी चुनने के बाद में दो साल तक उसको आप अखण्ड राज दे दें, कुछ भी करे। वह एक साल का पीरियड बहुत होता है क्योंकि वहां पर रोज का काम-काज चलता है। इसमें क्या पावर्स आप देना चाहते हैं, क्या-क्या पावर्स डेलिगेट करना चाहते हैं, इसमें शिड्यूल दी है, उसके सम्बन्ध में, इसमें कोई विशेष चर्चा ही नहीं की गयी।

श्री अध्यक्ष : इसलिए साल-दो साल में स्टेबल्ड बिल तैयार कर लीजिये। नगर परिषद् या नगरपालिका के माध्यम से डवलपमेंट के काम होते हैं। उसमें आपको इम्पोर्टेन्स किसको देनी है एक तो यह पोलिटिक्स है कि यह बोर्ड काम नहीं करे तो इसको हटाने की कोशिश करते रहें। एक यह है कि जो भी बोर्ड आये उसको मौका मिलना चाहिए कि वह कुछ डवलपमेंट के वर्क करे। तो यह स्टेबिलिटी का सवाल आयेगा। उस पर भी विचार कर लीजिये।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : उस पर भी विचार करना है। अब स्टेबिलिटी एक साल की हैं, दो साल की है, तीन साल की है, इस पर विचार करने वाली बात है। क्यों कि इसी लेजिस्लेचर ने इस पर कई बार विचार किया है। कभी साल दिया है, कभी 6 महीने दिये हैं। इसी हाउस ने कई बार म्यूनिसिपैलिटी एक्ट को देखा है। उसमें कई बार साल, 6 महीने इधर-उधर हुए। यह भी एक विचारणीय विषय है। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि प्रवर समिति को सौंपने के लिए हम क्या-क्या पावर्स इसमें देना चाहते हैं वे सब इसमें डिटेल से मेंशन नहीं किये गये। डिस्ट्रिक्ट कमेटी के बारे में कुछ नहीं किया गया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं) : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं, माननीय हरिसिंहजी ने व अन्य माननीय सदस्यों ने इस बिल के बारे में जिस प्रकार की बात कही है इसमें कई इस प्रकार की बातें हैं जिनको प्रवर समिति में बैठकर तय करने से ही हो सकता है और सदन में प्रवर समिति बनती रही है और सदन के अन्दर ही निर्धारित टाइम पर अपनी रिपोर्ट भी देती है। तो इस बिल को प्रवर समिति को 10 या 15 दिन के लिए सौंप दिया जाए। इसमें सभी पक्षों के सदस्य हों। अध्यक्ष महोदय, प्रवर समिति बनाकर उसमें विचार विमर्श कर लें तो जितनी एनोमीलिज सामने आयी हैं या जो विचार सामने आये हैं उसका ठीक ढंग से बनकर यह बहुत बढ़िया कानून बन सकता है। मैं चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में एक प्रवर समिति गठित हो जाए। मैं समझता हूं माननीय सदस्य और प्रतिपक्ष के नेता भी इससे सहमत होंगे।

श्री अध्यक्ष : सुझाव तो ठीक है लेकिन एक घण्टे का समय है इसलिए प्रवर समिति का कल कर लीजिये। जो पाइन्ट्स आ रहे हैं, प्रवर समिति में इन्हीं पाइंट्स पर

(श्री अध्यक्ष)

गम्भीरता से विचार करेंगे। जैसा आज हरिसिंह जी बहुत इम्पोर्टेन्ट पाइंट्स बता रहे हैं वैसे ही और भी माननीय सदस्य बता देंगे। आज तो उनको पूरा सुन लीजिये कल आप माइंड बना लीजिये तो प्रवर समिति का तय कर लेंगे, सदन में हो जाएगा।

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष)। अध्यक्ष महोदय, डिस्कशन होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : मैं खुद भी इसी व्यू का हूं।

श्री परसराम मदेरणा : डिस्कशन से जो एनोमीलिज हैं या जो प्रोविजन अभी बिल में रखे हैं प्रभारी मन्त्री जी ने which are not in conformity with the Constitution (74th Amendment) Act itself, तो कुछ तो माननीय सदस्यों को इसकी जानकारी मिल जाएगी और उसके बाद में....

श्री अध्यक्ष : अभी एक घण्टे का समय है, अभी सदस्य बोल लेंगे।

श्री परसराम मदेरणा : जो सुझाव दिया है प्रतिपक्ष उससे सहमत है।

श्री अध्यक्ष : कल कर लेंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, इसको आज ही समिति को सुपुर्द कर दो।

श्री अध्यक्ष : आज कर लें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : इसी से तो सहमत हैं।

श्री अध्यक्ष : आप कर लेना जब ये बोल लें तो आप कर देना, हो जाएगा। ठीक है।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : मैं एक मिनट और लूंगा।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : प्रवर समिति के सामने भी आइडिया आ जाएगा और हाउस में प्रोसिडिंग भी रहेगी।

श्री अध्यक्ष : इसलिए अभी चलेगी। अभी और सदस्य बोलेंगे। आप समाप्त करिये ताकि औरों को मौका दें।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : मैं जल्दी ही समाप्त कर रहा हूं। कांस्टीट्यूशन आफ वार्ड कमेटी के सम्बन्ध में – "Each Ward Committee shall consist of –

(a) members of the board representing the wards within the territorial area of the Wards Committee; and

(b) such other members, not exceeding five who are not less than 25 years of age and who have special knowledge or experience in municipal administration to be nominated by the State Government :...."

इस सम्बन्ध में मैं निवेदन कर रहा था कि यह एक ऐसा प्रोविजन है जिसमें आपने म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के सम्बन्ध में

(श्री हरिसिंह)

जो स्पेशल बात रखी है वह तो है लेकिन उसके अलावा भी हमारे ऐसे एक्सपर्ट्स हो सकते हैं जो कि वार्ड कमेटी के अन्दर लिये जाएं। उसके सम्बन्ध में भी इसमें विचार किया जाना बहुत जरूरी है।

अब रहा सवाल डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का। संविधान संशोधन के अन्दर तो यह है कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी बनेगी और वह इसी एक्ट के अन्दर बननी चाहिए, उसके सम्बन्ध में इस एक्ट के अन्दर कोई प्रोविजन नहीं है। मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि यह प्रोविजन ऐसा है जो इसके अन्दर डालना चाहिए। इसमें एक और प्रोविजन ऐसा है जो टेक्निकल और लीगल प्रोविजन है।

"The State Government may, by notification published in the Official Gazette, declare any local area not included within the limits of a municipality to be a municipality or include any such area in a municipality or otherwise alter the limits of any municipality and when...."

तीन बात कह रहे हैं ये। एक तो कह रहे हैं कि किसी लोकल एरिया को आप म्यूनिसिपैलिटी डिक्लेयर कर सकते हैं। किसी और एरिया को आप उसमें इन्क्लूड कर सकते हैं और आप म्यूनिसिपैलिटीज की लिमिट्स को आल्टर कर सकते हैं। लेकिन ऐसी भी परिस्थितियां आती हैं जिनमें म्यूनिसिपल एरिया में से किसी एरिया को आपको एक्सक्लूड करना पड़े। जब आप इन्क्लूड करते हैं तो एक्सक्लूड भी आपको करना पड़ेगा। तो एक्सक्लूजन के लिए आपने को प्रोविजन नहीं लिया।

श्री भंवरलाल शर्मा : इसमें है।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : पढ़िये आप इसमें। आपका मानस यह है कि "(a) any local area is declared or included in a municipality, or (b) any local area is excluded from a municipality, or ..." ऐसा हो तो। लेकिन होने के पावर तो लीजिये पहले आप। सब्सटेंटिव सेक्शन में इस बात का पावर तो लें। जैसा आपने कहा इन्क्लूड करेंगे हम। वहं यहां लिखिये आप कि हम एक्सक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद विचार आयेंगे तो इसमें अनेक एनोमोलिज हैं जिन पर विस्तार से विचार करने की आवश्यकता है और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसको प्रवर समिति को सौंपा जाए।

श्री अध्यक्ष : श्री राधेश्याम। (अनुपस्थित) श्री शांतिकुमार धारीवाल।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डोली): अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए खड़ा हुआ हूं कि यह जो म्यूनिसिपैलिटी अमेण्डमेंट एक्ट गवर्नमेंट लायी है उसको प्रवर समिति को सौंपा जाए। सौंपने के क्या कारण हैं क्यों सौंपा जाए इस पर भी मैं अपने विचार रखना चाहता हूं। चोहत्तरवां संविधान संशोधन जब तत्कालीन प्रधान मन्त्री राजीव गांधी ने तैयार कराया तो उस पर कम से कम ढाई-तीन साल तक विचार करते रहे, जगह-जगह उन्होंने इस विषय पर विचारार्थ सम्मेलन आयोजित किये, विचार गोष्ठियां

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

आयोजित की, और पचासों एक्सपर्ट्स की ओपीनियन लेकर उन्होंने इस बिल को तैयार किया। लेकिन चौहत्तरवें संशोधन को आज राजस्थान की सरकार एक दिन में यहां से पास करवाकर उसको जिस तरह से टालना चाहती है वह एक निंदनीय विषय विषय है। हमें चौहत्तरवें संशोधन की मूल भावनाओं पर जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : अच्छा हो आप संशोधन पर ही बोलें तो ठीक होगा।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं गीता-भागवत पर थोड़े बोल रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं तो संशोधन पर ही बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : हरिसिंह जी ने एक-एक क्लाज पर अपने सजेशन्स दिये हैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं उसी पर बोल रहा हूं। मैं बहुत शॉर्ट में दो-तीन मिनट में अपनी बात खतम करूंगा। मैं आपको मौका ही नहीं दूंगा कि आप मुझ को टोकें।

श्री अध्यक्ष : बिना भूमिका के बोलें तो अच्छा रहेगा।

श्री हरिसिंह (महुआ) : ये तो प्रीएम्बल है।

श्री अध्यक्ष : वह तो हो चुका। अब बार-बार उस प्रिएम्बल को रिपीट करने से कोई फायदा नहीं, वह तो हो चुका। गवर्नमेंट ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि सलेक्ट कमेटी वे बनाने जा रहे हैं, तो वह पाइंट तो खतम हुआ। अब तो आप अपने कांक्रीट सजेशंस दीजिये ताकि समय जितना उस पर लेगा, बहुत से माननीय सदस्यों के विचार आयेंगे तो वे सलेक्ट कमेटी के लिए मार्गदर्शन होंगे।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन है कि जब आप अमेण्टमेंट ला ही रहे हैं तो आप सिर्फ चौहत्तरवें संशोधन तक ही क्यों सीमित रह जाते हैं। इसके अलावा जो खामियां इस म्यूनिसिपैलिटीज एक्ट में वक्त-बक्त पर दर्शायी गयी हैं, जो शिकायतें इस एक्ट की विसंगतियों के बाबत मिलती रही हैं उनके अमेण्डमेंट भी आप इसके साथ-साथ ले आते तो सारा काम एक साथ हो जाता वरना फिर हम महीने बाद इसी बात पर बैठें कि एक नया अमेण्डमेंट लायेंगे। जितनी आपको शक्तियां अर्जित करनी चाहिए और सरकार को मजबूत करते हुए नगरपालिकों को, नगर परिषदों को, नगर निगमों को कमजोर करने के लिए जो कुछ आप कर सकते थे आपने इस अमेण्डमेंट में किया। मिसाल के तौर पर हर चीज की स्वीकृति आपकी चाहिए। एक हरिजन की नौकरी हो, उसको पदोन्नति देनी है तो आपकी स्वीकृति, चुंगी कहां पर, किसके लगे तो आपकी स्वीकृति चाहिए।

आप ही की सरकार ने कोटा नगर परिषद् को जो सबसे मालदार और जिनकी वित्तीय स्थिति पूरे राजस्थान में शानदार थी, उसका सत्यानाश कर दिया, उसका बेड़ा गर्क कर दिया। जो चुंगी वहां आपने इन्टरफियरेंस करके कम की उससे सीधा कारखानेदारों को तो फायदा पहुंचा और नतीजा यह हुआ कि जिस माल की एक

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

कारखानेदार को सौलह हजार रुपये चुंगी देनी पड़ती थी आज सिर्फ सौलह रुपये की चुंगी दे रहा है और उसके परिणामस्वरूप वहां के लोगों की, वहां के कर्मचारियों की तनख्वाह बटना मुश्किल हो गयी। करोड़ों रुपये की एफ.डी. जो नगरपालिका की बैंकों में जमा थी वह सब सिकरा ली गयी और हैण्ड टू माउथ हो गयी, दिवालिया हो रही है वह नगर परिषद्। यह सब आपके इन्टर-फियरेंस से हुआ है। अगर वह स्वयं सक्षम होते इस बात का फैसला लेने के लिए कि उसको अपनी वित्तीय स्थिति किस तरीके की रखनी है, वित्तीय साधन कहां से जुटाने हैं, तो उसकी जो आज हालत हो रही है वह कभी नहीं होती। मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन है कि जो शक्तियां आप इस संशोधन के माध्यम से लेना चाहते हैं, कृपया यह गुस्ताखी न करें। हम जो विकेन्द्रीकरण करना चाहते हैं, जनता को सत्ता सौंपना चाहते हैं पंचायतों और नगर पालिकाओं के मार्फत, उन पर यह कुल्हाड़ा चलेगा एक तरह से।

इलेक्शन कमीशन की बात आयी। स्टेट इलेक्शन कमीशन बनेगा। जब स्टेट इलेक्शन कमीशन बन जाएगा तो फिर सरकार को उसमें काहे को एतराज, यह अधिकार किस बात के कि वार्डों का पुनर्गठन कौन करेगा, कौन से वार्ड शिड्यूल्ड कास्ट के लिये आयेंगे, कौन से महिला के रहेंगे, कौन से जनरल रहेंगे, कौन से बैकवर्ड के रहेंगे, यह तय करने वाले आप कौन होते हैं। इलेक्शन कमीशन अगर आप बना रहे हैं और बनाना तो पड़ेगा आपको, संविधान में संशोधन है, तो जब इलेक्शन कमीशन बना रहे हैं तो इलेक्शन से सम्बन्धित जितनी भी प्रक्रिया है, जो कुछ इलेक्शन कमीशन के मुत्तलिक काम होता है वह सारे का सारा इलेक्शन कमीशन को सौंपा जाना चाहिए, आपका कतई दखल नहीं होना चाहिये। अगर आपका दखल रहा तो आप राजनीति करे बगैर मानेंगे नहीं और गलत-सलत डिसीजन्स होंगे, आन्दोलन होंगे और पचासों रिटें न्यायालय में जेरकार रहेगी और नतीजा यह होगा कि किसी वार्ड का इलेक्शन होगा, किसी वार्ड का नहीं होगा, किसी नगरपालिका का होगा, किसी का नहीं होगा।

श्री नाथूसिंह (राज्य मन्त्री, पंचायत राज): और काहे के लिये बैठे हैं यहां।

श्री शांतिकुमार धारीवाल: बैठे तो आप न्याय करने के लिये हो लेकिन न्याय करो जब है।

श्री अध्यक्ष: यह तो पंचायती करने बैठे हैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल: स्टेट इलेक्शन कमीशन के फंक्शन्स को आपको पूरी अच्छी तरह से देखना चाहिये और चुनाव सम्बन्धित प्रक्रिया से सरकार को बिल्कुल दूर रहना चाहिये। जितने काम हैं, शेषन साहब ने धमकी दे दी है कि पंचायतों के लिये और नगरपालिकाओं के लिये वोटर लिस्ट उपलब्ध नहीं करवाऊंगा और मत-पेटियां नहीं दूंगा, अगर सरकार ने ऐसा नहीं किया तो, इस बात पर भी सोचिये। मन्त्री महोदय, यह बहुत गम्भीर बात है, इस तरीके से जो है...

श्री परसराम मदेरणा: क्या कहा उन्होंने।

(172)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उन्होंने यह कहा कि अगर यह-यह काम नहीं किये गये तो पंचायतों के लिये और नगरपालिकाओं के आगामी जो चुनाव आने वाले हैं उनके लिए न तो मतदाता सूची उपलब्ध करवाने दूंगा और न मतपेटियां दूंगा और न कोई सामान देने दूंगा। यह इतनी गम्भीर बात है जिसके ऊपर पूरा सदन और हम सब लोग बैठ करके चुपचाप ऐसे सुन रहे हैं जैसे जो कुछ कर रहे हैं कर लेंगे। अध्यक्ष महोदय, यह संवेदनशीलता है इस सरकार की। इनको इस बात का जवाब देना चाहिए। मतपेटियां, मतदाता सूचियां किसी के बाप की बपौती नहीं है जो एक आदमी यह कह दे कि मैं यह प्रोवाइड करवाऊंगा और यह प्रोवाइड नहीं करवाऊंगा। इस बात पर विचार करना चाहिये। यह चुनाव आप करवाना चाहते हो और इन बातों को आप इस कान से सुनकर उस कान में डालना चाहते हो, ऐसी संवेदनशीलता है, आप चेतो अपने आप में, यह बहुत गम्भीर मामला है। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बोर्ड बनाने वाली बात है....

श्री अध्यक्ष : यह भी गड़बड़ है। इस विधान सभा में जहां तक हो, किसी भी कांस्टीट्यूशनल अथारिटी के बारे में कहने का, मैं समझता हूं, औचित्य नहीं है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : इतनी जरूरी बात भी अगर यह कह करके अध्यक्ष महोदय, हम टालते रहें और इस पर विचार नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा।

श्री अध्यक्ष : नहीं-नहीं, आपने जो एक आदमी की बात कही ना....

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यह क्या होगा।

श्री अध्यक्ष : वहां तक तो ठीक था; लेकिन जो आपने कहा न कि यह एक आदमी की बपौती है क्या, यह कह रहा हूं। वहां तक तो ठीक था कि उन्होंने चेतावनी दी है उसको ध्यान में रखें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : नहीं, मैंने नाम तो नहीं लिया, मैंने जनरल कहा है कि मैं यह समझूं कि यह मेरी बपौती है तो यह मेरे +++ नहीं है। मैंने यह कहा है।

श्री परसराम मदेरणा : बपौती का मतलब किसी एक मिनिस्टर इन्चार्ज पर एस्पर्शन नहीं है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : किसी एक पर्टिकूलर आदमी के लिये नहीं कहा है।

श्री परसराम मदेरणा : लेकिन संवेदनशीलता की बात कह रहे थे....

श्री शांतिकुमार धारीवाल : जी हां।

श्री परसराम मदेरणा : और आपके चेहरे से यह मालूम ही नहीं होता है कि आपमें संवेदनशीलता है या नहीं है ...

श्री अध्यक्ष : यह बहुत ज्यादा संवेदनशील हैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : हां, कुछ नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : With all respects to the member in-charge

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री परसराम मदेरणा)

of the Bill, you are wearing a stony face. कुछ मालूम नहीं हो रहा है कि है या नहीं है।

श्री अध्यक्ष : यह गीता वाले स्थित-प्रज्ञ हैं, स्थितप्रज्ञ के फेस से मालूम नहीं पड़ता।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : संवेदनशील शब्द को ही हटा दिया जाए ...

श्री शांतिकुमार धारीवाल : दो साल का वक्त आपने मुकर्रर किया है कि दो साल के पहले....

श्री नाथूसिंह : गीता पढ़ी है उन्होंने।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अविश्वास प्रस्ताव आ ही नहीं सकता। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। बूंदी जिले में लाखेरी नाम की एक नगरपालिका है। 13 वहां पर वार्ड पार्षद चुनाव जीते और उसका रेश्यो यह रहा कि पांच तो जीते भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से, एक निर्दलीय जीता और आठ कांग्रेस के जीते। जो निर्वाचन अधिकारी था अध्यक्ष के चुनाव के लिये ...

श्री अनंगकुमार जैन : 13 के 14 कर लो।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : कुल मिला कर 13 मान लो। मैथेमेटिक्स मेरी कमजोर हो सकती है। निर्वाचन अधिकारी की घड़ी और कांग्रेस के वार्ड पार्षदों की घड़ी में सिर्फ दो मिनट का फर्क था। 11 बजे का वक्त था। वह आठ के आठ एक जुलूस बनाकर अपने अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र पेश करने गये। निर्वाचन अधिकारी ने कह दिया कि एक नामांकन पत्र आ चुका है भारतीय जनता पार्टी का और मेरी घड़ी में तो 11 बज गये, इसलिये मैं आपका नामांकन पत्र नहीं लूंगा और नतीजा यह हुआ कि छह महीने तक उनको इन्तजार करना पड़ा उसके खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव रखने के लिये जबकि मेजोरिटी कांग्रेस वालों की थी। इस तरह से आप अगर ज्यादा इन्टरफियरेंस गवर्नमेंट का करोगे तो उसके परिणाम खराब निकलेंगे।

डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बोर्ड बनाने की बात हुई। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बोर्ड बनाने के लिये आपने कह दिया कि पंचायत इलेक्शन में हम ला रहे हैं। आप पंचायत इलेक्शन में लाइये। फिर इस एक्ट में प्रोविजन करने में क्या फर्क आ रहा है। जब डिस्ट्रिक्ट में बाडी बन रही है, दोनों की दोनों चीजें डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हैं, पंचायतें मौजूद हैं और नगरपालिका–नगर परिषदें मौजूद हैं तो फिर इस एक्ट में डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बोर्ड का बाकायदा जिक्र होना चाहिये। उसके लिये एक अलग प्रोविजन होना चाहिये। इतना-सा ही निवेदन करूंगा मैं।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद। श्री जितेन्द्र नीनामा। (अनुपस्थित)

श्री मोहनलाल मोदी।

श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना) : अध्यक्ष महोदय, इस बिल के बारे में मैं भुक्तभोगी हूं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि नीमकाथाना नगरपालिका के आठ साल से चुनाव नहीं हुए और चुनाव न होने

(श्री मोहनलाल मोदी)

का कारण सिर्फ एक है जो कि आज भी आपने इसके अन्दर स्पष्ट नहीं किया–रिजर्वेशन। महिलाओं का रिजर्वेशन, एस.सी., एस.टी. का रिजर्वेशन। एक वार्ड का रिजर्वेशन करने के लिये इतना घुमा-फिराकर इस सरकार ने ऐसा चक्कर चलाया कि हाई कोर्ट में लोगों को जाना पड़ा और हाई कोर्ट से स्टे हुआ। तो इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि यह सरकार यदि चुनाव कराना चाहती है तो यह सारे अधिकार अपने पास लेकर के क्यों चुनावों को रोकना चाहती है। आप इसके अन्दर स्पष्ट करिये कि यह वार्ड रिज़र्व होंगे, महिलाओं का रिजर्व होगा। अब आपने कर दिया एक नम्बर, तीन नम्बर, छह नम्बर, तो तीन नम्बर और छह नम्बर को एडजस्ट करने के लिये यह सारा चक्कर इस सरकार में चलेगा और वह रिजर्वेशन के हिसाब से सारे का सारा मामला गलत होगा और यह सरकार अपने अधिकार में लेना चाहती है। मैं कहना चाहता हूं इस बिल में इस को स्पेसिफिकली करना चाहिये कि यह वार्ड होंगे। अब यह वार्ड बनाते वक्त भी यही स्थिति लायेंगे कि हमने यह कर दिया पहले, कि तीन नम्बर महिलाओं का होगा, छह नम्बर होगा, नौ नम्बर होगा, तो एक कौन सा है, तीन कौन सा है, छह कौन सा है, इसके अन्दर सारा हेरफेर होगा। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि बहुत गम्भीर मामला है, इसको प्रवर समिति को सुपुर्द करके बहुत ध्यान से इस पर विचार करना चाहिये कि ऐसी स्थिति पैदा नहीं हो कि वहां चुनाव न हो। पंचायतों के चुनाव नहीं कराये, सरकार ने, सरपंचों को रखा नहीं, अब इनकी मंशा यह हो रही है कि जो अध्यक्ष बन जाए एक दफा, उनको हम पूरी तरह से राज चलाने दें। दो साल तक उनको कोई डिस्टर्ब न करें, यह क्या तरीका है आखिर? पांच साल का टाइम उनको देते हैं और अब कोई गलती से, जैसे अभी शांतिजी ने बताया, इस तरह के आदमी चुन कर आ गये और फिर आप उनके लिये कहोगे कि दो साल तक यह हट नहीं सकते हैं, यह बहुत गलत है। जहां जन प्रतिनिधि रहते हैं उनमें अगर कहीं गलती है तो उस टाइम को, जैसे आज छह महीने का पीरियड है, आपको छह महीने का पीरियड रखना चाहिये, उससे उसको बढ़ाना नहीं चाहिये।

एम.एल.एज. की बात आ गयी। आप एक हैडक्वार्टर के एम.एल.ए. को तो उसके अन्दर मेम्बर बनाते हो, बाकी दूसरे को बनाते नहीं। आखिर क्या लेना चाहते हैं आप उससे? सरकार की मंशा क्या है? हैडक्वार्टर के एम.एल.ए. को ही आप उसके अन्दर मेम्बर बनायें, बाकी एम.एल.ए. क्या चुनाव जीत कर नहीं आये? हैडक्वार्टर वाला तो 150 वोटों से जीत कर आया है और हम चौदह हजार से जीत कर आये हैं। आखिर आप क्या करना चाहते हैं उसको? सबको अधिकार दीजिये कि सारे विधायक उसके अन्दर मैम्बर होंगे, यह आपको उसके अन्दर रखना चाहिये।

मैं बहुत ज्यादा नहीं कह कर सरकार से एक ही बात कहना चाहता हूं कि इनको चुनाव कराने हैं, नीयत साफ करके करायें और सारे के सारे मामले अपने अधिकार में नहीं लें और राजनीतिक आधार को छोड़ें। नगरपालिकाओं में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से राजनीतिक आधार पर

(श्री मोहनलाल मोदी)

काम करती है, क्योंकि गांवों में इनका कुछ है नहीं इसलिये यह नगरपालिकाओं में भी अपना अधिकार जमाना चाहते हैं कि सारे अधिकार हमारे हाथ में रहें, वार्ड भी हम बनायें, रिजर्वेशन भी हम करें और सारा का सारा काम हम अपने हाथ में रखें। माननीय सभापति महोदय, इसमें कम से कम सरकार का दखल होना चाहिये, यही मेरा निवेदन करना है।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती कमला ।

श्रीमती कमला (बैराठ) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो म्यूनिसिपैलिटी संशोधन बिल हमारे सामने है उसमें दो मुद्दे विशेष हैं। एक तो लीगल बहुत सी खामियां हैं इसके अन्दर और दूसरा जिस भावना से, जिस स्पिरिट से और जिस उद्देश्य से इसको बनाया गया था और कांस्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जिसके बाबत में लिया गया था, उसकी भावना को इसमें कतई तौर पर नहीं रखा गया है, बल्कि उसके विपरीत उसमें क्लाजेज मौजूद हैं, इसलिये यह प्रस्ताव लाया गया है कि, इसको प्रवर समिति के समक्ष रखें, फिर इसको पारित करने की चेष्टा की जानी चाहिये। इसके पहले कि मैं अलग अलग क्लाजेज के ऊपर जाऊं मैं सबसे पहले यह निवेदन करना चाहती हूं कि हमारा राज्य एक हिन्दी भाषी राज्य है और हिन्दी ही नहीं हम राजस्थानी की पुरजोर पैरवी के लिये समय-समय पर बातें करते रहे हैं, लेकिन इसमें जो लिखा हुआ है उसको अगर आप पढ़ें, हम को शर्म आती है, अधिकृत हिन्दी अनुवाद, यह जो हिन्दी में लिखा हुआ है हमारा बिल, इसमें हमने अधिकृत हिन्दी अनुवाद लिखा है, कम से कम इतना तो करते कि इसको हिन्दी प्रारूप कह देते, हिन्दी अनुवाद तो नही कहते क्योंकि बेसिकली हमें हिन्दी के अन्दर ड्राफ्टिंग करनी चाहिये और अंग्रेजी में उसका अनुवाद होना चाहिए, यह इस राज्य की परम्परा बननी चाहिये लेकिन वह न बनाकर हमने इसकी उल्टी परम्परा बनायी है। अभी इसमें आप अनुवाद शब्द तो कम से कम हटा दीजिये। इसको हिन्दी प्रारूप के नाम पर अगर कायम कर देंगे तो हिन्दी की हिन्दी करने की जो कोशिश कर रहे हैं, वह तो कम से कम बच जायेगी।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मूल एक्ट अंग्रेजी में है।

श्री अध्यक्ष : यही तो वह कह रही हैं कि मूल हिन्दी में होना चाहिये, इनका कहना यह है कि मूल हिन्दी में होना चाहिये।

श्रीमती कमला : और मैं क्या कह रही हूं। हमने परम्परा गलत डाली हुई है, कब तो इसको सुधारेंगे? कोई एक समय तो हम कम से कम इस तरफ बढ़ेंगे।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मूल एक्ट है वह अंग्रेजी में है।

श्री अध्यक्ष : नहीं, उसका अनुवाद होगा ना, वह कह रहे हैं कि राजस्थान में परम्परा यह हो कि आप मूल हिन्दी में बनायें।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : कब बनायें, अभी तो बना हुआ अंग्रेजी में है।

श्री अध्यक्ष : नहीं-नहीं, वहां से आपके पास अंग्रेजी का मूल और हिन्दी का

(श्री अध्यक्ष)

अनुवाद आया है। अब आप उस अनुवाद के आधार पर जो यहां बनायें, वह मूल रूप से हिन्दी में बनायें, जिसका अनुवाद अंग्रेजी में करें, यह कहना है आपका।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : यह मूल एक्ट है म्यूनिसिपैलिटी का, वह अंग्रेजी में है, इसलिए उसके जो अमेंडमेंट हिन्दी में होंगे तो वह अनुवाद ही उसके माने जायेंगे या फिर उसको नये सिरे से बनाओ। उसको मूल बनाओ हिन्दी वाले को और फिर अंग्रेजी का ट्रान्सलेशन माना जाय।

श्रीमती कमला : इसका नाम म्यूनिसिपैलिटी सैकंड अमेंडमेंट बिल है, इसमें हिन्दी का प्रारूप बनाने की कोशिश करें।

श्री अध्यक्ष : यह हो गया आपका पाइंट, ठीक है।

श्रीमती कमला : दूसरी बात जो है, वह यह है कि जहां तक कानूनी खामियों का सवाल है, कुछ तो हरिसिंहजी ने आपके सामने प्रस्तुत की है। सबसे बड़ी खामी तो यह है कि आप एक ही केटेगरी के व्यक्तियों को इतना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, जो किसी कानून में अलाउ नहीं किया जा सकता और उसमें या तो आप किसी को भी अधिकार ही नहीं दें या सभी, को अधिकार दें। इस तरह का आप अगर कोई प्रावधान नहीं करते हैं तो यह आपके कानून की बहुत बड़ी खामी रहेगी। दूसरा यह कि इसमें जो जिला आयोजना समिति का प्रावधान रखा हुआ है, कल इस पर थोड़ी सी बात हुई थी, तो पंचायती राज मन्त्रीजी ने यह कहा कि जिला आयोजना समिति को हमने पंचायती राज के बिल में रख दिया है। इसमें माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कहीं भी नहीं लिखा है जिस जगह यह लिखा हुआ है 243 (जेड (डी) में उस जगह यह कहीं नहीं लिखा है, यह प्रावधान चाहे तो आप म्यूनिसिपैलिटीज एक्ट में कर दें और चाहे तो पंचायती राज एक्ट में कर दें, ऐसा आपको कोई आप्शन दिया हुआ नहीं है, आपको आप्सन दिया हुआ नहीं है तो यह मेंशन किया हुआ है, वहां से आप विलोपित नहीं कर सकते। आपको कांस्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, इसको वहां पर दर्शाना पड़ेगा। हां, अगर पंचायती राज में भी आप अलग से रखना चाहते हैं तो एक जिला आयोजना समिति एक रूरल एरिया के लिए बना सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : वह तो दोनों में ही हो सकता है। उसका हवाला उसमें आ जायेगा और उसका हवाला इसमें आ जायेगा।

श्रीमती कमला : हां, दोनों में आ सकता है, वह आप करें या नहीं करें जिसमें कांस्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है; वह आप छोड़ नहीं सकते, इसलिए यह दो मुद्दे हैं, जो कि हमें लीगली एग्जामिन करने चाहिए और उसके हिसाब से इसको देखना चाहिए। इसके बाद इसमें स्पिरिट है, कांस्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में उसको माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने पढ़ा भी होगा, लेकिन फिर मैं आपको सुनाना चाहती हूं....

"The Legislature of a State may by law endow the municipalities with such power and authority as may be necessary to enable them to function as institutions of self-government and such law may

(श्रीमती कमला)

contain provision for devolution of power and responsibilities upon municipalities subject to these as under : ..." इस बिल का तात्पर्य, कांस्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से तात्पर्य यह है कि यह म्यूनिसिपैलिटीज और पंचायती राज, राज्य सरकार की एजेन्सीज, नहीं होगी कि हम तुमको यह पैसा देते हैं, यह काम पूरा कर लो, हम तुमको यह काम देते हैं और इस काम को पूरा कर लो, They themselves will be localself government. इसलिए चाहे छोटी म्यूनिसिपैलिटी है, जिसको हम नगर पालिका कहें, चाहे नगर परिषद है, चाहे नगर निगम है, they will be government in themselves.

इसलिए उस स्पिरिट के हिसाब से आपको इस बिल को फ्रेम करना चाहिए था, आपने इस स्पिरिट को, बिलकुल इसके अन्दर एक लाइन में भी किसी एक क्लाज में भी उतारने की चेष्टा नहीं की। इसलिए इसकी स्पिरिट के हिसाब से आप इसको सही नहीं कह सकते, यह मेरा निवेदन है। इसमें जैसे नगर परिषद, नगर निगम, उनकी जो स्थापना आपने लिखी है, अब इसमें आपको सबसे पहले यह देना चाहिए था कि नगर पालिका, आपने इसका नाम लिखा "नगर पालिक बोर्ड", माननीय अध्यक्ष महोदय, एक नई हिन्दी और नया शब्द काहे के लिए ला रहे हैं ? छोटी-छोटी नगर पालिकाएं आज हमारे स्टेट में है, वह नगर पालिका कहलाती हैं, बड़ी है वह नगर निगम। इसलिए "नगर पालिक बोर्ड" जो शब्द लाये हैं, हिन्दी और अंग्रेजी मिलाकर, संस्कृत का तुक लगाकर, इसको न करके नगर पालिका आप इसको रखें। तो नगर पालिकाएं कितनी पापुलेशन पर होगी, नगर परिषद कितनी पापुलेशन पर होगी, निगम कितने पापुलेशन पर होगा, ऐसा कहीं इसके अन्दर उल्लेख नहीं है।

श्री अध्यक्ष : यह नगर पालिका बोर्ड शब्द अद्भुत हो रहा है क्या ? कारपोरेशन के लिए भी और नगर परिषद के लिए भी ?

श्रीमती कमला : छोटी-छोटी नगर पालिका जिनको आज कहते हैं, उनके लिए हमने रखा है, इसलिए मेरा यह निवेदन है, यह बेतुका शब्द उपयोग न करके ...

श्री अध्यक्ष : मेरे पूछने का मतलब यह था, नगर पालिक बोर्ड में सब शामिल हो, तब तो यह शब्द समझ में आता है, लेकिन जब अलग-अलग नाम है, नगर पालिका, नगर परिषद् तो ..

श्रीमती कमला : इसलिए नगर पालिका जो शब्द है, हमारी छोटी-छोटी नगर पालिकाओं के लिए हमेशा से चला आता है, इसको एज इट इज रहने दें, तो अच्छा है और इसकी पापुलेशन कितने पर, क्या, कौनसी बनेगी, यह तो कम से कम उल्लेख करते इसमें। इसमें कहीं नहीं लिखा है, मुझे नहीं मालूम और कहीं लिख रखा हो, पुराने बिल में या पुराने एक्ट में या और किसी में, लेकिन इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि कितनी जनसंख्या के ऊपर इनको बनाया जायेगा। इसके बाद, माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें लिखा है ऐसे स्थानों की संख्या का, इनमें वार्डों का, ऐसे स्थानों की संख्या राज्य सरकार द्वारा समय समय पर राजपत्र में अधिसूचना द्वारा जारी की जायेगी। इतनी पापुलेशन पर एक वार्ड

(श्रीमती कमला)

बनें, यह आप नहीं बता सकते ? आप जनसंख्या का इसमें करिये, नहीं तो कल को आप क्या करेंगे, कोई आपको पसन्द आया तो छोटा सा वार्ड बना देंगे, कोई पसन्द आया तो बड़ा सा बना देंगे, किसी को दक्षिण से पश्चिम में मिला देंगे, किसी को उत्तर से पूर्व में मिला देंगे। इसलिए आपको इस मामले में निर्णय इसमें लिखना चाहिए कि दो हजार से लेकर ढाई हजार तक या तीन हजार तक के वार्ड बनेंगे या कम से कम किसी भी छोटी से छोटी नगर पालिका में भी 15 से कम कोई वार्ड नहीं होंगे, यह चीज आपको इसमें लिखनी चाहिए, उन्होंने कहीं नहीं लिखी है। आज छोटी सी म्यूनिसिपैलिटी है, अगर बड़ी जनसंख्या के वार्ड बना दिये तो मुश्किल से पांच-छः वार्ड ही बनेंगे तो फिर वह म्यूनिसिपैलिटी क्या होगी। इसलिए कम से कम हर एक म्यूनिसिपैलिटी में 15 वार्ड होंगे और वार्ड आम तौर पर दो हजार से चार हजार के बीच में बनेंगे। ऐसा जो भी आप तय करें यह इसके अन्दर बाकायदा स्पेसिफिकवे में लिखा जाना चाहिए।

इसके बाद, अध्यक्ष महोदय, वह एम. एल. एज. वाला आ ही गया, वह मैं रिपीट नहीं करना चाहती।

तीसरा, अनुसूचित जाति और जन जाति के आरक्षित स्थानों का आवंटन चक्रानुक्रम से ऐसी रीति से किया जायेगा जो राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित करे। फिर राजपत्र, आपको इसके लिए स्पेसिफिक तय करना पड़ेगा। जहां जहां जिस अनुपात में इनकी जनसंख्या है उस जनसंख्या के अनुपात में आपको उन सीटों को रिजर्व करना पड़ेगा और चक्रानुक्रम के लिए आपको यह तय करना पड़ेगा। सबसे पहले आप वहां अलाट करेंगे जो सबसे सघन आबादी है और सैकिन्ड राउण्ड में जब आप चुनाव करायें तो उससे नैक्स्ट जो सघन आबादी वाले हैं उनको आप करिये। जिससे आप मन मरजी से इनके चक्रों को न बना सकें, न बिगाड़ सकें। इसलिए स्पेसिफिकली इसके अन्दर यह लिखा जाना चाहिए कि सबसे सघन आबादी वाले प्रथम राउण्ड के अन्दर आरक्षित होंगे। उससे सैकिण्ड सघनता वाले सैकिण्ड राउन्ड में होंगे, उससे कम वाले थर्ड में होंगे और फिर अगर जरूरत नहीं है तो वापिस पहले नम्बर पर आप आ सकते हैं।

इसी तरह से आपको महिलाओं के लिए वह भी आपने कह दिया राज्य सरकार राजपत्र के अन्दर इसको घोषित करेगी क्यों ? आप महिलाओं को आबादी के हिसाब से नहीं कर सकते, आप हिन्दी वर्णमाला के हिसाब से कर दीजिये। एक पंचायत समिति में अगर सात सरपंच महिलायें होनी हैं तो उसमें आप अ, आ, इ, ई से जो भी पंचायत के नाम हैं उनको सात के हिसाब से बांटकर पूरे को दे दीजिये। उस बीच में अगर अनुसूचित जाति, जन जाति, ओ. बी. सी. की भी वन थर्ड महिलायें होंगी वह अगर बीच में उसके आता तो उसको एक को जोड़कर दूसरे को कर दीजिये। यह आपको इसमें लिखना चाहिए। सरकार से यह आशा की जा रही है कि आप इस तरह से स्पेसिफिक वे में किस तरह से आरक्षण का निर्धारण करेंगे और कैसे वह रोटेशन से आरक्षण

(श्रीमती कमला)

चलेगा। आपको यह देखने की जरूरत है।

इसके बाद, अध्यक्ष महोदय, इसमें लिखा है कि यह सारी जगह वन थर्ड वाला भी सरकार उससे करेगी, चक्रानुक्रम भी नहीं करेगी,.... (व्यवधान)

इसके बाद इसमें लिखा है कि सभी वार्ड यथा साध्य भौगोलिक रूप से संघित क्षेत्र होंगे यानि एक दूसरे से एडजाइनिंग होंगे। मैं आपसे यह भी पूछना चाहती हूं कि आप इसके अन्दर यह जो प्रावधान कर रहे हैं क्या आपने अभी जो वार्ड बनाये हैं जो बहुत ही बेतुके बने हुये हैं, बीच में कोई वार्ड आ गया, उसके बाद दूसरा, तीसरा वार्ड आ गया, उसके बीच में फिर पहला वार्ड आ गया है और भौगोलिक दृष्टि से भी आपने सही नहीं देखा है, एक पंचायत के दो टुकड़े कर दिये हैं, . क्या आप इसको वापस देखने का कष्ट करेंगे ? यह तो सिर्फ पूछने की बात है इसमें मुझे आपको बताने वाली बात नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, इसमें पेज नम्बर 14 के ऊपर भाग पांच में लिखा है नगरपालिकाओं के अध्यक्षों के इतने पद, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, पिछड़े वर्गों और महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे जितने राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर राजपत्र में अधिसूचित किये जायेंगे। फिर वही अधिसूचित किये जायेंगे। जब एक तिहाई कम से कम होंगे तो इतने का उनको अधिकार कहां है। इतने पद का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो राज्य सरकार जो अपने लिये यह अधिकार लेना चाह रही है, यह तो कान्स्टीट्यूशन अमेंडमेंट में दिया ही नहीं है। इनको उन्होंने कह दिया है कि वन थर्ड तो होना ही होना है, ज्यादा करने की मंशा है तो हम आपको बधाई देना चाहते हैं। लेकिन आपको यह अधिकार नहीं है कि कितने पद करोगे। आपको यह करना है कि आप जो करोगे एक तिहाई वह किस आधार पर करोगे और कैसे करोगे और किस प्रक्रिया से करोगे। इसके लिए आपको इस बिल के अन्दर प्रावधान करना जरूरी है।

श्री अध्यक्ष : इस अमेंडमेंट में वन थर्ड का प्रोवीजन चेयरमैन पर भी लागू है क्या ? आप देख लीजिये कि चेयरमैन्स पर भी लागू है क्या ?

श्रीमती कमला : जी हां। इसमें चेयरमैन और वार्ड मैम्बर्स उन सबके ऊपर यह लागू है। जैसे पचायत राज में सरपंच, प्रधान, प्रमुख सबसे ऊपर लागू है, उसी तरह से बाकायदा आपको स्पेसिफिक वे में इन बातों को लिखना चाहिए। जैसे अभी अविश्वास प्रस्ताव के लिए कहा। आपकी यह बात सही है कि समय-समय पर बार-बार यही मन में आती रहे अध्यक्ष के कि मेरे खिलाफ तो अविश्वास प्रस्ताव आने वाला है तो वह काम क्या करेगा। लेकिन दो साल तो बहुत ज्यादा होते हैं। माननीय सदस्यों की तो यह मंशा है कि 6 महीने होना चाहिए लेकिन मैं यह मानती हूं कि एक साल से ज्यादा तो हरगिज नहीं होना चाहिए। एक साल प्रथम बार आने के बाद में जब यह अविश्वास प्रस्ताव रखा जाय, उसके बाद दो साल तक नहीं आना चाहिए, यह

(श्रीमती कमला)

इसमें है, उसको तो हम मानते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ।

इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, इसमें लिखा है कि राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित किये जाने वाले पांच से अधिक या ऐसे अन्य सदस्य जिनका यह होगा उनको भी यह करेंगे तो मेरा यह निवेदन है कि बजाय इसके कि आप सिर्फ उस भाषा को रिपीट कर दें, आप उसमें लिखिये कि वह किस कैटेगरी के लोग होंगे जिससे आपको कोई तकनीकी विशेषज्ञ लेना हो, उसके बजाय आप किसी एक कार्यकर्ता को लाकर बैठा दें तो यह आप न कर पायें । इसलिये किस योग्यता के लोग इसमें आयेंगे वह स्पेसिफिकली इसके अन्दर मेन्शन कर दीजिये जिससे उसके क्राइटेरिया में जो व्यक्ति आयेगा सिर्फ वही नोमिनेट किया जा सके । इसके अलावा किसी को पोलिटिकली या सोशियली या पर्सनली अथोराइज करने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की जा सके ।

इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, यह लिखा है कि अध्यक्ष का पद उसकी अवधि की समाप्ति के पूर्व रिक्त होने की दशा में वार्ड समिति रिक्ती होने के पश्चात जितना शीघ्र सुविधानुसार होगा, यह क्या सुविधानुसार हुआ ? इसकी सीमा बांधनी चाहिये । अध्यक्ष का पद रिक्त होने के बाद 2 महीने में, 3 महीने में, 5 महीने में आप चुनाव जरूर करा देंगे, यह इसमें लिखा जाना चाहिये । सुविधानुसार जितना जल्दी हो सकेगा, यह तो एक ले मेन की सी भाषा हो गयी, यह तो कानून की भी नहीं है और किसी मिनिस्टर या किसी सरकार की भी भाषा नहीं है । इसलिये इसके अन्दर स्पेसिफिक आपको समय लिखना चाहिये ।

दूसरा, समिति में इतने सदस्य होंगे जितने राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना में ज्ञापित किये जायेंगे, अब फिर वह अधिसूचना, आपको संख्या ही तो लिखनी है, लिख दीजिये इसमें । संख्या भी नहीं लिखना चाहते हैं, इतना भी कष्ट नहीं करना चाहते हैं यह । वह भी आप उनको नहीं देना चाहते तो फिर क्या स्वायत्तता हुई, इसलिये इसमे संख्या लिखनी चाहिये ।

इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, कृत्यों के बारे में है । कृत्य वह होंगे जो महानगरीय क्षेत्र के लिये और दूसरी जगह म्यूनिसिपैलिटीज के लिये आयोजन और समन्वय के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट किये जायें । इसमें 18 पाइंट दिये हुए हैं अध्यक्ष महोदय । इसमें कहीं यह नहीं लिखा जो कि इसका मूल मर्म है, भावना है, आत्मा है इस बिल की या इस कांस्टीट्यूशन अमेंडमेंट की कि उन 18 में से आपको यह बताना पड़ेगा स्पेसिफिकली बिल के अन्दर कि हम यह यह कर्तव्य, यह अधिकार, यह साधन, यह उसका स्टाफ, यह सब का सब हम पालिका को देंगे, इन को तीनों कैटेगरीज को अलग-अलग क्वालिफाई करके यह बताना पड़ेगा कि इन 18 में से आप और ज्यादा देना चाहते हैं तो 25-26 कर दें, लेकिन 18 में से तो देना ही पड़ेगा । उन 18 मे से नगर पालिका, जो सब से छोटी इकाई है, आप क्या-क्या देंगे, जो परिषद् है बीच की इकाई, उसको आप क्या देंगे, निगम को आप क्या देंगे और जो देंगे उसके साथ आपको सारा फाइनेन्स, सारा स्टाफ और सारी वर्किंग पावर, सारी

(श्रीमती कमला)

आटोनामी देनी पड़ेगी। आप अभी भी अपने आपको उसी हैसियत में मान रहे हैं जिसमें आज पंचायत राज और नगर पालिकाओं को बना रखा है कि तुमको एक धेला भी चाहिये तो सरकार के आगे खड़े हो जाओ। हमने धेला दिया है, इस धेले को खर्च करो, इसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट लाओ फिर तुमको आगे देंगे। जैसे हम उनके कोई ठेकेदार हैं। तो अभी भी वह ठेकेदार के रूप में -संस्थाओं को बनाना चाहते हैं जब कि इसकी मंशा यह है कि यह स्वायत्तशासी संस्थाएं होनी चाहिये और उस हिसाब से आपको इनके कर्तव्यों का, अधिकारों का इसके अन्दर उल्लेख करना चाहिये। तो यह बहुत बड़ी खामी इसके अन्दर रखी गयी है और इसकी भावना तो उसके हिसाब से बिलकुल खतम कर दी गयी है। ऐसा नहीं होना चाहिये। ऐसी समिति का अध्यक्ष ऐसी रीति से चुना जाएगा जो विहित की जाएगी। अध्यक्ष का चुनाव किस रीति से होगा वह भी आप उल्लेख नहीं करना चाहते। वह भी आप बाद में बतायेंगे। बड़ी गुप्त बात है? इसलिये यह तो कम से कम लिखिये कि उसकी चुनाव की प्रक्रिया क्या होगी। यानि कोई भी एक क्लाज, माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं है जिसमें इन्होंने सीधे यह लिख दिया होगा कि यह चीज हम यों-यों करते हैं। कहीं भी नहीं लिखा। यही लिखा है, अधिसूचना जारी करेंगे, निर्देसित करेंगे, विनिर्दिष्ट करेंगे। जाने क्या क्या शब्द छांट कर लाये हैं और उस हिसाब से कहीं पर भी एक लाइन भी म्यूनिसिपैलिटी को अधिकृत करने वाली, स्वायत्तता देने वाली या कांस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट की भावना को प्रतिपादित करने वाली इन्होंने नहीं रखी है। इसलिये उस हिसाब से यह बहुत ही अजीब-सा बिल ला कर इन्होंने प्रस्तुत कर दिया।

इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, अनुसूची 12 का क्रियान्वयन जो महानगरीय विकास आयोजन समिति है वह करेगी। अब वह उन 18 पाइंट्स का जो बारहवां शिड्यूल है, शिड्यूल ग्यारह पंचायत राज का है और बारहवां इनका है तो इस सारे को महानगरीय कारपोरेशन है वह एक्जीक्यूट करेगा। तो जो नीचे म्युनिसिपल कौंसिल है और जिनके यहां नगर पालिका है उनको कहां क्या जाएगा, किसको कितना देंगे, गवर्नमेंट क्या रखेगी, वह कुछ भी नहीं है। लिख दी एक लाइन सीधी-सी कि सारे 18 पाइंट्स यह करेंगे और जो और कृत्य सरकार देगी वह भी कर देंगे। पर क्या कर देगी और कैसे करेंगे, उसका कुछ भी इसके अन्दर उल्लेख नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इसलिये मेरा निवेदन है माननीय मंत्री महोदय से कि इतना वेग बिल, इतना बिलकुल राज की मुट्ठी में एक-एक अंश बांध कर रखने वाला बिल, कांस्टीट्यूशन अमेंडमेंट की स्पिरिट के खिलाफ, और कानून के भी कई मुद्दों के बाहर इस तरह का बिल आपने प्रस्तुत किया है वह दरअसल वापस निरीक्षण के योग्य है और वह करना चाहिये।

इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, बोर्ड में निहित सारी सम्पत्ति विघटन की कालावधि के दौरान राज्य सरकार में निहित होगी। जब बोर्ड विघटित हो जाएगा उसके बाद में आप प्रशासक लगायेंगे, आपने लिखा है। तो जब प्रशासक मौजूद है और बोर्ड

(श्रीमती कमला)

मौजूद है तो उसकी प्रोपर्टी आप सरकार को कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं ? यह कोई इलेक्टेड बाडी नहीं है लेकिन प्रशासक is as good as the elected body. तो इसलिए उसकी प्रापर्टी को आप गवर्नमेंट को ट्रांसफर नहीं कर सकते। यह बहुत गलत आपने प्रावधान इसमें किया हुआ है। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा इन्होंने यह लिखा है, यदि किसी बोर्ड के किन्हीं भी साधारण निर्वाचनों पर और उनकी पारिणामिक कार्यवाहियों पर किसी भी सक्षम न्यायालय या प्राधिकारी के द्वारा लगायी गयी किसी भी रोक के कारण उप-धारा पांच में विनिर्दिष्ट समय के भीतर कोई बोर्ड पुनर्गठित करना सम्भव नहीं हुआ तो सरकार विनिर्दिष्ट करेगी।

अध्यक्ष महोदय, कांस्टीट्यूशन अमेंडमेंट की धारा 243 जेड (जी) के अन्दर लिखा है कि इन चुनावों के सम्बन्ध में कोई भी न्यायालय इण्टरफियरेंस नहीं कर सकेगा। यह भी बाकायदा एक प्रावधान इसके अन्दर मौजूद है, अगर किसी को भी चैलेंज करना है तो रिट पिटीशन से चैलेंज करेगा बाकी किसी भी चुनाव प्रणाली को किसी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। और इन्होंने इसमें अपने लिये एक सेविंग क्लाज बना धीरे से कि कौन इसको देखेगा। यह आपने क्या किया कि आप जबरदस्ती एक अदालत की आड़ ले रहे हैं। अगर अदालत के किसी आर्डर के कारण कभी कोई चुनाव नहीं कराया जा सकेगा तो उनको सरकार विनिर्दिष्ट करेगी कि कब किया जाएगा, कैसे किया जाएगा। तो, अध्यक्ष महोदय, यह कुछ बड़े-बड़े, मोटे-मोटे मुद्दे मैंने आप के और सदन के सामने रखे हैं, छोटे-छोटे और भी कई मुद्दे हैं लेकिन यह खुद ही इतने बड़े और महत्वपूर्ण हैं....

श्री अध्यक्ष : आप कह रही हैं रिट पिटीशन के आधार पर। हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया तो ?

श्रीमती कमला : हां, जी ?

श्री अध्यक्ष : आप कह रही हैं रिट पिटीशन के आधार पर, तो इसको चैलेंज किया जा सकता है, जैसा आप कह रही हैं ...

श्रीमती कमला : हां, वह रिट पिटीशन में जा सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया तो ?

श्रीमती कमला : नहीं, यह तो चुनाव ही शुरू नहीं करना चाहते, साहब। वह तो बाद की बात है।

श्री अध्यक्ष : मतलब यह क्लाज तो रखना पड़ेगा कि यदि हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया तो मानें कि नहीं। इसलिए यह क्लाज तो रहेगा।

श्रीमती कमला : रिट के तहत तो कुछ आएगा तो वह तो मानना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष : इसलिए उसका मकसद ही यही है। कोर्ट का मतलब यही है।

श्रीमती कमला : लेकिन यह तो पहले से इन्होंने लिख दिया।

श्री अध्यक्ष : नहीं, जब कानून में व्यवस्था यह है कि सिवाय हाई कोर्ट के

(श्री अध्यक्ष)

और किसी तरीके से चैलेंज किया नहीं जा सकता तो और कोई अदालत तो स्टे देगी ही नहीं केवल हाई कोर्ट ही देगा।

श्रीमती कमला : चलिये, मान लेते हैं कि भाई, आपने बहुत एहतियात बरती लेकिन बाकी जो मुद्दे हैं, अध्यक्ष महोदय, वह इतने गम्भीर हैं और इतने वेग हैं और जो इनको करना चाहिये था एक्सरसाइज, मेहनत और होमवर्क, वह इन्होंने कतई नहीं किया है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : संविधान संशोधन में भी कोर्ट्स को हिबार किया है।

श्री अध्यक्ष : वही तो यह बता रही हैं।

श्रीमती कमला : तो मैं और क्या कह रही हूं ? मैं भी यही कह रही हूं। इस लिए और भी डिटेल में कमेटी बना कर क्लाजवाइज एक-एक आइटम को देख लीजिये। सब सदस्य अपनी राय प्रकट कर रहे हैं और भी करेंगे और उसके बाद में इसको एक अच्छा, बढ़िया, इनस्पिरिट, जो इसकी भावना है, जो चाहा है और जो हम चाहते हैं यह स्वायत्तशासी संस्थाएं बनें और यह खुद शासन करें, उसके मुताबिक इसको बना कर के तैयार करिये जिससे कि हम यह कह सकें कि राजस्थान ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती तारा भण्डारी। (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : अध्यक्ष महोदय, इसमें मेरा....

श्री रमाकान्त शर्मा : सिर्फ वार्ड्स का और सीट्स का....

श्री अध्यक्ष : जगतार सिंहजी का है, आपके पहले। एक-दो इधर से भी आ जाएं; क्या नुकसान है इसमें। इधर से भी एक आ जाए।

श्री रमाकान्त शर्मा (थानागाजी) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह बता रहा था कि सिर्फ वार्ड्स का और सीट्स का ही रिजर्वेशन है, चेयरमैन का रिजर्वेशन नहीं है इस एक्ट के अन्दर। जो अभी बात बतायी थी कि चेयरमैन का भी रिजर्वेशन है, इसके तहत चेयरमैन का रिजर्वेशन हो भी नहीं सकता। (व्यवधान)

श्रीमती कमला : पंचायतों के लिए कहा है मैंने। (व्यवधान)

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : अध्यक्ष महोदय, यह जो नगरपालिका संशोधन विधेयक आया है इसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो एकदम अस्पष्ट और अंधेरे में हैं। इसमें धारा 295 के अन्तर्गत कोई भी सरकार किसी भी चुनी हुई नगरपालिका को सुपर सीड कर सकती है। अब वह सुपरसीड क्यों करेगी, इसमें क्या आरोप होंगे तो करेगी या उसका इंक्वायरी आफिसर किस रैंक का होगा, किसी भी तरह का इसमें विवरण नहीं देते हुए सुपरसीड करेगी, लिख दिया। अध्यक्ष महोदय, आप अभी भूले नहीं होंगे, संविधान की धारा 356 में तो एक विवरण दिया हुआ है, किसी राज्य की कानून-व्यवस्था खराब हो तो सुपरसीड किया जाए, अव्यवस्था हो तो सुपरसीड किया जाए। फिर भी आप देखते

(श्रीमती तारा भण्डारी)

हैं, पिछले दिनों केन्द्र सरकार ने इस बात का कोई लिहाज नहीं रखा।

श्री अध्यक्ष : आप अपनी बात कहिये।

श्रीमती तारा भण्डारी : किसी प्रकार का लिहाज नहीं रखा और उस धारा 356 का एक + + + की तरह उपयोग किया, अध्यक्ष महोदय, और राजस्थान की जनता को लावारिसों की तरह झोंक दिया ... (व्यवधान) यह तो आपके ही कारनामे बोल रही हू। बैठो-बैठो.... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : गलत है, आपने साम्प्रदायिक दंगे कराये इसलिए किया है ...

श्रीमती तारा भण्डारी : देखिये, कमलाजी बोल रही थीं तो हम सुन रहे थे। आप आदर करना सीखो महिलाओं का।

श्री हरिसिंह (महुआ) : अब डेढ़ साल बाद ही होगा .. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : देखिये, इस साल महिला वर्ष है, दो महिलाए बोल रही हैं इसलिए चुप रहिये इसी में फायदा है।

श्रीमती तारा भण्डारी : अध्यक्ष महोदय, ऐसा बढ़िया राजस्थान का राज चल रहा था जिसकी वित्त आयोग ने प्रशंसा की, हमारे पूर्व गवर्नर श्री चेन्नी रेड्डी ने तो जगह-जगह सार्वजनिक स्थानों पर प्रशंसा की कि राजस्थान का राज बहुत अच्छा चल रहा है ...

श्री अध्यक्ष : मैंने बहुत गलती की, आपको डाइवर्ट कर दिया। आप अपने विषय पर आइये। आप अपने विषय पर आइये।

श्रीमती तारा भण्डारी : धारा 356 के अन्तर्गत जनता पर बेवजह चुनाव का भार लाद दिया।

श्री अध्यक्ष : आप अपने विषय पर आइये।

श्रीमती तारा भण्डारी : मेरे विषय पर ही हूं, अध्यक्ष महोदय, मेरा विषय यही था। तो मेरा इसमें यह कहना है कि यह धारा जो लगायी है यह तो हिटलरशाही हो जायेगी। अध्यक्ष महोदय, चुनी हुई संस्थाओं को आज आप देखते हैं कि एक छोटी से छोटी बात का तो राजनीतिकरण होता है, छोटी से छोटी बात में राजनीतिक प्रभाव आता है। तो यह राजनीतिकरण के कारण इन संस्थाओं के जो चुनाव होंगे, सरकार किसी भी समय उनको डिजोल्व कर दे। अध्यक्ष महोदय, इसमें एक और धारा है कि किसी भी पंचायत क्षेत्र को कभी मर्जी आये उसको नगरपालिका में.... (व्यवधान) आप सुनिये, साहब, हमारी भी बात सुनिये, हम आपकी सुनते हैं और अपना सब का भला है यह तो राजस्थान की बात हो रही है, किसी के क्षेत्र की नहीं हो रही।....(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय महिला सदस्य बोलें तो आप थोड़ा यूं रखा करें।

श्रीमती तारा भण्डारी : अध्यक्ष महोदय, किसी भी ग्राम पंचायत को किसी भी

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्रीमती तारा भण्डारी)

नगर पालिका में मिलाते हैं अच्छी बात है लेकिन कम से कम उस ग्राम पंचायत के लोगों की भावना तो जानी जाए। उस ग्राम पंचायत का प्रस्ताव तो हो। आपके सरकारी आफिसर मनमानी करके किसी भी क्षेत्र को मिला लेवें और किसी भी क्षेत्र को निकाल देवें। मेरे शिवगंज के पास केसरपुरा ग्राम पंचायत है और बरसों पहले नगरपालिका ने एक नोटिस निकाल कर कह दिया, यह केसरपुरा हमारे साथ है। आज भी वो ग्राम पंचायत बनी हुई है। उनकी सारे रूलिंग ग्राम पंचायत के अन्तर्गत होती हैं। लेकिन इसको भुगतता कौन है ?- वहां की जनता। केसरपुरा ग्राम पंचायत का जो क्षेत्र शिवगंज नगरपालिका क्षेत्र में मिलाया है इन्होंने अपनी तानाशाही से, उसका कोई औचित्य नहीं है। इससे वहां पर जो औद्योगिक क्षेत्र के लोग हैं वह बेचारे मर रहे हैं। औद्योगिक क्षेत्र के लोग सोचते हैं कि हम ग्राम पंचायत में हैं, आक्ट्राय नहीं देंगे। नगरपालिका कहती है हमारा क्षेत्र है, हम आॅक्ट्राय लेंगे। इस प्रकार से विवाद खड़ा नहीं हो, अध्यक्ष महोदय, इसके लिए किसी भी क्षेत्र को मिलाने के लिए या उसको हटाने के लिए कम से कम वहां की जनता और वहां की ग्राम पंचायत का प्रस्ताव ले लिया जाए। बाकायदा वो क्षेत्र डिमार्क हो, नोटिफिकेशन हो और उसके बाद आपत्तियां इनवाइट करके फिर आर्बिट्रेरी आधार पर हो तो वो तो कोई बात हुई। अध्यक्ष महोदय, इसमें लिख दिया जो अविश्वास प्रस्ताव छह महीने में आता था वह दो वर्ष में आयेगा। मेरी समझ में नहीं आता कि हमारे नगरपालिका मन्त्रीजी दो वर्ष की अवधि कहां से ले आए। एक वर्ष नहीं, डेढ़ वर्ष नहीं, दो वर्ष। नगरपालिका का पीरियड पांच वर्ष का तो कुल होता है। अगर किसी नगरपालिका का अन्तिम समय में कोई अविश्वास प्रस्ताव आ गया और वो फेल हो गया तो वो चेयरमैन और बोर्ड को मनमानी करने के लिए छोड़ दिया। किसी का डेढ़ वर्ष का पीरियड बाकी है। आबू रोड नगरपालिका का उदाहरण मैं देना चाहूंगी। अध्यक्ष महोदय, अभी पिछले दिनों वहां अविश्वास प्रस्ताव आया था। अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। आज वह आबू रोड नगरपालिका भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी है। वहां पर जन प्रतिनिधियों ने दो-दो महीने तक धरना दिया नगरपालिका को भंग करने के लिए। सुनवाई नहीं हुई। वहां के सदस्यों के खिलाफ गम्भीर आरोप थे। उन्होंने नगरपालिका क्षेत्र के प्लाटों की बंदरबांट कर लीं, खुद-खुद ने ले लिए। उसकी जांच एस डी.एम, आबू रोड ने कर ली, उसकी जांच अन्य अधिकारियों ने कर ली, कलक्टर ने कर ली। राज्य सरकार के पास उन भ्रष्ट मैम्बरों के प्रस्तावों पड़े हुए हैं, सरकार न तो उन सदस्यों को सदस्यता से हटाती है और न ही आबू रोड नगरपालिका में अब अविश्वास प्रस्ताव आ सकता है। तो, अध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है कि दो वर्ष की अवधि का बिलकुल औचित्य नहीं है। ठीक है छह महीने से जल्दी प्रस्ताव नहीं आना चाहिए। इसको साल भर ज्यादा से ज्यादा कर दिया जाए (व्यवधान) नहीं, नहीं। काम करने के लिए कुछ अवधि तो देनी चाहिए परन्तु इस प्रकार की अवधि भी नहीं हो कि वो बिलकुल भ्रष्टाचार के अड्डे बन जाए। अब रोज नगरपालिका के मामले अखबारों में छपते हैं। आबू रोड नगरपालिका नहीं

(श्रीमती तारा भण्डारी)

नरक पालिका है नरक पालिका। लोगों ने उसका नाम, टाइटल बदल दिया 'नरक पालिका, आबू रोड'। सरकार क्यों नहीं फैसला करती उसको भंग करने का।

श्री अध्यक्ष : अब आगे का पाइंट लीजिये ना, यह तो हो गया।

श्रीमती तारा भण्डारी : नहीं, पाइंट यह सही है, अध्यक्ष महोदय, मेरा क्षेत्र है। आबू रोड में रोड ...

श्री अध्यक्ष : मैंने आपको इस नगरपालिका अधिनियम के सम्बन्ध में बोलने की इजाजत दी है, आबू रोड पालिका पर नहीं।

श्रीमती तारा भण्डारी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी भावनाओं की कद्र करते हुए अपनी बात आगे बढ़ाती हूं....

श्री अध्यक्ष : मुझे बन्द करना पड़ेगा। आप केवल....

श्रीमती तारा भण्डारी : इसमें एक क्लाज और है।

श्री अध्यक्ष : सजेशन दीजिए।

श्रीमती तारा भण्डारी : अनुसूचित जाति का सदस्य, जनजाति का सदस्य या महिला किसी भी केजुअलिटी के कारण सदस्य न रहे तो उसका को-आप्शन होगा। अब को-आप्शन कैसे होगा, वो तो बताया ही नहीं। को-आप्शन की प्रक्रिया क्या होगी, को-आप्शन का पीरियड क्या होगा, को-आप्शन कौन करेगा, कम से कम यह प्रक्रियाएं तो देनी चाहिए थी कि यह को-आप्शन कैसे हो? ....(व्यवधान) सारा हिसाब हो तो फिर अमेंडमेंट की जरूरत क्या है?

श्रीमती कमला : को-आप्शन नहीं है उसमें।

श्रीमती तारा भण्डारी : यह तो हिसाब से ही चलें।.... (व्यवधान) 6 अ में सहूवरण लिखा है। केजुअलिटी में को-आप्शन है, देखो आप, 30 नम्बर देखो.... (व्यवधान) है साहब, को-आप्शन है। पूर्ति की जाएगी, कैसे की जाएगी? चुनाव से होगी कि को-आप्शन से होगी वो कुछ भी नहीं। यह मैं पढ़कर बता रही हूं। यह साफ लिखा है इस एक्ट में— "This act by co-option of— (a) a person belonging to Scheduled Castes or Tribes, if the vacancy caused is of a person belonging to such Caste or Tribe...." को-आप्शन साफ लिखा है। 30 नम्बर पढ़ो।

श्री अध्यक्ष : तो वो तो हो गये।

श्रीमती तारा भण्डारी : खैर को-आप्शन नहीं होगा, चुनाव होंगे, कुछ भी होंगे। उसे स्पष्ट करना चाहिए।

श्रीमती कमला : ठीक बात है।

श्रीमती तारा भण्डारी : अध्यक्ष महोदय, एक बात और कहकर अपनी बात समाप्त करूंगी। नगरपालिकाओं में अक्सर तीन कमेटियां हुआ करती थीं। अब इस अमेंडमेंट में पांच कमेटी बनायी हैं। बहुत अच्छी बात है। इसकी हम सराहना भी करते हैं कि थोड़ा काम का भार घटेगा और विकेन्द्रीकरण होने से काम भी बढ़ेगा।

(श्रीमती तारा भण्डारी)

लेकिन नगरपालिकाओं का मूल काम शिक्षा होना चाहिए। तो, वित्त कमेटी बना दी, स्वायत्त कमेटी, निर्माण कमेटी, नियम कमेटी, यातायात कमेटी बना दी लेकिन शिक्षा के नाम से इसमें कोई कमेटी नहीं है। मेरा, अध्यक्ष महोदय, सुझाव है कि नगरपालिकाओं में शिक्षा कमेटी जरूर होनी चाहिए ताकि प्राइमरी स्कूल तक की एजूकेशन के लिए नगरपालिका विचार करे। स्कूलों के लिए जमीनें भी नहीं देती। अध्यक्ष महोदय, आज शहरों की हालत क्या है? जिस शहर में प्राइमरी स्कूल के लिए जमीन नहीं है वे या तो पेड़ के नीचे चलती हैं या कुछ भी उसकी हालत होती है। हमारे मान्यवर कटारिया जी अभी पिछले दिनों सिरोही गये थे। लोग इनसे मिले। नगरपालिका प्राइमरी स्कूल के लिए जमीन नहीं देती। तो कम से कम एजूकेशन का थोड़ा बहुत भार नगरपालिकाओं पर डाला जाए तो प्राइमरी स्कूल के रख-रखाव, जमीन व उनके बच्चों के लिए कुछ न कुछ सुख-सुविधा नगरपालिका करे। अध्यक्ष महोदय, इस कानून में और भी कई खामियां हैं। ....(व्यवधान) नहीं, कहती, नहीं कहूंगी।

मुझे समय दिया इसका धन्यवाद करते हुए मेरा यही सुझाव है कि यह नगरपालिका कानून जो सारे राजस्थान के लिए बन रहा है, वर्षों तक चुनाव नहीं हुए, सिरोही नगरपालिका के 1980 में चुनाव हुए थे उसके बाद आज तक चुनाव नहीं हुए। वो नगरपालिका किसी काम की नहीं। केवल लोगों का शोषण करना, केवल नगरपालिका सदस्यों की रेकरिंग इनकम उनका तरीका है। केवल लोगों का शोषण करके कैसे कमायें। इसलिये इसको प्रवर समिति में सौंपने का प्रस्ताव करती हूं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री अध्यक्ष : बैठिये। माननीय मन्त्रीजी।

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा का जो मुख्य काम है वह कानून बनाना है, और कानून ऐसा बनाना चाहिए इसमें किसी प्रकार की कमी नहीं रहे और वह जनहित के लिए ठीक हो। इस परपज के लिए यह कानून लाया जा रहा है। यह उस परपज को हमेशा पूरा करता रहेगा। अभी जो चर्चाएं हुई हैं उसमें माननीय सदस्यों ने बहुत ही अच्छे सुझाव दिये हैं। उनके विचार के लिए इसमें बहुत गुंजाइश है और जैसे प्रस्ताव आया है, माननीय सदस्या का भी आया....

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, जब तक मन्त्रीजी का वक्तव्य समाप्त हो तब तक सदन का समय बढ़ाया जाए।

(स्वीकृत)

श्री अध्यक्ष : समय बढ़ाया गया।

विधेयक को प्रवर समिति को सुपुर्द करने का संशोधन प्रस्ताव

श्री भंवरलाल शर्मा : प्रवर समिति में

(श्री भंवरलाल शर्मा)

इस बिल को दिया जाए तो मुझे इसमें आपत्ति नहीं है। पर एक बात है, प्रवर समिति में भेजें जरूर, जैसे माननीय सदस्यों की शिकायत है कि कई वर्षों तक चुनाव नहीं हुए तो प्रवर समिति के नाम पर ऐसा न हो कि हम इसको पास न करें।

श्रीमती कमला : समय निर्धारित कर दीजिये।

श्री भंवरलाल शर्मा : तो वो ही मेरा निवेदन है ... (व्यवधान) चिन्ता यह है कि वर्तमान सरकार चुनावों को तुरन्त कराना चाहती है। वो तुरन्त जनता के वहां चली जाएगी, यह हमारी इच्छा है और हम इसका विकेन्द्रीकरण करना भी चाहते हैं, हमारे हाथ में कुछ रखना नहीं चाहते। ये जो आपने यहां कई शंकाए प्रकट की हैं जैसा आपने कहा भी है कि पूरा पढ़ा नहीं, वो भी कहीं विसगति आपके दिमाग में रह सकती है। लेकिन ज्यादा अच्छा होगा, सब एक साथ बैठेंगे तो यह सब बातें ठीक हो जाएंगी। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस समिति को आप सुपुर्द कर दें और उसके नाम की घोषणा भी आप कर दें और यह तय कर दें कि वो इसी महीने की 20 तारीख तक रिपोर्ट दे दे। इसमें कोई ज्यादा समय लगेगा भी नहीं। एक साथ बैठेंगे तो जल्दी हो भी जाएगा। तो 20 तारीख तक दे दें इसको आप।

(18.00)

सदनेतर समिति का गठन

आवासन मण्डल के क्रियाकलापों की जांच हेतु समिति, 1994

श्री अध्यक्ष : समिति का कल मैं नाम आपके सामने घोषित कर दूंगा। आज नियम 131 के अन्तर्गत आवासन मण्डल के सम्बन्ध में जो बहस हुई उनको मद्देनजर रख कर राज्य सरकार और नगरीय आवास विकास एवं आवासन मन्त्री द्वारा एक कमेटी गठित करने की जो घोषणा की थी, मैं आपके सामने उस कमेटी के नाम घोषित कर रहा हूं। श्री घनश्याम तिवाड़ी की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की यह कमेटी है, जिसमें श्री किशन मोटवानी, सदस्य, श्री माधव सिंह दीवान सदस्य, श्री नरपत सिंह राजवी, सदस्य, श्री अर्जुनदास मदान, सदस्य, श्री किशन गोपाल कोगटा, सदस्य। यह समिति अपनी रिपोर्ट एक महीने के अन्दर देगी और इसकी टर्म्स और रेफरेंसेज हम तय करके समिति को दे देंगे।

सदन की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 4 मार्च, 1994 के 11:00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदन्तर सदन की बैठक 18:01 बजे शुक्रवार, दिनांक 4 मार्च, 1994 के 11:00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट-1

तारांकित प्रश्न संख्या 165 की सूची

क्र.सं.	नाम ग्राम	सिंचाई (सी.सी.ए.) एकड़ में
1.	नाल	705 एकड़
2.	मोचोर	442 एकड़
3.	फतेहपुरा	653 एकड़
4.	लक्ष्मीपुरा	166 एकड़
5.	देवलच	74 एकड़
6.	खेरपुर	595 एकड़
7.	खेड़ी	572 एकड़
8.	गुठा	534 एकड़
9.	भवानीपुरा	69 एकड़
	कुल भूमि	3610 एकड़

परिशिष्ट–2

तारांकित प्रश्न संख्या 168 का विवरण

राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा संचालित होटल/मिडवे का आय/व्यय विवरण वर्ष 1990–91 से 1992–93 (लाख रुपयों में)

क्र.सं.	होटल/मोटल का नाम	वर्ष 90–91		वर्ष 91–92		वर्ष 92–93	
		आय	व्यय	आय	व्यय	आय	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	होटल गणगौर, जयपुर	171.67	135.74	210.21	166.76	244.04	184.31
2.	होटल तीज, जयपुर	123.01	106.18	147.99	125.28	171.22	144.19
3.	होटल घूमर, जोधपुर	104.04	84.71	151.07	125.03	196.69	160.35
4.	होटल खादिम, अजमेर	76.55	63.10	95.95	79.61	127.21	102.84
5.	होटल कजरी, उदयपुर	67.10	54.60	97.58	75.42	114.89	94.23
6.	होटल चम्बल, कोटा	60.09	53.26	73.04	71.11	91.45	74.45
7.	होटल मूमल, जैसलमेर	33.40	27.03	52.05	40.39	47.41	35.63
8.	टूरिस्ट होटल, जयपुर	60.64	56.40	88.71	81.29	121.16	110.66
9.	झूमर बावड़ी, सवाई माधोपुर	22.28	16.30	30.75	22.62	33.72	23.75

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	टाइगर डेन, सरिस्का	15.59	12.86	24.17	17.87	31.48	21.53
11.	होटल शिखर, माउन्ट आबू	30.51	28.30	57.95	51.61	66.89	57.29
12.	होटल स्वागतम्, जयपुर	59.95	57.13	81.42	74.77	90.28	80.95
13.	होटल सरोवर, पुष्कर	12.61	11.88	15.64	12.14	21.24	15.01
14.	होटल लेक पैलेस, सिलीसेढ़	42.12	35.14	50.93	43.17	38.31	32.14
15.	होटल ढोला मारू, बीकानेर	35.04	31.88	45.72	42.13	50.67	46.30
16.	होटल मीनाल, अलवर	—	—	—	—	16.76	14.22
17.	होटल पन्ना, चित्तौड़गढ़	20.80	19.60	24.49	24.17	30.18	28.22
18.	होटल सारस, भरतपुर	23.84	19.26	29.23	24.85	31.50	30.10
19.	होटल पुरजन विवास, माउन्ट आबू	20.39	16.86	0.96	0.28	1.06	0.01
20.	सरोवर, कैफेटेरिया, मा. आबू						
21.	होटल गवरी, रिशबदेव	7.05	6.49	8.98	7.38	9.16	8.11
22.	होटल कामधेनू, स. माधोपुर	4.08	3.06	9.33	6.95	7.04	6.52

(191)

1	2	3	4	5	6	7	8
23.	होटल वन विहार, धौलपुर	—	—	—	1.55	1.63	1.44
24.	होटल समढाणी, जैसलमेर	0.14	0.23	0.29	0.33	0.65	0.57
25.	रेस्ट हाउस, हल्दीघाटी	0.18	0.20	0.20	0.20	0.22	0.25
26.	शिल्पी, रणकपुर	3.66	3.92	4.53	5.19	5.85	5.93
27.	दुर्ग कैफेटेरिया, नाहरगढ़	9.48	9.61	11.87	11.07	13.61	13.74
28.	होटल हवेली, फतेहपुर	—	—	1.63	2.81	5.08	5.30
29.	होटल वृन्दावती, बून्दी	—	—	—	—	0.02	0.58
30.	टूरिस्ट विलेज, पुष्कर	—	—	0.76	1.78	3.04	4.01
31.	होटल चन्द्रावती, झालावाड़	—	—	0.06	0.19	0.78	2.94
32.	होटल, जयसमन्द	0.76	1.61	0.94	1.83	—	—
33.	होटल गोकुल, नाथद्वारा	4.77	4.71	5.11	5.76	6.00	8.65
34.	झील, रामगढ़, जयपुर	0.47	2.39	—	1.06	0.94	4.74
35.	मीनल, कैफेटेरिया, मीनल	—	—	—	—	0.40	0.86

1	2	3	4	5	6	7	8
36.	यात्रिका, देशनोक (वर्ष 93-94 में प्रारम्भ) (बीकानेर)	—	—	—	—	—	—
37.	अपोलो, कैफेटेरिया, मा. आबू (लीज पर देना प्रस्तावित है)	—	—	—	—	—	—

क.सं.	होटल/मोटल का नाम	वर्ष 90-91		वर्ष 91-92		वर्ष 92-93	
		आय	व्यय	आय	व्यय	आय	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8
मिडवे :—							
1.	मोटल, बहरोड़	72.98	55.86	101.62	79.04	113.27	94.84
2.	मोटल, रतनपुर	9.04	8.07	11.11	9.90	13.91	11.95
3.	मोटल, गुलाबपुरा	8.08	6.87	10.41	8.96	13.47	11.51
4.	मोटल, महुवा	13.92	13.15	18.44	15.22	21.62	19.85
5.	मोटल, पोकरण	7.56	7.31	12.02	10.89	13.50	12.41

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	मोटल, रतनगढ़	4.59	5.53	7.08	6.57	8.00	7.29
7.	मोटल, देवगढ़	1.47	1.60	2.19	2.40	2.78	2.97
8.	मोटल, बर	10.37	10.01	2.58	3.85	4.02	5.60
9.	मोटल, शाहपुरा (वर्ष 93–94 में प्रारम्भ हुआ)	—	—	—	—	—	—
10.	मोटल, धौलपुर (वर्ष 93–94 में प्रारम्भ हुआ)	—	—	—	—	—	—
	योग :-	1138.23	971·15	1487.01	1261.37	1771.15	1486.79

परिशिष्ट–3

तारांकित प्रश्न संख्या 171 की सूची

भाग 1 (ख)

महत्व पूर्ण सरकारी आज्ञाएं

समाज कल्याण विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 27, 1993

संख्या एफ. 11 (125) आर एण्ड पी/सकवि/4663:— राज्य सरकार मण्डल आयोग द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट में, राजस्थान राज्य के लिए सम्मिलित अन्य पिछड़े वर्गों की सूची जो कि संलग्न की गई है, को एतद्द्वारा सभी प्रयोजनार्थ राजस्थान में पिछड़े वर्गों की सूची के रूप में मान्यता प्रदान कर अधिसूचित करती है।

ये आदेश तुरन्त प्रभावशील होंगे।

संलग्नक

राजस्थान में पिछड़े वर्गों की अधिकृत व अधिसूचित सूची

क्र. सं.	पिछड़े वर्गों का नाम
1	2
1.	अगेर
2.	अहीर (यादव, गोप)
3.	असद
4.	बडेरा
5.	बाडवा
6.	बागड़िया
7.	बाकड़, बन्त
8.	बनचड़ा
9.	बंजारा, गामलिया, बलादिया, सिरकीवाला, लबाना या लभाना, मनु बंजारा, बामनिया बंजारा, बगोरा, डिगोरा
10.	बड़ाहार, बसोड
11.	बढ़ई, अतवासा, बधाई, बाईवाल, ढ़गेसर, ड़िग्गर, जांगिड़ ब्राह्मण, झांगड़ा-ब्राह्मण, कविगर, खाती, खोकरमयाल, सुथार, तरखान, विश्वकर्मा
12.	बरार
13.	बरदा
14.	बरगुन्हा
15.	बासोर
16.	बवाचा, बामचा
17.	बवारी
18.	भाम्टा, घन्टीचोर, परदेशी-भाम्टा
19.	भानुमति
20.	भारुड़
21.	भाट, चारण

1	2	1	2
22.	भाहू (सागबंशी-माली)	46.	डूबला
23.	भूजी, भड़भूजा	47.	भडरिया, चंडालिया, गडरिया, ग्वाला, घोसी, कबीरिया
24.	बिरारिया	48.	गाड़िया-लोहार
25.	चक्रवादिया-दसार	49.	गाडोलिया
26.	चलवाड़ी, चमनय्या	50.	गमित, गम्ता, गवित (जिसमें मावची पदवी, वासवा, बासवे और वालवीं शामिल है)
27.	चमना	51.	गनोहा
28.	चीता	52.	गिरी, गोस्वामी, गोसांई
29.	चैना-दसारू, छैना-दसार, होलिया-दसार	53.	गोडी (मुस्लिम)
30.	चिडार	54.	गोंड
31.	छीपा, छपूरवा, भाटी, भगरवाल, चौहान, छिप्पा, डायर, जसोद, नामा, नामदेव, पढिहार, पम्सार, सोलंकी, सुरागे	55.	गूजर, गुज्जर
		56.	हुल्लींर
32.	चौधारा	57.	हलसार, हस्लार, हुल्लासवर, हलसवर
33.	डाकोत		
34.	डकलारू	58.	हजूरी
35.	दमामी	59.	हेला
36.	दरोगा	60.	होलार, बल्हार
37.	दर्जी	61.	होल्या, होलर
38.	देशान्त्री	62.	जनवा
39.	धाड़ी	63.	जुलाहा (हिन्दू और मुस्लिम)
40.	धाकड़	64.	कबीरपंथी
41.	धनोही	65.	काछी
42.	धीमर	66.	जोगी, नाथ
43.	धोबी	67.	कहार, भोई
44.	धोडिया	68.	कैकाडी, कोरच
45.	धोर, कावकय्या, कंकैय्या	69.	कालेल

1	2
70.	कन्डेरा
71.	कंगी, कंगीवाला
72.	कानवी
73.	कीर
74.	खन्ट
75.	खरोल
76.	खटका
77.	किरार
78.	कोल
79.	कोली-महादेव
80.	कोरकू
81.	कोशती
82.	कोतवाल
83.	कुम्हार
84.	लवेरा
85.	लधा-लोहार
86.	लखेरा
87.	लिंगाडेर
88.	लोधी
89.	लोहार, जारडी, खुम्राडी, खुतवाल, लोहार गिरी, मालवी, पचाल, पंचोली, धुरावर, जार्डी
90.	लेक
91.	महा-ब्राह्मण
92.	मल्हार
93.	माली
94.	मेहरा
95.	मेर
96.	मेरासी, मिरासी
97.	मेरत
98.	मेरत-गोरत
99.	मेरत-कथाट
100.	मोघिया
101.	मोगिया
102.	मुकरी
103.	नाड़िया, हाडी
104.	नगारची
105.	नाई
106.	नायक
107.	नव-बोद्ध, नीग्रो-बोद्ध
108.	नेरिया
109.	ओड
110.	परधी (जिसमें अद्वी चिन्चर व फंसे-परधी भी शामिल हैं)
111.	पटवा (फदाल)
112.	पिंजारा
113.	पोमला
114.	पोवारा
115.	राईका
116.	रनवारी
117.	राव
118.	रथावा
119.	रावणा-राजपूत
120.	रावत
121.	रैबारी
122.	सद-सोसी (सेहर)

(१९८)

1	2	1	2
123.	साधु	132.	स्वर्णकार
124.	सरबरा	133.	टाक
125.	सतिया-सिंधी	134.	तेली
126.	सैनवा, चेनवा, सेदमा, रावत, शिन्धया	135.	ठठेरा
		136.	तिमाली
127.	शिगदेव, शिगाद्या	137.	वरली
128.	सिकलीगर	138.	विठोलिया
129.	सिरकीवाल	139.	वितोलिया, कोतवालिया, बारोदिया
130.	सोची	140.	जबराल
131.	स्वामी		

आज्ञा से,
कुशलसिंह,
शासन सचिव

परिशिष्ट-4

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिए जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर)

जिला सीकर में जीवनधारा योजनान्तर्गत कार्य

174. श्री अमराराम (धोद) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सीकर जिले में जीवनधारा योजना में निर्मित कुओं में से कितनों को विद्युत् कनेक्शन दे दिये गये हैं तथा कितने शेष बचे हुए कुओं को विद्युत् कनेक्शन देने का सरकार विचार रखती है?

(2) सीकर जिले में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के कुओं को कब-कब विद्युत् कनेक्शन दे दिये हैं तथा बाकी बचे हुए कुओं को कब तक सरकार कनेक्शन देने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) सीकर जिले में जीवनधारा योजनान्तर्गत कुल निर्मित 810 कुओं में से 216 कुओं को विद्युत कनेक्शन दे दिये गये हैं। शेष कुओं में से 141 कृषकों ने विद्युत कनेक्शन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये हैं जिनको राज. राज्य विद्युत मण्डल द्वारा आगामी वर्षों के निर्धारित लक्ष्यों के आधार पर विद्युत कनेक्शन दिये जावेंगे।

(2) सीकर जिले में फरवरी, 94 तक 2083 अनुसूचित जाति एवं 399 अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को विद्युत कनेक्शन दिये गये हैं। मार्च, 94 में अनु. जाति के 19 एवं जनजाति के 4 सदस्यों को कनेक्शन हेतु मांग-पत्र की राशि जमा करवाने एवं "एल" फार्म प्रस्तुत करने पर और कनेक्शन दे दिये जावेंगे। बकाया अनु. जाति के 213 एवं जनजाति के 210 सदस्यों को विद्युत कनेक्शन राज. राज्य विद्युत मण्डल द्वारा आगामी वर्षों में निर्धारित लक्ष्यों के आधार पर दे दिये जावेंगे।

हाडोती क्षेत्र में पर्यटन विकास

175. श्री भरतसिंह (खानपुर) : क्या पर्यटन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या हाडोती क्षेत्र में वाइल्ड लाइफ ट्यूरिज्म को विकसित करने हेतु कोई योजना विचाराधीन है? यदि हां, तो क्या?

(2) क्या पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए चेम्बल नदी में वाटर स्पोर्ट्स तथा फिशिंग की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो क्या?

उत्तर

(1) जी नहीं। वर्तमान में हाडौती क्षेत्र में वाइल्ड लाइफ टूरिज्म को विकसित करने की कोई योजना पर्यटन विभाग में विचाराधीन नहीं है।

(2) फिलहाल ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

शिक्षण संस्थानों के परीक्षा परिणाम

176. श्री शान्ति कुमार धारीवाल (हिण्डोली) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

(1) राज्य में गैर अनुदानित निजी शिक्षण संस्थायें, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर जो संचालित हो रही हैं उनकी संख्या कितनी है तथा इनमें अध्ययनरत छात्रों की संख्या कितनी हैं ?

(2) मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं का बोर्ड की परीक्षाओं में विगत तीन वर्षों का परीक्षा परिणाम क्या रहा है एवं मेरिट लिस्ट में आने वाले छात्र कितने रहे ?

(3) राज्य में सरकारी शिक्षण संस्थाओं के विगत तीन वर्षों के बोर्ड की परीक्षा के परिणाम क्या रहे एवं मेरिट में आने वाले छात्रों की संख्या कितनी रही ?

उत्तर

(1) राज्य में गैर अनुदानित माध्यमिक स्तर की 208 तथा उच्च माध्यमिक स्तर की 74 निजी शिक्षण संस्थायें संचालित हैं। इन संस्थाओं में अध्ययनरत छात्रों की संख्या संकलित की जा रही हैं। माननीय सदस्य को छात्र संख्या से अवगत करा दिया जावेगा।

(2) माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा सरकारी तथा गैर सरकारी विद्यालयों के परीक्षार्थियों के परिणामों का पृथक-पृथक लेखा नहीं किया जाता है। ऐसी स्थिति में यह सूचना जिला स्तर से संकलित की जा रही है। माननीय सदस्य को इससे अवगत करा दिया जावेगा।

गैर सरकारी विद्यालयों के योग्यता प्राप्त परीक्षार्थियों की सूचना निम्न प्रकार है :—

वर्ष	माध्यमिक	उच्च माध्यमिक
1990-91	16	27
1991-92	19	23
1992-93	24	19

(3) माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा सरकारी तथा गैर सरकारी विद्यालयों के परीक्षार्थियों के परिणामों का पृथक-पृथक लेखा नहीं किया जाता है। सरकारी शिक्षण संस्थाओं के विगत तीन वर्षों के बोर्ड की परीक्षाओं के परिणामों की सूचना जिला स्तर पर संकलित की जा रही है। माननीय सदस्य को इससे अवगत करा दिया जावेगा।

सरकारी शिक्षण संस्थाओं में विगत तीन वर्षों में मेरिट में आने वाले छात्रों की संख्या इस प्रकार रही है :—

वर्ष	माध्यमिक	उच्च माध्यमिक
1990-91	12	15
1991-92	10	20
1992-93	20	15

ग्राम पंचायत धोलेट (भरतपुर) की पेयजल व्यवस्था

177. श्री तैय्यब हुसैन (कामां) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत धोलेट तहसील पहाड़ी (भरतपुर) के सभी

(श्री तैय्यब हुसैन)

ग्रामों में पेयजल की गम्भीर समस्या है ? यदि हां, तो क्या सरकार पेयजल की समस्या में सुधार करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

उल्लेखित ग्राम पंचायत घोलेट के अधीन कुल 6 ग्राम हैं। इनमें से ग्राथेट में 40 लीटर, ग्राम गांधानेर व सालपुर में 22 लीटर, ग्राम धोलेट में 15 लीटर एवं ग्राम घोसेडा में 10 लीटर पेयजल प्रति व्यक्ति प्रतिदिन वितरित किया जा रहा है। छठे ग्राम नांगल में 1 हैण्डपम्प कार्यरत है। अपर्याप्त आपूर्ति वाले ग्रामों की पेयजल व्यवस्था में सुधार धन संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार सम्भव होगा।

अनुसूचित जाति विकास निगम द्वारा शोरूम की स्थापना

178. **श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर)** : क्या समाज कल्याण राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान अनुसूचित जाति विकास सहकारी निगम द्वारा जयपुर में लालकोठी योजना में स्थित नेहरू प्लेस में एक शोरूम खरीदा गया था ? यदि हां, तो कब कितनी कीमत में तथा किस उद्देश्य से ?

(2) इस शोरूम की सजावट, फर्नीचर, प्रचार आदि कार्यों पर अब तक कितनी धनराशि व्यय की जा चुकी है तथा इसमें बिक्री किये जाने हेतु कितनी धनराशि से क्या-क्या माल खरीदा गया है ?

(3) इस शोरूम से अब तक कितना माल बेचा गया है तथा इससे कितना लाभ अथवा हानि हुई है ? इस हानि/लाभ में कौन-कौन हिस्सेदार है ?

(4) इस शोरूम को चलाने के लिये कितने अधिकारी/कर्मचारी किस-किस पद पर नियुक्त किये गए हैं तथा उन्हें प्रति वर्ष कुल कितना-कितना वेतन एवं भत्ते दिये जा रहे हैं ? इनमें से कितने अधिकारी/कर्मचारी स्थायी हैं ? कितने अस्थायी हैं इसमें से अनुसूचित जाति के कितने हैं ?

(5) क्या वर्तमान में यह शोरूम बन्द पड़ा है ? यदि हां, तो क्या सरकार शोरूम भविष्य में भी चलाने का विचार रखती है ?

उत्तर।

(1) जी हां, यह शोरूम माह फरवरी 92 में रुपये 10 87,441/– में खरीदा गया था। अनुसूचित जाति के व्यक्तियों द्वारा तैयार किये गये माल की उचित दाम पर विक्रय की सुविधा नहीं मिलती है इस लिये उनके उत्पाद बाजार में चल नहीं पाते या वास्तविक उपभोक्ता तक नहीं पहुंचते हैं। इस वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए तैयार माल की बिक्री को प्रोत्साहन देने हेतु निगम द्वारा यह शोरूम खरीदा गया था।

(2) शोरूम की सजावट व फर्नीचर इत्यादि की आपूर्ति हेतु ठेकेदार को 50,000 रु. अग्रिम दिये गये परन्तु अन्तिम भुगतान अभी नहीं किया गया है।

इसमें बिक्री किये जाने हेतु 14,141/-

(समाज कल्याण राज्य मन्त्री)

रुपये का माल खरीदा गया जिसमें चमड़े की जूतियां तथा पेन्टिंग्स आदि है।

(3) इस शोरूम से कोई माल नहीं बेचा गया है। अतः लाभ व हानि का प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) इस शोरूम को चलाने के लिये सिर्फ एक विक्रय प्रबन्धक व एक विक्रय सहायक की नियुक्ति की गई है। इनमें वर्ष 1992-93 व 1993-94 में क्रमशः रुपये 54338/- एवं 36457/- वेतन एवं भत्ते के रूप में भुगतान किया गया है। उक्त दोनों ही कर्मचारी परिवीक्षा पर हैं इनमें से अनुसूचित जाति का कोई कर्मचारी नहीं है।

(5) जी हां, निगम इस शोरूम को निकट भविष्य में प्रारम्भ करने का विचार रखता है।

अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त बांध

179. श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर जिले में अकाल राहत कार्य के अन्तर्गत सिंचाई विभाग के माध्यम से निर्मित बंध व एनीकट तथा सिंचाई बंध जो अतिवृष्टि के कारण टूट गये या उनकी पाल क्षतिग्रस्त हो गयी उनकी मरम्मत व पुनर्निर्माण नहीं कराया गया ? यदि हां, तो क्षतिग्रस्त बंधों व एनीकटों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या राज्य सरकार उक्त क्षतिग्रस्त बांधों की मरम्मत व पुनर्निर्माण कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। इन क्षतिग्रस्त बंधों आदि की सूची परिशिष्ट "अ" में प्रस्तुत है।

(2) क्षतिग्रस्त बांधों की मरम्मत व पुनर्निर्माण के कार्य वांछित संसाधन उपलब्ध होने पर करवाये जा सकेंगे। एनीकट के कार्यों के लिये विभाग के योजना मद के अन्तर्गत कोई प्रावधान नहीं है।

परिशिष्ट 'अ'

क्षतिग्रस्त डाइवर्सन बंधों व एनीकट की सूची

1. **डाइवर्सन बांध**
   1. गुलर डाइवर्सन बांध } दोनों स्वतन्त्रता पूर्व में निर्मित
   2. रामचन्द्रपुरा डाइवर्सन बांध }
2. **फाल्यावास एनीकट** — अकाल राहत कार्यों में निर्मित

कृषि उपज मण्डी नवलगढ़ की श्राय

180. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : क्या कृषि राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

झुन्झुनू जिले की नवलगढ़ कृषि उपज मण्डी समिति क्षेत्र में कितनी गौण मण्डी (सब यार्ड) हैं तथा प्रत्येक को, वर्ष 1991-92 तथा 1992-93 में कितनी श्राय मण्डी टैक्स से हुई तथा कितनी धनराशि इनके क्षेत्रों में विकास अथवा अन्य कार्यों पर खर्च की गई ?

उत्तर

झुन्झुनू जिले की नवलगढ़ कृषि उपज मण्डी समिति क्षेत्र में 3 गौण मण्डी (सब यार्ड) उदयपुरवाटी, गुढ़ागौड़जी एवं मुकन्दगढ़ हैं। इनकी श्राय का विवरण परिशिष्ट 1 पर सदन की मेज पर रख दिया गया है। गौण मण्डी क्षेत्र में विकास एवं अन्य कार्यों पर वर्ष 91–92 तथा 92–93 में किसी भी तरह की धनराशि खर्च नही की गई है।

नवलगढ़ कृषि उपज मण्डी समिति क्षेत्र की गौण मण्डी यार्ड की श्राय का विवरण निम्न प्रकार से है :—

क्र.सं.	नाम गौण मण्डी	मण्डी शुल्क से श्राय (लाखों में)	
		1991–92	1992–93
1.	गौण मण्डी यार्ड, उदयपुरवाटी	1.81	1.48
2.	गौण मण्डी यार्ड, मुकन्दगढ़	4.74	6.29
3.	गौण मण्डी यार्ड, गुढ़ागौड़जी	7.77	10.19

इन्द्रगढ़ में एनीकट्स का निर्माण

181. श्री राम गोपाल (पीपल्दा) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि इन्द्रगढ़ नायण तहसील में कुओं का पानी का स्तर नीचा हो गया है ? यदि हां, तो किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार एनीकट बनवाने या कुओं में ब्लास्टिंग करवाने का विचार रखती है व किस मद से ?

उत्तर

जी नहीं, इन्द्रगढ़ नायण तहसील में कुओं के पानी के स्तर में गत पांच वर्षों में कोई गिरावट नहीं आई है।

राज्य के प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय

182. श्री महेन्द्र कुमार मीणा (सिकराय) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान में दिनांक 1-1-94 को कितने उच्च माध्यमिक, माध्यमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूल हैं और उनमें किस-किस श्रेणी के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं और उसके विरुद्ध कितने अध्यापक हुए हैं ? इन विद्यालयों में छात्रों की संख्या, अर्द्ध-वार्षिक परीक्षा, 1994 के परीक्षा में बैठे छात्रों की संख्या से कितनी ज्यादा है ?

(2) शहरी क्षेत्रों के स्कूलों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में अध्यापकों के कितने पद दिनांक 31-12-93 को कब से रिक्त हैं, ऐसा क्यों ? ग्रामीण अंचल में रिक्त पदों की श्रेणीवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) ये रिक्त पद कब तक भर दिये जायेंगे ?

(4) ग्रामीण अंचल के पद पर पदस्थापित कितने अध्यापक शहरों में या कार्यालयों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिनियुक्ति पर दिनांक 31-12-93 को काम कर रहे थे ? सूची श्रेणीवार सदन की मेज पर मय कारणों के प्रस्तुत करें ।

उत्तर

(1) राजस्थान में दिनांक 1-1-94 को उच्च माध्यमिक, माध्यमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या निम्नानुसार है :—

स्तर	छात्र	छात्रा	योग
उच्च प्राथमिक	7033	988	8021
माध्यमिक	2444	390	2834
उच्च माध्यमिक	630	122	7[illegible]2

इनके विरुद्ध लगे अध्यापकों के स्वीकृत एवं कार्यरत पदों पर 1-1-94 की स्थिति निम्नानुसार है :—

वेतन श्रृंखला	स्वीकृत	कार्यरत
प्रथम वेतन श्रृंखला	12597	10651
द्वितीय वेतन श्रृंखला	35292	34989
तृतीय वेतन श्रृंखला	84691	84090

सामान्यतया यह सूचना कार्यालयों में संधारित नहीं की जाती है । वांछित सूचना सकलित की जा रही है ।

(2) प्राप्त सूचना के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में रिक्त पदों की स्थिति निम्नानुसार है :—

	प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी	तृतीय श्रेणी
ग्रामीण	905	367	439
शहरी	1041	–	162

शेष सूचना संकलित की जा रही है ।

(3) इन रिक्त पदों में से द्वितीय व तृतीय श्रेणी के पद यथा सम्भव मार्च,

(शिक्षा मन्त्री)

1994 तक के लिये निर्मित वरीयता सूची से भरे जा सकेंगे। वरीयता सूची समाप्त होने की स्थिति में 1994-95 सत्र प्रारम्भ से पूर्व भरे जा सकेंगे। प्रथम वेतन श्रृंखला के पद लोक सेवा आयोग एवं डी.पी.सी से आशार्थी उपलब्ध होने पर भरे जा सकेंगे।

(4) 31-12-93 की प्रतिनियुक्ति की सूचना संकलित की जा रही है। प्रतिनियुक्ति के समाप्ति के आदेश जारी किये जा चुके हैं।

विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ की पेयजल योजनाएं

183. श्री बद्रीप्रसाद गुरूजी (माण्डलगढ़) : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य सरकार के पास माण्डलगढ़ विधान सभा क्षेत्र की कितनी पेयजल योजनायें कब-कब से विचाराधीन हैं तथा अब तक विचाराधीन रहने के क्या कारण रहे हैं ?

(2) क्या सरकार भविष्य में माण्डलगढ़ विधान सभा क्षेत्र को पेयजल संकट से उबारने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) उल्लेखित विधान सभा क्षेत्र की कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

(2) जी हां, योजना बनाने की प्रक्रिया जारी हैं एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धि के अनुसार पेयजल सुलभ कराना सम्भव हो सकेगा।

परित्यक्ता महिलाओं को पेंशन

184. श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : क्या समाज कल्याण राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या ऐसी महिलाएं, जिन्हें उनके पतियों ने त्याग दिया है और जिनकी निजी आय नहीं है, को राज्य सरकार द्वारा पेंशन या रोजगार देने की योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या ?

उत्तर

ऐसी महिलाओं को पेन्शन दिये जाने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है। ऐसी महिलाओं हेतु महिला विकास केन्द्र संचालित करने की योजना बनाई गई है जिसके तहत ऐसी महिलाओं को प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराई जावेगी व उनको स्वावलम्बी बनाने के प्रयास किये जावेंगे।

बून्दी जिले के सिंचाई बांध

185. श्री ओम प्रकाश शर्मा (बून्दी) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान के बूंदी एवं कोटा संभाग में सबसे अधिक नदियां व पानी है ? यदि हां, तो बूंदी जिले में कितने बंधे बनाये गये और अब कौन-कौन से बंधे बनाने की सरकार की योजना है ?

(2) क्या यह सही है कि बूंदी जिले में गरडदा बांध (ललारिया) मंजूर है ?

(श्री श्रोम प्रकाश शर्मा)

यदि हां, तो इस बांध का पूर्व में कब-कब शिलान्यास हुश्रा श्रौर किसके द्वारा ? शिलान्यास का खर्च किसने श्रौर किस मद से किया गया ? इस बांध के बनने पर कितनी जमीन सिंचित होगी तथा इस बांध का निर्माण कब तक हो जायेगा श्रौर यदि नहीं, तो शिलान्यास कराने वाले श्रधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? इस बांध को स्वीकृत करने की सरकार की क्या योजना है ?

उत्तर

(1) कोटा सम्भाग के बूंदी एवं कोटा जिलों में कई नदियां हैं। बूंदी जिले में सिंचाई विभाग के 44 बांध हैं, इसके श्रतिरिक्त 3 बांधों पर कार्य प्रगति पर है एवं 17 बांध योजनाएं विचाराधीन है। सूची संलग्न है।

(2) यह बांध मंजूर नहीं है। इसका शिलान्यास दि. 18.11.83 को तत्कालीन माननीय मुख्य मन्त्री जी द्वारा किया गया था तथा विभाग द्वारा शिलान्यास पर कोई व्यय नहीं किया गया। इस बांध का परियोजना प्रतिवेदन केन्द्रीय जल श्रायोग को स्वीकृति हेतु भेजा हुश्रा है। परियोजना प्रतिवेदन की स्वीकृति प्राप्त होने तथा वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर बांध का निर्माण सम्भव होगा। इस बांध के निर्माण से 9215 हैक्टेयर भूमि सिंचित होना सम्भावित है।

बूंदी जिले में स्थित बांध

1.	भौंमलत	13.	रोनिजा
2.	दुगारी	14.	पेच की बावड़ी
3.	रून का खाल	15.	गुढ़ा
4.	मोतीपुरा	16.	देई गंगासागर
5.	पाईबालापुरा	17.	तलवास
6.	बाकिया का खाल	18.	इन्द्राणी
7.	खोड़ी	19.	बंसोली
8.	डाबी	20.	बटावढी
9.	गुढ़ा गोकुलपुरा	21.	विजयगढ़ द्वितीय
10.	शम्भूसागर	22.	श्रभयपुरा
11.	बरधा	23.	बासनी
12.	गोठड़ा	24.	हिण्डोली

25. नेत
26. मैरूपुरा
27. ढादून
28. खानपुरा
29. पलका लोअर
30. पलका अपर
31. घनेश्वर
32. घड़ी
33. रामनगर
34. गणेशपुरा
35. कंवर पुरा
36. भवानीपुरा
37. लाम्बाखोह
38. पराना
39. सतड़ा
40. बडफू
41. मरड़िया
42. मेण्डी (कार्य प्रगति पर)
43. नारायणपुरा (कार्य प्रगति पर)
44. चांदा का तालाब

जिन बांधों पर कार्य प्रगति पर है, वे निम्न लिखित हैं :–

1. नारायणपुरा
2. चांदा का तालाब
3. मेण्डी

विचाराधीन बांध योजनाओं की सूची

1. अन्नपूर्णा
2. बाकिया का नया गांव
3. दरा का नया गांव
4. विषधारी
5. पंगारा
6. बंसोली
7. फलास्तुनी
8. जावरा
9. गुरजनिया
10. सलावलिया
11. आकांदा
12. नानक सागर (बड़फू)
13. शाहीपुरा
14. बाटून्दा
15. माछली
16. किशनपुरा
17. गरड़दा (मध्यम सिंचाई परियोजना)

(208)

चम्बल सिंचित क्षेत्र की नहरों पर सड़क निर्माण

186. श्री रामनारायण (नैनवां) : क्या सिंचित क्षेत्रीय विकास राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या चम्बल सिंचित क्षेत्र की मुख्य एवं अन्य नहरों पर सड़क निर्माण करवाया गया है ? यदि हां, तो कितनी लम्बाई में ? नहरवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि चम्बल सिंचित क्षेत्र की नहर दोलाड़ा, राजबहा पर सड़क निर्माण हेतु कार्यवाही की गयी थी ? यदि हां, तो की गई कार्यवाही की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सड़क निर्माण के बाद नहर के रख-रखाव एवं आवागमन में विभाग एवं क्षेत्र के 15 गांवों के निवासियों को सुविधा मिल सकेगी ? यदि हां, तो उक्त सड़क निर्माण बाबत विभाग क्या कार्यवाही करने का विचार रखता है तथा अब कब तक सड़क निर्माण करवा दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। चम्बल परियोजना में मुख्य नहरों एवं अन्य नहरों के निर्माण के समय नहरों के एक किनारे पर निरीक्षण हेतु सड़कों का निर्माण किया गया है जो आम तौर पर कच्ची हैं। इन सड़कों की कुल लम्बाई 1067 कि.मी. है। नहरवार विवरण परिशिष्ट "अ" एवं "ब" में उपलब्ध है।

(2) जी नहीं। यहां केवल नहर के रख-रखाव हेतु कच्ची सड़क है।

(3) पक्की सड़क के निर्माण से सम्भवतः यह सुविधा मिल सकती है किन्तु ऐसी सड़कों का मुख्य उद्देश्य नहर का रख-रखाव है। चम्बल परियोजना को विश्व बैंक की सहायता की समाप्ति के पश्चात अब पक्की सड़क बनाने की फिलहाल कोई योजना नहीं है।

परिशिष्ट "अ"

चम्बल परियोजना के अन्तर्गत नहरी निरीक्षण (इन्सपेक्शन रोड) सड़कों का विवरण

विवरण नहर	नहरी सड़कों की लम्बाई (कि.मी. में)
1	2
मुख्य नहरें	
1. दांई मुख्य नहर	124 कि.मी.
2. बांई मुख्य नहर	2.74 ,,

1	2
ब्रान्च नहरें	
1. कापरेन ब्रान्च	52 कि.मी.
2. बून्दी ब्रान्च	62 ,,
3. पाटन ब्रान्च	49 ,,
4. किशनपुरा सब ब्रान्च	21.32 ,,
5. सुल्तानपुर सब ब्रान्च	26.36 ,,
6. बड़ोद सब ब्रान्च	30.63 ,,
7. डाबर ब्रान्च	13.70 ,,
8. श्रयाना ब्रान्च	13.10 ,,
9. इटावा ब्रान्च	65.00 ,,
10. पलायथा सब ब्रान्च	26.30 ,,
डिस्ट्रीब्यूटरी	
1. कुन्हाड़ी	18.00 ,,
2. जमीतपुरा	15.00 ,,
3. तालेड़ा	11.00 ,,
4. अल्फानगर	6.60 ,,
5. अन्धेर	19.00 ,,
6. दौलाड़ा	16.00 ,,
7. माटूण्डा	3.00 ,,
8. दयालपुरा	6.70 ,,
9. खड़कड	13.60 ,,
10. ओंकारपुरा	7.00 ,,
11. अजेता डिस्ट्रीब्यूटरी	7.00 ,,

(210)

1			2
12.	बाजड डिस्ट्रीब्यूटरी		22.80 कि.मी.
13.	देहित	,,	13.00 ,,
14.	सुवासा	,,	19.80 ,,
15.	चितावा	,,	5.80 ,,
16.	कुलिन्दा	,,	11.70 ,,
17.	ईश्वर नगर	,,	3.50 ,,
18.	चढ़ी	,,	6.70 ,,
19.	अरनेडा	,,	11.00 ,,
20.	बलकासा	,,	10.50 ,,
21.	मलिकपुरा	,,	16.50 ,,
22.	ढगारिया	,,	6.50 ,,
23.	दहीखेड़ा	,,	10.00 ,,
24.	पाटन	,,	22.00 ,,
25.	अनन्तपुरा	,,	17.00 ,,
26.	भाखोदा	,,	10.00 ,,
27.	लबान	,,	3.00 ,,
28.	रोटेदा	,,	5.45 ,,
29.	झालीपुरा	,,	5.70 ,,
30.	मानस गांव	,,	13.20 ,,
31.	दीगोद		9.75 ,,
32.	नीमोदा		7.22 ,,
33.	कल्याणपुरा		14.72 ,,
34.	भौरा		2.90 ,,
35.	बपोरी		4.70 ,,

1	2
36. इनोतियां	9.15 कि.मी.
37. किशनगंज	16.15 ,,
38. धतूरिया	4.30 ,,
39. सरकन्या	6.20 ,,
40. नवलपुरा	2.70 ,,
41. साहीपुरा	7.70 ,,
42. जलोदा	9.75 ,,
43. कांकरा	5.80 ,,
44. मूंगना	7.00 ,,
45. गेंता	22.80 ,,
46. खातोली	14.80 ,,
47. बरनावली	6.65 ,,
48. छापोल	12.65 ,,
49. निमोला	4.50 ,,
50. मऊ डिस्ट्रीब्यूटरी	6.32 ,,
51. किशनपुरा ,,	6.32 ,,
52, बयाना ,,	18.30 ,,
53. लक्ष्मीपुरा ,,	29.85 ,,
54. हरीपुरा ,,	11.90 ,,

पूरे क्षेत्र में कुल इन्सपेक्शन रोड की लम्बाई = 1067 कि.मी.

परिशिष्ट "ब"

वर्ष 1974 से वर्ष 1982 तक चम्बल परियोजना के फेज–1 में सिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत नहरों के समानान्तरण निर्मित पक्की सड़कों का विवरण—

1.	बाजड़ डिस्ट्रीब्यूटरी के समानान्तर	12.98 कि.मी.
2.	देहित ,,	4.75 ,,
3.	भरनेठा ,,	4.57 ,,
4.	बलकासा ,,	4.38 ,,
5.	मालिकपुरा ,,	4.44 ,,
6.	किशनपुरा सब ब्रान्च के समानान्तर	3.00 ,,
7.	हाथीखेड़ा माइनर ,,	3.00 ,,
8.	रोटेदा डिस्ट्रीब्यूटरी ,,	3 00 ,,
9.	मानसगांव ,,	6.62 ,,
10.	दीगोद	4.50 ,,
11.	नीमोदा ,,	0.75 ,,
12.	भोरा ,,	1.20 ,,
13.	बड़ोद सब ब्रान्च के समानान्तर	2.60 ,,
14.	पलायथा ब्रान्च के समानान्तर	7.00 ,,
15.	इटावा ब्रान्च के समानान्तर	3.00 ,,
16.	कापरेन ब्रान्च कैनाल	12.45 ,,
17.	पाटन ब्रान्च कैनाल	0.50 ,,
	योग :-	78.74 कि.मी.

अपना गांव अपना काम योजना

187. श्री अर्जुनदास मदान (लाडपुरा) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

"अपना गांव" अपना काम योजना के अन्तर्गत राजस्थान के कितने गांवों को लाभ मिला ? उक्त योजना में राज्य सरकार द्वारा अपनी ओर से कितनी राशि व्यय की गई ? क्या यह सही है कि उक्त योजनाओं की राशि गत तीन वर्षों में लैप्स हुई है ? वर्षवार ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

अपना गांव अपना काम योजनान्तर्गत राज्य में कुल 4719 गांवों को लाभ मिला।

उक्त योजना में राज्य सरकार द्वारा आयोजना मद में कुल 1067.70 लाख राशि व्यय की गई।

जी नहीं। गत तीन वर्षों में अपना गांव अपना काम योजनान्तर्गत कोई राशि लैप्स नहीं हुई है।

योजनान्तर्गत लाभान्वित गांव एवं व्यय राशि का वर्षवार ब्यौरा संलग्न परिशिष्ट पर प्रस्तुत है।

ब्यौरा

वर्ष	स्वीकृत कार्यों पर कुल व्यय	राज्य आयोजना मद से व्यय की की गई राशि	लाभान्वित गांवों की संख्या
1	2	3	4
1990–91	427.07	100.20	1449
1991–92	1077.87	251.38	881
1992–93	1475.46	291.21	1381
1993–94 (माह जनवरी, 94 तक)	1430.22	424.91	1008
योग —	4410.62	1067.70	4719

(214)

भीलवाड़ा जिले के कन्या विद्यालय

188. श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) भीलवाड़ा जिले में कन्या माध्यमिक विद्यालय उच्च कन्या माध्यमिक विद्यालय किन-किन स्थानों पर कब-कब से स्थापित है ? इनमें प्रत्येक में छात्र संख्या, अध्यापक, अध्यापिकाओं की संख्या क्या है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ने कन्या माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय के खोलने के कोई मापदण्ड निर्धारित किये हैं ? यदि हां, तो क्या मापदण्ड हैं ? मापदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार द्वारा मापदण्डों के अन्तर्गत जहाजपुर तथा कोटडी तहसील में कोई कन्या विद्यालय क्रमोन्नत किया गया ? यदि नहीं, तो अब कब तक क्रमोन्नत कर दिये जाने का सरकार विचार रखती है ?

(4) क्या सरकार नगरपालिका क्षेत्रों में, कन्या माध्यमिक विद्यालय प्राथमिकता के आधार पर बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो उसको कब तक क्रियान्वित कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) भीलवाड़ा जिले में संचालित कन्या माध्यमिक एवं कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना वर्ष, अध्ययनरत छात्राओं की संख्या एवं अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जी हां। मापदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(3) जी नहीं। चालू वर्ष में इन तहसीलों में कन्या विद्यालय क्रमोन्नत नहीं किया गया है। आगामी वर्ष 94–95 में बजट उपलब्ध होने व निर्धारित मापदण्डों की पूर्ति करने पर अन्य प्रस्तावों के साथ जहाजपुर एवं कोटड़ी तहसील के विद्यालयों के क्रमोन्नति के प्रस्तावों पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जायेगा।

(4) जी हां। बजट की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुये आगामी वर्ष में प्राथमिकता से विचार किया जा सकेगा।

विद्यालय क्रमोन्नती हेतु

निर्धारित मापदण्ड

वर्ष 1994–95 में राज्य में विभिन्न स्तर के विद्यालय क्रमोन्नती हेतु निम्न मापदण्ड निर्धारित हैं :–

1. गांव की जनसंख्या
2. अन्तिम कक्षा की छात्र संख्या

3. फिडर विद्यालयों की स्थिति
4. भवन की स्थिति
5. निकटतम उपलब्ध शिक्षा सुविधा
6. बजट की उपलब्धता
7. जनप्रतिनिधियों की मांग एवं गुणावगुण के आधार पर

भीलवाड़ा जिले में कन्या माध्यमिक विद्यालय एवं उच्च कन्या माध्यमिक विद्यालय किन-किन स्थानों पर एवं कब से स्थापित हैं। इनमें छात्र संख्या एवं अध्यापिकाओं की संख्या का विवरण :

क्र. सं.	नाम विद्यालय		विद्यालय स्थापित वर्ष	छात्रा संख्या	अध्यापकों की संख्या प्रथम I	द्वितीय II	तृतीय III	योग
1	2		3	4	5	6	7	8
1-	राबाउमा वि भीलवाड़ा		88-89	1774	34	23	1	59
2-	;;	शाहपुरा	88-89	868	12	8	6	26
3-	;;	गंगापुर	88-89	743	8	4	5	17
4-	;;	माण्डलगढ़	91-92	383	5	6	3	14
5-	;;	माण्डल	91-92	806	5	6	4	15
6-	,,	बिजोलिया	93-94	406	5	7	3	15
(1)	रा. बामा वि कोटड़ी		84-85	176	—	6	3	9
(2)	;;	बड़लियास	89-90	75	6	6	6	12
(3)	;,	गुलमंडी भील.	91-92	1051		8	29	37
(4)	,,	पुर-भील.	79-80	167		6	3	9
(5)	,,	हमीरगढ़	77-78	145		6	4	10
(6)	;,	मंगरोल	89-90	110		6	3	9
(7)	;;	बागोर	89-90	139		6	2	8
(8)	;;	करेड़ा	91-92	166		6	9	15

(216)

1	2	3	4	5	6	7	8
(9)	,,	रायपुर	84-85	142	6	3	9
(10)	,,	कोशिथल	91-92	171	6	8	14
(11)	,,	हुरड़ा	86-87	156	7	5	12
(12)	,,	गुलाबपुरा	1970	455	6	5	11
(13)	,,	बनेड़ा	1970	207	5	3	08
(14)	,,	रायला	89-90	103	6	2	08
(15)	,,	जहाजपुर	1970	364	6	8	14
(16)	,,	पण्डेर	89-90	89	6	2	08
(17)	,,	आसीन्द	84-85	334	7	5	12
(18)	,,	बदनोर	1970	114	5	4	9

तहसील फलौदी (जोधपुर) हेतु स्वीकृत नलकूप

189. श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलौदी): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) फलौदी तहसील जिला जोधपुर में जनवरी, 1991 से अब तक विभाग ने पेयजल हेतु कुल कितने नलकूप स्वीकृत किये ? नामों की सूची सदन की मेज पर रखें ?

(2) इन नलकूपों में से कितने नलकूप निर्मित किये गये ? नामों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) निर्मित किये गये नलकूपों में से कितने नलकूप चालू किये गये ? नामों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) स्वीकृत नलकूपों को निर्मित कर कब तक चालू कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) फलौदी तहसील में उल्लेखित अवधि में 25 नलकूप स्वीकृत किये गये हैं। ग्रामों की वांछित सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) स्वीकृत नलकूपों में से निर्मित 23 नलकूपों की वांछित सूचना परिशिष्ट "क" में उपलब्ध है।

(3) निर्मित नलकूपों में से 14 नलकूपों को चालू कर दिया गया है। इनके नामों का विवरण भी परिशिष्ट "क" में उपलब्ध है।

(4) स्वीकृत नलकूपों को वर्ष 1994-95 में चालू किया जाना लक्षित है।

फलौदी तहसील में जनवरी, 1991 से अब तक स्वीकृत निर्मित एवं चालू किये गये नलकूपों का विवरण

क्र. सं.	स्वीकृत नलकूपों के स्थान	नलकूप के निर्माण की स्थिति	नलकूप चालू करने की स्थिति
1–	चौधरियों की ढाणी	निर्माण शेष	—
2–	इन्दों का बास	निर्मित	चालू नहीं
3–	चैनपुरा	,,	चालू
4–	चन्द्र नगर	,,	,,
5–	सिगर सर	,,	,,
6–	मूल राज	,,	,,
7–	मटोल चक	,,	,,
8–	कृष्ण नगर	,,	,,
9–	नया बेरा	,,	चालू नहीं
10–	चिकनी नाडी	,,	,,
11–	रावत नगर	,,	,,
12–	भैयों की ढाणी (अमरपुरा) कुशलावा	,,	,,
13–	मस्जिद की ढाणी	,,	चालू
14–	विष्णु नगर	,,	,,
15–	डेरियों की ढाणी	,,	चालू नहीं
16–	झरेडे जी की भाखरी	,,	,,
17–	राम नगर	,,	चालू
18–	घौतिया	निर्माण शेष	—
19–	बावडी खुर्द	निर्मित	चालू नहीं
20–	जम्बेश्वर नगर	,,	चालू
21–	नोखडा चारणा	,,	,,
22–	लोहावट जाटावास	,,	चालू नहीं
23–	कोलू पाबूजी	,,	चालू
24–	सदूरी	,,	,,
25–	उदाणियों की ढाणी	,,	,,

जिला सिरोही के जीर्ण शीर्ण छात्रावास भवन

190. श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही): क्या समाज कल्याण राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) सिरोही जिले में समाज कल्याण के कुल कितने छात्रावास कहां-कहां पर कार्यरत हैं ?

(2) इनमें से कितने छात्रावासों का भवन पुराना है तथा उनके रख-रखाव की क्या व्यवस्था है उनकी कब-कब मरम्मत की गई तथा इस कार्य पर कुल कितना व्यय हुआ है ?

(3) क्या कुछ छात्रावास भवन ऐसे भी हैं जिनका गिर जाने का खतरा निरन्तर बना हुआ है ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है?

उत्तर

सिरोही जिले में 11 राजकीय एवं एक अनुदानित कुल 12 छात्रावास तथा एक राजकीय आश्रम स्कूल कार्यरत हैं जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	नाम छात्रावास	योजना	स्वीकृत छात्र संख्या
(1)	आबू पर्वत (कन्या)	अनु. जन जाति	25
(2)	सिरोही (बालक)	अनु. जन जाति	60
(3)	आबूरोड (बालक)	,,	50
(4)	ओड (बालक)	,,	25
(5)	अभयपुर पिण्डवाड़ा	,,	25
(6)	कैलाश नगर	,,	25
(7)	सिरोही	अनुसूचित जाति	75
(8)	रेवदर	,,	25
(9)	शिवगंज	,,	40
(10)	अनादरा	,,	25
(11)	कालंन्द्री	,,	25
(12)	आश्रम स्कूल निचलागढ़	अनु. जन. जाति	50
(13)	आदिम जाति सेवक संघ द्वारा संचालित अनुदानित छात्रावास पिण्डवाड़ा	,,	35
	योग:–		485

(समाज कल्याण राज्यमन्त्री)

(2) सिरोही जिले में राजकीय भवनों में संचालित छात्रावासों में से क्रमशः अनुसूचित जाति छात्रावास सिरोही, अनु. जन जाति छात्रावास, सिरोही तथा अनु. जाति छात्रावास शिवगंज राजकीय अनु. जन जाति छात्रावास, आबूरोड, राजकीय आश्रम स्कूल, निचलागढ़ एव अनु.जाति छात्रावास रेवदर के भवन पुराने हैं। सिरोही में स्थित दो छात्रावास भवन (अनु जाति छात्रावास तथा अनुसूचित जन जाति छात्रावास) सार्वजनिक निर्माण विभाग की संधारित सूची में सम्मिलित हैं। इनका रखरखाव सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा उनके बजट से किया जाता जाता है। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा इन छात्रावासों पर मरम्मत हेतु व्यय की गयी राशि का विवरण निम्न प्रकार है:–

क्र सं	वर्ष	व्यय की गई राशि
1.	1990-91	5,538,00
2.	1991-92	1,500,00
3.	1992-93	12,283,00
4.	1993-94	12,439,00
		माह जनवरी तक

इसके अलावा वर्ष 1979 में विभाग द्वारा छात्रावास के भवन में परिवर्तन एवं परिवर्धन हेतु 75,000/– रुपये आवंटित किये थे जिनका उपयोग कर लिया गया है। शिवगंज छात्रावास की मरम्मत हेतु विभाग द्वारा वर्ष 81-82 में 24,500 रुपये स्वीकृत किये गये थे, जिसमें से 22810/– रुपये व्यय हुआ। राजकीय अनुसूचित जन जाति छात्रावास, आबूरोड हेतु वर्ष 1982 में 10,000/– रुपये स्वीकृत किये गये जिनमें से 9,471/– रुपये व्यय हुये तथा राजकीय आश्रम स्कूल नीचलागढ़ की मरम्मत एवं नवीन कार्य हेतु विभाग द्वारा वर्ष 1977 में 46,800/– रुपये का बजट उपलब्ध कराया गया था जिनमें से 38,479/- रुपये व्यय हुये।

(3) जी नहीं, सिरोही जिले में राजकीय भवनों में संचालित छात्रावासों के किसी भी भवन का गिरने का खतरा नहीं है।

अन्तरराज्यीय जल विवाद

191. श्री रामेश्वरलाल भाटी (सुजानगढ़) एवं श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राजस्थान का अन्तरराज्यीय जल विवाद किन राज्यों से है? राजस्थान का उसमें कितना-कितना हिस्सा है? इस संबंध में केन्द्र स्तर पर वर्ष 1990 से अब तक समझौते के कब-कब प्रयास किये गये?

(2) राज्य सरकार ने कब-कब अपनी विमति अंकित कराई?

(3) केन्द्रीय जल संसाधन मन्त्री व अन्य राज्यों के बीच अन्तिम बैठक कब हुई तथा उसके क्या परिणाम रहे?

(4) राज्य सरकार की इस सम्बन्ध में क्या सोच है?

उत्तर

(1) विभिन्न राज्यों से राजस्थान के अन्तरराज्यीय जल विवाद निम्नानुसार है:–

(सिचाई मन्त्री)

1– माही जल उपयोग हेतु राज. और गुजरात के मध्य हुए 1996 के अनुबन्ध का कियान्वयन ।

यह विवाद गुजरात राज्य से है ।

2– रावी व्यास जल से संबंधित निम्नलिखित विवाद पंजाब राज्य से है:–

(अ) रोपड़ हरिके तथा फिरोजपुर हैडवर्क्स का नियन्त्रण भाखड़ा व्यास मैनेजमेन्ट बोर्ड को स्थानान्तरित करना ।

(ब) पंजाब में रावी व्यास नदियों पर विद्युत परियोजनाओं में राज्य का हिस्सा ।

(स) रावी व्यास अनुबन्ध दि. 31 दिसम्बर, 1981 के अनुच्छेद (1) एवं (11) की व्याख्या एवं भागीदारी राज्यों में रावी व्यास जल के बंटवारे का क्रियान्वयन ।

3– मध्य प्रदेश द्वारा गांधी सागर बांध के जल ग्रहण क्षेत्र से अन्तारोधन (इन्टर सेप्शन) यह विवाद मध्य प्रदेश से है ।

4– टिहरी बांध में हिस्सा :–

यह विवाद उत्तर प्रदेश से है ।

5– इनके अतिरिक्त निम्न प्रकरणों से सम्बन्धित राज्यों के मध्य जल बंटवारे अथवा जल में भागीदारी निर्धारित करने केन्द्रीय जल संसाधन मन्त्रालय में विचाराधीन है–

अ–यमुना जल का बंटवारा:– यह विवाद हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश एव दिल्ली के मध्य है ।

ब–उत्तर प्रदेश से गंगा के अधिकाय बाढ़ का हिस्सा उत्तर प्रदेश, राजस्थान व हरियाणा के मध्य निर्धारित करना ।

उक्त सभी प्रकरणों का सार तथा केन्द्रीय स्तर पर वर्ष 1990 से अब तक किये गये प्रयासों के विवरण परिशिष्ट "अ" के रूप में सदन की मेज पर प्रस्तुत है ।

(2) राज्य सरकार द्वारा निम्नानुसार केन्द्रीय जल ससाधन मन्त्रालय को विमति दर्शायी गई :–

1– रावी-व्यास जल

(अ) रोपड़, हरिके तथा फिरोजपुर हैडवर्क्स का नियन्त्रण भाखड़ा व्यास मैनेजमेन्ट बोर्ड (बी. बी. एम. बी.) को हस्तान्तरित करने हेतु :–

29 व 30 जुलाई, 1992 एवं 6 अगस्त, 92 की बैठक के पश्चात् जल संसाधन मन्त्रालय द्वारा भेजे गये निर्णय के प्रारूप के अनुसार हैडवर्क्स का नियन्त्रण बी बी.एम.बी. को सौंपना आवश्यक नहीं माना गया था पर राजस्थान ने दिनांक 23-1-93 को केन्द्रीय जल संसाधन मन्त्री को पत्र भेजा जिसमें कहा गया कि हैडवर्क्स का नियन्त्रण बी.बी.एम.बी. को सौंपना पंजाब पुर्नगठन अधिनियम 1966 के अन्तर्गत निहित है । अतः इसमें कोई संशोधन आवश्यक नहीं है ।

(ब) पंजाब में रावी व्यास नदियों पर विद्युत परियोजनाओं में राज्य का हिस्सा :–

(सिंचाई मन्त्री)

29 व 30 जुलाई, 1992 एवं 6 अगस्त, 92 की बैठक के पश्चात जल संसाधन मन्त्रालय द्वारा भेजे गये निर्णय के प्रारूप के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय को कोई रैफरेन्स करना आवश्यक नहीं है। पर राजस्थान ने दिनांक 4-2-93 को केन्द्रीय जल संसाधन मन्त्री को निवेदन किया कि राज., राज्यों के बीच आपसी वार्ता के लिये सहमत हैं परन्तु 1994 के अनुबन्ध के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय में रैफरेन्स करने के विकल्प को खुला रखता है।

1– माही जल उपयोग हेतु राज. और गुजरात के मध्य हुए 1966 के अनुबन्ध का क्रियान्वयन

2– रावी व्यास जल

2– यमुना जल बंटवारा :–

केन्द्रीय जल संसाधन मन्त्रालय द्वारा प्रसारित यमुना जल आवंटन के समझौते के प्रारूप में कुछ ऐसी शर्तें निहित थी जो राज्य के हितों के प्रतिकूल थी, जिन पर दिनांक 3-2-93 को प्रधानमंत्री तथा दिनांक 22-1-93, 4-2-93 एवं 14-2-93 को जल संसाधन मन्त्रालय को लिखे पत्रों में राज्य के हितों को दृष्टिगत रखते हुए प्रारूप के संशोधन समावेश करने हेतु अनुरोध किया।

(3) केन्द्रीय जल संसाधन मन्त्री व अन्य राज्यों के बीच हुई बैठक तथा उनके परिणाम निम्नानुसार है :–

1– केन्द्रीय जल संसाधन मन्त्री की अध्यक्षता में अन्तिम बैठक सितम्बर, 1990 में हुई बैठक में निर्णित हुआ कि मुख्यमन्त्री, गुजरात व राजस्थान इस विषय में विचार विमर्श कर सर्व सम्मत हल निकालेंगे।

2– केन्द्रीय जल संसाधन मन्त्री की अध्यक्षता में अन्तिम बैठक 6-8-92 को हुई, जिसके अनुसरण में निर्णय के निम्न प्रारूप प्रसारित किए गये।

(अ) रोपड़ हरिके फिरोजपुर हैडवर्क्स का नियन्त्रण भाखड़ा, प्रबन्धक मण्डल को हस्तान्तरण न किया जावे। इस पर राज्य सरकार ने दिनांक 23-1-93 को विमति दर्शायी।

(ब) पंजाब में रावी व्यास नदियों पर विद्युत परियोजनाओं से विद्युत उत्पादन के सम्बन्ध में विभिन्न राज्यों से

222

(सिंचाई मन्त्री)

	सलाह मशवरा कर हल निकाला जावेगा अतः इस मामले को सर्वोच्च न्यायालय में न ले जाया जावे। इस पर राज्य सरकार ने दिनांक 4-2-93 को विमति दर्शायी।
	(स) राजस्थान का 0.6 एम. ए. एफ. जल हिस्सा जो अस्थाई तौर पर पंजाब को दिया गया था, को रेस्टोर कर दिया जावेगा।
3– मध्य प्रदेश द्वारा गांधीसागर के जल ग्रहण क्षेत्र का अन्तारोधन	3– 18-1-81 को दोनों राज्यों के मुख्य मन्त्रियों की बैठक हुई। जिसमें यह निर्णय लिया गया कि दोनों राज्यों के तकनीकी अधिकारियों की समिति द्वारा इस प्रकरण का तकनीकी अध्ययन कर प्रतिवेदन मध्य प्रदेश राजस्थान अन्तरराज्यीय (सिंचाई एवं ऊर्जा) नियन्त्रण मण्डल को प्रस्तुत किया जावे।
4– टिहरी बांध में हिस्सा	4– केन्द्रीय जल संसाधन मन्त्री एवं राज्यों के बीच कोई बैठक नहीं हुई।
5– यमुना जल का बंटवारा	5– 24-12-93 को बैठक हुई पर यमुना जल आवंटन के मसौदे के प्रारूप पर सहमति नहीं हो सकी।
6– गंगा से अधिकाय जल में हिस्सा	6– 12-4-90 को गंगा बाढ़ नियन्त्रण मण्डल, जिसके अध्यक्ष केन्द्रीय जल संसाधन मन्त्री हैं की 12वीं बैठक हुई। अध्यक्ष केन्द्रीय जल आयोग को अधिकाय जल के सम्बन्ध में प्रतिवेदन शीघ्र प्रसारित करने हेतु कहा गया।

(4) राज्य सरकार का इस सम्बन्ध में दृढ़ निश्चय है कि विभिन्न अन्तरराज्यीय नदियों के जल के बंटवारे हेतु हुए अनुबन्धों को शीघ्र पूर्ण रूप से क्रियान्वयन हो। इस

(सिंचाई मन्त्री)

विषय में केन्द्र सरकार पर शीघ्र समाधान के लिए जोर डाला जा रहा है। जिन प्रकरणों के जल के बंटवारे एवं जल की मात्रा का अभी निर्णय नहीं लिया जा सका है, उनका केन्द्रीय सरकार शीघ्राति-शीघ्र समाधान करे।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

नारायणपुरा (नागौर) में एनीकट का निर्माण

192. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं): क्या कृषि राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जिला भू-संरक्षण इकाई, नागौर द्वारा ग्राम नारायणपुरा में एनीकट का निर्माण कराया गया था ? यदि हां, तो कब तथा इस पर कितनी राशि व्यय की गई ?

(2) क्या इस कार्य को शुरू करने के पहले इसका विस्तृत तखमीना बनाया गया था ? यदि हां, तो किसके द्वारा तथा स्वीकृति किस अधिकारी ने दी ? मूल तखमीना व तकनीकी स्वीकृति की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या इस एनीकट का निर्माण निजी भूमि पर पूर्व में राजाओं के टाइम में हुआ था तथा इस आशय की शिकायत विभाग को भी मिली थी ? यदि हां, तो शिकायतों की जांच किस अधिकारी द्वारा कब की गई ? जांच रिपोर्ट की प्रति व उस पर की गई कार्यवाही की सूचना सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) ग्राम नारायणपुरा में एनीकट का निर्माण भूसंरक्षण इकाई कुचामनसिटी के अधिकार क्षेत्र में होने से, उनके द्वारा मरु विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कराया गया है। एनीकट का निर्माण वर्ष 92–93 में कराया गया एवं इस पर राशि रुपये 3.52 लाख व्यय किये गये।

(2) जी हां। एनीकट का कार्य शुरू करने से पहले विस्तृत तकमीना कृषि अधिकारी, कुचामन सिटी द्वारा तैयार किया गया एवं इस कार्य की तकनीकी स्वीकृति उप निदेशक, जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण नागौर द्वारा जारी की गई है। जिसकी प्रति परिशिष्ट "1" एवं "2" पर सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) एनीकट का निर्माण निजी भूमि पर कराया गया है जहां पूर्व में राजाओं के समय एक बांध बना हुआ था जो स्थानीय ग्रामवासियों के कथनानुसार काफी वर्ष पूर्व अत्यधिक वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था। इस विभाग को सीधा कोई शिकायत पत्र प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन जिला कलक्टर नागौर द्वारा करवाई गई जांच के आधार पर आरोप पत्र सम्बन्धित जिला भूसंरक्षण अधिकारी एवं कनिष्ठ अभियन्ता के विरुद्ध प्राप्त हुये हैं, जिस पर कार्यवाही विचाराधीन है। जिला कलक्टर, नागौर द्वारा करवाई गई जांच रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट 3 पर सदन की मेज पर रख दी गई है।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

ग्राम बगरू (जयपुर) में इन्द्रा आवास योजना अन्तर्गत भूखण्ड आवंटन

193. श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) एवं श्री हीरालाल इन्दौरा (केसरीसिंहपुर) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या ग्राम बगरू के पूर्व में राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 3 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के रैगर समुदाय के व्यक्तियों को इन्द्रा आवास योजना के अन्तर्गत निःशुल्क पट्टे तहसीलदार सांगानेर के द्वारा वितरित किये गये थे ? यदि हां, तो किन-किन को व कब ? नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इन्द्रा आवास योजना पट्टेधारियों पर रीको के द्वारा नोटिस जारी किये हैं ? यदि हां, तो किस आधार पर और किन-किन को ?

(3) क्या यह भी सही है कि रीको द्वारा इन्द्रा आवास योजना के पास की कृषि भूमि या सिवाय चक भूमि क्रय की गई है ? यदि हां, तो किस दर से व कितनी ? सूची मय नाम, बीघा के सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि इन्द्रा आवास योजना के निःशुल्क पट्टेधारियों को तहसीलदार सांगानेर द्वारा पट्टे वितरित करते समय मौके पर कब्जा दिलवाया गया था ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या यह भी सही है कि इन्द्रा आवास योजना के निःशुल्क आवंटन पट्टेधारियों के भूखण्डों पर रीको या अन्य किसी का अतिक्रमण है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अतिक्रमणियों को हटा कर इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत आवंटित पट्टेधारियों को पुनः कब्जा देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। ग्राम बगरू में राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 33 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के रैगर समुदाय के व्यक्तियों को इन्द्रा आवास योजना के अन्तर्गत कोई पट्टे वितरित नहीं किये गये।

(2) जब इन्द्रा आवास योजना के तहत पट्टे जारी नहीं किये गये तो नोटिस देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) ग्राम बगरू की चरागाह भूमि 294-18 बीघा रीको औद्योगिक क्षेत्र हेतु जिला कलक्टर, जयपुर द्वारा दिनांक 26-3-91 को रुपये 12000/- प्रति बीघा की दर से आवंटित की गई थी।

(4) जी नहीं। इन्द्रा आवास योजना के तहत कोई पट्टे वितरित नहीं किये गये। अतः कब्जा सम्भलवाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(5) बिन्दु संख्या 4 से स्थिति स्पष्ट है।

पुस्तकालयाध्यक्ष का वेतनमान

194. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि शिक्षा विभाग

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

(सामान्य शाखा) में राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम, 1971 के अधीन आने वाले पुस्तकालयाध्यक्ष द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के शिक्षकों को समान वेतनमान दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार पुस्तकालयाध्यक्ष (प्रथम श्रेणी) को भी व्याख्याता के समकक्ष वेततमान देने का विचार रखती है ?

(2) पुस्तकालयाध्यक्ष (प्रथम श्रेणी) का वेतनमान विसंगति निवारण हेतु कितने मामले राज्य सरकार के पास वर्तमान में विचाराधीन हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या राज्य सरकार के अधीन राजस्थान में पुस्तकालय अधिनियम लागू करने की योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो पुस्तकालय अधिनियम के सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(4) क्या यह सही है कि शिक्षा विभाग जोधपुर मण्डल में पुस्तकालयाध्यक्ष (द्वितीय श्रेणी) के पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो यह पद कब से रिक्त हैं तथा सरकार इन्हें कब तक भरने का विचार रखती है ?

(5) क्या यह सही है कि निदेशक, शिक्षा विभाग ने दिनांक 14-1-1991 के बाद प्रथम श्रेणी पुस्तकालयाध्यक्षों के रिक्त पदों की पूर्ति नहीं की ? यदि हां, तो क्यों नहीं।

उत्तर

(1) जी हां। पुस्तकालयाध्यक्ष (प्रथम श्रेणी) को व्याख्याता के समकक्ष वेतनमान देने का मामला विचाराधीन नहीं है।

(2) एक भी मामला विचाराधीन नहीं है।

(3) जी हां। अधिनियम लागू करने सम्बन्धी मामला विचाराधीन है।

(4) जी हां। जोधपुर मण्डल में पुस्तकालयाध्यक्ष (द्वितीय श्रेणी) के 22 पद निम्नानुसार रिक्त हैं :–

क्र सं. 1	विद्यालय का नाम 2	कब से रिक्त 3
1.	रा. उ मा. वि., झाब (जालोर)	3-87
2.	,, ,, धोरीमन्ना (बाड़)	12-88
3.	,, ,, रामगढ़ (जैसलमेर)	7-86
4.	,, ,, भीनमाल (जालोर)	7-92
5.	,, ,, डूंगरी (जालोर)	7-92
6.	,, ,, सियाणा (जालोर)	10-89

(शिक्षा मन्त्री)

1	2	3
7.	रा. उ. मा वि., बागरा (जालौर)	12–93
8.	,, ,, हरजी (जालौर)	12–93
9.	,, ,, मण्डार (सिरोही)	7–91
10.	,, ,, रोहिड़ा (सिरोही)	7–93
11.	,, ,, बायतु (बाड़मेर)	9–89
12.	,, ,, शिव (बाड़मेर)	8–92
13.	,, ,, गड़रारोड (बाड़मेर)	5–89
14.	,, ,, गुढ़ामालानी (बाड़मेर)	8–86
15.	,, ,, जसोल (बाड़मेर)	1–94
16.	,, ,, खोड़ (पाली)	8–93
17.	रा. बा. उ. मा. वि., भीनमाल	12–90
18.	,, ,, सिवाना (बाड़मेर)	92–93
19.	,, ,, फलौदी (जोधपुर)	12–93
20.	,, ,, आबूरोड (सिरोही)	12–93
21.	,, ,, पोकरण (जैसलमेर)	12–93
22.	,, ,, जैतारण (पाली)	12–93

यह पद 1994–95 सत्र से पूर्व भरे जा सकेंगे।

(5) जी हां। पुस्तकालयाध्यक्ष पद की डी. पी. सी. नहीं होने से नहीं भरे जा सके।

दानपुर क्षेत्र के डेम बांध की डूब में आये ग्राम

195. श्री बहादुर (दानपुर) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) बांसवाड़ा जिले के दानपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत माही डेम बांध के कारण कितने ग्राम डूब में आये हैं ?

(2) इन सभी डूब विस्थापितों को पुनर्वास एवं कृषि हेतु भूमि मुहैया करा दी गई है ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) राज्य सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर इन विस्थापितों को कब तक जमीन उपलब्ध करवा देगी ?

उत्तर

(1) दानपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत माही बजाज सागर की डूब में 21 गांव पूर्ण रूप से एवं 77 गांव आंशिक रूप से डूब में आते हैं।

(2) माही बांध की डूब से प्रभावित 4224 खातेदार कृषक विस्थापितों को राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत नोर्मस के अनुसार कुल 10052.64 एकड़ कृषि भूमि का आवंटन किया गया है।

(3) सभी कृषक विस्थापितों को कृषि भूमि का आवंटन किया जा चुका है।

परिशिष्ट-5

तारांकित प्रश्न संख्या 162 की सूची

विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में स्थित ग्राम पंचायत मुख्यालय जहां पर उच्च प्राथमिक विद्यालय नहीं है :–

क्र.सं.	नाम ग्राम पंचायत
1.	असराना
2.	मूगडा
3.	आसोतरा
4.	किटनोद
5.	कनाना
6.	पारलू
7.	कल्याणपुर
8.	सरवडी
9.	मण्डली
10.	पाटोदी
11.	सिमरखिया कला
12.	थुम्बली
13.	जसोल
14.	असाडा
15.	तिलवाड़ा
16.	साजियाली
17.	हीरा की ढाणी
18.	जाजवा
19.	सोहडा
20.	खारापार

परिशिष्ट-6

अतारांकित प्रश्न संख्या 213 की सूची

बस्तियों के नाम/वार्ड संख्या जहां ग्रीष्म ऋतु 1993 में 50% से कम सर्विस लेवल था

क्र.सं. 1	बस्ती का नाम 2	वार्ड संख्या 3
1.	भोईवाड़ा	15
2.	टेकरी	35
3.	उत्तरी सुन्दरवास	33
4.	मठ मादड़ी कच्ची बस्ती	34
5.	बददूजी का दरवाजा	5
6.	गंगा गली	3
7.	नाइयों का चौक	12
8.	नजम मार्ग	13
9.	गोवर्धन विलास	55
10.	महाराणा प्रताप कॉलोनी	35
11.	गढ़वाली कॉलोनी	85
12.	मांछला मगरा कच्ची बस्ती	21
13.	धरती धन रोड	33
14.	भापामगरी कच्ची बस्ती	34
15.	रविन्द्र नगर	33
16.	खेमपुरा	33
17.	भोपालपुरा राष्ट्रीय ज्ञान भारती स्कूल के पास	28
18.	भूपालपुरा मोक्ष मार्ग	28
19.	पंचवटी प्याऊ के पास	26
20.	मोतीमगरी स्कीम	23
21.	सज्जनगढ़ "बी" ब्लाक	22

1	2	3
22.	गांधीनगर हरिजन बस्ती	23
23.	भीण्डर की हवेली	22
24.	गांधीनगर	23
25.	अशोक नगर	23
26.	धोलीबावड़ी	3
27.	हिरण मगरी सेक्टर 6	34
28.	माली कॉलोनी	35
29.	मण्डी की नाल	14
30.	हि. म. से. नं. अन्तिम छोर	34
31.	हि. म. से. नं. 4 पीछे की बस्ती	34
32.	हि. म. से. नं. 6 थाने के पीछे	34
33.	शक्ति नगर (नगर परिषद कार्यालय के पास)	3
34.	पानेरियों की मादड़ी	34
35.	ठक्करबापा कॉलोनी गली नं. 1-2	34
36.	हि. म. प्रशांत नगर	34
37.	मोगरावाड़ी	22
38.	शक्तिनगर	
39.	पाठों की मगरी	
40.	अहिंसा पुरी	
41.	इंडियन आइल डिपो के पास	
42.	दूध तलाई	
43.	ओ. टी. सी. बी ब्लॉक	
44.	खेमपुरा रोड रेल्वे कब्रिस्तान	38
45.	राजीव कॉलोनी सिटी स्टेशन के पास	
46.	नया खेड़ा आलोक स्कूल	
47.	कैलाश कॉलोनी माछलामगरा	

(231)

1	2	3
48.	शिवाजी नगर	22
49.	हि. म. से. 11 ग्रालोक स्कूल के पीछे	
50.	खांजीपील सालवी मोहल्ला	
51.	सेक्टर नं. 8 मेन रोड	
52.	सिवाना खेड़ा लवली कटपीस के पास	
53.	सेक्टर 14 नई रोड के पास	
54.	मोगरा वाड़ी म.नं. 5 ए के पास	
55.	जूना बाजार छीपा कालोनी प्रायड	
56.	रावतबाड़ी ग्रानन्द नगर ग्रायड	
57.	गढ़िया देवरा तीज का चौक प्रथम	
58.	गढ़िया देवरा तीज का चौक द्वितीय	
59.	पुरोहितों की मादड़ी माताजी मन्दिर के पास	
60.	दरगाह शरीफ गुलाब बाग	
61.	मोहनलाल सुखाड़िया कालोनी कच्ची बस्ती	
62.	हि. म. से. 11 ग्रालोक स्कूल रोड	
63.	मालदास स्ट्रीट से लगा चौक	
64.	हाथीपोल से बस्तीरामी की बाड़ी	
65.	सरस्वती निकेतन से कालका माता रोड	
66.	सेण्ट्रल स्कूल चौराहा से 'सी' ब्लॉक	

परिशिष्ट-7

अतारांकित प्रश्न संख्या 216 की सूची

विधान सभा क्षेत्र बेगू के उन ग्रामों की सूची जहां एक भी हैण्ड पम्प नहीं है।

क्र.सं.	ग्राम का नाम	क्र.सं.	ग्राम का नाम
1.	खडामा	9.	खोडिया खाल
2.	निमोदा	10.	कांटी
3.	बलकुण्डी खुर्द	11.	किशनगढ़
4.	बलकुण्डी कलां	12.	पांडल बन्दा
5.	देवपुरा	13.	गोपापुरा
6.	कंवरपुरा	14.	गोविन्दपुरा
7.	प्रेमपुरा	15.	दोतड़ा
8.	गडवाड़ा		

तहसील बेगू में ग्रीष्म ऋतु वर्ष 1993 में सूख जाने वाले हैण्डपम्पों की सूची

क्र.सं. 1	गांव का नाम 2	हैण्डपम्प का स्थान 3.
1.	पाछुन्दा	1. स्कूल के पास
		2. होली का खुट
		3. खेल के पास
		4. बालाजी के पास
		5. कुई के पास
2.	रावखटा	1. हरिजन बस्ती
3.	तारापीपली	1. कबूतर खाने के पास
		2. स्कूल के पास

1	2	3
4.	अमरपुरा	1. जटिया मोहल्ला
5.	खेरपुरा	1. तेजाजी के चौक में
6.	नन्दवाई	1. बस स्टेण्ड
		2. जाट मोहल्ला
7.	पीपली खेड़ा	1. मन्दिर के पास
		2. कन्जर बस्ती
		3. पशु व्याक के पास
8.	सामरिया खुर्द	1. रेगर बस्ती
9.	झाडोल	1. भील बस्ती
		2. गूजर बस्ती
10.	काटुन्दा	1. रावले के पास
11.	सिहपुरा	1. भील बस्ती
12.	बोरबावड़ी	1. मन्दिर के पास
		2. बलाई बस्ती
13.	लक्ष्मीपुरा	1. मन्दिर के पास
14.	सामरिया खुर्द	1. स्कूल के पास
15,	लक्ष्मीपुरा	1. धाकड़ बस्ती
16.	झूमला	1. कालू भील के मकान के पास
17.	नाहरगढ़	1. माताजी के मन्दिर के पास
		2. भील बस्ती में
18.	धमलाव	1. सरकारी कुई के पास
19.	मोरठुका	1. भील बस्ती में
20.	जगपुरा	1. भील बस्ती में
21.	भैसरोडगढ़	1. मजरा गोपालपुरा में

परिशिष्ट-8

अतारांकित प्रश्न संख्या 221 का विवरण

नगर निगम कोटा की वर्ष 1992-93 में खर्च की राशि का मुद्देवार विवरण

क्र.सं.	विवरण	राशि
1.	सामान्य प्रशासन	91,28,652.75
2.	कर :-	
	ए - चुंगी	48,79,820.42
	बी- गृहकर	13,15,896.26
	सी- अन्य राजस्व	12,59,970.00
3.	जनस्वास्थ्य :-	
	ए - जन स्वास्थ्य	4,04,91,216.86
	बी- गैराज	81,23,437.56
4.	दमकल	26,17,162.16
5.	रोशनी	69,02,904.51
6.	कायन हाउस	13,75,350.00
7.	उद्यान	59,92,572.00
8.	अन्य व्यय	49,01,283.90
9.	वाणिज्य संस्थानों पर व्यय :-	
	ए - नगर परिवहन	11,42,307.00
	बी- नावें	35,503.00
	सी- पी. एस. पी. नल	23,31,921.26
10.	पुस्तकालय	8,49,251.25
	पेन्शन	5,64,173.00
11.	विकास कार्य	2,15,68,635.85
12.	नवीन सम्पत्ति क्रय	27,35,105.28
13.	ऋण का भुगतान	12,242.45
	कुल योग :	11,84 16 742.69

परिशिष्ट-9

अतारांकित प्रश्न संख्या 224 की सूची

जिला बांसवाड़ा के कुशलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में सिंचाई खण्ड, बांसवाड़ा के अधीन अधूरे तालाबों की पंचायत समिति वार एवं गांव वार सूची

क्र.सं.	नाम तालाब	गांव का नाम	पंचायत समिति
1.	चरखनी	चरखनी	कुशलगढ़
2.	गोपालपुरा	गोपालपुरा	कुशलगढ़
3.	करमदिया	करमदिया	कुशलगढ़
4.	उदयगढ़बसुनी	उदयगढ़बसुनी	कुशलगढ़
5.	कोटडी वगायचा	कोटडी वगामचा	कुशलगढ़
6.	खजुरा	खजुरा	कुशलगढ़
7.	पिपलोन	पिपलोन	कुशलगढ़
8.	देवकी का नाका	डूंगराछोटा	सज्जनगढ़
9.	टिडीया देव	टिडीया देव	सज्जनगढ़
10.	सिमेला	सिमेला	सज्जनगढ़
11.	हिम्मतगढ़ी	हिम्मतगढ़ी	सज्जनगढ़
12.	चगेरी खुंटा	चगेरी खुंटा	सज्जनगढ़

जिला बांसवाड़ा के कुशलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में सिंचाई खण्ड, बांसवाड़ा के अपूर्ण कार्यों के व्यय की सूची

(रु० लाखों में)

क्र.सं.	नाम तालाब	कुल व्यय
1	2	3
1.	चरखनी	36.41
2.	गोपालपुरा	7.64

1	2	3
3.	करमदिया	31.58
4.	उदयगढ़बसुनी	0.72
5.	कोटड़ी बगायचा	5.04
6.	खजूरा	2.43
7.	पिपलोन	6.03
8.	देवकी 'का नाला	11.04
9.	टिडिया देव	13.79
10.	सिमेला	4.21
11.	हिम्मतगढ़ी	10.50
12.	वागेरी खूंटा	0.83
	योग :-	130.02

परिशिष्ट–10

प्रतारांकित प्रश्न संख्या 237 का विवरण

कोटड़ा एवं झाड़ोल तहसील के सीनियर माध्यमिक/माध्यमिक/उच्च प्राथमिक/प्राथमिक विद्यालयों में स्वीकृत पदों की स्थिति:—

क्र.सं.	नाम विद्यालय		स्वीकृत पद						
			व्या.	व.अ.	अध्या.	शाशि. II	शाशि. III	पुस्तकाध्यक्ष II	पुस्तकाध्यक्ष III
1	2		3	4	5	6	7	8	9
1.	सी. मा. वि.	फलासिया	9	4	6	1	—	—	1
2.	,,	झाड़ोल	7	10	9	1	1	1	—
3.	,,	ओगणा	5	6	3	1	—	1	—
4,	,,	कोटड़ा	7	3	8	1	—	1	—
5.	मा. वि.	बदराना	—	5	—	—	1	—	1
6.	,,	बाघपुरा	—	6	3	—	1	—	1
7.	,,	डैया	—	5	2	—	1	—	1
8.	,,	ठोबड़ी	—	6	3	—	1	—	1

1		2	3	4	5	6	7	8	9
9.	सी. मा. वि.	खाखड़	—	6	3	—	1	—	1
10.	,,	कोल्यारी	—	6	3	—	—	—	—
11.	,,	गोराणा	—	6	—	—	1	—	1
12.	,,	मादड़ी	—	5	2	—	1	—	1
13.	,,	भोड़ा	—	6	3	—	1	—	—
14.	,,	भगवास	—	6	7	—	1	—	1
15.	,,	मालवा का चोर	—	5	2	—	1	—	1
16.	,,	मामेर (कोटडा)	—	6	3	—	1	—	1
17.	,,	वास (कोटडा)	—	7	3	—	1	—	1
18.	रा. बा. मा. वि.	कोटडा	—	6	7	1	1	—	1
19.	रा. बा. मा. वि.	झाड़ोल	—	6	4	—	1	—	1
20.	रा. बा. उ. प्रा. वि.	मोवा	—	1	5	—	—	—	—
21.	,,	माण्डवा	—	1	5	—	—	—	—

1	2		3	4	5	6	7	8	9
22.	रा. बा. उ. प्रा. वि.	फलासिया	—	1	7	—	—	—	—
23.	,,	बैंकरिया	—	1	3	—	—	—	—
24.	,,	बीकरणी	—	1	5	—	—	—	—
25.	,,	बड़ली	—	1	4	—	—	—	—
26.	,,	डांग	—	1	4	—	—	—	—
27.	,,	मादड़ा	—	1	5	—	—	—	—
28.	,,	महाड़ी	—	1	4	—	—	—	—
29.	,,	महाद	—	1	5	—	—	—	—
30.	,,	भवारी	—	1	4	—	—	—	—
31.	रा. उ. प्रा. वि.	पडावली	—	1	6	—	—	—	—
32.	,,	समोरा	—	1	6	—	—	—	—
33.	,,	सामोली	—	1	4	—	—	—	—
34.	,,	घुड़ा	—	1	6	—	—	—	—

1	2		3	4	5	6	7	8	9
35.	रा. उ. प्रा. वि.	गेह	—	1	3	—	—	—	—
36.	,,	गुररा	—	1	—	—	—	—	—
37.	,,	भामलीपा	—	1	5	—	—	—	—
38.	,,	कन्वारिया	—	1	5	—	—	—	—
39.	,,	करेल	—	1	6	—	—	—	—
40.	,,	गरणवास	—	1	5	—	—	—	—
41.	,,	गुराठ	—	1	5	—	—	—	—
42.	,,	गोगला	—	1	3	—	—	—	—
43.	,,	चन्दवास	—	1	4	—	—	—	—
44.	,,	घोबाबाड़ा	—	1	6	—	—	—	—
45.	,,	दमाणा (म)	—	1	6	—	—	—	—
46.	,,	दमाणा (वि)	—	1	5	—	—	—	—
47.	,,	देवास	—	1	5	—	—	—	—

1	2		3	4	5	6	7	8	9
48	रा. उ. प्रा. वि.	नालवाड़	—	1	4	—	—	—	—
49.	,,	पीपलवारा	—	1	3	—	—	—	—
50.	,,	ब्राह्मणों का खेरवाड़ा	—	1	6	—	—	—	—
51.	,,	बीछीवाड़ा	—	1	7	—	—	—	—
52.	,,	बिरोठी	—	1	5	—	—	—	—
53.	,,	मानपुर	—	1	6	—	—	—	—
54.	,,	खड़ा	—	1	4	—	—	—	—
55.	,,	स. कांखेरबड़ा	—	1	6	—	—	—	—
56.	,,	बेकड़ा	—	1	—	—	—	—	—
		योग :–	28	132	215	5	16	—	—

क्र.सं.	नाम विद्यालय		रिक्त पद							
			व्या.	कब से रिक्त	द्वितीय	कब से रिक्त	प्र.अ्या.	कब से रिक्त	शा. शि.	रिक्त का कारण
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	रा. बा. वि.	डैया	—	—	1	—	—	—	—	स्थाना.
2.	,,	ठोमडी	—	—	1	—	—	—	—	स्थाना.
3.	,,	गोराणा	—	—	2	—	—	—	—	स्थाना.
4.	,,	खाखड़ा	—	—	1	—	—	—	—	स्थाना.
5.	,,	कोल्यारी	—	—	1	—	—	—	—	स्थाना.
6	,,	मादड़ी	—	—	1	—	—	—	—	स्थाना.
7.	,,	झोड़ा	—	—	1	—	—	—	—	स्थाना.
8.	,,	मालवा काचौरा	—	—	1	—	—	—	—	स्थाना.
9.	,,	मामेर	—	—	1	—	—	—	—	स्थाना.
10.	,,	वास	—	—	1	—	—	—	—	स्थाना.
11.	रा. उ. प्रा. वि.	पहावली	—	—	—	—	1	12/93	—	त्याग पत्र

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12. रा. उ. प्रा वि.	चन्दवार	--	--	--	–	1	12/93	--	स्थाना.
13. ,,	पीपलवारा	--	--	--	--	1	--	--	कार्य ग्रहण नहीं
14. ,,	लाखेरवाड़ा	--	--	--	--	1	--	--	स्थाना.
15. रा. मा. वि.	कोटड़ा	--	--	--	--	1 उर्दू	--	--	--
16. रा.बा.मा.वि.	मेरपुर	--	--	--	--	1	--	--	--

परिशिष्ट-11

अतारांकित प्रश्न संख्या 242 की सूचियां

केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत निर्माणाधीन कन्या एव बालक छात्रावासों की सूची

नाम जिला	छात्रावास का नाम	स्वीकृति	क्षमता	राशि	विशेष विवरण
बांसवाड़ा	1-कन्या छात्रावास बांसवाड़ा	1988-89	100	8.60	किचन व सर्वेन्ट क्वार्टर हेतु राशि की आवश्यकता
	2-कन्या छात्रावास कूपड़ा	1986-87	100	7.79	निर्माणाधीन
	3-कन्या छात्रावास जोलाना	1990-91	100	17.12	,,
	4-कन्या छात्रावास कुशलगढ़	1991-92	100	24.50	,,
	5-बालक छात्रावास बांसवाड़ा	1990-91	100	17.12	,,
उदयपुर	6-कन्या छात्रावास मधुवन, उदयपुर	1990-91	100	12.12	,,
	7-कन्या छात्रावास ऋषभदेव	1991-92	100	24.50	,,
	8-बालक छात्रावास उदयपुर	1990-91	100	17.12	,,
डूंगरपुर	9-कन्या छात्रावास डूंगरपुर	1992-93	100	24.50	,,
चित्तौड़गढ़	10-कन्या छात्रावास दलोट	1987-88	100	8.60	,,
	11-कन्या छात्रावास प्रतापगढ़	1992-93	100	24.50	,,
सिरोही	12-कन्या छात्रावास आबूरोड	1991-92	100	24.50	,,

वर्ष 1986-87 से अकाल राहत योजनान्तर्गत निर्माण हेतु स्वीकृत छात्रावासों की सूची :-

वर्ष 1986-87 में समाज कल्याण विभाग के माध्यम से संचालित किए जा रहे विशेष केन्द्रीय सहायता मद के 53 छात्रावासों में से निम्नांकित जिलेवार छात्रावासों के भवन निर्माण के लिए स्वीकृति दी गई थी जिसमें 75 प्रतिशत भाग अकाल से तथा 25 प्रतिशत टी.ए.डी. मद से राशि स्वीकृत थी। लेकिन अकाल से पूर्ण राशि प्राप्त न होने पर इन छात्रावासों के भवन निर्माण के लिए पूर्ण राशि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत उपलब्ध कराई गई जिसका विवरण निम्नानुसार है :—

क्र.स.	जिला	छात्रावास का नाम	अपूर्ण छात्रावास को पूर्ण कराने हेतु आवंटित राशि	विशेष विवरण
1	2	3	4	5
1.	उदयपुर	1-ओडा	3.95	छात्रावासों को पूर्ण कराये जाने का कार्य जिला परिषद द्वारा किया जा रहा है।
		2-कल्याणपुर	0.25	
		3-टोकर	2.50	
		4-सरेरा	3.46	
		5-आड़ीवली	2.50	
		6-डैया	0.98	
		7-कालीभीत	3.11	
		8-बावलवाड़ा	1.60	
		9-गोराणा	0.60	
		10-बारापाल	6.54	
		11-पाटिया	2.24	
		12-नालवा	4.48	
			32.41	

1	2	3	4	5
2.	सिरोही	13–मोर	1.91	निर्माणाधीन
		14–देलदर	8.42	उक्त छात्रावास समाज कल्याण विभाग द्वारा बन्द कर दिया गया है ।
			10.33	
3.	बांसवाड़ा	15–बाडोदिया	5.39	
		16–घटाली	4.50	
			9.89	
4.	चित्तौड़गढ़	17–घगोतर	–	छात्रावास पूर्ण सा.नि.वि. द्वारा अधिक व्यय राशि 3.51 हेतु बचत से भुगतान की कार्यवाही जिला स्तर पर छात्रावास भवन पूर्ण कराये जाने की कार्यवाही की जा चुकी है ।
		18–बाराबरदा	–	
		19–दलोट	–	
		20–गेंधी	–	
		21–सालमगढ़	–	
5.	डूंगरपुर	22–देवलापाल	3.20	जिला स्तर पर छात्रावास भवन पूर्ण कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है ।
		23–चुण्डावाड़ा	5.50	
		24–आसपुर	6.00	
		25–निठाऊवा	4.20	
		26–गंधतापाल	3.45	
		27–झलाप	5.75	
		28–गामडी अहाडा	7.00	
			35.10	

इसके अतिरिक्त निम्नांकित समाज कल्याण विभाग के बजट से संचालित अनुसूचित जनजाति छात्रावासों के अधूरे भवनों को भी पूर्ण कराने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत राशि उपलब्ध कराई गई.—

क्र सं.	जिला	छात्रावास का नाम	राशि	विशेष विवरण
1.	उदयपुर	1–फलासिया 2–झाडोल	9.64 4.89	जिला परिषद द्वारा अपूर्ण छात्रावास को पूर्ण कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है।
2.	बांसवाड़ा	3-तलवाड़ा	1.00	जिला स्तर पर कार्यवाही
			15.53	

परिशिष्ट-12

अतारांकित प्रश्न संख्या 244 की सूची

जोधपुर जिले के अन्तर्गत विभिन्न कृषि उपज मण्डी समितियों द्वारा प्रेषित नवीन सम्पर्क सड़कों के प्रस्तावों की सूची :—

क्र.सं. 1	नाम सम्पर्क सड़क 2	पंचायत समिति 3	लम्बाई कि.मी. 4
कृषि उपज मण्डी समिति, जोधपुर (अनाज)			
1993-94			
1.	जोधपुर, शेरगढ़ से सियाड़ा	शेरगढ़	8.00
2.	फलोदी ढेचूरोड से सावरोज	फलोदी	3.50
3.	बिलाड़ा जोधपुर से पोकरण रोड़ से मण्डला	,,	2.00
4.	एप्रोच रोड स्टेशन से समराउ	ओसियां	2.00
5.	पालड़ी नोसर से नोसर	,,	4.50
6.	एप्रोच रोड से भेड़ों का वास	,,	3.00
7.	जोधपुर पोकरण रोड से सेरवाजा	बालेसर	3.00
8.	चामू चाबा खोखर रोड से केटूकला	,,	5.00
9.	बाऊ केलमसर रोड से जैसला	बाप	4.00
1994-95			
1.	फलोदी चाड़ी रोड से बढियाला	फलोदी	5.00
2.	सामराऊ भेर रोड से भेर	ओसिया	5.00
3.	टापू चांदरख से टापू	,,	4.00
4.	बालेसर तिवरी रोड से उटावर	बालेसर	8.00
5.	लोहावट जूना रोड से चाकू	बाप	10.00
1995-96			
1.	फलोदी ढेचू रोड से कुशालवास	फलोदी	6.00
2.	माड़ीयाई खेतासर खेतासर	ओसियां	9.00

1	2	3	4
3.	घेवड़ा से पाचला खुर्द	ओसियां	5.00
4.	वहित की ढाणी से खुदाकोर	,,	6.00
5.	एप्रोच रोड वेड़ों का वास से बादलावासनी	,,	6.00
6.	जोधपुर पोकरण रोड से बाबरजी	,,	6.00
कृषि उपज मण्डी समिति, जोधपुर (फल सब्जी)			
1.	सम्पर्क सड़क धाधला फाटा से दई खेड़ा वाया जाजीवाल खिचिया		5.00
2.	सम्पर्क सड़क पालड़ी पावारा से पालड़ी खिचिया		2.75
3,	सम्पर्क सड़क भाण्डू से कालोजल (मिसिंग)		1.00
4.	सम्पर्क सड़क कुण्डी से सांगरिया		0.80
5.	सम्पर्क सड़क डोली से मंगाणा (प्याऊ)		5.00
6.	सम्पर्क सड़क जचर से गोदावास वाया सारणों की ढाणी		3.00
7.	सम्पर्क सड़क मोकलावास से रोहिलाकलां		4.00
8.	सम्पर्क सड़क 14 मील नागौर रोड से जाजीवाल भाटिया वाया लोरडी पण्डित जी		2.15
9.	जोधपुर बाड़मेर रोड सें लूणावास		5.00
10.	जोधपुर बाड़मेर से 1 चालो		6.00
11.	बनाड़ ग्रासोप रोड से जालेली दईकड़ां		5.00
कृषि उपज मण्डी समिति, पीपाड़सिटी		निल	
कृषि उपज मण्डी समिति, बिलाड़ा		निल	

परिशिष्ट-13

अतारांकित प्रश्न संख्या 245 की सूचना

विभिन्न कृषि उपज मण्डी समितियों के अन्तर्गत निर्मित सम्पर्क सड़कों के विशेष मरम्मत हेतु आवटित बजट की सूची वर्ष 1993-94

(राशि लाखों में)

क्र स.	नाम मण्डी समिति	सम्पर्क सड़कों की संख्या	लम्बाई कि मी.	प्रशासनिक स्वीकृति	वित्तीय स्वीकृति 93-94
1.	श्रीगंगानगर	25	75.90	173.77	92.05
2.	भरतपुर	2	11.00	42.72	20.72
3.	सांगरिया	5	11.00	27.50	12.50
4.	सुमेरपुर	7	47.00	76.79	1.89
5.	जयपुर (फल सब्जी)	4	5.00	6.75	6.75
6.	सादुलशहर	5	24.90	54.95	20.00
7.	कोटा	2	8.00	17.50	14.50
8.	जयपुर (अनाज)	4	13.60	27.20	2.00
	योग :-	51	196.40	427.18	170.41